प्रकाशक:—

दी स्टूडेन्ट्स बुक कम्पनी,

एज्यूकेशनल पब्लिशर्स,

सोजती गेट, जोधपुर। चौड़ा रास्ता जयपुर।

१५ अगस्त सन् १६५४

जलवायु का दूसरा तत्व वर्षा है। राजस्थान के विभिन्न प्राकृतिक भागों में वर्षा एक सी नहीं होती। भारत के अन्य राज्यों की भांति राजस्थान में भी अधिकांश वर्षा गरमी की मानसून से होती है। अरब सागर से आने वाली मानसून जब दक्षिणी–पश्चिमी राजस्थान में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग में अरावली की दक्षिणी–पश्चिमी नोक आ जाती है। अतः डूंगरपुर, प्रतापगढ़, आदि में साल में ४० इन्च तक वर्षा हो जाती है। आगे अरावली पर्वत श्रृंखला इस मानसून के समानान्तर ही रहती है अतः वर्षा की मात्रा भी कम होती रहती है। उत्तर में जैसलमेर और बीकानेर में तो वर्षा की मात्रा कई स्थानों में ५ इन्च से भी कम रह जाती है। राज्य के पूर्वी मैदानी भाग में मरुस्थली भाग की अपेक्षा तो वर्षा अधिक होती है परन्तु पठारी और पहाड़ी भाग की तुलना में वहां वर्षा की मात्रा कम रहती है।

सरदी के दिनों में पश्चिम की ओर से आने वाले तूफानों से राजस्थान में थोड़ी वर्षा होती है। मात्रा में यह वर्षा १–२ इन्च के लगभग होती है परन्तु खेती की उपज के लिये इसका विशेष महत्व है। उन दिनों हमारे यहां रबी की फसल होती है जिसमें गेहूँ, चना और जौ खेतों में खड़े रहते हैं। इस वर्षा के हो जाने से सिंचाई की कमी की कुछ सीमा तक पूर्ति हो जाती है।

राजस्थान के जलवायु का सारांश इस प्रकार है—गरमी के दिनों में गरमी अधिक पड़ती है। शीतकाल में ठण्ड भी पर्याप्त रहती है परन्तु ठण्ड पड़ने का समय अधिक लम्बा नहीं होता। मरुस्थली भाग में गरमी और सरदी में तापान्तर अधिक रहता है। वर्षा की मात्रा कम रहती है। अधिकांश वर्षा गरमी के अन्तिम दिनों में होती है। अन्य भागों की तुलना में पहाड़ी और पठारी प्रदेश में वर्षा अधिक होती है। एक ही वाक्य में कहा जा सकता है कि राजस्थान का जलवायु गरम और शुष्क है।

४ — मिट्टी

मिट्टी के उपजाऊपन पर ही खेती की उपज निर्भर होती है। राजस्थान की मिट्टी मुख्यतः यहां की भूमि की बनावट के अनुसार है। मरुस्थली प्रदेश की मिट्टी रेतीली है। मोटा कण होने के कारण उस मिट्टी में दिया हुआ पानी बहुत जल्दी भूमि के नीचे चला जाता है। ऐसी मिट्टी में पैदावार बहुत कम होती है। पहाड़ी भाग की भूमि पथरीली है अतः वहां भी खेती करने में कठिनाई होती है। हाँ, जहां कहीं नदियों की घाटियाँ आ गई हैं वहां कई जगह मटियाली भूमि आ गई है। ऐसी मिट्टी में पैदावार अच्छी होती है।

प्रस्तावना

—o—

राजस्थान एक नव-निर्मित राज्य है। इसके आर्थिक विकास की कई समस्याएँ हैं। प्रस्तुत पुस्तक में राजस्थान के आर्थिक विकास का दिग्दर्शन कराया गया है। इस दिशा में कदाचित यह प्रथम प्रयास है।

दो बातों से प्रेरित होकर लेखकों ने यह रचना की है। आजकल विश्व-विद्यालय की परीक्षाओं में राजस्थान के आर्थिक विकास और यहां की आर्थिक समस्याओं पर कई प्रश्न दिये जाते हैं। उनके लिये विद्यार्थियों को पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं होती। यही कारण है कि विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों के बेतुके उत्तर देते हैं। यह पुस्तक इस दिशा में उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिये लाभ-प्रद सिद्ध होगी, ऐसी आशा है।

पुस्तक की रचना का दूसरा कारण यह है कि राजस्थान तथा अन्य राज्यों के कई महानुभाव इस नए राज्य के आर्थिक विकास की जानकारी प्राप्त करने के लिये इच्छुक रहते हैं। लेखकों के पास इस प्रकार के कई पत्र आते रहते हैं जिनका विस्तृत उत्तर देना असाध्यसा है। बहुत कुछ छानबीन करने के पश्चात भी राजस्थान के आर्थिक विकास पर एक स्थान पर वांछित सामग्री नहीं मिलती। प्रस्तुत पुस्तक इस कमी की कुछ सीमा तक पूर्ति अवश्य करेगी।

राजस्थान एक पिछड़ा हुआ और अविकसित राज्य है। राज्य की आर्थिक उन्नति में ही यहां की जनता का कल्याण निहित है। अतएव राज्य की उन्नति चाहने वाले राजनीतिज्ञों और कार्यकर्ताओं के लिये भी यह रचना उपयोगी सिद्ध होगी।

राजस्थान में सम्मिलित देशी रियासतों में सही आँकड़े उपलब्ध नहीं होते थे और वर्तमान संयुक्त राज्य को बने हुये बहुत अधिक समय नहीं हुआ है। राजकीय विभाग अभी तक आँकड़ों और संबंधित तथ्यों को एकत्र करने में लगे हुए हैं। इस अवस्था में लेखक जैसी सामग्री उपस्थित करना चाहते थे वैसी नहीं कर सके हैं। आशा है, आगे के संस्करणों में इस ओर अधिक प्रगति हो सकेगी।

जिन स्रोतों से पुस्तक में अंक तथा अन्य तथ्य लिये गए हैं, लेखक उनके लिये सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों और संग्रह कर्ताओं के अत्यन्त आभारी हैं। पाठकों की विशेष जानकारी के लिए पुस्तक के अन्त में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों के परिशिष्ट और एक संदर्भ सूची दी जा रही है।

यदि विद्वान पाठक पुस्तक में सुधार के सुझाव प्रदान करने की कृपा करेंगे तो लेखक अनुग्रहीत होंगे।

लेखक—

विषय-सूची



अध्याय १

साधारण परिचय

राजस्थान देशी राज्यों के उस समूह को मिलाकर वनाया गया है जो पहले राजपूताने के नाम से भारत में विख्यात था। राजपूताने का दूसरा नाम 'रजवाड़ा' भी था। उन रियासतों के अधिकांश राजा राजपूत होने के कारण ही प्रान्त का नाम राजपूताना पड़ा। ता० ३० मार्च सन् १९४९ को राजपूताने की वड़ी वड़ी रियासतों का एकीकरण हो गया और तब ही से इस नव निर्मित महान राज्य का नाम राजस्थान रखा गया। राज्य का क्षेत्रफल १,३०,२०७ वर्ग मील है। 'क' श्रेणी के राज्यों में केवल मध्य प्रदेश ही क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान से बड़ा है। 'ख' श्रेणी के राज्यों में तो राजस्थान ही सबसे वड़ा है।

राजस्थान राज्य २३०३' उत्तरी अक्षांश और ३०°१२' उ० अक्षांश के बीच स्थित है। देशान्तर के अनुसार इसका विस्तार ६९°३०' पू० और ७८°७' पू० देशान्तर के बीच में है। पूर्व से पश्चिम में राज्य की लम्बाई लगभग ५४० मील है। उत्तर से दक्षिण की दूरी ५१० मील है। इस प्रकार राजस्थान राज्य चारों दिशाओं में वर्गाकार रूप में फैला हुआ है क्योंकि इसकी लम्बाई और चौड़ाई लगभग बराबर है।

राजस्थान के उत्तर में पंजाब राज्य है। पूर्व में उत्तर प्रदेश और मध्य भारत है। दक्षिण में मध्य भारत और बम्बई राज्य। है पश्चिम में पाकिस्तान का सिन्ध प्रान्त और भावलपुर राज्य है। राजस्थान के मध्य में अजमेर राज्य है। भौगोलिक दृष्टिकोण से तो अजमेर राजस्थान का ही अंग है परन्तु राजनैतिक दृष्टि से यह 'ग' श्रेणी का राज्य है अतः यह राजस्थान से संबन्धित नहीं है।

वर्तमान राजस्थान की स्थापना होने से पूर्व राजपूताने में छोटे मोटे कुल मिलाकर २० देशी राज्य थे। क्षेत्रफल के आधार पर उनका क्रम इस प्रकार था।

१. जोधपुर (मारवाड़)	११. भरतपुर
२. बीकानेर	१२. बांसवाड़ा
३. जैसलमेर	१३. डूंगरपुर
४. जयपुर	१४. करौली
५. उदयपुर (मेवाड़)	१५. धौलपुर
६. कोटा	१६. प्रतापगढ

७. अलवर
८. टोंक
९. बूंदी
१०. सिरोही

१७. किशनगढ़
१८. झालावाड़
१९. शाहपुरा
२०. कुशलगढ़ (जागीर)

भारत को स्वतन्त्रता मिल जाने पर देशी राज्यों की प्रजा में भी आजादी की लहर प्रबल हो गई। भिन्न भिन्न राज्यों में प्रजा के लोक-प्रिय कार्य कर्त्ता शासन में भाग लेने लगे। राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतों में भी राजाओं ने अपने मंत्रि-मंडल में समाज सेवी कार्य कर्त्ताओं को ले लिया। परन्तु इससे लोगों को अधिक संतोष न हुआ। एक रियासत का विस्तार कम होने के कारण आय भी कम होती थी और प्रजा-हितकारी कार्य बड़े पैमाने पर नहीं हो सकते थे। देशी राज्यों के अलग अलग रहने से ऐसी ही और भी कई हानियां थी। भारत सरकार तथा जनता के प्रयत्न राजस्थान संघ बनाने की ओर थे। राजाओं ने भी इस पर अपनी स्वीकृति दे दी। इस प्रकार संयुक्त राजस्थान संघ बनाने की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ।

सबसे पहला कदम राजपूताने के पूर्वी भाग में स्थित अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर राज्यों ने उठाया। ता० १७ मार्च सन् १९४८ को ये चारों राज्य आपस में मिल गए और इस संयुक्त राज्य का नाम 'मत्स्य' रखा गया। अलवर नगर को नव निर्मित राज्य की राजधानी बनाया गया। इसके पश्चात् ता० २५ मार्च सन् १९४८ को राजपूताने की कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा और कुशालगढ़ के नरेशों ने आपस का संघ बनाने की अनुमति दे दी। इस संघ का कार्य प्रारम्भ होने ही वाला था कि १८ अप्रैल सन् १९४८ को उदयपुर राज्य भी इस संघ में मिल गया। नए संघ को 'संयुक्त राजस्थान' के नाम से पुकारा जाने लगा। इसकी राजधानी उदयपुर रखी गई।

लगभग एक साल तक 'मत्स्य' और 'राजस्थान' के संघ अपना कार्य करते रहे। राजपूताने के शेष बचे हुए जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर और सिरोही राज्य अलग अलग रहे। ता० ३० मार्च सन् १९४९ को पहले के छोटे राजस्थान में सिरोही को छोड़ कर चारों राज्य मिला दिये गये। इस बड़े राज्य का नाम 'वृहत् राजस्थान' रखा गया। १५ मई सन् १९४९ को 'मत्स्य' भी संयुक्त राजस्थान में मिला दिया गया। सिरोही राज्य को कुछ समय तक तो बम्बई राज्य में रखा गया परन्तु अन्त में आबू तथा उसके निकट के कुछ भाग को छोड़कर सिरोही राज्य भी राजस्थान में ही विलीन किया गया।

इस-प्रकार वर्तमान राजस्थान का एकीकरण कई सोपानों में हुआ। अब यह विशाल संयुक्त राज्य है। राज्य की राजधानी जयपुर नगर है। मेवाड़



राजस्थान
राजनीतिक
प. पाकिस्तान
पंजाब
उ. प्रदेश
भारत
बंबई
मध्य
चूरू
बीकानेर
नागौर
सीकर
अलवर
जयपुर
जैसलमेर
जोधपुर
टोंक
बाड़मेर
जालौर
पाली
भीलवाड़ा
बूंदी
कोटा
सिरोही
चित्तौड़
उदयपुर



के महाराणा राजस्थान के महाराजप्रमुख हैं तथा जयपुर के महाराजा राज-प्रमुख है। कोटा के नरेश उप राजप्रमुख है। शासन व्यवस्था के दृष्टिकोण से राजस्थान पांच विभागों (डिवीजनों में बांट दिया गया है। उनके नाम इस प्रकार हैं: —

१. **जयपुर विभागः**—यह विभाग 'मत्स्य', जयपुर, टोंक और किशनगढ़ की रियासतों से बना है। इसमें ७ जिले हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं- जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई-माधोपुर, टोंक, सीकर और झुंझनू।

२. **जोधपुर विभाग**—इसमें पहले की जोधपुर, जैसलमेर और सिरोही रियासत का अधिकांश भाग है। पहले इस विभाग में ७ जिले थे परन्तु अब जैसलमेर जिला तोड़ कर जोधपुर जिले में मिला दिया गया है अतः जोधपुर विभाग में ६ जिले हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—जोधपुर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जालौर और सिरोही।

बीकानेर विभाग—इस विभाग में पहले की बीकानेर रियासत है। कुल तीन जिले हैं जिनके नाम ये हैं—बीकानेर, चूरू और गंगानगर।

४. **उदयपुर विभाग**—राजपूताने की मेवाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बाँसवाड़ा और शाहपुरा रियासतें सम्मिलित की गईं। कुशलगढ़ भी उदयपुर विभाग के अंतर्गत हैं। एकीकरण के पश्चात् उदयपुर विभाग को पांच जिलों में विभक्त कर दिया गया। ये जिले इस प्रकार हैं—उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर और बाँसवाड़ा।

५. **कोटा विभाग**—कोटा, बूंदी और झालावाड़ के देशी राज्यों को मिलाकर कोटा विभाग बनाया गया। इन्हीं तीनों नाम के तीन जिले इस विभाग में हैं।

इस प्रकार राजस्थान के इन पांचों विभागों में कुल मिलाकर २५ जिले हैं। प्रत्येक जिला सब डिवीजन और तहसीलों में विभक्त है। इन सब जिलों में कुल मिलाकर ७६ सब डिवीजन और २०७ तहसीलें हैं ❀। राजस्थान के सम्पूर्ण गांवों की संख्या ३५,३८१ है। प्रत्येक विभाग का प्रबन्ध 'कमिश्नर' द्वारा होता है। जिले के प्रबन्ध का उत्तरदायित्व 'कलेक्टर' पर है।

राजस्थान के विभागों और जिलों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

❀ Cencus of India 1951—Volume X—Rajasthan and Ajmer Part I A—Page 2.

(अ) जयपुर विभाग

नाम जिला	क्षेत्रफल (वर्ग मील
१. जयपुर	६२६५.४
२. अलवर	३२४५.३
३. भरतपुर	३१३२.६
४. सवाई माधोपुर	४२०३.८
५. टोंक	३५८१.६
६. सीकर	२६४१.६
७. झूंझूनू	२३१०.५
कुल जयपुर विभाग	२५७११.१

(आ) जोधपुर विभाग

नाम जिला	क्षेत्रफल
१. जैसलमेर	१५६६७.५
२. जोधपुर	६४३४.४
३ पाली	४७५०.७
४. नागौर	६८६८.८
५. जालौर	४६२३.६
६. बाड़मेर	१०१५०.५
७. सिरोही	१६७१.१
कुल जोधपुर विभाग	५३७६६.६

(इ) बीकानेर विभाग

नाम जिला	क्षेत्रफल
१. बीकानेर	८४४६.६
२. चूरू	६५१२'४
३. गंगानगर	८२२५.०
कुल बीकानेर विभाग	२३१८४'०

(ई) उदयपुर विभाग

नाम जिला	क्षेत्रफल
१. उदयपुर	६६५७'५
२. भीलवाड़ा	४६७१.५
३. चित्तौड़	३२३१.२
४. बांसवाड़ा	१६५३.८
५. डूंगरपुर	१४६६.३
कुल योग	१८२८०.३

(३) कोटा विभाग

१. कोटा	४७८४.६
२. बूंदी	२१३८.६
३. झालावाड़	२३११.२
कुल योग	६२३४.७

Source : Agricultural Statistics 1950-51
Rajasthan State—Page 3.

राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था की विशेषताएँ—राजस्थान की स्थापना से पूर्व इसमें सम्मिलित होने वाली प्रत्येक रियासत एक स्वतन्त्र इकाई थी। अधिकांश रियासतों के साधन सीमित थे और आर्थिक इकाई की संभावनाऐं भी परिमित थी। राजस्थान के एकीकरण से राज्य सरकार को अधिक साधन प्राप्त हो गये है और विकास की संभावनाऐं भी बढ़ गई है। राज्य सरकार सम्पूर्ण राज्य के आर्थिक विकास का प्रयत्न कर रही है। राजस्थान के आर्थिक विकास का वर्णन करने से पूर्व राज्य की अर्थ-व्यवस्था की विशेषताओं का जानना आवश्यक है।

राजस्थान की अर्थ व्यवस्था की विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

१—राज्य की विशालता और जन-संख्या की न्यूनता—

जैसा कि पहले बताया जा चुका है केवल मध्य प्रदेश राज्य को छोड़कर क्षेत्रफल में राजस्थान अन्य सभी राज्यों से बड़ा है। यहां की आबादी डेढ़ करोड़ है। परन्तु जन-संख्या का घनत्व कम है। राजस्थान की आबादी का औसत घनत्व केवल ११७ मनुष्य प्रति वर्ग मील है। आसाम को छोड़कर के सभी 'क' और 'ख' श्रेणी के राज्यों में जन-संख्या का घनत्व राजस्थान से अधिक है। यह कम घनत्व राज्य की पिछड़ी दशा का द्योतक है।

२—जन-संख्या का असमान वितरण—

राजस्थान राज्य के विभिन्न भागों में जन-संख्या के वितरण में भारी असमानता है। जयपुर विभाग और उदयपुर विभाग के डूंगरपुर जिले में प्रति औसत मील २०० से भी अधिक मनुष्य रहते हैं। बीकानेर विभाग का औसत घनत्व ६४ मनुष्य है। जोधपुर विभाग के जैसलमेर प्रदेश में तो एक औसत मील में केवल ६ मनुष्य ही निवास करते हैं। जन-संख्या की असमान वितरण भी राज्य की पिछड़ी दशा बताता है।

३. अल्प वृष्टि और अकाल का भय—

मानसूनी हवाओं को रोकने के लिये राजस्थान में बहुत ऊँचे पर्वत नहीं है। अरावली पर्वत श्रृंखला मानसूनी हवाओं के मार्ग में रुकावट

: नहीं करती क्योंकि हवाओं का रुख और पर्वत श्रृंखला का विस्तार एक ही में है। अरावली के दक्षिणी-पश्चिमी भाग की पहाड़ी भूमि मानसून के में होने के कारण वहां साल भर में ३० इंच से ४० इंच तक वर्षा हो है परन्तु राजस्थान का अधिकांश भाग अरावली से उत्तर-पश्चिम में वह मरुस्थली प्रदेश है। वहां की वार्षिक वर्षा का औसत १० और ५ इंच ीच है परन्तु कई स्थान ऐसे भी हैं जहां १ इंच से भी कम वर्षा होती है। । को पीने तक के लिये पानी कठिनाई से मिलता है।

अल्प वृष्टि के अतिरिक्त दूसरी कठिनाई है वर्षा की अनिश्चितता। का यह दोष राजस्थान के पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों ही भागों में पाया ।। है। वर्षा के निश्चित समय पर न होने के कारण फ़सल को बड़ी हानि है। अकाल का प्रकोप सबको भयभीत कर देता है। लोगों का अनुमान दस वर्षों में पूर्वी राजस्थान में चार और पश्चिमी राजस्थान में पांच वर्ष होते हैं जब वहां वर्षा की कमी रहती है। वैसे तो राजस्थान के किसी न भाग में आंशिक रूप में अकाल का प्रभाव हर साल दिखाई देता है पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर लोगों की ऐसी धारणा हो है कि दस-ग्यारह वर्ष में एक वर्ष ऐसा आ जाता है जबकि सम्पूर्ण राज- में अनावृष्टि का संकट उत्पन्न हो जाता है।

आंशिक अनावृष्टि और अकाल के कारण राजस्थान के आर्थिक जीवन सदा अस्थिरता बनी रहती है।

-सिंचाई के साधनों का अभाव:—

वर्षा के अभाव में सिंचाई के साधनों द्वारा खेती की जा सकती है न्तु राजस्थान में सिंचाई के साधनों की कमी है। मरुस्थली भाग में कुओं गहराई अधिक है। वहां के कुएँ १०० फीट से २५० फीट तक गहरे हैं। ।ली भूमि होने के कारण तालाबों का भी अभाव है क्योंकि रेत पानी को ही सोख लेती है अतः तालाबों में पानी अधिक समय तक ठहर नहीं ।। नदियां वहां से दूर हैं और भूमि भी ऊँची नीची है अतः नहरें नहीं ी जा सकती।

राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी-पूर्वी भाग में वर्षा कुछ ठीक हो जाती और भूगर्भ तल की गहराई भी १०० फीट से अधिक नहीं है। सिंचाई के ों को बनाने में भी वहां कोई कठिनाई नहीं होती। परन्तु उस भाग में ांश भूमि पहाड़ी और पठारी है। ऐसी भूमि में खेती बड़ी कठिनाई से हो सकती है। इस प्रकार राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति सिंचाई के ये उपयोगी नहीं है। राज्य में, इसी कारण, सिंचित भूमि की कमी है। खेती

की जाने वाली ३ करोड़ एकड़ भूमि में से केवल २७ लाख एकड़ भूमि सींची जाती है। इस प्रकार समस्त कृषित भूमि के केवल ६% भाग में ही सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं शेष ६१% कृषित भूमि को प्राकृतिक जल-वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। वर्षा के अभाव और अनिश्चितता के कारण ऐसी कृषित भूमि कम पैदावार देती है।

५-जीवनोपार्जन के लिये खेती और पशु पालन पर निर्भरता:—

राजस्थान में खेती के लिये विशेष सुविधा न होने पर भी अधिकांश लोग खेती करते हैं। कुल आबादी में से ८३% लोग गांवों में रहते हैं। वे लोग खेती करके अपना भरण-पोषण करते हैं। खेती के साथ पशु पालना भी राजस्थानी किसानों का मुख्य धंधा है। इंग्लैण्ड और जापान में भी राजस्थान की भांति भौगोलिक परिस्थिति खेती के अनुकूल न होने के कारण किसान खेती के अतिरिक्त पशु पालता है। ऐसी खेती मिश्रित कृषि (Mixed Farming) कहलाती है।

खेती की कम पैदावार होने के कारण राजस्थानी किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। एक फसल वाले प्रदेशों में तो किसान को पूर्णतः वर्षा पर आश्रित रहना पड़ता है। जिस साल वर्षा नहीं होती उस साल कई किसान अपने पशुओं के साथ पड़ौसी राज्यों में चले जाते हैं और दूसरे साल वर्षा होने पर लौट आते हैं। राज्य में अन्य व्यवसायों की कमी होने के कारण ही राजस्थानी लोगों में से अधिकांश को खेती करनी पड़ती है।

६-भूव्यवस्था:—

एकीकरण से पूर्व राजस्थान की कुल ८०७५८ हजार एकड़ भूमि में से ३१९९८ हजार एकड़ भूमि खालसा थी अर्थात् सीधी नरेशों के अधिकार में थी और शेष ४८७६० हजार एकड़ भूमि जागीरदारों के अधिकार में थी। इस प्रकार राजस्थान का लगभग ६०% भाग जागीरी क्षेत्र था। यहां के जागीरदारों को केवल माली अधिकार ही नहीं थे, उन्हें दीवानी और फौजदारी अधिकार भी थे। जागीरी किसान को भूमि के लगान के अतिरिक्त अनेक अवैधानिक लाग-बागों का शिकार बनना पड़ता था। किसानों से वसूल की हुई रकम भूमि को उपजाऊ बनाने में न लगा कर जागीरदार तथा उनके परिवार की विलास सामग्रियों पर व्यय की जाती थी। ऐसी अवस्था में भूमि उपेक्षित रहती थी और किसानों को भूमि सुधार तथा उत्पादन वृद्धि के लिये कोई प्रयोजन नहीं रहता था।

हर्ष की बात है कि राजस्थान की स्थापना के पश्चात् जागीरदारी उन्मूलन

ो चुकी है और इसे कार्य रूप में परिणित किया जा रहा है। आशा है निकट भविष्य में किसानों को भूमि में सुधार करने के लिये पूर्ण अधिकार दिये जायेंगे।

७—उद्योग-धंधों का अभाव:—

राजस्थान में बड़े कारखाने कम हैं। नगरों और कस्बों में रहने वाले मनुष्य राज्य की आबादी का केवल १७% ही है। यह संख्या भी यही संकेत करती है कि इस राज्य में कारखानों का अभाव है। बड़े बड़े कारखाने प्रायः नगरों में ही होते हैं। जन-संख्या का अधिकांश भाग गांवों में रहने के कारण इस राज्य में ग्रामोद्योगों को ही प्रमुखता दी गई है। राज्य भर में लगभग ६ या ७ लाख मनुष्य ग्रामोद्योगों या कुटीर उद्योगों में लगे हुए हैं। बड़े कारखानों में काम करने वाले मनुष्यों की संख्या तो केवल ३४ हजार ही है। इसमें वे लोग भी सम्मिलित हैं जो व्यापार व्यवसाय में भी लगे हुए हैं।

प्राचीनकाल से ही राजस्थान के विभिन्न भागों में कई प्रकार की हस्त-कौशल की वस्तुएँ तैयार की जा रही हैं। ऐसी वस्तुओं में कुछ तो अपनी विशेषता के लिये अधिक प्रसिद्ध हैं। उन वस्तुओं के लिये कुछ स्थान विशेष महत्व रखते हैं। मरुस्थली भाग में ऊन के कम्बल अच्छे बनते हैं। जैसलमेर और बीकानेर के कम्बल तो राजस्थान से बाहर भी निर्यात किए जाते हैं। जयपुर के पीतल के बर्तन और मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। उदयपुर का लकड़ी का काम और जोधपुर के कढाई के जूते विशेष उल्लेखनीय हैं। चित्तौड़ और पाली की कपड़े की छपाई तथा नागौर और कुचामन की कपड़े की बंधाई प्रसिद्ध है। कोटे के निकट बारां में कपड़ा अच्छा बनाया जाता है। मेड़ता की हाथी दाँत की वस्तुएँ और मकराने के संगमरमर के प्याले तथा अन्य वस्तुएँ बड़ी सुन्दर बनती हैं।

इन वस्तुओं के अतिरिक्त राज्य में और भी कई जगह विविध प्रकार की वस्तुएँ बनतीहैं जिनकी मांग राजस्थान से बाहर भी है। इन हस्तकलाओं में लगे हुए कारीगर आजकल बड़ी कठिनाई से अपना गुजारा कर पाते हैं क्योंकि जनता में मिलों में बने हुए सस्ते माल की अधिक मांग है।

८—शक्ति के साधन:—

बड़े कारखानों की राजस्थान में कमी होने का सब से बड़ा कारण यह है कि यहां यांत्रिक शक्ति के साधनों की कमी है। कारखानों में काम आने वाला कोयला बाहर से मंगाना पड़ता है। थोड़ा सा कोयला बीकानेर विभाग के पलाना स्थान से निकलता है परन्तु वह घटिया है अतः कारखानों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। यह कोयला बीकानेर के शक्ति गृह (पावर हाउस)

में अधिक काम लिया जाता है। मिट्टी का तेल और पेट्रोल तो यहां नाम मात्र को भी नहीं निकलता। वर्षा की कमी के कारण जल-विद्युत की सुविधा नहीं है। इस प्रकार राजस्थान में किसी भी प्रकार की शक्ति सस्ती नहीं पड़ती।

राजस्थान के व्यापारी और व्यवसायी भारत भर में प्रसिद्ध है। यहां के व्यवसायी लोगों ने बंगाल तथा बम्बई के औद्योगिक विकास में बहुत हाथ बटाया है। भारत के अन्य भागों में भी यहां के व्यवसायी और व्यापारी न्यूनाधिक संख्या में मिल जाते हैं। अपने धंधे में निपुण होने पर भी वे लोग राजस्थान में उद्योग धंधों का विकास न कर सके इसका मुख्य कारण शक्ति का अभाव है। यदि राजस्थान में सस्ती शक्ति उत्पन्न की जाय तो यहां भी कारखाने खोले जा सकते हैं।

निकट भविष्य में चम्बल योजना के बन जाने से राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में सस्ती जल-शक्ति मिलने की संभावना है। इसी प्रकार राज्य के उत्तरी भाग में भी भाकरा योजना से बिजली प्राप्त हो सकेगी। राज्य के मरुस्थली भाग में कोयला और पेट्रोल की खोज करने से संभव है उनकी भी प्राप्ति हो सके। हाल की जाँच से जैसलमेर में पेट्रोल होने का सबूत मिला है।

९-परिवहन के साधनों का अभाव:—

व्यवसायों के विकास के लिये शक्ति के साधनों के अतिरिक्त यातायात के साधनों की भी सुविधा होना परम आवश्यक है। इन्हीं के द्वारा कारखानों के लिये यंत्र, कच्चा माल तथा उत्पादित सामान भेजा जाता है। परिवहन के ऐसे साधनों की राजस्थान में कमी है। रेल-मार्ग तो कम हैं ही, यहां सड़कों का भी बड़ा अभाव है।

सड़कों द्वारा ही राज्य के भीतरी भागों तक पहुंचा जा सकता है। मोटर की सवारी आजकल बहुत प्रचलित हो गई है। अनुमानतः राजस्थान में सड़कों की कुल लम्बाई ८७५५ मील है जिनमें पक्की सड़कें तो केवल ३४३२ मील लम्बी है। इस प्रकार राजस्थान में १०० वर्ग मील भूमि के पीछे केवल ६-७ मील लम्बी सड़क है। मध्य प्रदेश का अधिकांश पहाड़ी भूमि है अतः उस राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों में सड़कों का औसत २० से ४० मील प्रति १०० वर्ग मील क्षेत्रफल है।

राजस्थान के मरुस्थली तथा पहाड़ी भाग में आज भी ऐसे कुछ लोग मिल जायँगे जिन्होंने रेल गाड़ी देखी तक नहीं है। मरुस्थल में तो ऊँट ही यातायात का मुख्य साधन है। भू-मार्गों के अतिरिक्त जल मार्गों का तो राजस्थान में प्रश्न ही पैदा नहीं हो सकता क्योंकि यहां साल भर बहने वाली कोई नदी

नहीं है। वायु-मार्गों का भी राज्य में विकास नहीं हुआ है यद्यपि जोधपुर का हवाई अड्डा अपनी निजी विशेषता रखता है।

राज्य की उन्नति के लिये राजस्थान के यातायात के साधनों में वृद्धि करने की नितान्त आवश्यकता है।

१०—सामाजिक सेवाओं का निम्न स्तरः—

किसी भी राज्य की उन्नति वहां की सामाजिक सेवाओं के उच्च स्तर से ज्ञात की जा सकती है। राजस्थान में शिक्षा, चिकित्सा तथा अन्य जन हितकारी कार्य बहुत पिछड़ी हुई अवस्था में हैं। अनुमान लगाया जाता है कि राजस्थान में पाठशाला जाने योग्य अवस्था के बच्चों की कुल संख्या लगभग २४ लाख है जिनमें से केवल ३·४३ लाख अर्थात् १४% पाठशाला जाते हैं। यह अनुपात पंजाब में २४%, मैसूर में ४०% और उत्तर प्रदेश में ४५% है। राजस्थान की स्थापना हो जाने के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा की ओर प्रगति अवश्य हुई है परन्तु फिर भी औसतन प्रति ३३ वर्ग मील क्षेत्र के पीछे केवल १ प्राथमिक पाठशाला है।

राज्य में चिकित्सा की अवस्था भी ठीक नहीं है। राजस्थान में अनुमानतः ६६०० मनुष्यों के पीछे एक चिकित्सालय है। इसी प्रकार जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं की भी कमी है। विकास-सम्बन्धी अन्य प्रयत्न भी पिछड़ी हुई अवस्था में हैं।

राजस्थान की लगभग डेढ़ करोड़ जन-संख्या में लगभग ६१ लाख मनुष्य परिगणित अथवा पिछड़े हुए वर्ग के हैं। आबादी के ६०% इन पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने के लिये पर्याप्त धन की आवश्यकता है। अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान तो पहले ही अविकसित अवस्था में है। स्पष्ट है कि राजस्थान को अन्य 'क' श्रेणी के राज्यों के स्तर पर लाने के लिये विकास प्रयत्नों को कई गुना बढ़ाने की आवश्यकता है।

———

अध्याय २

भौगोलिक वातावरण

भौगोलिक वातावरण के अन्तर्गत भूमिकी रचना, पहाड़, नदियाँ, मिट्टी, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति आदि का वर्णन किया जाता है। इनके आधार पर ही अमुक स्थान की खेती की पैदावार, मुख्य व्यवसाय, यातायात के साधन आदि निर्भर रहते हैं। अतः उनका अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। राजस्थान का भौगोलिक वातावरण इस प्रकार है:—

१—प्राकृतिक विभाग

राजस्थान की प्राकृतिक रचना एक सी नहीं है—कहीं पहाड़ी भूमि है तो कहीं मरुस्थली भूमि। कहीं समतल मैदान आया हुआ है तो कहीं भूमि बहुत ऊँची नीची और ऊबड़-खाबड़ है। जलवायु भी सब जगह एक सा नहीं है। राज्य के भिन्न भिन्न भागों में वर्षा का वितरण असमान है। वनस्पति भी सब जगह एक सी नहीं है। इन्हीं बातों के आधार पर लोगों के धन्धे भी भिन्न भिन्न हैं। भूमि के जिस सम्पूर्ण भाग की जमीन की बनावट, जलवायु प्राकृतिक वनस्पति तथा लोगों के धन्धे एक से हों वह भाग एक 'प्राकृतिक विभाग' कहलाता है।

राजस्थान के मध्य में अरावली पर्वत श्रेणी उत्तर-पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है। इस शृंखला के उत्तर-पश्चिम में बहुत दूर तक रेतीली भूमि है जहाँ वर्षा की कमी के कारण मरुस्थल है। अरावली के पूर्व में लगभग समतल मैदानी भाग है। राजस्थान के दक्षिणी-पूर्वी भाग में हाड़ौती का पठार है। इस प्रकार राजस्थान को चार प्राकृतिक विभागों में बाँटा जा सकता है:—

(अ) राजस्थान का शुष्क प्रदेश:—यह प्रदेश भारत के मरुस्थली भाग का अंश है। यह राजस्थान राज्य के उत्तरी-पश्चिमी भाग में स्थित है। बीकानेर डिवीजन और जोधपुर डिवीजन का अधिकांश इसी भाग में है। जिलों के अनुसार राजस्थान के बीकानेर, चूरू, गंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, नागौर और जैसलमेर जिले इस मरुस्थली

भाग में सम्मिलित हैं। यह प्राकृतिक विभाग सम्पूर्ण राजस्थान की ५७.८% भूमि को घेरे हुए है और इसमें सारे राज्य की ३०% आबादी है।❁

इस शुष्क प्रदेश में गरमी अधिक पड़ती है और आंधियाँ चलती हैं। कम वर्षा के कारण खेती कम होती है। लोगों का जीवन बड़ा कठिन है।

(आ) मध्य का पहाड़ी भाग—इस विभाग में अरावली की शृंखला फैली हुई है। राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही के जिले इसी भाग में हैं। विस्तार में यह प्राकृतिक भाग सबसे छोटा है। सम्पूर्ण राज्य के ९.३०% भाग में यह पर्वतीय प्रदेश फैला हुआ है। इस विभाग में राजस्थान के १४% मनुष्य रहते हैं।

वर्षा तो पहाड़ी प्रदेश में अच्छी होती है परन्तु पथरीली भूमि होने के कारण खेती करने में कठिनाई होती है। यातायात के साधनों की भी कमी है।

(इ) पूर्वी मैदानी भाग—अरावली शृंखला के पूर्व में राजस्थान का मैदानी भाग है। इस भाग में जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अलवर, भरतपुर, सीकर, झूंझूनू तथा भीलवाड़ा जिला है। यह सम्पूर्ण भाग राजस्थान की २३.३% भूमि में फैला हुआ है।

समतल भूमि तथा अच्छी वर्षा और सिंचाई के साधनों के उपलब्ध होने के कारण इस विभाग में सबसे अधिक मनुष्य रहते हैं। सीकर और झूंझूनूं तो अर्द्ध-मरुस्थली अवस्था में होने के कारण कम आबादी के क्षेत्र हैं परन्तु सामूहिक रूप से इस सम्पूर्ण मैदानी भाग में राजस्थान के ४३% लोग निवास करते हैं।

(ई) पठारी प्रदेश—जैसा कि पहले बताया गया है राजस्थान के दक्षिणी-पूर्वी भाग में पठारी भूमि है। यह प्रदेश राजस्थान के ९.६% भाग में फैला हुआ है। इसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़ के जिले स्थित हैं।

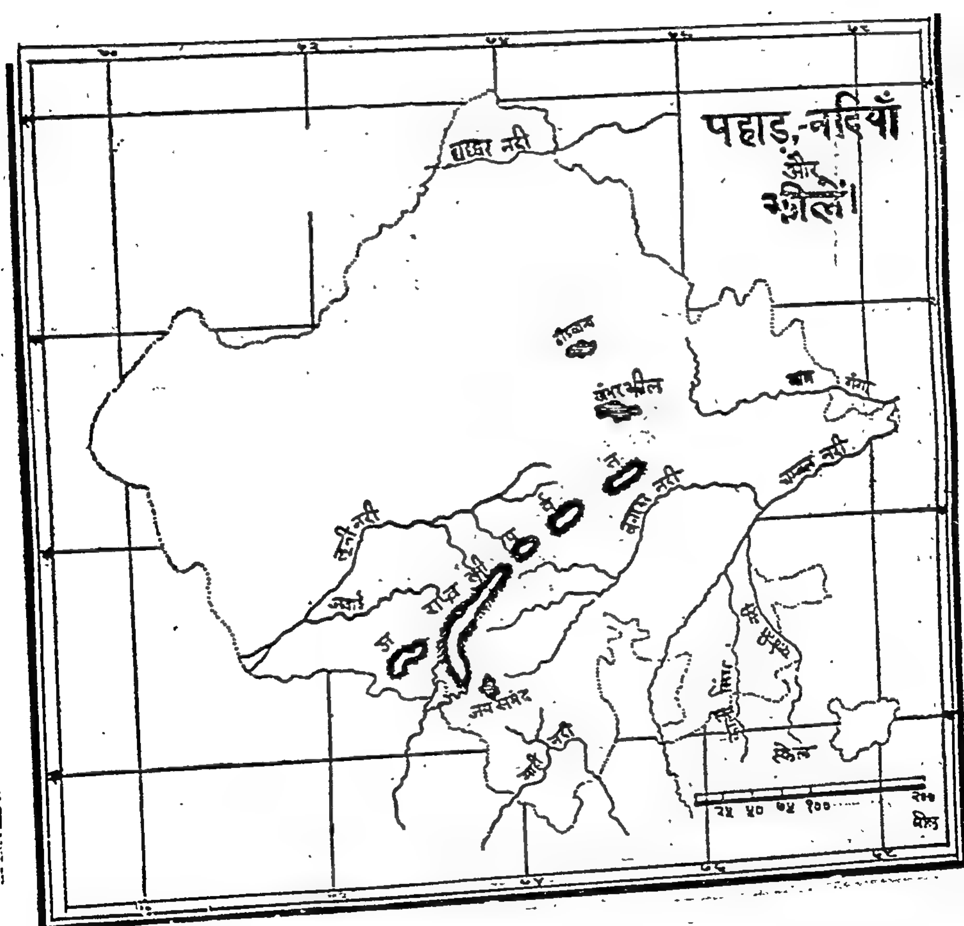
पठारी भाग में वर्षा तो अच्छी हो जाती है परन्तु जमीन अनुपयोगी होने के कारण कृषि की पैदावार कम होती है। इस प्रदेश में सम्पूर्ण राजस्थान के १३% मनुष्य रहते हैं। चम्बल योजना के बन जाने से, आशा है, इस प्रदेश में कृषि तथा उद्योग-धन्धों की उन्नति होगी और आबादी में वृद्धि होगी।

❁ Census of India 1951—Volume X Part I A p. 6.

प्राकृतिक भाग

पश्चिमी रेतीला भाग
अरावली पहाड़
पथरीला भाग
पूर्वी मैदान

स्केल


पहाड़,-नदियाँ
और
झीलें।
घग्घर नदी
गंगा
लूनी नदी
जयसमंद
२५ ५० ७५ १००
मील

२—नदियाँ और झीलें

आर्थिक दृष्टि कोण से राजस्थान की नदियों और झीलों का बड़ा महत्त्व है। अधिकांश नदियाँ अरावली के पूर्व में हैं। यहाँ की नदियाँ साल भर नहीं बहती। वर्षा ऋतु में ही उनमें पर्याप्त पानी रहता है। परन्तु उन नदियों के किनारे कुएँ खोदकर सिंचाई की जाती है। आजकल नदियों के पानी को रोक कर बांध बनाने की योजनाएँ बन रही हैं। इन बांधों से सिंचाई भी होगी और बिजली का उत्पादन भी किया जायगा। इसी भांति मीठे पानी की झीलों से सिंचाई की जाती है और खारी पानी की झीलों से नमक तैयार किया जाता है।

राजस्थान की मुख्य नदियाँ इस प्रकार हैं—

१. **चम्बल**—वास्तव में यह नदी मालवा के पठार से निकलती है। मध्य भारत में बहने के पश्चात् यह उत्तर-पूर्व की ओर बहती हुई राजस्थान के कोटा डिवीजन में प्रवेश करती है। फिर यह कोटा और धौलपुर में बहती है। आगे चलकर चम्बल राजस्थान और मध्य भारत के बीच सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में प्रवेश करती है। फिर यह यमुना नदी में मिल जाती है।

२. **बनास**—यह नदी अरावली पर्वत से उदयपुर डिवीजन में कुम्भलगढ़ के पास से निकलती है। पहले यह उत्तर-पूर्व दिशा में बहती है। फिर टौंक के पास दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। आगे चलकर यह चम्बल में मिल जाती है।

३. **लूनी नदी**:—यह अरावली पर्वत के पश्चिम में बहने वाली एक मात्र नदी है। अजमेर के पास नाग पहाड़ से निकल कर पश्चिम की ओर यह जोधपुर डिवीजन में बहती है। सूकड़ी, जोजरी, जवाई आदि इसकी सहायक हैं। जवाई पर बड़ा मजबूत बांध बनाया गया। जोधपुर डिवीजन से आगे चलकर यह नदी कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है।

४. **माही**:—अरावली के दक्षिणी सिरे से निकल कर यह नदी डूंगरपुर और बांसवाड़े के बीच बहती है। फिर यह गुजरात में प्रवेश करती है। आगे चलकर यह खंभात की खाड़ी में गिरती है।

५. **बाण गंगा**:—जयपुर की वैराठ की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है। पूर्व की ओर बहती हुई यह भरतपुर में प्रवेश करती है। आगे चलकर कुछ दूर तक भरतपुर और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश में फतेहाबाद के निकट यमुना में मिल जाती है।

इन नदियों के अतिरिक्त राजस्थान में बहने वाली अन्य नदियों में वीकानेर डिवीजन की घग्घर, कोटा डिवीजन की पार्वती और जयपुर डिवीजन की सावा उदयपुर डिवीजन की खारी, कोठारी मानसी, गम्भीरी और वेड़च नदियाँ मुख्य हैं।

झीलें:—राजस्थान की झीलें दो प्रकार की हैं—खारी पानी की और मीठे पानी की।

खारी पानी की झीलों में सांभर और डीडवाना मुख्य हैं। इनसे नमक तैयार किया जाता है जो राजस्थान से वाहर भी निर्यात किया जाता है। वीकानेर के लूनकरसर झील से भी नमक वनने लगा है। और भी खारे पानी की छोटी मोटी कई झीलें हैं जिनसे नमक वनाने की योजना विचाराधीन है।

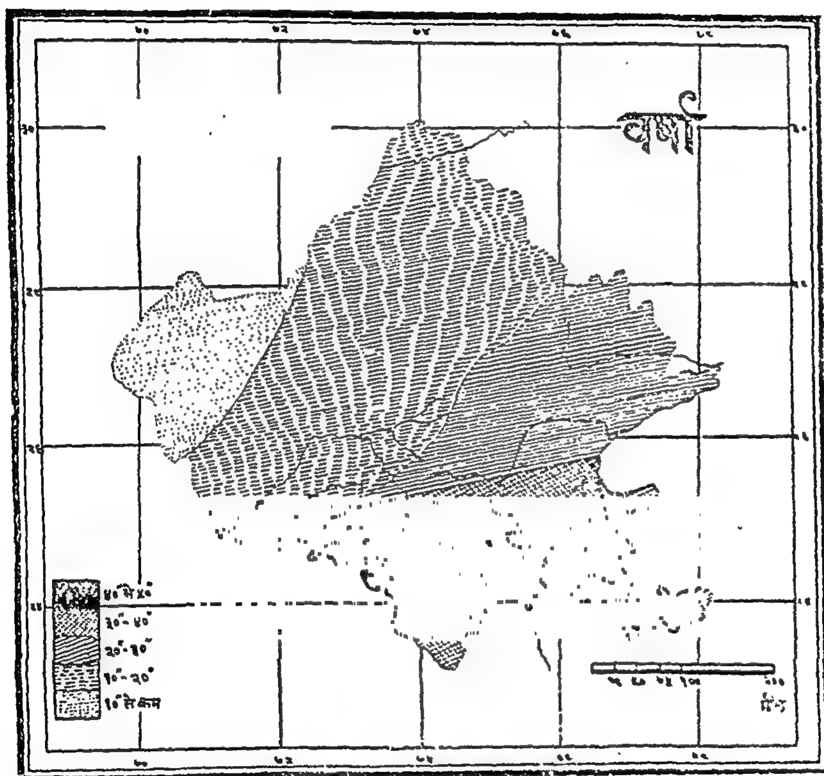
मीठे पानी की प्राकृतिक झीलों में उदयपुर डिवीजन की जयसमन्द झील वहुत प्रसिद्ध है। उसके पानी से सिंचाई कर गेहूँ, गन्ना, चना आदि का उत्पादन किया जाता है। उदयपुर, जोधपुर और कोटा विभागों में कई कृत्रिम झीलें हैं जिनसे खेतों में सिंचाई की जाती है। जवाई का बांध इसी प्रकार की एक झील है। कोटा में राणा प्रताप सागर बांध तैयार हो रहा है। राजस्थान के वड़े वड़े नगरों के निकट वर्षा के पानी को रोककर झीलें वनाई गई हैं। इनका पानी पीने में काम लिया जाता है।

३--जलवायु

खेती की पैदावार और मनुष्य के जीवन पर जलवायु का प्रभाव सवसे अधिक पड़ता है। जलवायु में दो वातों की जानकारी की जाती है—तापमान और वर्षा की मात्रा।

राजस्थान का उत्तरी-पश्चिमी भाग मई और जून में वहुत गरम रहता है। रेतीली भूमि होने के कारण वहां दिन के समय तो असह्य गरमी हो जाती है परन्तु रात को रेत शीघ्र ही ठण्डी हो जाती है अतः रात्री सुखदायी होती है। उस प्रदेश में दैनिक तापान्तर अधिक होता है। इसी भांति गरमी और सरदी के तापमान में भी वहुत अंतर रहता है। जैसलमेर में जून के तापमान का औसत ९८ डिग्री (फा०) है और शीतकाल में जनवरी का औसत ५७° है अतः वहां का वार्षिक तापान्तर ४१° है।

राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में वार्षिक तापान्तर मरुस्थली भाग की अपेक्षा कम रहता है। जैसलमेर से जयपुर का वार्षिक तापान्तर लगभग १०° (फा०) कम रहता है। इसी भांति पहाड़ी तथा पठारी भागों का तापान्तर भी कम रहता है। ऊँचाई के कारण वहां गरमी में वहुत अधिक गरमी नहीं पड़ती।


वर्षा
४०" से ५०"
३०"-४०"
२०"-३०"
१०"-२०"
१०" से कम



दक्षिणी-पूर्वी भाग के हाड़ौती के पठारी भाग में कई जगह छोटे छोटे मैदान हैं। वहां काली मिट्टी मिलती है। यह भाग मालवे का पठार का ही परिवर्द्धित भाग है। यह काली मिट्टी बारीक कणों की है और बहुत उपजाऊ है। राजस्थान के पूर्व में स्थित मैदानी भाग की मिट्टी दुमट है। अलवर, भरतपुर आदि की मिट्टी ऐसी ही है। इसका दाना न अधिक मोटा है और न छोटा ही। ऐसी मिट्टी में सिंचाई करने से अच्छी पैदावार होती है। यही कारण है कि राजस्थान के इस भाग में खेती की अच्छी उपज होती है। भूमि समतल होने से खेती करने में सहूलियत भी रहती है।

इस प्रकार राजस्थान के विभिन्न भागों में मिट्टी कई प्रकार की पाई जाती है। राज्य के बड़े हिस्से में रेतीली और पथरीली भूमि होने के कारण खेती करने में कठिनाई होती है।

५—प्राकृतिक वनस्पति

वैसे तो प्राकृतिक वनस्पति के लिये गरमी, जमीन, प्रकाश, पानी आदि कई बातों की आवश्यकता होती है परन्तु इन सब में पानी का महत्व अधिक है क्योंकि वर्षा सब जगह एकसी नहीं होती।

प्राकृतिक वनस्पति तीन प्रकार की होती है—वन, घास और मरुस्थली वनस्पति जैसे कंटीली झाड़ियाँ, छोटे पौधे आदि। वनस्पति का यह विभाजन मुख्यतः वर्षा की मात्रा पर निर्भर रहता है। जहां अधिक वर्षा होती है वहां वन पाए जाते हैं। जितनी अधिक वर्षा होगी वहां के वन उतने ही अधिक घने होंगे। साधारण वर्षा के क्षेत्रों में घास पाई जाती है। कम वर्षा के क्षेत्रों में कंटीली झाड़ियाँ मिलती हैं।

जैसा कि पहले बताया गया है अरावली पर्वत और राज्य के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में राजस्थान में सब से अधिक वर्षा होती है अतः वहां वनस्पति भी घनी है। भारत के आसाम, बंगाल आदि की तुलना में राजस्थान के पहाड़ी भाग में वर्षा कम होती है अतः उन राज्यों की अपेक्षा घने वन नहीं हैं परन्तु फिर भी राजस्थान में तो यह वन्य प्रदेश गिना जाता है। पहाड़ों की ढालों पर ढाक, धौं, सीताफल आदि के वृक्ष मिलते हैं। कई जगह बांस भी पाया जाता है। इन वनों की देखभाल सरकार द्वारा होती है। राजस्थान की कुल भूमि के ११.७% में जंगल है। इन जंगलों से राज्य की लकड़ी की मांग पूरी नहीं होती। इन वनों से राज्य को लाखों रुपयों की आमदनी होती है। जंगलों के वृक्ष जलाने की लकड़ी और कोयला बनाने में काम लेने के अतिरिक्त फर्नीचर तथा गाड़ियाँ बनाने में भी काम में लिये जाते हैं। इन वनों को सुरक्षित रखने तथा उनमें वृद्धि करने की विशेष आवश्यकता है।

अरावली की तलहटी तथा शृंखला के पूर्वी और पश्चिमी भाग में साधारण वर्षा होने के कारण वृक्षों की संख्या तो कम है परन्तु दूर दूर तक घास खड़ी दिखाई देती है। पथरीली भूमि होने के कारण वहां खेती नहीं हो सकती अतः प्राकृतिक घास मिल जाती है। ऐसे घास के क्षेत्र सुन्दर चरागाह हैं। राजस्थान के पूर्वी मैदान में समतल भूमि होने के कारण खेती की जाती है अतः वहां प्राकृतिक घास को काट लिया गया है।

राज्य के उत्तरी-पश्चिमी मरुस्थली भाग में वर्षा की कमी के कारण प्राकृतिक वनस्पति का सर्वथा अभाव रहता है। पानी की कमी के कारण वहां के वृक्ष छोटे पत्ते, लम्बी जड़ें और मोटी छाल के होते हैं। बबूल खेजड़ी, आक आदि ऐसी ही वनस्पति है। इस भाग में वृक्षों के अभाव में कई जगह कंटीली झाड़ियाँ भी निकलती हैं। वर्षा ऋतु में मरुस्थली और अर्द्ध-मरुस्थली भागों में घास उगी रहती हैं जहां पशु चरते हुए दिखाई देते हैं। परन्तु यह घास थोड़े ही समय में वर्षा की कमी और धूप पड़ने के कारण सूख जाती है।

सारांश यह है कि राजस्थान में वर्षा की कमी के कारण प्राकृतिक वनस्पति की भी कमी है। बढ़ते हुए मरुस्थल को रोकने के लिये कृत्रिम पेड़ लगाने की आवश्यकता है। भारत सरकार इस कार्य की ओर विशेष ध्यान दे रही है।

अध्याय ३

खनिज-सम्पत्ति

राजस्थान की भूमि रत्नगर्भा है। यहां की जमीन के नीचे कई प्रकार की बहुमूल्य और उपयोगी धातुएँ तथा खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में निहित हैं। परन्तु अभी तक उनमें से बहुत कम खनिजों को निकाला गया है। इसके कई कारण हैं जिनका वर्णन आगे किया जायगा। यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि राजस्थान के खनिज व्यवसाय के अविकसित अवस्था में होने पर भी सरकार को लगभग ५० लाख रुपया रोयल्टी के रूप में प्रति वर्ष मिलता है। हजारों मनुष्य इस व्यवसाय के आधार पर अपना जीवन-यापन करते हैं। यदि धातुओं और खनिजों की कीमत का अनुमान लगाया जाय तो संख्या कई करोड़ रुपयों तक जायगी।

खनिज-सम्पत्ति के अनुसार भारत में राजस्थान का तीसरा स्थान है।❀ प्रथम और द्वितीय क्रमशः बिहार और मध्य प्रदेश हैं। यह तो उस अवस्था में है जब यहां पर इस दिशा में कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया है। 'ख' श्रेणी के राज्यों में तो राजस्थान में सब से अधिक खनिज सम्पत्ति है।

अधिकांश कीमती धातुएँ प्राचीन चट्टानों में पाई जाती हैं। राजस्थान की अरावली शृंखला रचना के अनुसार बहुत पुरानी है। इसी कारण इसके कई भागों में विभिन्न प्रकार की धातुएँ निकलती हैं जैसे शीशा, जस्ता, अभ्रक, मैंगनीज आदि। अन्य खनिज पदार्थ जैसे इमारती पत्थर, खड़िया, चूना, नमक आदि राज्य के कई भागों में फैले हुए हैं।

राजस्थान में निकलने वाले सम्पूर्ण खनिजों की यदि सूची तैयार की जाय तो एक लम्बी नामावली बन जायगी। यहां पर राज्य में निकलने वाले केवल मुख्य मुख्य खनिज पदार्थों और धातुओं का वर्णन किया जाता है।

१. **अभ्रक (Mica):**—इसको राजस्थान में 'भोडल' के नाम से पुकारते हैं। अभ्रक का प्रयोग बिजली की मशीनें बनाने में किया जाता है। इससे रबर के टायरों के छिद्र भी भरते हैं। अभ्रक पर गरमी का असर न होने के कारण इसे कई बड़े बड़े कारखानों में काम में लेते हैं।

❀ Rajasthan : A Symposium. p. 60

अभ्रक के उत्पादन में राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान (प्रथम बिहार और द्वितीय मद्रास) है। हमारे यहां कारखानों की कमी होने के कारण अभ्रक को बाहर भेज देते हैं। उदयपुर और जयपुर डिवीज़नों में अभ्रक की कई खाने हैं। भीलवाड़ा जिला इस व्यवसाय के लिये विशेष रूप से प्रसिद्ध है। सन् १६३६ और १६४६ के दस साल के समय में राजस्थान ने १३,६०,७०८ मन अभ्रक का उत्पादन हुआ जिसकी कीमत २,७०,३५,६४६ रु० थी और जिससे सरकार को ३७,५५,६८६ रु० रॉयल्टी के रूप में मिले। राजस्थान के एकीकरण के पश्चात् भी अभ्रक के उत्पादन में अच्छी उन्नति हुई। सन् १६५१ में हमारे यहां १४,६१०,५ हन्डरवेट अभ्रक निकला जिसकी कीमत ७६,३७,८४० रु० थी। *

२. शीशा और जस्ता—ये दोनों धातुएँ एकसी चट्टानों में साथ साथ मिलती हैं। उदयपुर नगर से २५ मील दूर जावर नामक स्थान में शीशे और ज़स्ते की खाने हैं। आजकल इन खानों की उन्नति की जा रही है। धातुओं को साफ़ करने के लिये वहां एक कारखाना लगाने की योजना है। इसके बन जाने से, अनुमान है, लगभग २०० टन शीशा और जस्ता प्रति दिन तैयार होगा।

शीशे और जस्ते के उत्पादन में अच्छी प्रगति हो रही है। सन् १६५० में हमारे यहाँ ३,८६५ टन शीशा और जस्ता निकला। दूसरे साल अर्थात् सन् १६५१ में उनका उत्पादन १४,६६६ टन हो गया। ये धातुएँ भी राजस्थान में कम काम में आती हैं अतः उनका निर्यात कर दिया जाता है।

३. मैंगनीज—यह धातु लोहे से फ़ौलाद बनाने में काम लेते हैं। राजस्थान में लोहे के कारखानों के अभाव में यहां निकाला हुआ मैंगनीज बाहर भेज दिया जाता है।

मैंगनीज की कुछ खाने राजस्थान के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में बांसवाड़ा और कुशलगढ में है। सन् १६५० में ८,०४६ टन मैंगनीज निकाला गया जिसका मूल्य १,१४,६६५ रु० था।

४. टंग्स्टन (Tungsten)—यह धातु वोलफ्रेम के लिये निकाली जाती है। जोधपुर डिवीजन के डेगाना रेलवे स्टेशन के निकट एक पहाड़ी से सरकार की ओर से टंग्स्टन निकाली जाती है। इस धातु के उत्पादन में यह स्थान भारत में प्रमुख गिना जाता है सन् १६५०,५१ और ५२ में इस खान

---

* Rajasthan : A Symposium. page 63.

⁎ Statistical outline of Rajasthan, January '53-page 28

से क्रमशः ३०,३१५ और २०७ हन्डरवेट का उत्पादन हुआ *। राज्य में इसका प्रयोग न होने के कारण इस धातु को निर्यात कर देते हैं।

५. तांबा—पहले के खेतड़ी ठिकाने में सिंघाने नामक स्थान में तांबे की खाने बहुत प्राचीन काल से है। सौ वर्ष पहले तांबा निकालने का व्यवसाय वहां अच्छी अवस्था में था। आजकल उस खान को 'बिरला ब्रदर्स' को लीज पर दे दिया गया है। उसके पुनरुत्थान का प्रयत्न किया जा रहा है।

खेतड़ी के अतिरिक्त जयपुर डिवीजन के खो दरिबा नामक स्थान में भी तांबे की खानें है। इस धातु की उपयोगिता को देखते हुए इन खानों में सुधार करना जरूरी है।

६. कोयला—राजस्थान में भूरे रंग का घटिया कोयला निकलता है। इसको 'लिग्नाइट' कहते हैं। बीकानेर डिवीजन के पलाना नामक स्थान में लिग्नाइट की खाने हैं। यह खनिज बीकानेर और गंगा नगर के बिजली के कारखानों में बिजली उत्पन्न करने के काम में ली जाती है। सन् १९५०,५१ और ५२ में पलाना की खानों से क्रमशः २०,२०५; ३३,०७६ और ४१,१३३ टन लिग्नाइट निकाला गया। आजकल वहां की खानों में सुधार हो जाने के कारण लिग्नाइट का उत्पादन बढ़ रहा है। इस धातु के नए नमूनों को 'नेशनल फ्यूएल रिसर्च इंस्टीटूट, धानबाद को जाँच के लिए भेजा गया है।

अनुमान है कि बीकानेर डिवीजन के खारी, गंगा सरोवर तथा चावेरी स्थानों और जोधपुर डिवीजन के उदरोर स्थान में जमीन के नीचे पर्याप्त मात्रा में लिग्नाइट का भण्डार है।

७. बिरल (Beryl)—यह धातु एटोमिक शक्ति उत्पन्न करने में काम आती है अतः यह इसको खरीदने का एकाधीकार भारत सरकार को है। इसके निकालने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह धातु अभ्रक की खानों से प्राप्त होती है अतः इसके उत्पादन क्षेत्र जयपुर और उदयपुर डिवीजनों में हैं। सन् १९५० में ३९० टन बिरल निकाला गया जिसकी कीमत ७३,०४९ रुपये थी। सन् १९५२ में इसका उत्पादन ५५० टन था।

८. एमेरेल्ड (Emerald)—यह कीमती धातु जवाहरात के अंतर्गत है। इसका जन्म स्थान प्राचीन चट्टानों में होने के कारण इसका उत्पादन भी अभ्रक की खानों से होता है। इस धातु का अधिकांश उदयपुर डिवीजन से प्राप्त होता है। सब से पहले सन् १९४४ में एमरेल्ड का पता उदयपुर की

---

* Times of India : March 30, 1954.

अभ्रक की खानों में लगा। उस साल इसका उत्पादन १६६ पौंड था। सन् १६४६ में १२६ पौंड एमेरेल्ड निकला जिसका मूल्य ३६,०३५ रु० था।

६-घिया पत्थर (Soap Stone)—इसको अंग्रेजी में टाल्क (Talc) भी कहते हैं। राजस्थान इसके उत्पादन में विशेष महत्व रखता है कारण कि समूचे भारत का लगभग तीन-चौथाई घिया पत्थर राजस्थान से प्राप्त किया जाता है*। उदयपुर और जयपुर डिवीजनों के कई स्थानों में इस खनिज की खानें हैं।

कॉच, कागज, साबुन, रबर, रोगन आदि के बनाने में घिया पत्थर का प्रयोग होता है। मकान की छत तैयार करने में भी इसे काम में लेते हैं।

सन् १६५० में राजस्थान में १६,२१७ टन घिया पत्थर निकला जिसका मूल्य २,६५,६८४ रुपये था। सन् १६५१ और ५२ में क्रमशः ३७,३१६ और १७,५०० टन पत्थर निकला। अधिकांश पत्थर का पाउडर बना कर निर्यात कर देते हैं। इसका पाउडर बनाने के लिये राजस्थान के उदयपुर, भीलवाड़ा और दौसा नगरों में कारखाने हैं।

१०-खड़िया (Gypsum)—यह धातु मकान बनाने, सीमेन्ट बनाने रासायनिक खाद तैयार करने तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस आदि बनाने में काम आती है। सिंदड़ी के खाद के कारखाने की स्थापना के पश्चात् इसकी मांग बहुत बढ़ गई। सन् '४७ से पहले अधिकांश खड़िया भारत के उस भाग से यहां जाती थी जो अब पश्चिमी पाकिस्तान में है। देश के विभाजन के पश्चात् भारत में इसके उत्पादन की ओर ध्यान दिया गया। राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर-डिवीजनों में जिप्सम का अतुल भण्डार है। अनुमान है कि वहाँ की खानों में लगभग ७ करोड़ टन जिप्सम विद्यमान है। उन दोनों विभागों की खानों से लगभग ८०,००० टन जिप्सम प्रति वर्ष निकलता है। इनके अतिरिक्त राजस्थान के अन्य भागों में भी इसकी खानें हैं।

सन् १६५० में राजस्थान में १,७१,१७२ टन जिप्सम निकली जिसका मूल्य ८,०८,३५५ रु० था। सन् १६५१ और ५२ में यहाँ क्रमशः १,७५,२१५ और ३,२५,००० टन जिप्सम निकला। इसका अधिकांश रासायनिक खाद बनाने के लिये भेजा गया। भारत सरकार की ओर से राजस्थान में जिप्सम की जाँच करने के लिये एक कार्यालय स्थापित किया गया है जिसका दफ्तर जोधपुर नगर में है। इस खनिज को राजस्थान में काम लेने के लिये एमोनिया सल्फेट, सीमेन्ट, प्लास्टर आदि बनाने के कारखाने खोलने चाहिये।

---

* Times of India, March 31, 1954.

११–चूने का पत्थर (Lime-stone):—चूने का पत्थर मकान बनाने के लिये चूना तैयार करने में काम लिया जाता है। सीमेन्ट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। जोधपुर डिवीजन के गोटन गांव में उत्तम कोटि का चूना तैयार किया जाता है। बीकानेर, उदयपुर और जयपुर डिवीजनों में भी कई जगह चूने की खाने और भट्टे हैं।

चूना हमारे यहां पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अनुमान है कि चित्तौड़ के निकट की खानों से प्रति दिन एक हजार टन चूने का पत्थर निकाला जा सकता है। सन् १९५१ में राजस्थान में ७१,३५,९४० घन फुट चूने का पत्थर निकला जिसका मूल्य २२,२५,४६४ रू० था। राजस्थान में निकलने वाले चूने के पत्थर का अधिकांश यहीं पर काम ले लिया जाता है। लाखेरी और सवाई माधोपुर के सीमेन्ट के कारखानों में राजस्थान में उत्पादित चूने का पत्थर ही काम आता है।

१२–मुल्तानी मिट्टी— इसको राजस्थान में 'मेट' नाम से पुकारते हैं। यह खनिज मरुस्थली भाग में पाई जाती है। इसका प्रयोग मकानों को लीपने में अधिक होता है। गांवों में स्त्रियाँ मेट से सिर के बाल भी साफ करती है। जोधपुर और बीकानेर डिवीजनों में मुल्तानी मिट्टी की कई खानें हैं। जोधपुर के बाड़मेर जिले की कपूरड़ी की खान मेट के उत्पादन के लिये प्रसिद्ध है। मेट राजस्थान से बाहर भी भेजी जाती है।

सन् १९५१ में राजस्थान में ४,७९३ टन मुल्तानी मिट्टी निकाली गई जिसकी कीमत ३,०६,०३८ रू० आंकी जाती है।

१३–इमारती पत्थर—राजस्थान के कई भागों में मकान बनाने में काम आने वाला पत्थर मिलता है। ऐसा पत्थर दो प्रकार का होता है— खुरदरा और चिकना। पहली प्रकार का पत्थर मकान की दीवारें बनाने और छत्त पाटने में काम आता है। वह कई रंग का होता है और राज्य के प्रायः सभी स्थानों में पाया जाता है। जोधपुर का भूरे तथा लाल रंग का ऐसा पत्थर बहुत प्रसिद्ध है। वहां से पत्थर की लम्बी पट्टियाँ राजस्थान से बाहर भी मकानों की छत्त पाटने के लिये भेजी जाती हैं। इस प्रकार का पत्थर राजस्थान में सन् १९५१ में ७८,४७,६२५ घन फुट निकाला गया जिसकी कीमत ४१,७४,०७८ रुपये थी।

दूसरी प्रकार का चिकना पत्थर है जो परिवर्तित Metamorphic (चट्टानों) से निकाला जाता है। ऐसा पत्थर यों तो कई रंग का होता है परन्तु सफेद, काला और पीला विशेष तौर से प्रसिद्ध है। मकराने का श्वेत पत्थर

संगमरमर के नाम से भारत भर में प्रसिद्ध है। आगरे का सुप्रसिद्ध ताज महल, कलकत्ते की विक्टोरिया मेमोरियल तथा दिल्ली के कौंसिल भवन में यही पत्थर काम आया है। जोधपुर डिवीजन के मकराने कस्बे के लोगों का जीवनाधार यही पत्थर है। सरकार को भी इस पत्थर से अच्छी रायल्टी मिलती है। सन् १६५१, ५२ और ५३ में राजस्थान सरकार को मकराने के पत्थर से क्रमशः १,२३,६६७ रु० ५ आ० ३ पा०, १,२७,२११ रु० ८ आ० और १,०६,०५१ रु० १३ आ० ६ पा० की रोयल्टी तथा खानों के कर की आमदनी हुई।❀

काला पत्थर उदयपुर डिवीजन में डूंगरपुर में मिलता है। पीला पत्थर जैसलमेर में निकलता है। ये चिकने श्वेत, काले और पीले छींटदार पत्थर बहुत महंगे पड़ते हैं इसी कारण ये साधारण मकानों में काम न आकर विशाल भवनों, मंदिरों और सरकारी इमारतों में सजावट के रूप में काम में लिये जाते हैं।

१४—नमकः—यह बहुत उपयोगी खनिज है और राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न किया जाता है। राजस्थान की सांभर झील से, जो जयपुर और जोधपुर डिवीजनों के बीच स्थित है, सबसे अधिक नमक मिलता है। इसका उत्पादन इस प्रकार है। ‡

सन्	उत्पादन (हजार मनों में)
१६४८–४६	७,२६६
४६–५०	८,३२२
५०–५१	७,८३०

सांभर के अतिरिक्त जोधपुर डिवीजन के डीडवाना और पचभद्रा नामक स्थानों में भी नमक तैयार किया जाता है। इन तीनों स्थानों में उत्पादन भारत सरकार द्वारा होता है। इनके अतिरिक्त जैसलमेर में स्थित कनोड़ स्थान में भी नमक बनता है जिसका सम्बन्ध भारत सरकार से नहीं है। इसी भांति कुछ नमक भरतपुर जिले में भी बनता है।

१५—सोडियम सल्फेट (Sodium Sulphate):—यह खनिज कागज बनाने तथा चमड़ा कमाने में अधिक काम आता है। जोधपुर डिवीजन के डीडवाना की झील के निकट यह खनिज अपने प्राकृतिक रूप में निकलता

❀ Mines Foreman, Makrana.

‡ Annual Administration Report of the Salt organisation 1947 to 1951.

है। कहते हैं कि प्राकृतिक रूप से निकलने वाले सोडियम सल्फेट का राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत भर में यह एक मात्र स्थान है। इस उत्पादन के अधिकांश को राजस्थान से बाहर भेज देते हैं।

ऊपर बताई गई धातुओं और खनिजों के अतिरिक्त राजस्थान में कई जगह काँच बनाने की रेत, केल्साइट, वेंटोनाइट, चीनी पैट्रोल (जैसलमेर) मिट्टी आदि भी पाए जाती है। परन्तु अभी तक उनके निकालने की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है।

सन १९५२ में राजस्थान में सभी प्रकार की छोटी और वड़ी खानों की संख्या इस प्रकार थी:-

डिवीजन	खानों की संख्या
उदयपुर	७५०
जयपुर	५७५
जोधपुर	३००
कोटा	३००
बीकानेर	८०
कुल राजस्थान	२००५

इन सब खानों में लगभग डेढ लाख मजदूर काम करते हैं। अधिकांश लोग उदयपुर और कोटा की खानों में काम करते हैं। पहाड़ी और पठारी भूमि होने के कारण वहां खाने अधिक संख्या में हैं। राजस्थान के मरुस्थली प्रदेश में खानें कम हैं। खानों में काम करने वाले मजदूर सबसे अधिक भीलवाड़ा जिले में हैं। वहां की कुल आबादी के ३½% निवासी खनिज-सम्बन्धी काम करते हैं। भीलवाड़ा के पश्चात् टोंक, कोटा और उदयपुर जिलों का स्थान है। खानों के मजदूर सबसे कम संख्या में झूंझनूं और चूरू जिलों में हैं।

सन् १९५१-५२ में खानों से राजस्थान सरकार को ४७, ३५, ५२० रु० की आमदनी हुई। उस साल खान विभाग ने केवल ९,५४,२२९ रु० खर्च किए। इस प्रकार राजस्थान को खानों से वास्तविक आमदनी ३७,८०,२९१ रु० की हुई। अधिकांश आमदनी रॉयल्टी से हुई। यदि सरकार खान संबंधी व्यवसाय की उन्नति करे और खानों से निकलने वाली धातुओं को काम लेने के लिये कारखाने खोले तो सरकारी आमदनी भी वढ सकती है और राजस्थान निवासियों को रोजी भी अधिक मिल सकती है।

खनिज व्यवसाय के दोष—राजस्थान के खनिज-व्यवसाय में कई दोष हैं जिनमें से मुख्य ये हैं :- (१) खानों से निकली हुई वस्तुएँ भारी होती हैं। उनका उपयोग वहीं न होकर दूसरे स्थान में अधिक होता है। उन्हें ले जाने के लिये राजस्थान में यातायात के साधनों की बहुत कमी है। कई खानें रेलवे स्टेशनों से दूर हैं। कई जगह रेलवे स्टेशन और खानों के बीच सड़कें भी नहीं हैं।

(२) खान खोदने के तरीके बहुत पुराने हैं। आधुनिक यंत्रों का प्रयोग बहुत कम होता है। इससे खान में विद्यमान सारे पदार्थ नहीं निकलते। खान खोदने में कठिनाई भी होती है।

(३) खान के भीतर से धातुओं और खनिज पदार्थों को बाहर निकालने के लिये क्रेनों का प्रयोग बहुत कम होता है क्योंकि खानों में बिजली का प्रबंध नहीं है। बिजली के अभाव के कारण गहरी खानों में अंधेरे में ही काम करना पड़ता है। वहां भीतर से निकले हुए पानी को बाहर निकालने में भी बड़ी कठिनाई होती है।

(४) खान के मालिकों की आर्थिक दशा बहुत खराब है। खनिज पदार्थों की बिक्री की व्यवस्था अच्छी नहीं है। समय पर उनके पास धन न होने के कारण वे मजदूरों को भी समय पर वेतन नहीं दे सकते। इससे खान के मालिक और मजदूरों में असंतोष की भावना रहती है।

(५) राज्य की ओर से खनिज-सम्बंधी विद्या के प्रसार का कोई प्रबंध नहीं है। खनिज निकालने के तरीके मजदूर अपने आप ही सीखते हैं। वे दक्ष नहीं होते। जिस सुविधा से खनिज निकालने का काम होना चाहिये वैसा नहीं होता।

उन्नति के उपाय—खनिज सम्पत्ति राष्ट्र की मुख्य सम्पत्ति है। बहुत से उद्योग धंधे धातुओं और खनिजों पर ही आधारित होते हैं। ज्यों ज्यों खानों से खनिज निकलते जाते हैं उनकी मात्रा घटती जाती है। इसी कारण खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता है। राजस्थान के खनिज व्यवसाय की उन्नति करने के लिए निम्न लिखित उपाय करने चाहिये:-

१-खानों को नगरों और रेलवे स्टेशनों से मिलाने के लिये यातायात तथा परिवहन के सुगम साधनों का प्रबंध करना चाहिये। ऐसा करने से खनिजों का मूल्य कम हो जायगा और इस प्रकार उनकी मांग बढ जायगी। आज कल खनिजों के ढोने में अधिक व्यय होने के कारण उनकी कीमत अधिक होती है।

२-राजस्थान के भूगर्भ में अनेक खनिज निहित हैं। अभी तक कई धातुओं और खनिजों का पता ही नहीं है। पहले की छोटी छोटी देशी

रियासतें खनिजों की खोज करने में अधिक धन व्यय करने में असमर्थ थी। अब राजस्थान सरकार को चाहिये कि खनिजोपार्जन के लिये नए स्थानों की खोज करे। इसके लिये निपुण निरीक्षकों की नियुक्ति की जाय।

३–शक्ति के साधनों में वृद्धि करना खनिज-व्यवसाय के विकास के लिये बहुत आवश्यक है। कोयला और पेट्रोल की खोज की जानी चाहिये। भूगर्भवेताओं का अनुमान है कि राजस्थान में ये खनिज मिल सकते हैं। इनसे बिजली उत्पन्न कर खानों में काम में ली जा सकती है। चम्बल तथा भाकरा योजना से पानी की सस्ती बिजली मिल जाने से इस दशा में पर्याप्त सुविधा हो जायगी।

४–खान खोदने के तरीकों में सुधार करना चाहिये। इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से उचित शिक्षा का प्रबंध होना चाहिये। खान खोदने के यंत्र तथा अन्य सामग्री भी सरकार की ओर सेसस्ते भाव पर दी जानी चाहिये।

५–खनिज-पदार्थ समाप्त होने पर फिर नहीं निकल सकते है अतः उनका संरक्षण करना चाहिये। उनका प्रयोग ठीक ढंग से करना चाहिये और जहां तक हो सके खनिजों का निर्यात कम करना चाहिये।

६–राजस्थान में उत्पन्न होने वाले खनिजों और धातुओं को काम में लाने के लिये राज्य में ही कारखाने खोले जाने चाहिये। ऐसी जाँच की जाय कि एक ही खनिज कई कामों में प्रयोग हो सके। खनिजों के उपयोग जानने के लिये सरकार की ओर से प्रयोगशालायें खोली जायँ।

७–खानों में काम करने वाले मजदूरों को अनेक प्रकार की सुविधा दी जायँ जैसे उनके लिये मकान की व्यवस्था करना, दवाई का प्रबंध करना, उचित वेतन देना, पानी की व्यवस्था करना आदि। ऐसा करने से उत्पादन शक्ति बढ़ेगी। सरकारी 'श्रम-विभाग' की ओर से आजकल इस तरफ पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है।

८–रेल गाडी तथा मोटर द्वारा ढोए जाने वाले खनिजों की ढोने की दर कम कर देनी चाहिये। सरकार खानों की रायल्टी भी कम लें।

९–खान के मालिकों को आर्थिक सहयोग देने के लिये सहयोगी-संस्थाएँ होनी चाहिये। उन पर सरकार का पूर्ण निरीक्षण होना चाहिये।

१०–खनिजों तथा धातुओं की बनी वस्तुओं की बिक्री के लिये सुप्रबंध हो। खरीदने और बिक्री करने की संस्थाएँ खोली जायँ जिससे कारीगरों को अपने परिश्रम का मूल्य ठीक मिल जाय। बड़े नगरों तथा रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शिनी गृह (Show Rooms) होने चाहिये जिनमें ऐसी वस्तुएँ रखी जायँ। ऐसा करने से धातुओं तथा खनिज पदार्थों से बनी हुई वस्तुओं का जनता में प्रचार होगा और उनकी मांग बढ़ेगी।

अध्याय ४

शक्ति के साधन

शक्ति के साधनों का महत्व—किसी देश के आर्थिक विकास में शक्ति के साधनों का बड़ा महत्व है। जिस देश में प्रचुर मात्रा में और कम कीमत में शक्ति के साधन उपलब्ध होते है वहाँ तीव्र गति से सर्वाङ्गीण आर्थिक विकास में बड़ी सहायता मिलती है। किन्तु जिस देश में शक्ति के साधनों का अभाव होता है वहाँ, अन्य सुविधाओं के होते हुये भी, आर्थिक विकास में रुकावट पड़ जाती है।

यदि शक्ति के साधन सस्ते और बहुतायत से उपलब्ध हों तो कृषि, उद्योग धन्धों, परिवहन के साधनों और व्यापार-व्यवसाय सभी की उन्नति में सहायता मिलती है। कृषि की क्रियाओं में शक्ति से संचालित यंत्रों का उपयोग करने से प्रति एकड़ उत्पादन बहुत बढ़ जाता है। उद्योग-धन्धों का विकास भी शक्ति के साधनों पर निर्भर करता है। कारखानों का स्थानीय करण बहुधा वहीं होता है जहाँ शक्ति के साधन उपलब्ध होते हैं। गृह उद्योगों के विकास में भी शक्ति के, विशेष कर विद्युत-शक्ति के, उपलब्ध होने से बड़ी सहायता मिलती है। परिवहन और संवाद वहन के साधनों की उन्नति भी शक्ति के साधनों पर अवलम्बित है। यदि परिवहन के साधन उन्नत दशा में हों तो व्यापार व्यवसाय का विकास भी संभव हो जाता है। परन्तु जहां शक्ति के साधनों का अभाव होता है आर्थिक विकास कठिन हो जाता है। निम्नांकित विवरण से ज्ञात होगा कि राजस्थान में शक्ति के साधनों का अभाव है। यही राज्य के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुये होने का एक प्रधान कारण है।

राजस्थान में शक्ति के साधन—राजस्थान में निम्नांकित शक्ति के साधन विद्यमान हैं, यथा:—(१) मनुष्य, (२) पशु, (३) कोयला, (४) लकड़ी, (५) खनिज-तेल, (६) वायु, (७) जल और (८) बिजली।

(१) मनुष्य—आर्थिक दृष्टि से मनुष्य केवल उपभोक्ता ही नहीं है, परन्तु धनोत्पादन का एक अनिवार्य साधन भी है। प्राचीनकाल से मनुष्य अपनी शक्ति से अपने तैयार किये हुये यंत्रों द्वारा धनोत्पादन के अनेक कार्य करता आया है। हमारे देश में मजदूरी की दर कम होने से आज भी अनेक कार्यों के लिए मानव शक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ खेती और गृह-

उद्योगों में आज भी अधिकतर मनुष्यों या पशुओं की शक्ति ही का प्रयोग होता है। परन्तु कल कारखानों और परिवहन के आधुनिक साधनों में मनुष्यों और पशुओं की शक्ति से काम नहीं लिया जा सकता। यही नहीं खेती और गृह-उद्योगों में भी उत्पादन बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि हम यंत्रों के संचालन के लिए शक्ति के अन्य साधनों का उपयोग करना सीखें।

सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लगभग १ करोड़ ५३ लाख मनुष्य हैं। परन्तु हमारे राज्य में साधारण श्रमिक की कार्य शक्ति बहुत कम है और प्रशिक्षित श्रमिकों का अभाव है। अतएव हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम शक्ति के अन्य साधनों का प्रयोग करने के साथ ही साथ हमारे श्रमिकों की कार्य शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न करें ताकि वे उत्पादन वृद्धि में सहायक हों।

(२) **पशु:**—पशुधन के अध्याय में हम देखेंगे कि राज्य में पशुओं की कमी नहीं है और पशुओं की शक्ति से हम आज भी अनेक उत्पादक कार्य करते हैं। परन्तु चारे की कमी, पशु-चिकित्सा के साधनों का अभाव और नस्ल के बिगड़ जाने से हमारे पशुओं की कार्यशक्ति बहुत गिर गई है। हमको कम परन्तु उत्तम पशु पालने चाहिये जिससे हमारे पशुओं की उत्पादन शक्ति बढ़ सके। हम मनुष्यों और पशुओं की कार्य शक्ति की कितनी ही वृद्धि क्यों न करें इनकी शक्ति बड़े पैमाने की उत्पादन प्रणाली में काम नहीं दे सकती। अतएव हमको शक्ति के अन्य साधनों की पूर्ति भी बढ़ानी होगी।

(३) **कोयला:**—औद्योगिक क्रान्ति के प्रादुर्भाव से कोयला औद्योगिक शक्ति का प्रधान साधन बन गया है। इससे कलों के चलाने के लिए भाप या बिजली तैयार की जाती है। खनिज पदार्थों के अध्याय में हमने देखा है कि यद्यपि राजस्थान में कई महत्वपूर्ण खनिज है तथापि हमारे राज्य में कोयले की बड़ी कमी है। केवल बीकानेर जिले में पलाना की खानों से एक सीमित मात्रा में कोयला निकाला जाता है और यह भी बहुत निम्न कोटि का है। अतएव राजस्थान को अपने कल कारखानों और बिजलीघरों के लिए झरिया और रानीगंज से कोयला मंगाना पड़ता है जो दूरी के कारण बहुत मंहगा पड़ता है

(४) **लकड़ी**—भौगोलिक वातावरण के अध्याय में हमने देखा है कि राजस्थान में कुल भूमि का केवल ५.५ प्रतिशत भाग बनों से ढका हुआ है, जबकि विशेषज्ञों की राय के अनुसार उत्तम कृषि और सिंचाई की दृष्टि से कुल भूमि का लगभग २२ प्रतिशत भाग बनों से ढका होना चाहिये। दूसरे शब्दों में हमारे राज्य में बनों की बहुत कमी है और हमको बनों की सुरक्षा और विकास की आवश्यकता है। दूसरे, हमारे बन प्रायः राज्य के कुछ पर्वती भागों में सीमित

है और वहाँ से लकड़ी लाने में बड़ी कठिनाई होती है। तीसरे, कच्ची शक्ल में लकड़ी का कारखानों में प्रयोग असुविधाजनक और मँहगा पड़ता है। यदि हमको लकड़ी का शक्ति के साधन के रूप में उपयोग करना ही है तो लकड़ी का सत्व निकालने की क्रिया (Distillation of wood) अपनानी चाहिये जिससे लकड़ी के कोयले के अतिरिक्त काष्ट-सुरासार (Methyl alcohol) और काष्ठ तारकोल (wood-tar) आदि सहकारी उपज (-By products) के रूप में प्राप्त हो सकते हैं।

(५) खनिज तेल—कोयला की भाँति खनिज तेल भी औद्योगिक शक्ति का प्रधान साधन है। १९५१ की गणना के अनुसार राजस्थान में १२६८ तेल के इंजन है। परन्तु राजस्थान में कहीं भी तेल नहीं निकलता है। राजस्थान ही नहीं भारत में भी इस महत्वपूर्ण खनिज की बड़ी कमी है। अनुमान है कि भारत में हमारी आवश्यकताओं का केवल ६ प्रतिशत तेल निकलता है। अतएव हमको अधिकांश तेल बाहर से आयात करना होता है जो बहुत मँहगा पड़ता है। हाल ही में जैसलमेर में पेट्रोल उपलब्ध होने के सबूत मिले हैं।

(६) वायु— वायु भी शक्ति का प्रबल स्रोत है। परन्तु इसका हमारे देश में उत्पादन कार्य में बहुत कम प्रयोग होता है। विदेशों में कहीं कहीं वायु शक्ति का उत्पादन कार्य में आज भी प्रयोग किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में साल में कई महिनों तक तेज और गरम हवा चलती है जिसको 'लू' कहते हैं। आस्ट्रेलिया की भाँति हमको भी रेगीस्तानी क्षेत्रों के गहरे कुओं से नलों द्वारा जल निकालने के लिए वायु शक्ति का प्रयोग करने का प्रयत्न करना चाहिये। जिन क्षेत्रों में वायु का प्रवाह तेज होता है वहाँ वायु-शक्ति द्वारा बिजली भी तैयार की जा सकती है। परन्तु वायु से हमारे कल-कारखानों या गृह-उद्योगों के लिए शक्ति प्राप्त होने की आशा नहीं की जा सकती।

(७) जल— प्राचीनकाल से जल-शक्ति का उपयोग नौका संचालन, पन-चक्की चलाने आदि में होता आया है। परन्तु आधुनिक काल में जल-शक्ति से बिजली तैयार करके जल-विद्युत का उपयोग होता है। हम इसका वर्णन अगले शीर्षक के नीचे करेंगे।

(८) बिजली— बिजली कई प्रकार से पैदा की जा सकती है इनमें तीन साधन मुख्य है, यथा:—(१) कोयला, (२) खनिज तेल और (३) जल। हम देख चुके हैं कि राजस्थान में कोयला बहुत दूर से मंगाना पड़ता है इसलिए मँहगा पड़ता है। खनिज तेल का राजस्थान ही नहीं समस्त भारत में अभाव है।

सौभाग्य से भारत में जल-शक्ति से विजली तैयार करने की विशाल संभावनाएँ है। यद्यपि अब तक भारत के जल-प्रवाह का बहुत थोड़ा भाग जल-विजली बनाने के काम में लिया गया है तथापि यदि हमारी जल-शक्ति का पूरा पूरा लाभ उठाया जावे तो देश में शक्ति का अभाव नहीं रहेगा।

राजस्थान में अभी तक जल से विजली बनाने का कार्य कहीं भी नहीं हो रहा है। यद्यपि हमारे राज्य में वर्षा की कमी और निरन्तर बहने वाली नदियों के अभाव में जल शक्ति की संभावनाएँ सीमित हैं तथापि छोटे बड़े अनेक ऐसे स्थान है जहाँ नदियों को बाँध कर जल-विद्युत पैदा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त राजस्थान भाखड़ा-नांगल और चम्बल की विशाल योजनाओं में साझीदार है। हम इन योजनाओं का वर्णन सिंचाई के अध्याय में करेंगे। यहाँ राजस्थान में विजली के विकास के महत्व पर प्रकाश डाल कर कोयला और तेल द्वारा पैदा की जाने वाली विजली का संक्षिप्त वर्णन करेंगे।

विजली का महत्व—वर्तमान युग को विजली का युग भी कहा जा सकता है क्योंकि आजकल का सामाजिक और आर्थिक जीवन पूर्ण रूप से विजली पर आधारित है। राजस्थान की अविकसित आर्थिक व्यवस्था और मध्यकालीन सामाजिक जीवन के विकास के लिए विजली की उन्नति और भी आवश्यक है।

(१) हम देख चुके हैं कि किसी देश की सर्वाङ्गीण आर्थिक उन्नति के लिए शक्ति के साधनों का होना अत्यंत आवश्यक है। दुर्भाग्य से राजस्थान में शक्ति के साधनों का बड़ा अभाव है। मनुष्यों और पशुओं की शक्ति कल-कारखानों और परिवहन के आधुनिक साधनों के लिए काम नहीं दे सकती। राज्य में वनों के अभाव से लकड़ी की भी कमी है। कोयला और तेल राज्य में होता ही नहीं और दूर से मंगाना पड़ता है इससे बहुत मँहगा पड़ता है। परन्तु यदि राज्य में ताप-विद्युत या जल-विद्युत का विकास हो सके तो यह अभाव बहुत कुछ अंशो तक पूरा हो सकता है।

(२) राजस्थान के अनेक भागों में जल का बड़ा अभाव है कहीं कहीं तो पीने के लिए भी पानी बड़ी कठिनाई से मिलता है। पश्चिमी राजस्थान में तीन तीन सौ चार चार सौ फुट गहराई पर पानी मिलता है। कुओं का इतना अभाव है कि लोगों को पीने के लिए पानी कई कई मील से लाना पड़ता है। यही नहीं बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा आदि बड़े बड़े नगरों में भी पानी की कमी रहती है। जब पीने के लिए ही पानी का इतना अभाव है तो सिंचाई के लिए पानी मिलना तो और भी कठिन है। हम सिंचाई के अध्याय में बतलायेंगे कि राज्य के अनेक भागों में वर्षा का औसत बहुत कम है और

वर्षा होना या नहीं होना अनिश्चित रहता है। अतएव कठिनाई से एक फसल पैदा की जा सकती है। बैलों की कमी और निर्बलता से गहरे कुओं से पानी निकालने में कठिनाई होती है। यदि स्थान स्थान पर गहरे कुएँ खुदवा दिये जाँय और इनसे पानी निकालने के लिए बिजली के पम्प लगाये जा सकें तो न केवल पीने के लिए पानी की कमी नहीं रहेगी बल्कि सिंचाई भी संभव हो सकेगी और अनाज की पैदावार बढ़ाई जा सकेगी।

जिस प्रकार गहरे कुओं से पानी निकालने में कठिनाई होती है उसी प्रकार गहरी नदियों से पानी निकालने में कठिनाई होती है। यदि सस्ती बिजली हो सके तो सिंचाई का यह साधन भी काम में लाया जा सकता है।

सस्ती बिजली के उपलब्ध होने से न केवल पीने और सिंचाई के लिए पानी की सुविधा हो सकेगी बल्कि खेती की अन्य क्रियाओं में भी यंत्रों का उपयोग संभव हो सकेगा।

(३) खेती के अतिरिक्त कुटीर-उद्योगों की उन्नति के लिए भी विद्युत-शक्ति का विकास आवश्यक है। स्विटजरलैण्ड और जापान में गृह-उद्योगों की उन्नति का एक मुख्य कारण यह है कि उन देशों में गाँव गाँव और घर घर में सस्ती बिजली उपलब्ध है। यदि हमारे राज्य में बिजली का यथोचित विकास हो सके तो स्थान स्थान पर कड़प-काटने, आटा पीसने, तेल निकालने, गन्ना पैरने, कपास ओटने, ऊन धुनने, कपड़ा बुनने आदि के छोटे छोटे कारखाने चलाये जा सकते हैं।

(४) बड़े कल कारखानों के लिए भी सस्ती बिजली उतनी ही जरूरी है जितनी कि छोटे घरेलू धंधों के लिए। राजस्थान की अर्थ व्यवसाय में स्थिरता और सन्तुलन लाने के लिए राज्य का औद्योगिक विकास अनिवार्य है। राज्य के औद्योगिक विकास में अनेक अन्य कठिनाइयाँ है। यदि राज्य में कल कारखानों की उन्नति करनी है तो कारखानों को सस्ती शक्ति उपलब्ध करना आवश्यक है। राजस्थान के निर्माण से पूर्व कई रियासतों के शासकों ने औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उद्योग-पतियों को अनेक सुविधाएँ प्रदान करने के आश्वासन दिये थे। इन आश्वासनों को पूरा करने और वर्तमान उद्योगों की प्रतियोगिता संग्राम में सहायता करने के लिए भी सस्ती बिजली की शक्ति की व्यवस्था करना आवश्यक है।

(५) बिजली के विकास से जनता का सामाजिक जीवन भी उन्नत हो जाता है। जब घरों में बिजली प्राप्त होती है तो गाँवों के रहने वाले भी रेडियो, बिजली के पंखों, हिमकारक यंत्रो (Refrigerators) का उपयोग कर सकते है। गाँवों में सनीमा चलाये जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में ग्रामीण जनता भी वर्तमान नागरिक जीवन की सुविधाओं का आनंद उठा सकती है।

(६) विद्युत-शक्ति के विकास से कारखाना-प्रणाली की हानियाँ कम की जा सकती हैं। आशा की जाती है कि इससे औद्योगिक नगरों की अत्यधिक भीड़ कम हो जायगी और गाँव छोड़ कर शहरों में जाने की प्रवृति कम पड़ जायगी।

(७) विद्युत शक्ति का एक बड़ा गुण यह है कि यह सुगमता पूर्वक और अल्प व्यय में एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाई जा सकती है। कोयला, लकड़ी, तेल आदि शक्ति के अन्य साधनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बड़ी असुविधा और व्यय होता है। राजस्थान में सड़कों के अभाव से यह कठिनाई और व्यय और भी बढ जाता है। यही कारण है कि ये वस्तुएँ हमारे राज्य में अपेक्षा कृत अधिक मंहगी हैं। परन्तु विद्युत शक्ति केवल खंभो और तारों द्वारा मीलों तक ले जाई जा सकती है और सड़कों या रेलों की आवश्यकता नहीं होती।

जल-विद्युत के विशेष लाभ—उपरोक्त बातें सभी प्रकार की बिजली के लिए लागू हैं। परन्तु जल-विद्युत से कुछ अतिरिक्त लाभ भी मिलते हैं:-

(१) जल-विद्युत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जल-विद्युत योजनाएँ और सिंचाई की योजनाएँ एक ही साथ कार्यान्वित की जा सकती हैं। नदी या जलाशय का पानी विद्युत-जनन स्थान पर टरबाइनों को घुमाने के पश्चात नहरों द्वारा सिंचाई के लिए खेतों पर पहुँचाया जा सकता है। यह ही नहीं साथ ही में बाढ-नियंत्रण, भूमि के कटाव की रोक थाम, मछली-उद्योग, वन उद्योग, नौका-संचालन की योजनाएँ भी संयुक्त की जा सकती है। इस प्रकार 'एक पंथ दो काज' ही नहीं 'एक पंथ अनेक काज' हो सकते हैं।

(२) जल-विद्युत का दूसरा बडा गुण यह है कि इससे अन्य साधनों की अपेक्षा शक्ति बहुत सस्ती मिलती है। हम भाखड़ा-नागल और चम्बल योजनाओं से शक्ति क्रमशः एक आना और आठ पाई प्रति इकाई मिलने की आशा है।

(३) अन्तिम, जल-विद्युत को सफेद-कोयला कहा जाता है। यह नाम बतलाता है कि कोयले की भाँति जल-विद्युत भी शक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। परन्तु जहां कोयले से शक्ति उत्पन्न करने में शक्ति के साथ साथ तीव्र गरमी पैदा होती है वहाँ जल शक्ति से यद्यपि अधिक विद्युत शक्ति प्राप्त होती है परन्तु कोई खास गरमी पैदा नहीं होती। इस दृष्टि से गरम प्रदेशों में जल विद्युत विशेष उपयुक्त है।

राजस्थान में बिजली की पूर्ति की वर्तमान व्यवस्था

राजस्थान में बिजली की पूर्ती की वर्तमान व्यवस्था बहुत असंतोषजनक है। राज्य में दो प्रकार के बिजलीघर है—एक सरकारी बिजली-

घर और दूसरे गैर-सरकारी या निजी बिजली घर। एक अनुमान के अनुसार ३१ दिसम्बर १९५२ को राज्य में कुल अधिस्थापित विद्युत शक्ति ३८०६१.५ कीलोवाट थी जिसमें से सरकारी बिजलीघरों में ३४०६१.५ कीलोवाट और निजी बिजलीघरों में ४००० कलोवाट विद्युत-शक्ति उत्पन्न की जाती थी। ※

सरकारी बिजलीघरों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है:—(१) पूर्णतया विकसित और बड़े बिजलीघर और (२) अविकसित और छोटे बिजलीघर। पहली श्रेणी में बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और श्री गंगानगर के बिजलीघर हैं और दूसरी श्रेणी में धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, झालावाड़, करौली, निवाई और शाहपुरा आदि स्थानों के छोटे छोटे बिजलीघर हैं, जिनमें छोटे तेल के इंजनो से राजाओं के महलों में बिजली पहुँचाई जाती थी। अब दोनों ही प्रकार के बिजलीघरों से सब प्रकार की घरेलू, कृषि सम्बन्धी, व्यापारिक और औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जनता की माँग बढ़ रही है जिसको पूर्ण करना सरकार का धर्म है।

राजस्थान सरकार ने अनेक कठिनाइयों के होते हुये भी इस माँग को पूर्ण करने का प्रयत्न किया है। सरकार के पास रकम की कमी होने पर भी अप्रेल १९४९ से मार्च १९५३ तक बिजलीघरों के विकास और सुधार पर पूंजी खाते से लगभग ११५.२६ लाख रुपया व्यय हो चुका है। कुछ नये बिजलीघर बनाये गये हैं और कुछ निजी बिजलीघर सरकारी नियंत्रण में लिये गये इससे कुल मिलाकर २० बिजलीघर सरकार के नियंत्रण में आ गये हैं। फल स्वरुप कुल शक्ति पैदा करने की क्षमता जो एकीकरण से पूर्व १३२५० किलोवाट थी अब ३३१३४ कीलोवाट हो गई है और बिजली के कनकशनों की कुल संख्या भी जो एकीकरण से पूर्व ३०६५९ थी अब ४९०३५ हो गई है। जन संख्या में वृद्धि होने पर भी प्रति व्यक्ति उपभोग २.३२ से २.७६ यूनिट (किलोवाट घंटा) हो गई है।

विद्युत-शक्ति के विकास की योजनाएँ—प्रथम पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत राजस्थान में विद्युत-शक्ति का दो प्रकार से विकास होगा, यथा (१) वर्तमान बिजलीघरों में नई कलें लगाकर उनसे अधिक बिजली उत्पन्न की जायगी और (२) जल-विद्युत के उत्पादन और वितरण की व्यवस्था की जायगी। राजस्थान की कुल २२९७.१ लाख रुपयों की योजना में से २९१.६ लाख रुपये विद्युत-शक्ति के विकास के लिए रखे गये हैं। भाखड़ा-नांगल और

※ पहिली पंचवर्षीय योजना (राजस्थान)-चित्र संख्या ४

चम्बल योजनाएँ एक राज्य और एक प्रयोजन के लिए नहीं हैं। इसलिए इन योजनाओं पर व्यय होने वाली धन राशि इस पद में संयुक्त नहीं है। हम इन योजनाओं का वर्णन सिंचाई के अध्याय में करेंगे। यहाँ केवल पहली प्रकार की योजनाओं पर संक्षेप में प्रकाश डाला जायगा।

सरकार का विचार किशनगढ़, धौलपुर, झालावाड़, जैसलमेर, डूंगरपुर, सागवाड़ा, हिन्डौन और नवाई के बिजलीघरों में नई कलें लगाकर और जयपुर, जोधपुर, कोटा में अतिरिक्त कलें लगाकर और बीकानेर के बिजलीघर के लिए अतिरिक्त पुर्जे खरीद कर राजकीय बिजली पैदा करने की क्षमता में १०००० किलोवाट की वृद्धि करना है।

साथ ही ४०० मील लम्बी बिजली ले जाने वाली लाइन बनाने और वितरण की व्यवस्था में सुधार का भी विचार है। अनुमान है कि इस कार्य पर लगभग २७७.५ लाख रुपये की लागत लगेगी। आशा है इससे जनता की बढ़ती हुई घरेलू, औद्योगिक, व्यापारिक, कृषि और पीने के पानी की भी मांगों को पूरा किया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त राजस्थान भाखड़ा-नांगल और चम्बल की विशाल योजनाओं में साझीदार है। मौजूदा बिजलीघर इन योजनाओं से आने वाली बिजली के लिए मांग तैयार कर रहे हैं और इनके बन जाने के बाद भी विपत्ती कालीन मांग की पूर्ति करने और सूखे सालों में शक्ति की पूर्ति करने में सहायता देंगें। इस दृष्टि से मौजूदा बिजलीघरों का विकास आवश्यक है।

सूचना मिली है ‡ कि योजना-आयोग ने राजस्थान के वर्तमान बिजली-घरों के सुधार और विकास के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस कार्य के लिए २५० लाख रुपयों की अतिरिक्त राशि निर्धारित की गई है जो पंच-वर्षीय योजना काल की शेष अवधि में व्यय की जा सकेगी। आशा है इससे राज्यीय सरकार की विद्युत विकास की योजना पूरी की जा सकेगी।

---

‡ *Hindustan Times, February 7, 1954.*

अध्याय ५

पशुधन

निम्नाँकित तालिका में भारत और राजस्थान के पशुधन के आंकड़े दिये जाते हैं।

भारत और राजस्थान की पशुगणना (१९५१) (लाखों में)

पशु जाति	भारत ❀	राजस्थान *	राज. भारत का प्रतिशत
गाय-बैल	१९५०	१४५	७.५
भेड़-बकरी	८८६	१०५	११.८
अन्य	७६	७	८.८
कुल	२९१५	२५७	८.८

इस तालिका से ज्ञात होता है कि देश में दो प्रकार के पशुओं की प्रधानता है, यथा, गाय, बैल और भेड़-बकरियाँ। अतएव हम इस अध्याय को दो भागों में विभक्त करेंगे। पहले भाग में गो-वंश की समस्याओं पर प्रकाश डाला जायगा और दूसरे भाग में भेड़-पालन और ऊन उद्योग का वर्णन किया जायगा।

राजस्थान का गो-धन

गो-धन का महत्व—प्राचीन काल से गाय की सेवा और रक्षा करना हमारे धर्म और विश्वास का एक प्रधान अंग माना गया है। इसके

❀ India, 1953 Ministry of Information And Broadcasting Government of India पृ. २५१

* Agricultural Statistics (1950-51) Rajasthan State: Issued by the Director of Agricueure and Food Comissioner, Raj. पृ. ३७-४०. प्रस्तुत पुस्तक में पृ. ३२, पृ. ३४-३५ और पृ. ३७-४० पर दिये गये पशुधन, विशेषकर भेड़ बकरियों सम्बन्धी आँकड़ों में बहुत अन्तर है। उपरोक्त तालिका में पृ. ३७ से ४० तक दी गई १९५१ की गगना की तालिकाओं से आँकड़े संग्रह किये गये हैं।

ठोस आर्थिक कारण है। भारत प्राचीन काल से एक कृषि प्रधान देश रहा है। आज भी भारत की जन-संख्या का दो तिहाई भाग कृषि से जीविकोपार्जन करता है और भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग आधा भाग कृषि से प्राप्त होता है। राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था में उद्योग-धन्धों और व्यापार-व्यवसाय के अविकसित होने से कृषि का सापेक्षिक महत्व और भी अधिक है। अनुमान है कि हमारे राज्य में ८४ से ९० प्रतिशत जन-संख्या जीविका-निर्वाह के लिए कृषि और पशुपालन पर आश्रित है। हम कृषि पर आश्रित है और हमारी कृषि बैलों पर आश्रित है। कृषि का कोई भी प्रधान कार्य बैलों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। बैलों का उपयोग हल चलाने, भूमि को समतल बनाने, बीज बोने, कुँओ से सिंचाई के लिए पानी निकालने, फसलों को गाहने आदि सभी कृषि क्रियाओं के लिए किया जाता है। कृषि के अनेक सहायक धन्धों जैसे चरी काटने, गन्ना पेरने, घाणी चलाने, चक्की चलाने, गाड़ी खींचने और बोझा ढोने में भी बैल काम आते हैं। यद्यपि कभी कभी भैंसे, ऊँट और घोड़े-खच्चर आदि पशु भी इन कार्यों के लिए उपयोग किये जाते है तथापि कृषि प्रधानतः बैलों ही पर आश्रित है। इसीलिए कहावत प्रसिद्ध है कि "न गाय न अनाज" अर्थात यदि गाय नहीं होगी तो अनाज भी नहीं होगा।

गाय हमको बैल ही नहीं देती हमको पीने के लिए दूध भी देती है। गो-वंश के मल-मूत्र का बहुमूल्य खाद बनता है। इनका गोबर सूखा कर जलाया जाता है। मृत्यु के पश्चात भी ये मनुष्य की सेवा करती हैं। इनके चमड़े से अनेक वस्तुएँ बनती हैं। इनके सींगो के बटन और कंघे बनाये जाते है। इनकी हड्डियाँ भी खाद और फासफोरस आदि रसायन बनाने के काम आती है।

राजस्थान में गो वंश—भारत में गो-जाति के पशुओं की संख्या लगभग १९५० लाख है जिसमें से १४५ लाख अर्थात समस्त भारत की संख्या का ७.४ प्रतिशत राजस्थान में है। प्रति एकड़ कृषित भूमि और प्रति व्यक्ति दोनों ही दृष्टियों से राजस्थान की पशु संख्या भारत के अधिकतर राज्यों और संसार के अधिकतर देशों से अधिक है।

संख्या के अतिरिक्त उत्तमता की दृष्टि से भी राजस्थान का स्थान ऊँचा है। हमारे राज्य में कई प्रकार के उच्च जाति के गाय-बैल पाये जाते हैं जिनमें नागौरी, थारी, मालवी, मेवाती, रथ, हरियाना, सांचौर और रैंड जाति के पशु प्रसिद्ध है। हम नीचे संक्षेप में इनका वर्णन करते हैं:—

(१) नागौरी:—इस जाति के पशु जोधपुर डिवीजन के उत्तर-पूर्व में नागौर जिले में प्रधानता से पाये जाते हैं। नागौरी बैल सड़कों पर अपने

तेज दौड़ के लिए प्रसिद्ध हैं। नागौर और पर्वतसर के पशु मेलों में प्रति वर्ष सैंकड़ों नागौरी बैलों का लेन देन होता है और दूर दूर के व्यापारी इन मेलों में आते है। परन्तु जहाँ नागौरी जाति के बैल प्रसिद्ध है वहाँ इस जाति की गाएँ बहुत कम दूध देती हैं।

(२) थारी—इस जाति के पशु राजस्थान के पश्चिमी शुष्क भाग में पाये जाते है। इस प्रदेश में चराई की कठिनाई होती है और पशुओं को झाडियों की पत्तियों (पाला) और ज्वार–बाजरे के डंठलों (कड़प) पर पाला जाता है। इस जाति के पशु नीले–सफेद और मध्यम डील–डौल के होते हैं और हल चलाने और गाड़ी खींचने के काम आते हैं। परन्तु थारी गाएँ अच्छा दूध देती हैं।

(३) मालवी—इस जाति के पशुओं की कोटा और झालावाड़ के क्षेत्रों में प्रधानता है। ये सड़कों पर हल्का बोझ खींचने के लिए प्रसिद्ध हैं। परन्तु इस जाति की गाएँ दूध कम देती है।

(४ मेवाती—इस जाति के पशु अलवर और भरतपुर के पूर्वी भागों में पाये जाते हैं और हल चलाने और गाडी खींचने दोनों कार्यों के लिए उपयोगी सिद्ध हुये है। इनके जातीय लक्षण "हरियाना" और "गिर" दोनों जातियों का समिश्रण बतलाते है।

(५) रथ—इस जाति के पशु "हरियाना" जाति के सदृश्य मध्यम डील डौल के होते है। इनकी भूतपूर्व मत्स्य संघ में प्रधानता है और ये हल चलाने और गाड़ी खींचने दोनों कार्यो के लिए उपयुक्त होते हैं।

(६) हरियाना—इस जाति के पशुओं का घर पंजाब के रोहतक, करनाल, हिसार और गुड़गांव जिलों में है। इनके सींग छोटे होते हैं। इस जाति की गाएँ अच्छा दूध देती हैं।

(७) सांचोर—इस जाति के पशु गुजरात की प्रसिद्ध कंकरेज नस्ल के होते हैं और जोधपुर डिवीजन की सांचोर तहसील तथा सिरोही और उदयपुर के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाये जाते हैं। इस जाति की गाएँ साधारण दूध देने वाली होती हैं।

(८) रैंढ़ा—दक्षिण सौराष्ट्र में स्थित 'गिर' नामक एक वन है जिसमें रहने वाले पशु गिर जाति के कहलाते हैं। राजस्थान में इनको 'रैंढ़ा' नाम से पुकारा जाता है। इस जाति के पशु सिरोही, उदयपुर, शाहपुरा और किशनगढ

के क्षेत्रों में पाये जाते हैं। इस जाति के बैल मजबूत परन्तु प्रायः धीमी चाल वाले और सुस्त होते हैं। गाएँ अच्छा दूध देती हैं।

गो वंश की हीन दशा–कहा जाता है कि किसी समय हमारे देश में घी और दूध की नदियाँ बहती थी परन्तु आज कल तो हमारे बच्चों को भी यथेष्ट दूध नहीं मिलता है। इसका कारण यह है कि हमारे देश में पशुओं की संख्या बहुत है परन्तु हमारे पशुओं की दशा बहुत गिरी हुई है। प्रति पशु पीछे हमारा उत्पादन संसार के सब देशों से नीचा है। उदाहरणार्थ जहाँ संसार के सब उन्नत देशों में दूध का वार्षिक उत्पादन प्रति गाय २००० से ७००० पौंड तक होता है वहाँ भारत में केवल ४१३ पौंड है। हमारा लक्ष्य कम किन्तु अच्छे पशु रखना होना चाहिये।

हीन दशा के कारण–हमारे राज्य में पशुओं की हीन दशा के तीन प्रधान कारण हैं, यथा (१) पशुओं का कुपोषण (२) अव्यवस्थित संयोग और (३) पशुओं के रोगों के रोकथाम और चिकित्सा के साधनों का अभाव।

(१) पशुओं का कुपोषण–पिछले कुछ वर्षों से देश की बढती हुई जन-संख्या के लिए अन्नादि उत्पन्न करने के लिए अधिकाधिक भूमि पर खेती की जाने लगी है। इससे चारागाहों और चारे वाली फसलों की उत्पत्ति बहुत कम हो गई है। अनुमान है कि सन् १९५०–५१ में राजस्थान में केवल ३२६३ हजार एकड़ भूमि अर्थात कुल भूमि के क्षेत्र फल के केवल ४.७ प्रतिशत भाग पर स्थायी चारागाह थे। ❀ चारागाहों का यह क्षेत्रफल २५७ लाख पशुओं के भरण पोषण के लिए बहुत कम होता है। इससे अधिक पशुओं को कम चारे पर रखना पड़ रहा है। फल स्वरुप हमारे पशु आधे भूखे रहते हैं और दुबले-पतले, छोटे एवं निर्बल हो गये है।

(२) अव्यवस्थित संयोग–हमारे गाँवो में गायों और भैसों को दूध निकालने के पश्चात चरने के लिए गांव के बाहर निकाल दिया जाता है। गाँव के बाहर निम्न कोटी के बैलों से गायों का अव्यवस्थित और अवैज्ञानिक संयोग होने से हमारे गो-धन की नस्ल बहुत बिगड़ गई है।

(३) चिकित्सा के साधनों का अभाव–हमारे राज्य में पशुओं के रोगों की रोक थाम और चिकित्सा के साधनों का बड़ा अभाव है। प्रति वर्ष अनेक प्रकार के संक्रामक और अन्य रोगों से असंख्य पशु मर जाते हैं या कमजोर पड़ जाते हैं।

❀ Agricultural Statistics (1950-51) Rajasthan State page 13

पशुधन का सुधार— पशुधन के सुधार के लिए हमको उपरोक्त कारणों का निराकरण करके पशु विकास की एक चतुर्मुखी योजना अपनानी चाहिये जिसके अन्तर्गत (१) चरागाहों और चारे की फसलों का विकास (२) पशुओं की नस्लों का सुधार (३) पशुओं के रोगों की रोकथाम और चिकित्सा और (४) पशुओं की सुव्यवस्था-ये चार अंग होने चाहिये।

१-चारे का प्रश्नः—चारे की उत्पत्ति बढाने के लिए निम्नांकित सुझाव अपनाये जा सकते हैं:-(अ) राज्य में जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं वहाँ किसानों को चारे के काम में आने वाली फसलें और सदा हरी रहने वाली घासें लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। अन्य फसलों के साथ ही साथ घास पत्तों वाली फसलें पैदा कर कृषि और पशु पालन का उत्तम समिश्रण किया जा सकता है। (आ) शुष्क प्रदेशों में चराई का महत्व बना रहेगा। परन्तु अत्यधिक चराई हानिकारक होती है। वर्तमान चारागाहों से पूरा लाभ उठाने के लिए नियंत्रित चराई की पद्धति अपनानी चाहिये। (इ) चारागाहों का क्षेत्र बढाने के लिए कृषि सुधार के फल स्वरुप सीमान्त भूमि चारागाहों के लिए प्राप्त हो सकेगी। साथ ही कृषि-अयोग्य ऊबड़-खाबड़ और बंजड़ भूमि को घास के लिए काम में लाना चाहिये। वनों के विकास और सुप्रबन्ध से भी चारे का प्रश्न हल करने में सहायता मिल सकती है। (ई) घास संग्रह करने के तरीकों में सुधार किया जाना चाहिये जिससे घास खराब नहीं होने पाये। (उ) पशुओं के सुपोषण के लिए चारे के अतिरिक्त पुत्तनक (Protein) प्रधान पदार्थों जैसे खली, तिलहन, आदि की भी आवश्यकता होती है। राजस्थान में लगभग १८२६ हजार एकड़ भूमि पर तेलहनों की खेती होती है। ❀ यथा सम्भव तेलहनों से राज्य ही में तेल निकालने का प्रबन्ध होना चाहिये जिससे पशुओं के पोषण के लिए खली प्राप्त हो सके।

२ — नस्ल सुधारः—हम देख चुके हैं कि हमारे देहातों में चलते वाले अव्यवस्थित संयोग के कारण हमारे गो-धन की नस्ल बहुत गिर गई है। नस्ल सुधारने के लिए एक ओर बुरी नस्ल के बैलों को बधिया करना होगा और दूसरी ओर पर्याप्त संख्या में अच्छी जाति के बैलों की व्यवस्था करनी होगी। विशेषज्ञों की राय है कि एक अच्छा साण्ड लगभग ६० गायों के लिए काम दे सकता है। इस हिसाब से राजस्थान में लगभग ६४३६५ साण्डों की आवश्यकता है जब की राज्य में केवल १६०५१ ऐसे साण्ड हैं। साण्डों की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य में तीन सरकारी पशु-प्रजनन-फार्म अलवर, बस्सी

❀ Agricultural Statistics (1950-51) Rajasthan page 28.

और नागौर में काम कर रहे हैं जहाँ मेवाती, हरियाना और नागौरी नस्लों को सुधारने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इन फार्मों का विकास करने और नये फार्म चलाने के साथ ही साथ कृत्रिम-गर्भदान-पद्धति को अपनाना चाहिये क्योंकि इस पद्धति से एक जनक-बैल से लगभग १००० गायों को गर्भदान दिया जा सकता है। इस कार्य के लिए कोटा में एक केन्द्र चालू किया जा चुका है। पशुओं की नस्ल सुधारने की दृष्टि से भारत सरकार की कुंजी-ग्रामों (Key-Villages) की योजना सराहनीय है। कुंजी-ग्राम वास्तव में नस्ल सुधार की कुंजी है। इस योजना के अन्तर्गत चुने हुये गाँवों में अवांछीय बैलों को बधिया करके उत्तम जाति के बैलों की व्यवस्था की जायगी। इस प्रकार कुछ ही वर्षों में इन गाँवों के पशुओं की नस्ल सुधर सकेगी। इस योजना को जितना व्यापक रुप दिया जा सके उतना ही उत्तम होगा। साथ ही पशु-सुधार के कार्य में जनता और गैर-सरकारी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए पशु-प्रदर्शनियों, पशु-मेले आदि भी आयोजित किये जाने चाहिये जिनमें उत्तम पशुओं के मालिकों को पारितोषिक दिये जाने चाहिये।

(३) **रोगों की रोक थाम और चिकित्सा:**—हम देख चुके हैं कि हमारे देश में संक्रामक तथा अन्य रोगों से प्रतिवर्ष असंख्य पशुओं की हानि होती है। विशेषज्ञों का मत है कि रोगों की रोक थाम और चिकित्सा के लिए लगभग २५००० पशुओं के पीछे एक पशु चिकित्सालय होना आवश्यक है। राजस्थान में जहाँ ७६००० मनुष्यों के पीछे एक चिकित्सालय है वहाँ २५००० पशुओं के पीछे एक पशुचिकित्सालय की बात करना अव्यावहारिक है। हमारा पशु-चिकित्सा विभाग बहुत अविकसित है। राज्य भर में जहां १०२८ पशु चिकित्सालयों की आवश्यकता है वहाँ छोटे बड़े कुल १२० पशुचिकित्सालय हैं जिनमें ७ प्रथम श्रेणी के और ४५ द्वितीय श्रेणी के हैं। अधिकांश पशु-चिकित्सालय छोटे छोटे किरायों के मकानों में हैं जहाँ बीमार पशुओं को रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य भर में एक भी पशुचिकित्सा-प्रयोग-शाला नहीं है और न कर्मचारियों को पशु चिकित्सा में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक भी संस्था है। फलतः हमको प्रशिक्षण और टीका-द्रव्य (Serum) के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। कम से कम एक प्रयोगशाला और प्रशिक्षण संस्था की अविलम्ब स्थापना अनिवार्य है। साथ ही कम से कम प्रत्येक तहसील में एक पशु चिकित्सालय की व्यवस्था तो होनी ही चाहिये।

राजस्थान की प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत पशुओं के टीके लगाने के लिए ८.८६ लाख और नये पशु-चिकित्सालय खोलने के लिए ६.४

लाख रुपयों की व्यवस्था है जो राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुये बहुत ही कम है। ॐ सूचना मिली है कि इसमें १० लाख की वृद्धि हुई है और राज्य सरकार बीकानेर में एक पशु चिकित्सा कालेज भी खोलने जा रही है।

४—उत्तम प्रबन्धः—पशु पालन भी एक कला है। श्री दातारसिंह के अनुसार गाय एक जीती जागती मशीन है और उससे अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए उसकी आवश्यकताओं पर सतत ध्यान देना आवश्यक है। उसके लिए कम से कम पीने के लिए पर्याप्त शुद्ध जल, रहने के लिए आराम का स्थान और खाने के लिए पर्याप्त चारा चाहिये। साधन हीनता और अज्ञान के कारण हमारे अधिकांश पशुपालक पशुओं की उत्तम व्यवस्था करने में असमर्थ हैं। पशु पालन आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं होने से भी पशुओं की अपेक्षा की जाती है। दूध की सहकारी बिक्री से पशुपालन लाभ-दायक बन सकता है और पशु पालन के ज्ञान के प्रचार से पशुओं की उत्तम व्यवस्था की आशा की जा सकती है।

भेड़ें

१६५१ की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशुओं की कुल संख्या २५७ लाख है जिसमें लगभग १४५ लाख अर्थात ५६.४ प्रतिशत गाय-भैंस और १०५ लाख अथात् ४०.८ प्रतिशत भेड़-बकरियाँ हैं। इनमें भी भेड़ों का विशेष महत्व है। अनुमान है कि सन् १६४५-४६ में समस्त भारत में भेड़ों की कुल संख्या का लगभग पाँचवा भाग अर्थात् ७० लाख भेड़ें राज-स्थान में थी। ऊन के उत्पादन में राजस्थान का भाग और भी अधिक है। अनुमान है कि भारत की औसत वार्षिक ऊन की पैदावार की लगभग एक तिहाई अर्थात् १६० लाख पौंड ऊन प्रतिवर्ष राजस्थान में होती है। राजस्थान की बीकानेरी ऊन दरियों और गलीचों के लिए संसार-प्रसिद्ध है। आज के बाजार-भाव से राजस्थान के ऊन के वार्षिक उत्पादन का मूल्य लगभग चार पाँच करोड़ रुपया होता है। अनुमान है कि राजस्थान से प्रतिवर्ष ३ करोड़ रुपयों की १३० लाख पौंड ऊन विदेशों को निर्यात की जाती है जिसका एक बड़ा भाग दुर्लभ-मुद्रा-क्षेत्र को जाता है और भारत के लिए दुर्लभ विदेशी मुद्रा (डालर) प्राप्त करने में सहायता देता है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष लगभग ३० लाख पौंड ऊन राजस्थान से भारत के ऊन उद्योग को निर्यात होती है और शेष लगभग ३० लाख पौंड स्थानीय कुटीर उद्योगों में काम ली जाती है। इस प्रकार राजस्थान ऊन का प्रमुख उत्पादक और निर्यात कर्ता है।

बहुमूल्य ऊन के अतिरिक्त भेड़ों से हमको दूध और मांस भी मिलता है। अनुमान है कि राजस्थान से लगभग ४ लाख भेड़ें प्रतिवर्ष उत्तर-प्रदेश

ॐ पहली पंच-वर्षीय योजना (राज०) पृ० १५

बम्बई और दिल्ली राज्यों में स्थित विशाल कसाई घरों को भेजी जाती है और लगभग १० लाख भेड़ें राजस्थान ही में मांस के लिए मारी जाती हैं। इस प्रकार प्रति भेड़ २० पौंड के आधार पर राजस्थान की भेड़ों से प्रतिवर्ष लगभग २८० लाख पौंड मांस प्राप्त होता है।

यद्यपि यह अनुमान लगाना कठिन है कि प्रतिवर्ष कितनी भेड़ों की खालें मिलती है परन्तु अनुमान है कि प्रतिवर्ष लगभग ३५ लाख भेड़-बकरियों की खालें मिलती हैं जिनका मूल्य लगभग १ करोड़ रुपए होता है। अनुमान है कि लगभग ८० प्रतिशत खालें मद्रास, कानपुर और दिल्ली भेजी जाती है और शेष राजस्थान ही में काम आती हैं।

भेड़ जीवित अवस्था में ऊन और दूध प्रदान करती है और मर जाने पर माँस और चमड़ा देती हैं। इनके अतिरिक्त भेड़ों की मींगनियों और मूत्र का बहुमूल्य खाद बनता है। भेड़ों की आंतों के धनुष, पीनण और बल्ले (Rackets) बनाये जाते है। भेड़ों के स्नायु सरेस (Glue) और उनकी चर्बी (Fat) बूट पालिश, वैसलीन और ग्रीज बनाने के काम आती है। भेड़ों की हड्डियों से खाद तैयार की जा सकती है। इस प्रकार भेड़ के मृत शरीर का प्रत्येक अवयव मनुष्य के काम आता है।

राजस्थान के सूखे और रेतीले मैदानों और पहाड़ी भाग में जहाँ खेती नहीं की जा सकती भेड़-बकरियाँ पाल कर जीविका निर्वाह की जाती है। जहाँ पर खेती होती है वहाँ भी सहायक उद्योग के रूप में किसान भेड़ बकरियाँ पालते हैं। अनुमान है कि राजस्थान में भेड़ पालन द्वारा लगभग एक लाख परिवारों का निर्वाह होता है। इस प्रकार जीवन-निर्वाह के साधन के रूप में भी राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था में भेड़-बकरी पालन का बड़ा महत्व है।

राजस्थान में भेड़ों की मुख्य नस्लें – राजस्थान में कई प्रकार की भेड़ें पाई जाती हैं जिसमें नाली, मगरा, जैसलमेरी, मारवाड़ी, सोनाड़ी, मालपुरी, बागड़ी और चोकला या शेखावाटी मुख्य हैं।

१—नाली—ये भेड़ें बीकानेर के नहरी क्षेत्र में पाई जाती हैं। इनके मुँह भूरे और कान लम्बे होते है। इनकी ऊन लम्बे रेशों की प्रायः ५" से ५½" तक की होती है। इनसे प्रतिवर्ष प्रति भेड़ ६ पौंड ऊन मिलती है। अनुमान है कि इस जाति की कुल २½ या ३ लाख भेड़ें हैं जिनसे प्रति वर्ष १४ लाख पौंड ऊन प्राप्त होती है।

२—मगरा:—ये भेड़ें जैसलमेर, नागौर और बीकानेर के जिलों में पाई जाती हैं। इनके मुँह पर प्रायः हल्के भूरे और काले रंग के धब्बे होते हैं

परन्तु लगभग २०% सफेद मुँह वाली मैरीनो जाति की भी होती है। इनकी ऊन एक वर्ष में प्रायः तीन बार कतरी जाती है और प्रति भेड़ ३ या ४ पौंड ऊन प्राप्त होती है। यह ऊन मध्यम श्रेणी की ४" से ५" तक लम्बी होती है। अनुमान है कि इस जाति की कुल २½ लाख भेड़ें हैं जिनसे प्रतिवर्ष १०½ लाख पौंड ऊन प्राप्त होती है।

३—जैसलमेरी:—ये काले मुँह और लम्बे कानों वाली भेड़ें पश्चिमी जोधपुर और जैसलमेर में पाई जाती हैं। इनसे प्रति भेड़ ४" से ६" तक के लम्बे रेशों वाली ४ से ६ पौंड तक ऊन मिलती है। इस जाति की कुल संख्या लगभग ४½ लाख है और इनसे लगभग २२½ लाख पौंड ऊन प्रति वर्ष प्राप्त होती है।

४—मारवाड़ी:—मारवाड़ी भेड़ों के कान लम्बे होते हैं। ये बड़ी मजबूत होती हैं और लम्बी यात्रा करने की क्षमता रखती हैं। परन्तु इनकी ऊन मध्यम श्रेणी की ३½" से ४½" रेशों वाली होती है और प्रति भेड़ २ से ४ पौंड तक ऊन प्राप्त होती है। इस जाति की भेड़ों की कुल संख्या २० लाख से अधिक है और इनसे कुल ६१½ लाख पौंड ऊन प्राप्त होती है।

५—सोनाड़ी:—लम्बे कानों और लम्बी पूंछो और भूरे मुँह वाली ये भेड़ें उदयपुर डिवीजन में पाई जाती हैं। ये भेड़ें १३० पौंड तक भारी होती हैं और प्रति दिन दो-तीन सेर दूध देती हैं। परन्तु इनकी ऊन २½" के छोटे रेशों वाली होती है और प्रति भेड़ प्रति वर्ष १½ या २ पौंड से अधिक ऊन नहीं देती। इस जाति की भेड़ों की संख्या ६ लाख है और इनसे प्रतिवर्ष १४ लाख पौंड ऊन मिलती है।

६—मालपुरी:—ये भेड़ें जयपुर और टोंक में पाई जाती हैं। इनके कान छोटे और मुँह हल्के भूरे रंग के होते हैं जो दूर से प्रायः सफेद नजर आते हैं। यद्यपि ये भेड़ें सोनाड़ी भेड़ों की अपेक्षा बहुत हल्की होती हैं तथापि इनकी ऊन भी छोटे रेशों वाली होती है और प्रति भेड़ प्रति वर्ष १½ पौंड ऊन देती हैं। अनुमान है कि इस जाति की भेड़ों की कुल संख्या लगभग १५ लाख है और इनसे प्रतिवर्ष लगभग २२ लाख पौंड ऊन प्राप्त होती है।

७—बागड़ी:—ये भेड़ें अलवर में पाई जाती हैं। इनमें ८० प्रतिशत काले मुँह वाली और २० प्रतिशत सफेद मुँह वाली होती हैं। इनके कान छोटे होते हैं। इनकी ऊन भी छोटे रेशों वाली और कम होती है। इस जाति

की भेड़ों की संख्या ३ लाख है और इनसे प्रति वर्ष ४½ लाख पौंड ऊन मिलती है।

८ – चोकला या शेखावाटी: ये भेड़ें बीकानेर के चुरू और जयपुर के सीकर और झूंझूनू जिलों में पाई जाती है। इनके कान छोटे और मुँह गहरे भूरे या काले धब्बे युक्त होते है। इनमें लगभग १० प्रतिशत मैरीनो जाति की भी होती है। प्रति भेड़ ऊन की उत्पत्ति २ से ४ पौंड प्रति वर्ष होती है। ऊन का रेशा मध्यम लम्बाई का ४" से ४½" तक का होता है परन्तु इनकी ऊन उत्तम श्रेणी की होती हैं और कपड़ा बुनने के योग्य होती है। इनकी संख्या १५ लाख है और इनसे प्रति वर्ष ३७½ लाख ऊन प्राप्त होती है।

भेड़ पालन और ऊन उद्योग के दोष और उनका सुधार:—

हम देख चुके हैं कि भेड़-पालन राजस्थान का एक प्रधान व्यवसाय है। दुर्भाग्य से इस व्यवसाय की दशा बहुत गिरी हुई है। कुछ वर्षों से राजस्थान सरकार ने भेड़ों और ऊन के सुधार के लिए एक स्वतंत्र विभाग आरम्भ किया है। इस विभाग ने इस व्यवसाय के अध्ययन और उन्नति के लिए कुछ उपयोगी कदम उठाये है परन्तु प्रशिक्षित कर्मचारियों और यथेष्ट साधनों के अभाव में विभाग का कार्य प्रगति नहीं कर सका है। भेड़-पालन और ऊन उद्योग के लिए यह आवश्यक है कि हम इस उद्योग के दोषों का ज्ञान प्राप्त कर उनको दूर करने का प्रयत्न करें।

(अ) नस्ल सुधार:—राजस्थान में गाय-बैलों की तरह भेड़-बकरियों की नस्ल भी बहुत बिगड़ गई हैं। इसके कई कारण हैं। (१) भेड़ों के मालिक भेड़ों को चराने का काम वेतन-भोगी श्रमिकों से लेते है। अतएव अधिकांश भेड़ चराने वाले जन्म भर मजदूरी करते हैं। इनमें मालिक की तरह ध्यान देकर भेड़ों की नस्ल सुधारने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। (२) भेड़ों और मेंढों का संयोग नितान्त अव्यवस्थित और अवैज्ञानिक होता है। राज्य में एक भी ऐसा केन्द्र नहीं है जहाँ से अच्छी जाति के मेंढ़े भेड़ों के मालिकों को उपलब्ध हो सके। अतएव प्रत्येक क्षेत्र में एक प्रजनन-केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिये जहाँ से भेड़ों के मालिकों को उत्तम जाति के मेंढ़े मिल सके। भेड़ पालकों को उत्तम मेंढों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। राज्य में कम से कम एक ऐसा नस्ल सुधार और अन्वेषण केन्द्र होना चाहिये जहाँ नस्ल सुधार के प्रयोग किये जा सकें और भेड़ पालकों को वैज्ञानिक प्रगति का लाभ प्राप्त हो सके।

(आ) ऊन की बिक्री—प्रत्येक ऐवड़ में कई जाति की भेड़ें होती हैं इसलिए प्रत्येक एवड़ से प्राप्त होने वाली ऊन भी मिश्रित होती है। ऊन का श्रेणीकरण नहीं किया जाता। यहां ऊन बीकानेरी, राजपूताना, मारवाड़ी या ब्यावर आदि विभिन्न स्थानीय नामों से मंडियों में पहुँचती है। कई बार व्यापारी जान बूझकर ऊन में मिलावट कर देते हैं जिससे ऊन कुख्यात हो जाती है और इसकी कम कीमत मिलती है। यदि ऊन कतरने से पूर्व भेड़ों को धोया जाकर, ऊन का श्रेणीकरण करके बिक्री की जावे तो ऊन की अच्छी कीमत मिल सकती है। साथ ही ऊन की मिलावट रोकने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। यदि सहकारी समितियों द्वारा ऊन का संग्रह, श्रेणीकरण और बिक्री का प्रबन्ध किया जाये तो बीच के लोगों की संख्या भी कम हो सकती है और मिलावट का भय भी नहीं रहता। यदि आवश्यक हो तो सरकारी श्रेणीकरण और बिक्री संस्थाएँ खोली जा सकती हैं। ऊन के निर्यात की पद्धति में भी सुधार की आवश्यकता है जिनसे भेड़ पालकों को और स्थानीय व्यापारियों को ऊन की अच्छी कीमत मिल सके।

(इ) ऊन उद्योग—हम देख चुके हैं कि राजस्थान में लगभग १६० लाख पौंड ऊन प्रतिवर्ष उत्पन्न होती है। परन्तु इसमें से केवल ३० लाख पौंड ऊन राज्य में ऊनी माल तैयार करने के काम में ली जाती है, शेष निर्यात होती है। राज्य में होने वाले उत्पादन के आँकड़े प्राप्त नहीं हैं परन्तु कुटीर आधार पर दरियाँ, कम्बल, लोइयाँ और नमदे आदि परम्परा से बनते आये हैं। सरकार को राज्य में ऊनी वस्त्र बनाने, ऊन साफ करने, कातने और रंगने के कारखानों को प्रोत्साहन देना चाहिये। साथ ही ऐसी संस्था की स्थापना की जानी चाहिये जो ऊन का माल तैयार करने वालों को प्रशिक्षण प्रदान करे ताकि कुटीर और छोटे पैमाने पर ऊनी माल तैयार हुआ करे। ऊन निर्यात करने की अपेक्षा ऊनी माल निर्यात होने से राज्य में अनेक लोगों को रोजगार मिलेगा और आर्थिक लाभ भी अधिक होगा।

बकरी—सन् १९५१ की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल मिलाकर ५५,४३,६७४ बकरे बकरियाँ थीं।❀ भेड़ की भाँति बकरी को भी शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि भेड़ बकरियाँ दोनों ही राजस्थान के शुष्क प्रदेश में अधिक पाली जाती हैं। बकरी काँटेदार झाड़ियों की पत्तियों और छोटी छोटी घास को बड़ी रुचि से खाती है। इसी कारण बकरी को पालने में कम खर्चा पड़ता है।

❀ Statistical Out-line of Rajasthan, January 1953, page 22

राजस्थान के मांसाहारी लोग अधिकतर बकरे का मांस ही काम में लेते हैं। ऐसे लोग नगरों में अधिक बसते हैं। राजस्थान के बड़े बड़े नगरों में हर साल लाखों बकरे देहातों से मंगाये जाते हैं। राज्य से बाहर भी बकरे भेजे जाते हैं। बकरियाँ दूध देती हैं। नगरों में जो लोग स्थानाभाव तथा चारे की कमी के कारण गाय नहीं रख सकते वे बकरी पालते हैं। इसीलिए तो बकरी को 'गरीबों की गाय' कहते हैं।

मांस और दूध के अतिरिक्त बकरी के बालों से नमदे, कम्बल आदि भी बनते हैं। बकरी का चमड़ा पतला होता है अतः उसके बने जूते बड़े हल्के होते हैं।

ऊँट—राजस्थान के शुष्क मरुस्थली प्रदेश में लोगों का एक मात्र सहारा ऊँट है। जहां न रेल है और न सड़क वहां ऊँट की पीठ पर ही माल ढोते हैं। इसीके द्वारा लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँच जाते हैं। ऊँट का सब से बड़ा गुण यह है कि यह कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। इसके गद्दीदार पाँव भी रेत में धसते नहीं। रेतीले भाग में ऊँट की उपयोगिता को देखते हुए ही बहुत से लोग इसे 'मरुस्थल का जहाज' कहते हैं। जैसलमेर और शिव के ऊँट बड़े प्रसिद्ध हैं।

ऊँट के बालों से नमदे और दरियाँ बनाई जाती हैं। इसके चमड़े से कुप्पे बनाते हैं जो तेल, घी और इत्र डालने में काम में आते हैं।

सन् १९५१ की पशु-गणना के अनुसार राजस्थान में ऊँटों की संख्या ३,३९,०९३ है।

अन्य पशु—गाय के अतिरिक्त दूध के लिये भैंस भी पाली जाती है। भैंसा कई जगह हल जोतने तथा गाड़ी खींचने में काम आता है। नगरों में तांगे चलाने के लिये घोड़े काम में आते हैं। देहातों में भी घोड़े सवारी के काम में आते हैं। पहाड़ी भाग में टट्टू अधिक काम में आते हैं। राजस्थान के प्रायः सभी स्थानों में बोझे को उठाने में गधे तथा खच्चर काम में लिये जाते हैं।

राज्य में भैंसों की संख्या ५,६१,३८२ हैं। भैंसे कुल मिला कर २३,६३, ८६६ है। घोड़ों की संख्या १,२४,८४७ है। गधे २,०८,६९३ है और खच्चर ३,७९३ हैं।

पशु मेले

राजस्थान में पशु-धन का अधिक महत्व है। बहुत से लोग पशुओं पर ही अपना जीवन-निर्वाह करते है। कुछ विशेष जाति के लोग तो पशु-पालना ही अपना मुख्य धंधा मानते हैं। जिस मनुष्य के पास जितने अधिक पशु हो वह उतना अधिक धनवान गिना जाता है।

पशुओं की क्रय-विक्रय के लिए राज्य में कई जगह पशु-मेले लगते हैं। ऐसे अवसरों पर लोग अपने अपने पशु एकत्रित करते हैं। उत्तम कोटि के पशुओं का मूल्य अधिक होता है। अच्छे पशु पालने वालों को सरकार की ओर से पुरस्कार मिलता है।

जोधपुर डिवीजन के नागौर, परबतसर और तिल्वाड़ा स्थान में पशु मेले लगते हैं। नागौर के मेले में बैल अधिक आते हैं। तिलवाड़े में ऊँटों की बिक्री अच्छी होती है। जयपुर डिवीजन में अलवर, भरतपुर और धौलपुर के पशु-मेले प्रसिद्ध हैं। बीकानेर डिवीजन में भी पशु-मेले लगते हैं।

आर्थिक दृष्टिकोण से राजस्थान में पशु-मेलों का बड़ा महत्व है। पशुओं के मालिकों को अच्छी रकम मिलती है। पशुओं की बिक्री से सरकार को भी अच्छी आय होती है।

अध्याय ६

जन–संख्या

पहले बताया जा चुका है कि राजस्थान एक विस्तृत राज्य है। मध्य प्रदेश को छोड़ कर यह भारत का सब से बड़ा राज्य है। अपने पड़ोसी मध्य भारत से राजस्थान का क्षेत्रफल तीन गुने से कुछ ही कम है। जहां तक विदेशों का सम्बन्ध है, राजस्थान यूरोप के इटली, हंगेरी, आस्ट्रिया, नार्वे आदि में से प्रत्येक के लगभग बराबर है। ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल भी राजस्थान के बराबर ही है। इतना अधिक विस्तार होने पर भी राजस्थान की जन-संख्या इन सब ही भारतीय राज्यों तथा विदेशों की तुलना में कम है।

पिछली मनुष्य गणना (सन् १९५१) के अनुसार राजस्थान की कुल जन–संख्या १,५२,९०,७९७ है। उससे पहले की गणना सन् १९४१ में हुई जिसके अनुसार हमारे यहां की आबादी १,३६,७०,२०८ थी। इस प्रकार इन दस वर्षों में यहां की आबादी में १६,२०,५८९ की वृद्धि हुई। यहां की जन–संख्या में वृद्धि निरन्तर होती रहती है परन्तु समूचे राज्य के क्षेत्रफल को देखते हुए कुल आबादी कम है।

राजस्थान के विभिन्न भागों में जन–संख्या का वितरण एकसा नहीं है जैसा कि निम्न तालिका से ज्ञात होता है:—

क्रम संख्या	प्राकृतिक विभाग का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीलों में)	राज्य के समूचे क्षेत्र का प्रतिशत	कुल जन-संख्या	संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिशत
१	राजस्थान का शुष्क प्रदेश	७५,३०९·५	५७·८	४६,०३,७८४	३०
२	पूर्वी मैदान	३०,३६२·६	२३·३	६५,८५,३६७	४३
३	पठारी भाग	१२,४६५·९	९·६	२०,०८,२५०	१३
४	पहाड़ी भाग	१२,०४८·७	९·३	२०,९३,३९६	१४
	सम्पूर्ण राजस्थान	१३०,२०६·७	१००	१,५२९०,७९७	१००

इस प्रकार क्षेत्र फल के अनुसार राजस्थान का शुष्क प्रदेश सर्व प्रथम है परन्तु कुल जन-संख्या के अनुसार उसका दूसरा स्थान है। पूर्वी मैदान क्षेत्र-फल में शुष्क प्रदेश के आधे भाग से भी कम है परन्तु वहां की आबादी अधिक है। राज्य के पठारी और पहाड़ी भागों के क्षेत्रफल और आबादी के अनुपात में विशेष अन्तर नहीं है।

एक ही प्राकृतिक भाग में भी सब जगह जन-संख्या का वितरण एकसा नहीं होता। नगरों में गांवों की अपेक्षा अधिक मनुष्य रहते हैं। असिंचित भूमि की अपेक्षा सिंचाई की जाने वाले क्षेत्र में अधिक मनुष्य रहेंगे। ऐसा होने से किस प्रदेश में जन-संख्या घनी है और किस में कम इस बात का ठीक अन्दाज नहीं लगता। इसी कारण जन-संख्या के समान वितरण को ज्ञात करने के लिये औसत प्रति वर्ग मील की आबादी मालूम की जाती है। जन-संख्या के इस प्रकार के वितरण को आबादी का घनत्व कहते हैं।

राजस्थान के प्राकृतिक विभागों का घनत्व इस प्रकार है

क्रम संख्या	प्राकृतिक विभाग	जन-संख्या का घनत्व
१	शुष्क प्रदेश	६१
२	पूर्वी मैदान	२१७
३	पठारी भाग	१६१
४	पहाड़ी भाग	१७५
५	समूचा राजस्थान	११७

इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी मैदान में जन-संख्या का घनत्व सब से अधिक है। द्वितीय स्थान पहाड़ी भाग का है। तृतीय स्थान पठारी विभाग का है। घनत्व के अनुसार राजस्थान का शुष्क प्रदेश का स्थान सब से अन्त में आता है जबकि क्षेत्रफल के अनुसार वह सब से बड़ा प्रदेश है। समूचे राजस्थान में औसत वर्ग मील में ११७ मनुष्य रहते हैं।

राजस्थान के प्रत्येक प्राकृतिक भाग में भी सभी स्थानों में जन-संख्या का घनत्व एक सा नहीं है। नीचे राजस्थान के चारों प्राकृतिक विभागों के जिलों में आबादी के घनत्व के आंकड़े दिए जाते हैं:—

(अ) राजस्थान का पूर्वी मैदान

नाम जिला	जन संख्या का घनत्व
१–जयपुर	२६३
२–टोंक	११२
३–सवाई माधोपुर	१८२
४–भरतपुर	२९०
५–अलवर	२६६
६–झूंझूनूं	२५५
७–सीकर	२३०
८–भीलवाड़ा	१५६

इस मैदान के भरतपुर जिले में प्रति औसत वर्ग मील में २९० मनुष्य रहते हैं। द्वितीय स्थान अलवर का है जहां का घनत्व २६६ है। तृतीय स्थान जयपुर जिले का है। वहां एक औसत वर्ग मील में २६३ मनुष्य रहते हैं। सब से कम घनत्व टोंक जिले का है जहां प्रति औसत वर्ग मील में, ११२ मनुष्य रहते हैं।

भरतपुर और अलवर में समतल भूमि होने तथा सिंचाई के साधन उपलब्ध होने के कारण आबादी का घनत्व अधिक है। टोंक में समतल भूमि कम है अतः वहां कम लोग रहते हैं।

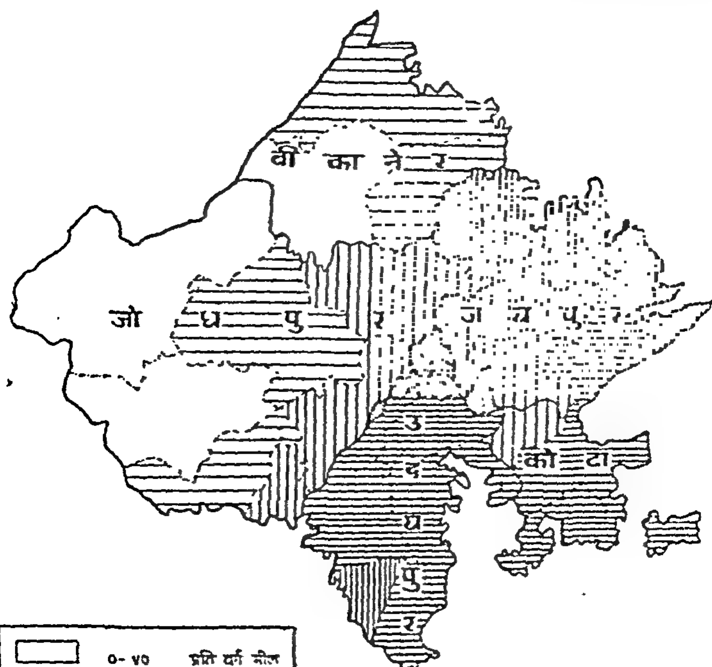
(आ) राजस्थान का शुष्क मरुस्थली प्रदेश

नाम जिला	घनत्व
१–बीकानेर	३९
२–चूरू	८०
३–गंगा नगर	७७
४–जोधपुर	७३
५–बाड़मेर	४३
६–जालोर	९३
७–पाली	१३९
८–नागौर	१११
९–जैसलमेर	६

इस प्रदेश में पाली जिले का घनत्व सब से अधिक है जहां औसत वर्ग मील में १३९ मनुष्य निवास करते हैं। नागौर का द्वितीय स्थान है जहां का

राजस्थान

जनसंख्या का घनत्व





घनत्व १११ है। पाली में अच्छी वर्षा होने तथा सिंचाई के साधन होने के कारण खेती में सुविधा है। नागौर जिले के कई भागों में सिंचाई के साधन हैं। गंगानगर जिले में सन् १६०१ में जन-संख्या का घनत्व १७ था। पिछले ५० वर्षों में घनत्व चार गुने से भी अधिक हो गया। इसका मुख्य कारण वहां सिंचाई की नहरों का होता है। वहां का घनत्व और अधिक बढ़ने की संभावना है। जैसलमेर जिला मरुस्थल होने के कारण वहां का घनत्व सब से कम है।

(इ) पहाड़ी प्रदेश

नाम जिला	आबादी का घनत्व
१—उदयपुर	१७१
२—डूंगरपुर	२१०
३—बांसवाड़ा	१८२
४—सिरोही	१४२

डूंगरपुर जिले में औसत मील में २१० मनुष्य रहते हैं। वहां राजस्थान में सब से अधिक वर्षा होने के कारण खेती अच्छी होती है। यदि पहाड़ी भूमि न होती तो आबादी का घनत्व वहां और अधिक होता। सिरोही में प्रति औसत वर्ग मील में १४२ मनुष्य रहते हैं। कम वर्षा और पथरीली भूमि वहां कम घनत्व के मुख्य कारण हैं।

(ई) पठारी भाग

नाम जिला	घनत्व
१—कोटा	१६०
२—बूँदी	१३१
२—झालावाड़	१६२
४—चित्तौड़गढ़	१८३

पठारी जिलों की आबादी के घनत्व को देखने से ज्ञात होता है कि सब से अधिक घनत्व चित्तौड़ जिले का है। वहां प्रति औसत वर्ग मील में १८२ मनुष्य रहते हैं। अन्य जिलों की तुलना में वहां की भूमि अधिक समतल है अतः खेती की सुविधा होने के कारण वहां की आबादी का घनत्व अधिक है।

इस प्रकार राजस्थान में जिलों के अनुसार सब से अधिक आबादी का घनत्व भरतपुर जिले का है और सब से कम घनत्व जैसलमेर में है। भरतपुर राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में है जहां की आबादी का घनत्व राज्य के प्राकृतिक भागों में सब से अधिक है। इसी भाँति जैसलमेर राजस्थान के शुष्क प्रदेश में है जहाँ का घनत्व प्राकृतिक भागों में सब से कम है।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है राजस्थान 'ख' श्रेणी के राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार सब से बड़ा है। कुल आबादी के अनुसार भी उन राज्यों

में राजस्थान का दूसरा स्थान है। परन्तु जहां तक आबादी के घनत्व का प्रश्न है, 'ख' श्रेणी के राज्यों में राजस्थान का घनत्व सब से कम है। निम्नलिखित तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है:—❀

'ख' श्रेणी के राज्य

क्रम संख्या	राज्य का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीलोंमें)	जन संख्या (सन् १९५१)	जन संख्या का घनत्व
१.	राजस्थान	१३०,२०७	१,५२,९०,७९७	११७
२.	हैदराबाद	८२,१६८	१,८६,५५१	२२७
३.	मध्य भारत	४६,४७८	७९,५४,१५४	१७१
४.	मैसूर	२९,४५१	९०,७४,९७२	३०८
५.	सौराष्ट्र	२१,४५१	४१, ३७, ३५९	१९३
६.	पटियाला-पू. पं. सं.	१०,०७८	३४,९३, ६८५	३४७
७.	ट्रावनकोर कोचीन	९,१४४	९२, ८०, ४५२	४८४

आबादी का घनत्व मिट्टी के उपजाऊपन, वर्षा की मात्रा, सिंचाई के साधन, खनिज पदार्थों की प्राप्ति, यातायात की सुविधा, व्यापारिक केन्द्र आदि कई बातों पर निर्भर रहता है। परन्तु राजस्थान के लगभग दो-तिहाई मनुष्य कृषि पर ही अपना जीवन-निर्वाह करते हैं अतः यहां अधिक मनुष्य वहीं रहेंगे जहां की भूमि समतल हो, मिट्टी उपजाऊ हो, वर्षा अच्छी हो या जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हो। यही कारण है कि हमारे यहां आबादी का घनत्व पूर्वी मैदान में सब से अधिक है और उत्तरी-पश्चिमी शुष्क प्रदेश में सब से कम है।

लोगों के धन्धे

राजस्थान के अधिकांश मनुष्य खेती करके अपना जीवन-निर्वाह करते हैं। कुछ लोग अन्य प्रकार के धंधे भी करते हैं जिनमें उद्योग, व्यापार आदि हैं। राज्य के विभिन्न भागों में लोगों के धंधे इस प्रकार हैं:—‡

❀ Monthly Abstract of Statistics, Rajasthan, June, 1952

‡ Census of India—Volume X. Rajasthan & Ajmer—Part I A—p. 108

प्राकृतिक भाग	खेती के कार्य में लगे हुए (प्रतिशत)	अन्य धंधों में लगे मनुष्य (प्रतिशत)
राजस्थान का पूर्वी मैदान	६६.८	३०.२
राजस्थान का शुष्क प्रदेश	६८.७	३१.३
राजस्थान का पहाड़ी भाग	७७.४	२२.६
राजस्थान का पठारी भाग	७२.५	२७.५

इस प्रकार राज्य में सब जगह खेती करने के धंधे की प्रधानता है। यहां के लोगों के धंधों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है:—

१—कृषि — समूचे राजस्थान में खेती करने वाले लोगों की विवेचना करने से ज्ञात होता है कि राजस्थान के ६७.६ प्रतिशत मनुष्यों का जीवन-निर्वाह खेती द्वारा ही होता है। खेती पर गुजारा करने वाले व्यक्ति चार विभागों में बाँटे जा सकते हैं।

(अ) अपने स्वयं की भूमि पर खेती करने वाले किसान।
(आ) वे मनुष्य जो दूसरों की भूमि पर खेती करते हैं।
(इ) खेतों में काम करने वाले मजदूर।
(ई) भूमि के स्वामी जो स्वयं खेती नहीं करते हैं।

इनमें प्रथम श्रेणी के अर्थात् वे मनुष्य जो अपने स्वयं की भूमि पर खेती करते हैं अधिक हैं। राजस्थान की सम्पूर्ण जन-संख्या के ४३% निवासी ऐसे ही व्यक्ति हैं। २२.८६% मनुष्य ऐसे हैं जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं। खेतों में मजदूरी करने वाले ३% मनुष्य हैं। वे मनुष्य जो भूमि के स्वामी हैं परन्तु खेती नहीं करते, कुल जन-संख्या का १.६% हैं।

सुविधा के अनुसार देखा जाय तो राज्य के पूर्वी मैदान में खेती अच्छी होती है। पहाड़ी भूमि और पठारी भाग में जहां बीच बीच में छोटे मैदान हैं या जहां नदियों की घाटियाँ आ गई हैं वहां खेती अच्छी हो जाती है, शुष्क प्रदेश में पानी के अभाव के कारण खेती की पैदावार सब से कम होती है।

२—अन्य प्रकार का उत्पादन— खेती के अतिरिक्त सम्पूर्ण राजस्थान के लोगों में से १२% निवासी ऐसे हैं जो विभिन्न प्रकार का उत्पादन करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इस प्रकार के लोग दो श्रेणियों के हैं-(अ) गांवों में रहने वाले और (आ) नगरों में रहने वाले। गांवों में रहने वाले पशु-पालन, ऊन व्यवसाय, फल तथा सब्जी का उत्पादन करना, वनों के उत्पादन आदि पर निर्भर रहते हैं। नगरों में रहने वाले व्यक्ति कई प्रकार के छोटे बड़े कारखानों में कई प्रकार की वस्तुएँ तैयार करते हैं।

३—व्यापार—राजस्थान की कुल जन-संख्या का ५.४ प्रतिशत व्यापार में लगा हुआ है। वैसे यहां के व्यापारी बड़े प्रसिद्ध हैं परन्तु उनमें से अधिकांश भारत के अन्य भागों में व्यापार करते हैं। राजस्थान में व्यापार करने वाले व्यापारियों की सब से अधिक संख्या राज्य के शुष्क प्रदेश में है वहां प्रति हजार व्यक्तियों में ७७.३ व्यापारी हैं। इस भाग में कम उत्पादन तथा यातायात के साधनों में सुविधा न होने के कारण व्यापारियों को सुदूर स्थान में माल पहुँचाने की आवश्यकता पड़ी। सब से कम व्यापारी पठारी भाग में हैं। वहां १००० में ५२ मनुष्य व्यापार करते हैं।

४—यातायात—राजस्थान में वास्तव में यातायात के साधनों की कमी है अतः यातायात सम्बन्धी कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी कम है। राज्य की कुल जन-संख्या का ०.७% इस कार्य में लगा हुआ है। इस श्रेणी के व्यक्तियों में रेलों, मोटरों, तांगों आदि पर काम करने वाले व्यक्ति मुख्यतः गिने जाते हैं। इनके अतिरिक्त ऊँट, बैल गाड़ी, भैंसा गाड़ी, गधे, खच्चर आदि द्वारा भी माल ढोया जाता है।

माल और सवारियों को लाने लेजाने में लगे हुए सब से अधिक व्यक्ति राजस्थान के शुष्क प्रदेश में मिलेंगे। वहां की कुल आबादी के १.६% मनुष्य इसी धंधे में लगे हैं। इस भाग में जोधपुर में रेल-विभाग के कारण ऐसे लोगों की संख्या अधिक है। राजस्थान के पूर्वी मैदान में कुल जन-संख्या के ०.८६% व्यक्ति इस धंधे में लगे हैं। वहां रेल मार्ग अधिक हैं और सड़कें भी पर्याप्त हैं। पहाड़ी भाग में ऐसे लोगों का प्रतिशत ०.५६ है और पठारी भाग में ०.४२ है। पहाड़ी और पठारी भूमि होने के कारण वहां यातायात के साधनों की नितान्त कमी है।

५—अन्य व्यवसाय—इस श्रेणी में वे लोग हैं जो राज्य की नौकरी तथा अन्य सामाजिक सेवाओं में लगे हुए हैं। राजस्थान की कुल आबादी के १४% मनुष्य ऐसे व्यवसायों में लगे हुए हैं। ऐसे मनुष्यों की अधिकांश संख्या राजस्थान के पूर्वी मैदान में है। वहां पर राज्य की राजधानी जयपुर नगर स्थित है अतः राज्य के विभिन्न विभागों में कई कर्मचारी काम करते हैं। द्वितीय-स्थान शुष्क प्रदेश का है। वहां पर जोधपुर नगर है जहां पर हाईकोर्ट तथा अन्य महकमों में बहुत से कर्मचारी काम करते हैं। तीसरा स्थान पठारी भाग का है। अन्तिम स्थान पहाड़ी भाग का है जहां की कुल आबादी का ६.२८% ऐसे कार्यों में लगा हुआ है।

ग्रामीण तथा शहरी जन-संख्या

ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है कि राजस्थान के अधिकांश लोगों का धंधा खेती करना है। खेतों में काम करने वाले लोग गांवों में रहते हैं। यही कारण है कि हमारे यहां के अधिकांश मनुष्य ग्रामीण हैं। राज्य की कुल जन-संख्या में से १,२६,४१,४३० मनुष्य गांवों में रहते हैं अर्थात् ग्रामीण जन-संख्या का प्रतिशत ८२.७ है। शेष २६,४६,३६७ मनुष्य अर्थात् कुल जन-संख्या का १७.३% नगरों में रहता है।

राजस्थान के विभिन्न राजनैतिक विभागों में ग्रामीण और शहरी जनता का प्रतिशत इस प्रकार है:—

नाम डिवीजन	ग्रामीण जन-संख्या का प्रतिशत	शहरी जन-संख्या का प्रतिशत
१—जयपुर	८०.०	२०.०
२—जोधपुर	८४.७	१५.३
३—उदयपुर	८६.६	१०.१
४—बीकानेर	७१.४	२८.६
५—कोठा	८४.६	१५.५

गांवों में रहने वालों की संख्या सब से अधिक उदयपुर डिवीजन में है। पहाड़ी भूमि होने के कारण वहां की बस्ती बिखरी हुई अवस्था में है अतः गाँव अधिक हैं। नगरों में रहने वालों की संख्या बीकानेर डिवीजन में अधिक है। वहां धनाढ्य लोगों की बस्तियाँ अधिक हैं अतः लोग कस्बों या नगरों में रहना सुरक्षित समझते हैं।

जयपुर, जोधपुर और बीकानेर राजस्थान के ऐसे तीन नगर हैं जिनकी जन-संख्या एक लाख से अधिक है। उदयपुर, कोटा और अलवर में से प्रत्येक की जन-संख्या ५० हजार से अधिक है। दस हजार से कम जन-संख्या वाले कस्बों की कुल संख्या ३५ है। छोटे मोटे कस्बों की कुल संख्या २१२ है। राज्य में गांवों की कुल संख्या ३१,२८४ है।

आजकल कई लोग गांव छोड़ कर नगरों या कस्बों में जाकर बसने लगे हैं। यही कारण है कि कस्बों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। सन् १६०१ में यहां १२३ कस्बे थे। सन् १६२१ में कस्बों की संख्या ३१२ हो गई। गांवों की अपेक्षा कस्बों में लोगों को अधिक सुविधा मिलने लगी है। यदि यही गति रही तो हमारे गांवों की जन-संख्या कम होती जायगी। इस गति को रोकने के लिये गांवों में जीवन-सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिये जिससे लोग गांवों को छोड़कर कस्बों में न बसें।

राजस्थान में जन-संख्या की विशेषताएँ

१—राजस्थान में जन-संख्या का वितरण समान नहीं है। जयपुर तहसील में प्रति वर्ग मी० का घनत्व १६६ है तो जैसलमेर में कई जगह एक वर्ग मील में ५ मनुष्यों से भी कम पाए जाते हैं।

२- राजस्थान का एक बड़ा भाग मरुस्थल है। यदि वहां सिंचाई का प्रबन्ध हो सके तो हमारे यहां जन-संख्या की वृद्धि की समस्या जटिल नहीं हो सकती। भूमि हमारे यहां पर्याप्त है।

३- राज्य के अधिकांश लोग खेती पर ही अपना जीवन-निर्वाह करते हैं। यही कारण है कि हमारे यहां के अधिकांश लोग गांवों में ही रहते हैं।

४—ग्रामीण जनता का आधिक्य होने के कारण राज्य में ग्रामोद्योगों का विकास करना आवश्यक है।

५—शुष्क प्रदेश में खेती के अभाव में पशु-पालन पर विशेष जोर दिया जाना चाहिये।

६—आजकल गांवों के लोग नगरों और कस्बों में जाकर बसने लगे हैं। इस गति को रोका जाय

७—पहाड़ी भाग में लोगों के जीवन-स्तर को बढ़ाने के लिये खनिज सम्पत्ति के विकास की ओर ध्यान दिया जाय।

८—किसानों की माली अवस्था ठीक करने के लिये सिंचाई के साधनों में वृद्धि की जाय।

९—मरुस्थल के बढ़ने को रोकने के लिये अधिक वन लगाने की आवश्यकता है।

१०—जागीरी-उन्मूलन से राज्य के अधिकांश किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने की संभावना है।

———

अध्याय ७.

सिंचाई के साधन

सिंचाई की आवश्यकता—राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है, कृषि की सफलता के लिए भूमि में यथेष्ट नमी होनी चाहिये, जिससे पौधे उग सकें और बढ़ सकें। भूमि में नमी का प्राकृतिक साधन वर्षा है। दुर्भाग्य से वर्षा की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत खराब है। जहाँ समस्त भारत में वर्षा का वार्षिक औसत ४५" है वहाँ राजस्थान में यह २५" से भी कम है। इस निम्न औसत वर्षा का वितरण भी राज्य भर में समान नहीं है। राज्य के दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी भागों में तो वर्षा फिर भी ठीक होती है परन्तु उत्तर और पश्चिम के भागों में वर्षा का औसत ४" से २०" तक है और सिंचाई के कृत्रिम साधनों के अभाव में सफल कृषि असम्भव हो जाती है।

राज्य के कई स्थानों में वर्षा का औसत तो काफी ऊँचा है परन्तु वर्षा का होना निश्चित नहीं है। किसी वर्ष अच्छी वर्षा हो जाती है तो किसी वर्ष बहुत कम वर्षा होती है। कभी कभी वर्षा ऋतु के आरम्भ में अच्छी वृष्टि हो जाती है तो बाद में कई दिनों तक बून्द भी नहीं पड़ती और खेत में बोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है। प्रायः राज्य में प्रति वर्ष कहीं न कहीं ऐसा होता ही रहता है और प्रति वर्ष अकाल सहायता करनी पड़ती है। इन कम वर्षा और अनिश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों को अकाल के भय से बचाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता है।

राजस्थान में उत्तर भारत की भांति वर्षा का समय प्रायः जून से अक्तूबर तक होता है। यहाँ शरद ऋतु में बहुत कम वर्षा होती है और मार्च से मई-जून तक के महिने अत्यन्त गरम और सूखे होते हैं। फल स्वरूप राज्य में खरीफ की फसल तो प्रायः अच्छी हो जाती है परन्तु सिंचाई के साधनों के अभाव में रबी की फसल नहीं हो सकती। हमारे देश की बढ़ती हुई जन संख्या के लिए यथेष्ट अन्न उत्पन्न करने के लिए दोनों फसलें उगाना आवश्यक है और दोनों फसलें उगाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता है।

ईख, चावल इत्यादि कुछ उपजें ऐसी हैं जिनमें निरन्तर और पर्याप्त जल-पूर्ति की आवश्यकता होती है जो प्रकृति से अप्राप्य है। इन फसलों की खेती के लिए भी सिंचाई की आवश्यकता होती है।

सिंचाई के लाभ—हम देख चुके हैं कि राजस्थान के सूखे और रेतीले मैदानों में खेती करने के लिए सिंचाई की बड़ी आवश्यकता है। सिंचाई के साधनों के विकास से राजस्थान को निम्नांकित लाभ होने की आशा है:–

(१) सिंचाई के साधनों के विकास से उत्तरी-पश्चिमी राजस्थान के विस्तृत मैदानों में खेती संभव हो सकती है जहाँ पर प्राकृतिक जलवृष्टि खेती के लिए अपर्याप्त होती है। गंगानगर के नहरी क्षेत्रों का ज्वलन्त उदाहरण हमारे सामने है। यदि इसी प्रकार सिंचाई के साधनों का विकास हो सके तो राजस्थान के विस्तृत सूखे और रेतीले मैदान लहलहाते हुये खेतों में बदले जा सकते हैं।

(२) सिंचाई के साधनों द्वारा राज्य के उन क्षेत्रों में जहाँ वर्षा का औसत ऊँचा है परन्तु वर्षा अनिश्चित है स्थिर और सफल खेती सम्भव हो सकती है।

(३) राज्य में अल्पवृष्टि या अनावृष्टि के कारण उत्पन्न होने वाले बार बार के अकालों से सिंचाई के साधन हमारी रक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार राजस्थान में सिंचाई के साधनों का विकास अकाल के विरुद्ध बीमा कराने की भांति है।

(४) सिंचाई के साधनों के विकास से प्रति वर्ष दो या अधिक फसलें उगा कर अधिक अन्न, कच्चा माल, शाक, फल, चारा इत्यादि पैदा किए जा सकते हैं।

(५) सिंचाई के साधनों की सहायता से ईख, चावल आदि फसलें उगाई जा सकती है जिनके लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है।

(६) सिंचाई के साधनों के उपलब्ध होने पर अकृषित भूमि पर भी खेती की जा सकती है। इस प्रकार अधिक भूमि पर खेती हो सकती है।

(७) सिंचाई के साधनों से गहरी-खेती सम्भव होती है जिससे प्रति एकड़ अधिक उत्पत्ति प्राप्त होती है।

(८) सिंचाई से केवल उत्पत्ति की मात्रा ही नहीं बढ़ती, फसल की उत्तमत्ता भी बढ़ जाती है।

(९) नहरों और तालाबों द्वारा की जाने वाली सिंचाई की एक विशेषता यह है कि इससे भूगर्भ-जल-स्तर ऊँचा उठ जाता है जिससे भूमि की उर्वरता में वृद्धि होती है, समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित कुओं में जल की मात्रा

बढ़ जाती है और नये कुएँ सुगमता पूर्वक और अल्पव्यय में खोदे जा सकते हैं।

(१०) राज्य में सिंचाई के साधनों के विकास से एक लाभ यह भी है कि इससे सरकारी आय में प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार से वृद्धि होती है। सरकारी नहरों, तालाबों, कुओं और झरनों से सिंचाई के लिए जो पानी दिया जाता है उससे सरकार को जल-कर की प्राप्ति होती है और यदि अधिक भूमि जोती जाती है तो सरकार को अधिक लगान मिलता है। इसके अतिरिक्त जब खेती की उत्पत्ति में वृद्धि होती है तो लगान की दरें भी बढ़ाई जा सकती है। जब जनता का जीवन-स्तर ऊँचा उठता है तो अन्य करों से प्राप्त होने वाली आय में भी वृद्धि होती है।

सिंचाई के साधनों का वर्गीकरण:—राजस्थान में सिंचाई के साधन मुख्यतः तीन प्रकार के हैं, तथा—

(१) कुएँ, (२) तालाब और (३) नहरें।

कुएँ—राजस्थान में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कुएँ हैं। यहाँ के कुओं से २० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है जो कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग ६०% है। कुएँ खोदने के लिए पानी की ऊँची सतह और मुलायम भूमि उपयुक्त होती है। यदि भूगर्भ जल की सतह नीची हो तो बहुत गहरे कुएँ खोदने पड़ते हैं और पानी निकालने में कठिनाई होती है। राज्य के जिन भागों में पानी की प्रचुरता है वहाँ २०' से ३०' फुट पर पानी मिल जाता है परन्तु जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर के कई भागों में ३००' से ४००' फुट तक गहरे कुएँ खोदने पड़ते हैं।

कुओं से पानी निकालने के साधनों में भी विभिन्नता पाई जाती है। यदि कुएँ का पानी लगभग १५' फुट तक गहरा हुआ तो ढेकली काम देती है अन्यथा चरस या रहँट द्वारा बैलों की सहायता से पानी निकाला जाता है। पिछले कुछ वर्षों से बैलों की जगह तेल के इन्जन या बिजली द्वारा चलने वाले यन्त्र भी लगाये गये हैं। सन् १९५१ की गणना के अनुसार राज्य में १२६८ तेल के इन्जन और ३३३ बिजली के पम्प थे।

अधिकांश कुएँ किसानों या जागीरदारों की निजी सम्पत्ति होते हैं। सरकार कुएँ खोदने के लिए तकावी बाँटती है। राजस्थान सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में रहँट, इन्जनों और बिजली से चलने वाले पम्पों का प्रयोग बढ़ाने के लिए ६.२५ लाख रुपए तकावी के रूप में देने की व्यवस्था है। जो किसान आधी लागत अपने पास से लगा सकता है

उसको आधी रकम सरकार की ओर से तकावी के रूप में दी जाती है।※ इसके अतिरिक्त कुओं की मरम्मत, चट्टान तोड़ने और बोरिंग के लिए सरकार २५ लाख रुपया बतौर कर्ज के देगी ताकि काफी तादाद में कुएँ बन सकें और पैदावार भी बढ़ सकें।*

राजस्थान में नल-कूप—उत्तर प्रदेश में नल-कूपों (tube wells) के सफल प्रयोग से प्रभावित होकर राजस्थान में भी इनके विकास की इच्छा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। कुछ लोगों का विश्वास है कि उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान के विस्तृत रेतीले मैदानों के नीचे भूगर्भ में एक गुप्त नदी बहती है और नल-कूपों द्वारा इस नदी का पानी सिंचाई के काम में लिया जा सकता है। यदि ऐसा हो तो इस मरुस्थल देश में जल की समस्या पर विजय पाई जा सकती है। परन्तु विशेषज्ञों ने यह विश्वास भ्रमात्मक और त्याग ने योग्य बतलाया है। सन् १९३९-४० में भूतपूर्व जोधपुर राज्य में नल-कूपों द्वारा भूगर्भ जल का उपयोग करने की सम्भावना की जांच करने के लिए राज्य की सरकार ने उत्तर प्रदेश में नल-कूपों के सफल प्रवर्त्तक सर विलियम स्टैम्पी की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने समस्या की पूर्ण जांच करके यह नतीजा निकाला कि मारवाड़ में नल-कूपों द्वारा सिंचाई की कोई संभावना नहीं है अतएव मारवाड़ में खेती को जो कुछ थोड़ा पानी तालाबों या खुले कुओं से प्राप्त हो सकता है उसी पर आश्रित रहना पड़ेगा। ‡ परन्तु समिति की राय थी कि बीकानेर राज्य में इस प्रकार के कुओं की संभावना है। यद्यपि समिति ने दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान की स्थिति की जांच नहीं की थी, परन्तु समिति द्वारा संग्रहित प्रमाणों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि राज्य के इस भाग में भूगर्भ जल भंडार की अधिक संभावना हो सकती है

राजस्थान के निर्माण के पश्चात सरकार का भूगर्भ जल की ओर पुनः ध्यान गया है। नल-कूप बनाने का कार्य विशेष क्षेत्रों में चालू किया गया है।

※ पहिली पंचवर्षीय योजना (राजस्थान) : साहित्य विभाग—सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय : जयपुर पृ० १४।

* यही पृ० १७।

‡ Goverment of Jodhpur : Committee of Enquiry into the Possibility of Improving the Underground Water Supplies of Marwar : Report on the Proccedings & Findings by Sir Willam Stampe and Members of the Committce (1939-40) Pages 18, 40.

भारत सरकार की सहायता से जोधपुर में भूगर्भ-स्थित-जल-भंडार की पुनः जाँच करने के लिए भूगर्भ-जल-मंडल (underground water Board) की स्थापना की गई है और राज्य सरकार इस कार्य के लिए ५० हजार रुपए प्रतिवर्ष व्यय कर रही है। उक्त मंडल के प्रयोग अब तक विशेष सफल नहीं हुये हैं। हमारा मत है कि स्टैम्पी समिति के निश्चित मत के पश्चात मारवाड़ में इस दिशा में अधिक संभावना नहीं हैं और उत्तरी बिकानेर, तथा दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान में इस प्रकार के प्रयोगों की सफलता की अधिक आशा की जा सकती है।

स्टैम्पी समिति की एक और महत्वपूर्ण सिफारिश उल्लेखनीय है। कुओं से नलों द्वारा पानी निकालने के लिए समिति ने पश्चिमी राजस्थान में चलने वाली गरम वायु 'लू' का उपयोग करने की सिफारिश की है। कुओं में पानी की कमी, कुओं की गहराई और लम्बे नलों की आवश्यकता, तेल के इंजनों की बार बार की टूट फूट और सड़कों के अभाव में इंजनों की मरम्मत की कठिनाइयों और इंजनों और तेल की ऊँची लागत को देखते हुये समिति ने तेल के इंजनों को अव्यावहारिक बतलाया है। यही बातें बिजली से चलने वाले पम्पों के लिए लागू हैं। अतएव वायु-चक्रों द्वारा कुओं से पानी निकालने का सुझाव विचारणीय है।

(२) तालाब—कुओं के बाद राजस्थान में सिंचाई का सब से बड़ा साधन तालाब हैं।

राजस्थान की भूमि की बनावट और जलवायु तालाबों के निर्माण के लिए उपयुक्त है। हम देख चुके हैं कि राज्य के अनेक भागों में चट्टानें होने से और भूगर्भ जल के स्थायी प्रवाह के अभाव में कुएँ खोदने में बड़ी कठिनाई होती है और व्यय भी अधिक होता है। राज्य की अधिकांश नदियाँ केवल बरसाती नदियाँ हैं और अधिकांश भूमि ऊबड़-खाबड़ है इसलिए स्थायी या दवामी नहरें भी यहाँ नहीं बनाई जा सकती हैं। परन्तु धरातल और जलवायु की ये विशेषताएँ तालाब बनाने के लिए बहुत उपयुक्त हैं। यही कारण है कि राजस्थान में छोटे बड़े कई तालाब हैं। इनमें से कुछ तालाब तो बहुत प्राचीन हैं और इन पर हजारों वर्ष पुरानी प्रशस्तियाँ खुदी हुई पाई जाती हैं। मोटे तौर पर हम तालाबों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो ऐसे तालाब हैं जो सिंचाई के काम आते हैं और दूसरे, जिनको धर्म तालाब कहते हैं, ऐसे जो केवल पशुओं के पानी पीने और मनुष्यों के नहाने धोने के काम आते है। बड़े तालाब प्रायः राजा महाराजाओं या जागीरदारों द्वारा अकाल-सहायता या सिंचाई की दृष्टि से बनाये गये हैं। परन्तु गावों में अनेक छोटे छोटे

पंचायती तालाब भी हैं जो स्थानीय जनता ने मिलकर बनाये हैं। दुर्भाग्य से अनेक तालावों में मिट्टी भर गई है और कई टूट-फूट गये हैं। अतएव इनको खुदवाने और मरम्मत कराने की आवश्यकता है। साथ ही अनेक ऐसे स्थान हैं जो बड़े तालाब बनावाने के लिए बहुत उपयुक्त हैं। परन्तु का कारणों से उन पर कार्य नहीं हो सका है। अतएव यह आवश्यक है कि स्था स्थान पर ऐसे वान्ध या तालाब बना दिये जावें जिससे वरसात का पानी बह कर निरर्थक नहीं जावे और पीने या सिंचाई के काम आ सके।

(३) **नहरें**:—हम वतला चुके हैं कि राजस्थान की प्राय: सभी नदि केवल बरसाती नदियाँ हैं। यद्यपि इन नदियों को बाँध कर वर्षा का पा सिंचाई के लिए इकट्ठा किया जा सकता है तथापि राजस्थान के निर्माण पूर्व इस कार्य में दो बड़ी कठिनाइयाँ थीं। (१) अधिकांश नदियाँ दो या अधि रियासतों की सीमाओं से होकर बहती थी अतएव किसी बड़ी नदी को बान्ध में राजनीतिक कठिनाइयाँ उपस्थित होती थी। (२) छोटी छोटी रियासतों पास इतनें साधन नहीं थे कि बड़ी बड़ी नदियों को बान्धा जा सके। धरात के ऊबड़ खाबड़ होने से भी नहरों की खुदाई में कठिनाई होती थी। फिर अनेक छोटी छोटी नदियाँ को बान्ध कर सिंचाई के लिए पानी इकट्ठा कि गया है। यद्यपि प्राय: सभी रियासतों में इस प्रकार नदियों को बान्धकर उन पानी सिन्चाई के लिए काम में लिया गया है परन्तु केवल बीकानेर राज्य गंगा नहर ही एक ऐसी नहर है जिससे वर्ष भर सिंचाई होती है। अनुमा है कि इस नहर पर कुल २५५ लाख रुपए लगे हैं और इससे बीकानेर गंगा नगर जिले में लगभग ६२३ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होती है।

सिंचाई का विकास—अनुमान है कि इस समय राजस्थान में कु ३०० लाख एकड़ भूमि पर खेती होती है जिसमें से केवल १७ लाख एक भूमि पर सरकारी नहरों, तालावों या निजी कुओं आदि से सिंचाई होती है दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि राज्य की समस्त कृषि की जा वाली भूमि के केवल ६% भाग में सिंचाई होती है। इस प्रकार राजस्थान बहुत थोड़े भाग में सिंचाई होती है। यहां की सिंचाई का बड़ा दोष यह है जिन भागों में कुछ ठीक वर्षा हो जाती है वहीं पर सिंचाई के अधिकां साधन उपलब्ध हैं। राजस्थान के शुष्क प्रदेश में, जहां वर्षा कम होती है सिंचाई का अभाव है।

सिंचाई की योजनाएँ

राजस्थान सरकार ने सिंचाई के विकास को यथेष्ट महत्व देकर छोट बड़ी अनेक ऐसी योजनाएँ बनाई हैं जिनसे राज्य में सिंचाई की सुविधाएं

बहुत बढ़ जाने की आशा है। योजना काल में कुल मिलाकर इन योजनाओं पर ७५३·६ लाख रुपया व्यय होगा जिसमें से ९०३ लाख तो जवाई योजना को पूरी करने में लगेगा और शेष ३०० लाख अन्य योजनाओं पर व्यय होगा। स्मरण रहे कि चम्बल और भाखड़ा-नांगल योजनाओं पर व्यय होने वाली राशि इसमें संयुक्त नहीं है। हम सर्व प्रथम राज्य की तीन बृहत् योजनाओं का वर्णन करेंगे और तत्पश्चात छोटी तथा मध्यम श्रेणी की योजनाओं पर प्रकाश डालेंगे।

बृहत् योजनाएँ

हम इस शीर्षक के अन्तर्गत राजस्थान की तीन प्रधान योजनाओं का वर्णन करेंगे, यथा-(१) भाखरा-नांगल योजना, (२) चम्बल योजना और (३) जवाई योजना। इनमें से प्रथम दो अर्थात् भाखड़ा-नांगल योजना और चम्बल योजना बहु-प्रयोजनीय और बहु-राज्यीय योजनाएँ हैं और तीसरी अर्थात जवाई योजना एक प्रयोजनीय (सिंचाई) और पूर्णतः राजस्थान की योजना है। हम भाखरा-नांगल और चम्बल योजनाओं के सिंचाई और जल-विद्युत दोनों पहलुओं का वर्णन करेंगे।

(१) भाखरा नांगल योजना

भाखरा-नांगल योजना राष्ट्र की सब से बड़ी सिंचाई और जल-विद्युत योजना है। इसमें पंजाब, पेप्सू, और राजस्थान का क्रमशः ६२.४, २२.४ और १५.२ प्रतिशत भाग है और उसी के अनुसार इस योजना पर कार्य हो रहा है। इस योजना के अन्तर्गत सतलज नदि के आरपार जहाँ कि वह हिमालय से निकलती है एक ७०० फुट ऊँचा बान्ध बनाया जा रहा है। इस बान्ध से रोका हुआ पानी सिंचाई और जल- विद्युत पैदा करने के काम आयगा। भाखरा बान्ध से आठ मील नीचे सतलज नदी से निकाली गई नांगल नहर पर बिजली उत्पन्न करने के लिए दो बिजली घर और बनाये जायँगे। अनुमान है कि इस योजना पर कुल लगभग १३३ करोड़ रुपए व्यय होंगे। योजना की समाप्ति पर लगभग ३६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी और ४ लाख किलोवाट विद्युत शक्ति पैदा की जा सकेगी।

अनुमान है कि इस योजना से राजस्थान को इतना पानी प्राप्त हो सकेगा कि गंगानगर ज़िले की भादरा, नोहर, सूरतगढ, हनुमानगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर और गंगानगर तहसीलों की लगभग १० लाख एकड़ सूखी और गैर-आबाद भूमि खेती योग्य होती हो सकेगी और प्रति वर्ष लगभग ६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। राजस्थान के हिस्से का पानी पंजाब सरकार द्वारा हमारी सीमा पर दिया जायगा। इस पानी को काम में लाने के लिए

ाजस्थान में छोटी बड़ी कुल मिलाकर एक हजार मील लम्बी नहरें बनाई जा ही हैं। मुख्य मुख्य शाखाओं की तलहटियाँ ईंटों और सीमेण्ट की बनाई ा रही है जिससे कीमती पानी रेत में सूख कर नष्ट नहीं होने पावे। इस ार्य में आशानुकूल प्रगती हो रही है और आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक ाल में कुछ समय के लिए सिंचाई प्रारंभ हो जायगी। जैसे जैसे कार्य की ़गति होगी सिंचाई बढती जायगी और आशा है कि १६५६–६० से लगातार ूरे साल भर सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा।

नहरों की खुदाई और बन्धाई के साथ ही साथ इस गैर–आबाद क्षेत्र ं गाँव बसाने, मण्डियाँ और सड़के बनाने का कार्य भी प्रगति पर है। आशा ै कि योजना के पूर्ण होने पर यह सूखा और बंजड क्षेत्र एक लहलहाते हुये ़द्यान में बदल जायगा जिसमें समृद्धिशाली कृषक बसते होंगे और उन्नतिशील ागर और मंडियाँ होंगी।

हम बतला चुके है कि भाखरा–नागल एक बहु–प्रयोजनीय योजना है। ़ससे सिंचाई के अतिरिक्त बड़ी मात्रा में बिजली उत्पन्न होगी। अनुमान है के नागल का बिजलीघर १६५४ के मध्य तक तैयार हो जायगा और उसमें ाग लेने वाले राज्यों को बिजली पहुँचा सकेगा। काम चालू होने के प्रथम र्ष में राजस्थान को ६०० किलोवाट बिजली मिलेगी जो १६६२ तक बढकर १५००० किलोवाट हो जायगी। राजस्थान में श्री गंगानगर और राजगढ में बिजली मिलेगी और यहां से ४१ नगरों और मार्ग के देहाती भागों में पहुंचाई जायगी। बिजली पहुँचाने का पूरा सिलसिला तैयार कर लिया गया है जिससे बीकानेर और जयपुर के बिजलीघर क्रमशः रतनगढ और सीकर में बिजली प्राप्त कर सकेंगे। बिजली ले जाने के लिए कुल ८१० मील लम्बी लाइनें होंगी जिसमें मुख्य नल ६६ किलोवाल्टों का होगा और इससे बिजली ले जाने वाली तारें ३३ और ११ किलोवाल्टों की होगी। अनुमान है कि भाखरा–नागल से प्राप्त होने वाली बिजली उद्योगों को १ आना प्रति युनिट के हिसाब से मिल सकेगी। इससे तेल, सूती कपडा और ऊन उद्योगों का विकास संभव हो सकेगा और चमड़ा, चीनी और खनिज उद्योगों को भी सहायता मिलेगी। साथ ही सिंचाई के लिए जल–कूप और बिजली के पम्प लग सकेंगे। घरेलू कार्यों के लिए भी सस्ती बिजली मिल सकेगी और ग्रामीण जनता को भी नागरिक जीवन की सुविधाएँ प्राप्त हो सकेगी।

अनुमान है कि इस योजना के सिंचाई सम्बन्धी भाग पर लगभग २२ करोड़ रुपए व्यय होंगे जिसमें से लगभग १८ करोड़ रुपए राजस्थान को भाखरा बान्ध और मुख्य नहरों की लागत के देने होंगे और लगभग ४ करोड़

राजस्थान में शाखा नहरों पर व्यय होंगे। इसके अतिरिक्त अनुमान है कि राजस्थान को जल-विद्युत सम्बन्धी कार्यों में अपने हिस्से के लगभग ६४७ लाख रुपए देने होंगे और लगभग ३५० लाख विद्युत-शक्ति राजस्थान में बाँटने के लगेंगे और १२१ लाख स्थानीय विकास कार्यों पर व्यय होंगे। इस कार्य के लिए अधिकांश रुपया राजस्थान को भारत सरकार से ऋण के रूप में मिलेगा।

(२) चम्बल योजना

चम्बल राजस्थान की सबसे बड़ी और एक मात्र सदा बहने वाली नदी है। यह विंध्याचल के उत्तरी पार्श्व से निकल कर मध्यभारत, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमाओं में बहती हुई इटावा से आगे यमुना में मिली है। इसकी लम्बाई लगभग ६०० मील और अधिकत्तम चौड़ाई लगभग २४०० फुट है। मरू प्रधान राजस्थान से होकर चम्बल का बहना वास्तव में एक प्राकृतिक वरदान है। हमारे राज्य का अधिकांश भाग सिंचाई के बिना बंजड़ पड़ा है। कल कारखानों की दृष्टि से भी राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है। चम्बल योजना से सिंचाई के लिए पानी और कल-कारखानों के लिए जल-विद्युत की पूर्त्ति होगी। इस प्रकार चम्बल योजना से राजस्थान में कृषि और उद्योग धन्धों के विकास में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।

चम्बल विकास योजना के अन्तर्गत चार बान्ध बनाये जायगें (१) **गान्धी सागर बान्ध**—यह भानपुरा गाँव से १६ मील उत्तर-पश्चिम में चौरासी गढ से ५ मील नीचे बनाया जायगा। इसकी लम्बाई १६७५ फुट और ऊँचाई २०० फुट होगी। इससे ६५ मील लम्बा और १२ मील चोड़ा जलाशय बनेगा जिसका घन परिमाण ४२ लाख एकड़ फुट होगा। २—**राणा-प्रताप सागर बान्ध**—यह गान्धी सागर बान्ध से नदी के बहाव की दिशा में ३१ मील दूर चूलिया झरने पर बनाया जायगा। यह ३६२० फुट लम्बा और १२२.५ फुट ऊँचा होगा। इससे २१ मील लम्बा और ८ मील चौड़ा जलाशय बनेगा जिसका घन परिमाण २३.५ लाख एकड़ फुट होगा। ३—**कोटा बान्ध**—यह कोटा नगर से १० मील दक्षिण में बनाया जायगा। इसकी लम्बाई १५५० फुट और ऊँचाई १४५ फुट होगी। ४—**कोटा सिचाई बान्ध**—यह कोटा नगर से ६ मील उत्तर में बनाया जायगा और १८१० फुट लम्बा और ८३.५ फुट ऊँचा होगा।

इस विशाल योजना पर कुल लगभग ५० करोड़ रुपया व्यय होगा जिसमें से ४० करोड़ भारत सरकार देगी और शेष १० करोड़ का प्रबन्ध राजस्थान और मध्यभारत की सरकारों को आधा आधा करना पड़ेगा। सम्पूर्ण

योजना को तीन भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग पर लगभग ३५ करोड़ रुपया लगेगा। इससे ६०,००० किलोवाट बिजली पैदा हो सकेगी और १२ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई सम्भव हो सकेगी। दूसरे भाग पर लगभग ८ करोड़ रुपये व्यय होंगे और इससे ८०,००० किलोवाट बिजली पैदा हो सकेगी। तीसरे भाग पर लगभग ७ करोड़ रुपये व्यय होंगे और इससे ६०,००० किलोवाट बिजली पैदा होगी। इस प्रकार चम्बल योजना से कुल मिलाकर १२ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और २ लाख किलोवाट बिजली पैदा होगी। अनुमान लगाया जाता है कि सिंचाई की दर ६ रुपया ६ आना प्रति एकड़ प्रतिवर्ष होगी और बिजली की दर केवल ८ पाई प्रतियुनिट होगी। यह भी अनुमान लगाया जाता है कि योजना के पूरी हो जाने पर कुल मिलाकर प्रतिवर्ष ५० लाख मन अनाज की पैदावार बढ़ जायगी और अकाल का भय जाता रहेगा।

अनुमान है कि चम्बल योजना से राजस्थान के कोटा, बूँदी, सवाई माधोपुर और भरतपुर जिलों में सिंचाई हो सकेगी। इस क्षेत्र में वर्षा का औसत काफी ऊँचा है और इस समय भी अच्छी खेती होती है परन्तु वर्षा की अनिश्चितता से रबी की फसल प्रायः अनिश्चित रहती है। साल भर सिंचाई का प्रबन्ध हो जाने पर दोनों फसलें होने लगेगी।

हम बतला चुके हैं कि चम्बल योजना बहु-प्रयोजनीय है। इससे सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के अतिरिक्त बड़ी मात्रा में जल-विद्युत पैदा की जायगी। अनुमान है कि गान्धी सागर बान्ध से कोटा, लाखेरी और सवाई माधोपुर होती हुई १३२ किलोवोल्टों की लाईन बनाई जायगी जहाँ से एक लाइन गंगापुर और ग्वालियर जायगी और दूसरी जयपुर और अजमेर। इससे घरेलू, औद्योगिक और कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिए सस्ती बिजली उपलब्ध हो सकेगी। आशा है इस सस्ती बिजली से साँभर झील का नमक, मकराने का संगमरमर और दौसा और भीलवाड़े के घीया पत्थर के उद्योगों, जयपुर, कोटा भीलवाड़ा और किशनगढ़ की सूती कपड़े की मिलों, उदयपुर की जावार खानों, सवाई माधोपुर और लाखेरी के सीमेन्ट के कारखानों, जयपुर के धातु उद्योगों और रेल के कारखानों को बहुत लाभ हो सकेगा। अनेक नये खनिजों की खानों पर काम होने लगेगा और कुटीर उद्योगों को भी लाभ पहुँचेगा। सिंचाई के लिए बिजली के पम्पों का उपयोग होने लगेगा जिससे खर्चा कम और उत्पादन अधिक हो सकेगा।

सूचना मिली है कि गान्धी सागर बान्ध से सम्बन्धित सड़कों, बस्तियों आदि का कार्य काफी तादाद में पूरा हो चुका है। इस बान्ध से १९५८-५९

तक बिजली प्राप्त हो सकेगी। राणा प्रताप सागर बान्ध से सम्बन्धित सड़कों, बस्तियों आदि का कार्य भी प्रगति पर है। यह बान्ध १९६१-६२ तक पूरा होने की आशा है। कोटा सिंचाई बान्ध का निर्माण भी आरम्भ होने वाला है। यह सम्भवतः १९५७-५८ तक सम्पूर्ण हो जायगा।

३ — जवाई योजना

जवाई नदी अरावली पर्वत श्रेणी के सुदूर दक्षिण-पश्चिम के ढालों से निकलकर जोधपुर डिवीजन के दक्षिणी भाग में बहती हुई लूनी नदी में गिरती है। अपने उद्गम स्थान से लगभग १५ मील बह लेने पर यह नदी दो पहाड़ियों के बीच से होकर निकलती है। प्रस्तुत बान्ध इसी स्थान पर बान्धा जा रहा है। यह स्थान पश्चिमी रेलवे के एरिनपुरा रोड़ स्टेशन से लगभग १½ मील और सुमेरपुर नगर से लगभग ५ मील नदी के ऊपर की ओर है।

जवाई बान्ध का एक लम्बा और परिवर्तनों से भरा हुआ इतिहास है। इस बान्ध की सर्व प्रथम योजना आज से लगभग ५० वर्ष पूर्व सन १९०४-०५ में जोधपुर राज्य के सार्वजनिक-निर्माण-विभाग के इन्जीनियर श्री होम ने बनाई थी। भारतीय-नदी-आयोग (Indian Rives Commission) ने इस योजना की जाँच कर इसको मूल में ठोस बतलाया था। परन्तु कई वर्षों तक इस योजना पर कोई कार्य नहीं किया गया। लगभग ४० वर्षों के पश्चात् राज्य के सार्वजनिक-निर्माण-विभाग के मुख्य इन्जीनियर श्री फरग्यूसन ने पुनः इस योजना को ढूँढ़ निकाली। भारत सरकार के सिंचाई विशेषज्ञ सर विलियम स्टैम्पी और मद्रास राज्य के मुख्य इन्जीनियर दीवान बहादुर अयंगर ने भी इसकी जाँच की और इसको मूल में ठोस और लाभ-प्रद बतलाया। तब मई १९४६ में इस योजना पर कार्य आरम्भ हुआ।

इन पच्चास वर्षों में इस योजना के बान्ध और जलाशय के आकार-प्रकार और लागत व्यय आदि के सम्बन्ध में विशेषज्ञों के अनुमान सदा बदलते रहे हैं। आरंभ में इस योजना पर केवल सिंचाई की दृष्टि से विचार किया गया था क्योंकि उस समय जल-विद्युत-जनन-कला की जानकारी सीमित थी। परन्तु जब ४० वर्षों के पश्चात् इसको हाथ लिया गया तो इससे सिंचाई के जल और जल-विद्युत दोनों मिलने की आशा थी। अनुमान था कि सिंचाई के अतिरिक्त इस योजना से लगभग ४००० किलोवाट जल-विद्युत प्राप्त हो सकेगी। परन्तु केन्द्रीय जल और शक्ति आयोग ने इस योजना पर पुनः विचार करके इसके जल-विद्युत भाग को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। इस प्रकार जवाई योजना से अभी केवल सिंचाई ही का लाभ मिल सकेगा।

जवाई योजना का मुख्य बान्ध चूने-पत्थर का पक्का बनाया जा रहा है। यह ३०३० फुट लम्बा और ११४ फुट ऊँचा होगा। इसमें ५०'x१२' के १२ दरवाजे रखे गये हैं जिनसे वर्षा की कमी वाले वर्ष में पानी निकाला जा सकेगा ताकि नदी के दोनों किनारों पर स्थित कुओं द्वारा चाही भूमि की सिंचाई के लिए पानी मिल सके। मुख्य बान्ध के उत्तर और दक्षिण में दो सहायक बान्ध होंगे जो क्रमशः ७०० फुट और १६० फुट लम्बे होंगे। उत्तरी बान्ध आगे से चूने-पत्थर का और पीछे से मिट्टी का होगा। दक्षिणी बान्ध केवल मिट्टी का होगा जिसके आगे की ओर पत्थर जड़े हुये होंगे। इन बान्धों के अतिरिक्त बाईं ओर ३५०० फुट और ४४०० फुट लम्बी दो कच्ची बाजू की दीवारें होंगी। अनुमान है कि बान्धों और दीवारों का काम लगभग ८० प्रतिशत पूरा हो चुका है।

इन बान्धों और दीवारों से जो मुख्य जलाशय बनेगा उसमें लगभग २५" प्रति वर्ष औसत वर्षा वाले लगभग ३०४ वर्ग मील क्षेत्र का जल इकट्ठा होगा। अनुमान है कि इस जलाशय का फैलाव १० वर्ग मील होगा। इसमें लगभग ७०० करोड़ घन फुट पानी समा सकेगा जिसमें से लगभग ६५० करोड़ घन फुट सिंचाई के काम आ सकेगा।

इस विशाल जलाशय से एक १४ मील लम्बी मुख्य नहर निकाली जायगी जिसके मुँह से प्रति सैकन्ड ४०० घन फुट पानी निकलेगा। पानी को सोखने से बचाने के लिए यह नहर अन्दर की ओर से पक्की होगी। मुख्य नहर से सिंचाई के लिए चार शाखा नहरें निकाली जायेंगी जिनकी लम्बाई लगभग ८० मील होगी। अनुमान है कि इन नहरों से लगभग १,१०,००० एकड़ बैरानी (असिंचित) भूमि पर खेती की जा सकेगी और प्रति वर्ष औसतन ५०,००० से ६०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। स्मरण रहे कि यह भूमि अधिकांश बैरानी है और इस पर खरीफ की फसल भी कठिनाई से होती है। परन्तु योजना की समाप्ति पर इस पर दोनों फसलें संभव हो सकेंगी। निसंदेह यह योजना इस क्षेत्र के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण वरदान सिद्ध होगी।

अनुमान है कि जवाई योजना पर कुल लगभग ३२३ लाख रुपए व्यय होंगे। इसमें से १२० लाख रुपए १ अप्रेल १९५१ तक व्यय हो चुके हैं और शेष २०३ लाख पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किये जावेंगे। इस योजना पर काफी कार्य हो चुका है और १९५१ की रवी की फसल से ही एक सीमित पैमाने पर सिंचाई का कार्य आरम्भ हो चुका है। सम्बन्धित अधिकारियों का अनुमान है कि यह योजना १९५४ के अन्त तक पूरी हो जायगी और पूरी तौर पर सिंचाई का कार्य भी होने लगेगा।

अन्य योजनाएँ

पंचवर्षीय योजना में भाखरा–नागल और चम्बल की विशाल योजनाओं के अतिरिक्त बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम श्रेणी के तालावों को बनाने का काम भी सम्मिलित है। ऐसे तालाब अधिकतर जयपुर, उदयपुर और कोटा डिवीजनों में होंगे जहाँ भूमि की बनावट और प्राकृतिक दशा ऐसे तालाबों के लिए उपयुक्त है। सूचना मिली है कि ऐसे ७२ तालाब पहले ही बन चुके हैं, ३४ बन रहे हैं और २२ पर जल्दी ही काम शुरू करने का विचार है।※ अनुमान है कि योजना के इस पद पर कुल ३·०० करोड़ रुपया व्यय होगा आशा है कि विकास पूरा हो जाने पर इससे प्रति वर्ष लगभग १,१४,००० एकड़ भूमि में खेती होगी।* कहा जाता है कि जिन क्षेत्रों में इन तालाबों से सिंचाई होगी वहाँ की भूमि उपजाऊ है परन्तु सिंचाई के अभाव में इनमें रबी की फसल नहीं उगाई जा सकती और खरीफ की फसल का ठीक से होना भी निश्चित नहीं है। इन तालाबों के निर्माण के पश्चात् इन क्षेत्रों में दोनों फसलें होने लगेंगी और स्थानीय जनता को अकाल का भय नहीं रहेगा।

छोटे छोटे सिंचाई के कार्य

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में छोटे छोटे सिंचाई के कार्यों के निर्माण के लिए ३०.०० करोड़ रुपए भारत सरकार के कृषि-सचिवालय को दिये गये हैं। इस रकम में से २०५ लाख रुपए राजस्थान को ऋण के रूप में देने को रखे गये हैं। आशा है कि इसमें से ६० लाख रुपए कुओं के निर्माण तथा सुधार के लिए कृषि विभाग को सौंपे जायँगे और शेष ११५ लाख सिंचाई विभाग द्वारा व्यय होंगे। यह रुपए सीमित क्षेत्रों में सिंचाई करने के लिए ऐसे नये तालाबों का निर्माण करने, वर्तमान तालाबों का विकास करने और टूटे हुये तालाबों की मरम्मत करने में व्यय किये जायँगे जिनसे आमदनी उधार ली गई रकम के ब्याज से ज्यादा होगी। सूचना मिली है कि इन कार्यों के लिए राजस्थान को केन्द्र से ३० जून १९५३ तक ३० लाख रुपया उधार मिल चुका है। इन रुपयों को छोटे बड़े १६१ कार्यों पर व्यय किया गया है जिनसे ६५५५४ एकड़ पर सिंचाई में वार्षिक वृद्धि और २५०९८ टन खाद्यान्नों की वार्षिक अतिरिक्त उत्पादन की आशा है।‡ वर्षा विहीन और साधन हीन राजस्थान में इन कार्यों का विशेष महत्व है क्योंकि इनमें लागत कम लगती और इनका फल शीघ्र मिलता है।

※ पहिली पंचवर्षीय योजना (राजस्थान) पृ० ३१

* यही पृ० ३३

‡ यही पृ० ८०

इनके अतिरिक्त कुछ मध्यम श्रेणी की योजनाएँ ऐसी है जो अर्था-भाव से पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं की जा सकी हैं परन्तु इनकी पूरी तौर से जाँच की जायगी और उन पर कार्यारंभ करने का प्रयत्न किया जायगा।

यद्यपि जिस किसी प्रकार भी सिंचाई के साधनों का विकास हो सके उसका स्वागत होना चाहिये। परन्तु राज्य सरकार के पास सावन सीमित हैं और राज्य की आवश्तकताएँ बहुत अधिक है। अतएव ऐसे सिंचाई के कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये जिन पर लागत कम लगे और जिनसे फल शीघ्र मिले। इस दृष्टि से सिंचाई के छोटे छोटे कार्यों का विशेष महत्व है क्योंकि उन पर प्रति एकड़ सिंचित क्षेत्र केवल पचास से सौ रुपए व्यय होते हैं और अति शीघ्र फल मिलता है। हमारी मान्यता है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार को बड़ी बड़ी कीमती और दीर्घ कालीन योजनाओं को हाथ में लेने से पूर्व छोटे छोटे वान्धों, तालाबों और कुओं की मरम्मत और विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिये।

हम ऊपर बतला चुके है कि भारत सरकार से छोटे सिंचाई के कार्यों के लिए प्राप्त रकम को राजस्थान सरकार का विचार केवल ऐसे कार्यों पर व्यय करने का है "जिससे आमदनी उधार ली गई रकम के ब्याज से ज्यादा हो।"※ यह नीति संकीर्ण हिसाबी दृष्टि से ठीक हो सकती है परन्तु व्यापक और दीर्घकालीन आर्थिक दृष्टि से यह अनुदार और आपत्ति उठाने योग्य है। राज्य में अकाल निवारण और उत्पादन वृद्धि की दृष्टि से सिंचाई के साधनों का अविलम्ब विकास आवश्यक है। हमें भय है कि यदि सिंचाई के कार्यों पर केवल हिसाबी दृष्टि से विचार किया गया तो सिंचाई के साधनों का यथोचित्त विकास असंभव हो जायगा। सरकार को सिंचाई की अधिक उदार और प्रगतिशील नीति अपनानी चाहिये।

बीकानेर की गंग-नहर पर २५५ लाख रुपए की पूंजी लगी है। इस पर ३·७५% ब्याज से ९ लाख रु० होते है और इसका संचालन व्यय १८·७० लाख वार्षिक है। परन्तु इससे कुल आय केवल २४ लाख रु० होती है जो ब्याज धन संचालन व्यय से ३·७० लाख कम है। इसी प्रकार अनुमान है कि जवाई योजना से भी ब्याज और संचालन व्यय नहीं निकल सकेगा। यदि इन विशाल योजनाओं पर महाजनी दृष्टि से ध्यान दिया जाता तो क्या

※ प्रथम पंच वर्षीय योजना—(राजस्थान) पृष्ट ३५

ये महान उपयोगी योजनाएँ कभी हाथ में ली जा सकती थी ? जब बड़ी योजनाओं पर व्यापक आर्थिक दृष्टि से कार्य किया जाता है तो सिंचाई की छोटी छोटी योजनाओं पर संकीर्ण हिसाबी दृष्टि कोण अपनाया जाना निःसन्देह भूल है। हम आशा करते हैं कि सरकार भविष्य में छोटे कार्यों के प्रति भी उदार नीति अपनायगी।

अध्याय ८

खेती

राजस्थान में खेती के लिये विशेष सुविधा न होने पर भी लोगों का मुख्य धंधा खेती करना ही है। भारत के अन्य भागों की भाँति राजस्थान में भी खेती की उपज वर्षा की मात्रा तथा सिंचाई के साधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। राज्य के उत्तरी-पश्चिमी भाग में स्थित मरुस्थली प्रदेश में वर्षा ऋतु में थोड़ी बहुत पैदावार हो जाती है। इसके विपरीत राज्य के पूर्वी भाग में स्थित अलवर और भरतपुर के मैदानी प्रदेश में नहरों द्वारा सिंचाई कर कई प्रकार की पैदावार प्राप्त की जाती हैं। मध्य तथा दक्षिण-पश्चिम में स्थित अरावली प्रदेश में अच्छी वर्षा होने पर भी खेती कम होती है क्योंकि वहां की पथरीली भूमि खेती करने में बाधक है।

मरुस्थली तथा पथरीली भूमि के अधिक विस्तार के कारण राजस्थान की सम्पूर्ण भूमि के केवल ३८.३% में ही बुआई होती है। इसमें भी सिंचाई केवल १०.३% में ही होती है। सन् १९५१-५२ में राजस्थान की भूमि का ब्यौरा इस प्रकार है:—❀

क्रम संख्या	भूमि का उपयोग	एकड़	वर्ग मील	कुल भूमि का प्रतिशत
१	बोया हुआ क्षेत्र (Net area Sown)	३,१८,४६,६१५	४९,७६५	३८·३
२	कृषि योग्य आकृषित भूमि (Cultivable waste)	१,७५,०६,८८७	२७,३५५	२१.०
३	कृषि अयोग्य बंजड़ (Uncultivable waste)	३,६१,०६,६६५	४०,७६२	*३१.४
४	चालू परती (Current Fallow)	७६,६७,१६३	१२,०२६	६.३
	कुल भूमि	८,३१,६०,६६०	१२६,६३८	१००.०

❀ A Statistical Outline of Rajasthan, January, 1953.

एकीकरण से पहले राजस्थान की विभिन्न रियासतों में धन के अभाव के कारण खेती में सुधार न हो सका। दूसरी बड़ी रुकावट जागीरी प्रथा थी। कुल भूमि का केवल ३३% खालसा था और ६६% जागीरदारों के अधिकार में था।‡ जोधपुर और जैसलमेर में जागीरदारों के अधिकार में भूमि अधिक थी और अलवर में सब से कम। यही कारण है कि जोधपुर तथा जैसलमेर की अपेक्षा अलवर में खेती की अवस्था अच्छी थी।

राजस्थान की खेती की उपज का वर्णन करने सेपूर्व यहां की खेती की विशेषताएँ बताना आवश्यक है। राजस्थानी खेती की विशेषताएँ इस प्रकार हैं:—

(१) राजस्थान की कुल आबादी का ७०.६% खेती में लगा हुआ है और सम्पूर्ण जन-संख्या का ८२.७% ग्रामों में निवास करता है।* इससे स्पष्ट है कि अधिकांश लोगों का जीवन-निर्वाह खेती द्वारा ही होता है।

(२) खेती के साथ पशु-पालन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। जहां खेती की पैदावार कम होती है वहां तो अधिकांश लोगों का गुजारा पशु-पालन पर ही निर्भर रहता है।

(३) राज्य में सिंचाई के साधनों की कमी है। लगभग ३३ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होती है जिसमें २० लाख एकड़ कुओं द्वारा सींची जाती है और शेष ११ लाख एकड़ नहरों द्वारा। अधिकांश नहरें बीकानेर डिवीजन के गंगानगर जिले में हैं।

(४) खेतों में खाद का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। जंगलों के अभाव में खेतों में देने योग्य गोबर की उत्तम खाद का प्रयोग जलाने में अधिक होता है।

(५) राज्य के अधिकांश भाग में वर्षा की न्यूनता और अनिश्चितता भी खेती में बाधक है।

(६) खेती की उपज में खाद्यान्नों का प्रमुख स्थान है। खाद्यान्न में भी ज्वार-बाजरा अधिक होता है।

(७) राज्य के अधिक विस्तार और जन-संख्या की कमी के कारण खेती करने के लिये जमीन की कमी नहीं है। उदयपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर डिवीजनों में औसत १००० एकड़ भूमि क्रमशः १६,३२६,८०३,५०६,

‡ Rajasthan : A Symposium : page 76

* Census of India, 1951, Volume X part I A : page 201.

३८५ और ३१६ मनुष्यों के पीछे है।* पिछले दोनों राज्यों में जमीन अधिक है और निवासी कम हैं अतः एक मनुष्य के हिस्से में अधिक जमीन आती है।

(८) राज्य की दो-तिहाई भूमि जागीरदारों के अधिकार में होने के कारण खेती की अवनत अवस्था रही।

(९) सिंचाई के साधनों में कमी होने के कारण राज्य के अधिकांश भाग में एक ही फलस (खरीफ) होती है। रबी की फसल कम जगह होती है।

(१०) भारत के अन्य राज्यों के विपरीत राजस्थान में पशुओं के लिये चरागाहों की अधिक कमी नहीं है। राज्य के उत्तरी-पश्चिमी मरुस्थली और अर्द्ध-मरुस्थली प्रदेश में पशु चराने के लिये पर्याप्त भूमि है।

खेती की उपज

राजस्थान के खेतों में उत्पन्न होनेवाली पैदावार को उसके उपयोग के अनुसार निम्नलिखित वर्गों में बाँट सकते हैं:—

(अ) खाद्यान्न—गेहूँ, बाजरा, ज्वार आदि।

(आ) दालें—चना, मूँग, मोंठ आदि।

(इ) रेशे वाली उपज—कपास।

(ई) तिलहन।

(उ) अन्य व्यापारिक उपजें—गन्ना, तम्बाकू आदि।

(ऊ) अन्य पैदावार—फल, मसाले आदि।

इन उपजों का भाग राज्य में इस प्रकार है:—

१—खाद्यान्न	६०%
२—चना तथा अन्य दालें	१८.५%
३—तिलहन	७%
४—कपास	१.५%
५—अन्य उपज	१३%

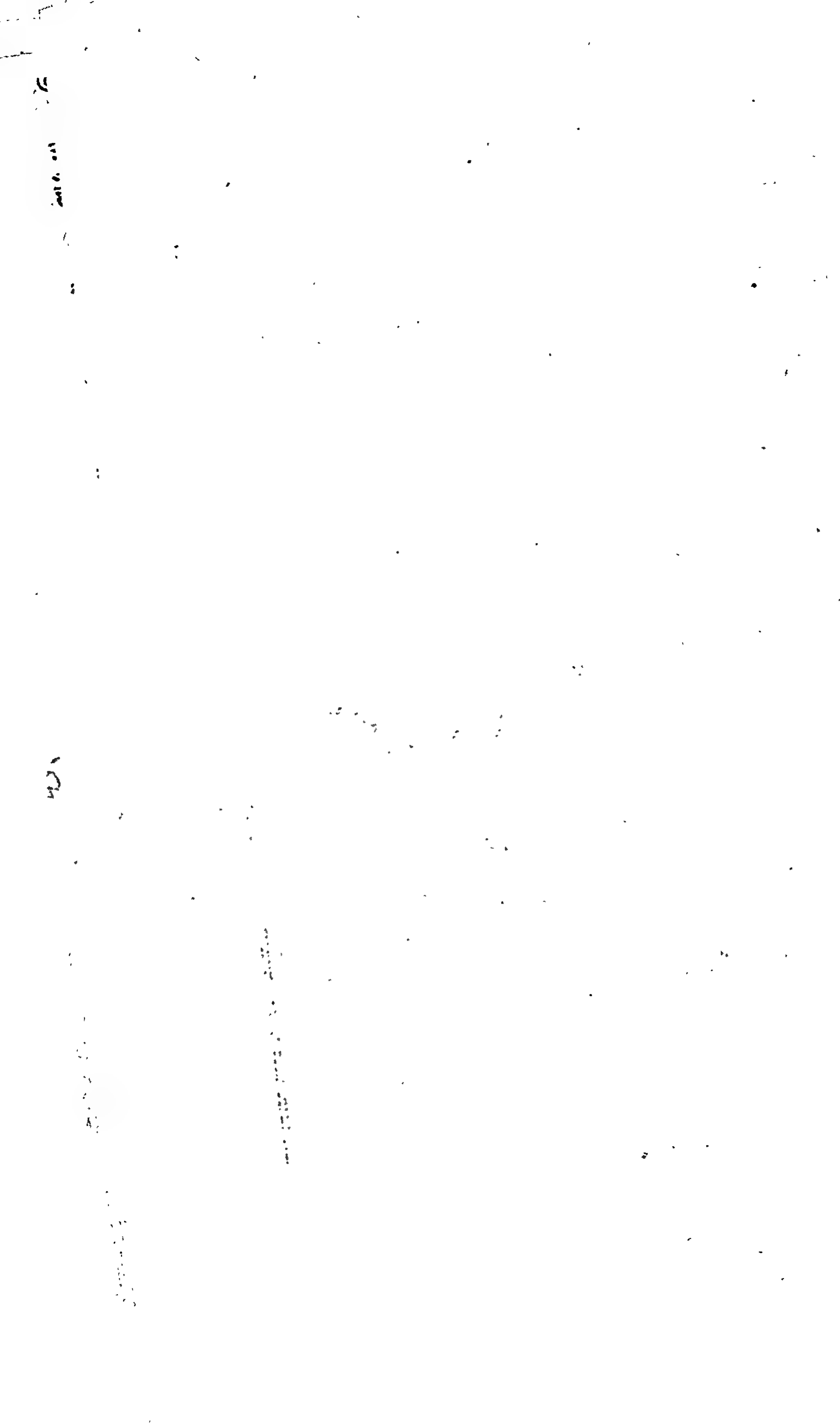
इस प्रकार सम्पूर्ण उपज में खाद्यान्नों और दालों की प्रधानता है। राजस्थान की विभिन्न प्रकार की कृषि की उपज का ब्यौरा इस प्रकार है:—

* Agricultural Statistics (1950-51), Rajasthan State, page 13.

राजस्थान

प्रमुख फसलें





[अ] खाद्यान्न

१-बाजरा— पैदावार के अनुसार बाजरे का राजस्थान में प्रमुख स्थान है। राज्य के अधिकांश भागों में बाजरा ही लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ है। राजस्थान में जितनी भूमि में खेती होती है उसमें लगभग तीसरे अंश में अकेले बाजरे की खेती की जाती है। इसकी खेती वर्षा पर निर्भर रहती है और यह पौधा रेतीली भूमि में भी पनप सकता है। यही कारण है कि बाजरे की अधिक पैदावार जोधपुर डिवीजन के रेतीले जिलों तथा बीकानेर, चूरू, सीकर, और झूंझनूं जिलों में अधिक होती है। जिस वर्ष मानसून से अच्छी वर्षा हो जाती है उस साल बाजरे की फसल भी अच्छी होती है। पौधे का डंठल पशुओं को खिलाते हैं।

राजस्थान में बाजरे की उपज इस प्रकार होती है:—

सन्	क्षेत्रफल ('००० एकड़ों में)	पैदावार ('००० टनों में)
१९४९-५०	५,१३४	२५४
५०-५१	५,७५८	३२१
५१-५२	४,२०३	११३

२—जवार:— इसकी उपज की आवश्यकताएँ भी बाजरे जैसी हैं अतः जवार भी राजस्थान के विभिन्न भागों में पैदा की जाती है। मनुष्य के भोजन के अतिरिक्त जवार का डंठल पशुओं को खिलाने में अधिक काम लिया जाता है। जवार की चरी चौपायों के लिये बहुत उत्तम गिनी जाती है। सिंचाई द्वारा चरी के लिये जवार की पैदावार वर्षा ऋतु के पश्चात भी की जाती है।

राजस्थान की जितनी भूमि में खेती होती है उसके लगभग ८% में जवार बोई जाती है। कोटा डिवीजन में जवार की पैदावार अधिक होती है। इसकी उपज के आँकड़े इस प्रकार हैं:—

सन्	भूमि (हजार एकड़)	उपज (हजार टन)
१९४९-५०	१,४४७	२५४
१९५०-५१	१,५२०	३२१
१९५१-५२	१,३१२	११३

३—मकई:— राजस्थान की कुल बोई जाने वाली भूमि के ३% में मकई बोई जाती है। बाजरा और जवार की भाँति इसकी खेती भी वर्षा ऋतु में होती है परन्तु इसकी पैदावार के लिये उपजाऊ भूमि और अधिक पानी की आवश्यकता होती है अतः इसकी उपज के क्षेत्र सीमित हैं। उदयपुर विभाग में मकई की पैदावार अधिक होती है और वहां के अधिकांश लोगों का मुख्य खाद्यान्न मकई ही है। इसके अतिरिक्त कोटा विभाग तथा जयपुर के सवाई माधोपुर, टोंक और अलवर जिलों में भी मकई बोई जाती है।

राजस्थान में मकई की उपज इस प्रकार होती है:—

सन	क्षेत्रफल (हजार एकड़)	उपज (हजार टन)
१९४९–५०	६८०	८५
१९५०–५१	६६२	८०
१९५१–५२	६६६	७२

४—गेहूँ:— इसकी उपज के लिये उपजाऊ दुमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। पानी की इसे अधिक आवश्यकता नहीं होती परन्तु इसके लिये ठंडक का होना जरूरी है। अतः गेहूँ राजस्थान में रबी की फसल है। इसे दीपावली के आस पास बोकर होली पर काट लेते हैं। फसल के दिनों में वर्षा के अभाव के कारण सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। सरदी के दिनों में जो कुछ थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है वह गेहूँ की फसल के लिये बहुत लाभदायक होती है।

राजस्थान के मरुस्थली भाग को छोड़कर गेहूँ की पैदावार थोड़ी बहुत मात्रा में प्रायः सभी जगह होती है। पूर्वी राजस्थान में बहुत पहले से गेहूँ की खेती की जा रही है। जयपुर, भरतपुर और अलवर में गेहूँ पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होता है। राजस्थान के दक्षिणी-पूर्वी भाग में कोटा और बूँदी में भी गेहूँ की खेती अच्छी होती है। जोधपुर डिवीजन में लूनी नदी के किनारे कुएँ खोदकर गेहूँ उत्पन्न किया जाता है। बीकानेर के गंगानगर-जिले में नहर से सिंचाई कर उत्तम-कोटि का गेहूँ पैदा किया जाता है।

अनुमान है कि राजस्थान में कृषित भूमि के लगभग ६% में गेहूँ की खेती होती है। इसका उत्पादन इस प्रकार है:—

सन्	क्षेत्र (हजार एकड़ में)	पैदावार (हजार टन में)
१९४९–५०	१,०८५	१९३
५०–५१	१,३०९	३०९
५१–५२	१,१०९	२५५

५—अन्य खाद्यान्नः—कुछ कम उपजाऊ भूमि तथा कम पानी के कारण जहां गेहूँ की खेती सफलता पूर्वक नहीं हो सकती वहाँ जौ उत्पन्न किया जाता है। इसको गेहूँ के साथ ही बोते हैं और साथ ही काट लेते हैं। कहीं कहीं गेहूँ और जौ की मिश्रित खेती भी करते हैं। ऐसी पैदावार को 'गुज्जी' कहते हैं। अनुमान है कि राजस्थान की जितनी भूमि में गेहूँ बोया जाता है उसके लगभग आधे भाग में जौ या गुज्जी की खेती होती है।

आजकल राजस्थान के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल का उत्पादन भी होने लगा है। डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, बूँदी तथा कोटे के कुछ खेतों में चावल बोया जाता है। पहले वह घटिया किस्म का होता था परन्तु अब जापानी किस्म से खेती करके उसमें सुधार किया जाने लगा है। फिर भी चावल को राजस्थान की मुख्य उपजों में नहीं गिना जा सकता।

राज्य के कई भागों में मंडवा, कांगनी आदि स्थानीय अनाज बोये जाते हैं परन्तु उनकी मात्रा बहुत कम होने से उसका विशेष महत्व नहीं है।

[आ] दालें

राजस्थान के प्रायः सभी जिलों में किसी न किसी प्रकार की दाल अवश्य उत्पन्न की जाती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, राज्य के सम्पूर्ण कृषित क्षेत्र में से २८.५% में दालों का उत्पादन होता है। दालें उत्पन्न की जाने वाली भूमि के एक तिहाई क्षेत्र में चना पैदा होता है। अन्य दालों में उर्द, मूंग, मोठ, अरहर आदि मुख्य हैं।

१—चनाः— इसका उत्पादन मरुस्थली भाग को छोड़कर प्रायः सभी जिलों में थोड़ी बहुत मात्रा में होता है। चना रबी की फसल है। कई स्थानों में यह गेहूँ और जौ के साथ भी बोया जाता है। गेहूँ तथा जौ के साथ मिला कर यह खाद्यान्न के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। बीकानेर के गंगानगर जिले में सिंचाई करके चना पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न किया है और वहां से इसका निर्यात भी होता है।

चने की दाल कई कामों में प्रयुक्त की जाती है। इसको पीसकर बेसन तैयार कर लेते हैं जो नमकीन तथा मिठाई बनाने में काम आता है। जहां चना अधिक मात्रा में होता है वहां दाल बनाने की मशीनें भी लगी हुई हैं।

राजस्थान में चने की पैदावार इस प्रकार होती है:

सन्	क्षेत्रफल (हजार एकड़ में)	उत्पादन (हजार टन में)
१६४६–५०	१,१६१	११६
५०–५१	१,४०८	१६३
५१–५२	१,१६५	११६

इन अंकों से स्पष्ट है कि बाजरा, जवार और गेहूँ के पश्चात् राजस्थान में चने के उत्पादन का स्थान है।

२—मूंग:— राजस्थान में उत्पन्न होनेवाली दालों में मूंग की दाल उत्तम गिनी जाती है। यहां यह खरीफ की फसल है और प्रायः इसको जवार और बाजरे के साथ बो देते हैं। मूंग में घुन लगने का डर रहता है अतः इसको बड़ी सावधानी से रखते हैं। भारत के अन्य भागों में मूंग का उत्पादन कम होता है अतः राजस्थान से इसका निर्यात भी होता है। बंगाल, मद्रास, बम्बई आदि गए हुए मारवाड़ी व्यापारी अन्य दालों की तुलना में मूंग को अधिक पसन्द करते हैं।

३—मोठ: यह भी खरीफ की फसल है और इसको भी बाजरे के साथ बो देते है। दानों के आकार के अनुसार मोठ की कई किस्में होती हैं। मोठ का पौधा साधारण भूमि पर भी पनप सकता है अतः इसका उत्पादन मूंग की अपेक्षा अधिक मात्रा में होता है। दाल के रूप में मोठ का प्रयोग कम होता हैं। साधारण श्रेणी के लोग जौ तथा बाजरे में मोठ मिलाकर रोटी बनाते हैं।

४—अरहर:—राजस्थान में इसे 'तुअर' भी कहते हैं। राज्य के कई भागों में जवार तथा बाजरे के साथ बोई जाती है। कुछ भागों में इसे कपास के साथ भी बोते हैं। जवार, बाजरा तथा कपास के कट जाने पर भी अरहर और अधिक समय तक खेत में खड़ी रहती है क्योंकि इसको पकने में अधिक समय लगता है। पूर्वी राजस्थान में अरहर की खेती अधिक होती है।

५—उड़द:— इसका उत्पादन राजस्थान में कम होता है। इसकी खेती पूर्वी तथा दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान में अधिक होती है परन्तु यहां पर उत्पादित उड़द पर्याप्त नहीं होती अतः इसको अन्य राज्यों से आयात करते हैं। राजस्थान में रहने वाले अन्य राज्यों के निवासी उड़द की दाल को ही अधिक पसन्द करते हैं। अतः नगरों में इसकी मांग अधिक रहती है।

ऊपर वर्णित दालों के अतिरिक्त राजस्थान के कुछ भागों में मसूर और मटर की दालें भी उत्पन्न होती हैं। चने के अतिरिक्त इन सब दालों का उत्पादन राजस्थान में इस प्रकार है:—

सन्	क्षेत्रफल (हजार एकड़)	उत्पादन (हजार टन)
१९४९–५०	१,१४२	८०
५०–५१	२,०१६	१६४
५१–५२	१,६२२	८४

खाने के अतिरिक्त ये दालें खेत के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिये भी बोई जाती हैं। कुछ दालें हरी खाद के रूप में काम आती हैं। इन दालों के पौधों की जड़ों में बेक्टेरिया होता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है।

[२] रेशे वाली पैदावार

राजस्थान में रेशे वाली उपज में केवल कपास ही है।

कपासः— इसकी रुई कपड़ा बुनने में काम आती है। इसका बिनौला दूध देने वाले पशुओं को खिलाते हैं। भारत के अन्य भागों में इससे तेल भी निकालते हैं परन्तु राजस्थान में इसके तेल का प्रचार नहीं है। कपास के लिये उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। पकते समय तेज धूप भी चाहिये। राजस्थान में खरीफ और रबी दोनों ही फसलों में कपास होती है। अधिकांश कपास वर्षा के प्रारम्भ में ही बो दी जाती है और ५–६ महीनों बाद फसल तैयार हो जाती है।

राजस्थान में उदयपुर डिवीजन के भीलवाड़ा और चित्तौड़ जिलों, कोटा डिवीजन के झालावाड़ जिले और बीकानेर के गंगानगर जिले में कपास की अच्छी पैदावार होती है। यहां की कपास भीलवाड़ा, पाली, किशनगढ़ और ब्यावर की सूती कपड़े की मिलों में काम आ जाती है। थोड़ी कपास निर्यात भी की जाती है।

राज्य में कपास का उत्पादन इस प्रकार है :-

सन्	(क्षेत्रफल, हजार एकड़,)	उत्पादन (हजार गांठ, १ गांठ=५ मन)
१९४९–५०	२७०	१६८२
५०–५१	३५८	११५
५१–५१	३४१	७८

(इ) तिलहन

तिलहन से किसान को अच्छी आय होती है। राजस्थान की कुल कृषित भूमि के लगभग ६% क्षेत्र में तिलहन का उत्पादन होता है। अधिकांश तिलहन तेल निकालने में काम आते हैं। राज्य के कई नगरों में तेल निकालने की फेक्ट्रियाँ, कोल्हू और घानियाँ हैं। कुछ तिलहन अन्य राज्यों को भी भेजे जाते हैं।

यों तो राजस्थान में कई प्रकार के तिलहन उत्पन्न होते हैं परन्तु मुख्य इस प्रकार हैं :—

(१) **तिलः—** इसके लिये दुमट मिट्टी और कम पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिये इसे सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती और

यह खरीफ की फसल है। राजस्थान के जिन भागों में बाजरे की खेती होती है और जहां की भूमि उपजाऊ है वहाँ तिल की पैदावार अच्छी होती है। तिल को मानसून के प्रारम्भ में जुलाई में बोते हैं और अक्तूबर में इसकी कटाई कर ली जाती है। राजस्थान में इसकी उपज इस प्रकार है :—

सन्	क्षेत्रफल (हजार एकड़)	पैदावार (हजार टन)
१९४९–५०	४९९	३६
५०–५१	६८५	५१
५१–५२	६२२	२३

आधिकांश तिल देहातों की घानियों में तेल निकालने में काम आता है। तिल का तेल स्वादिष्ट होता है और खाने में काम आता है। इसकी खली दूध वाले पशुओं को खिलाते हैं।

(२) सरसों और राई:—राजस्थान में ये दोनों ही तिलहन रबी की फसल में गिने जाते हैं। इनको गेहूँ के साथ बोते हैं अतः इनका उत्पादन राजस्थान के उन भागों में होता है जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। अलवर, भरतपुर तथा गंगानगर में इनकी खेती अच्छी होती है। सरसों का आधिकांश तो यहीं पर तेल निकालने में काम ले लेते हैं परन्तु राई का अधिकांश बाहर भेज देते हैं।

तिल के पश्चात् सरसों और राई का उत्पादन राजस्थान में अन्य तिलहनों की तुलना में सबसे अधिक होता है। इनकी पैदावार के अंक निम्न लिखित हैं :—

सन्	क्षेत्रफल (हजार एकड़)	उत्पादन (हजार टन)
१९४९–५०	२१४	२७
५०–५१	२६८	३६
५१–५२	३२४	३६

(३) अलसी:—यह भी रबी की फसल है। इसके उत्पादन में सबसे बड़ी सुविधा यह है कि यह बिना सिंचाई के भी पनप सकती है। अलसी का तेल खाने में काम नहीं आता और इस उद्योग का विकास हमारे यहां अभी कम हुआ है अत: प्रति वर्ष बहुत सी अलसी राजस्थान से बाहर भेज देते हैं।

राजस्थान के उदयपुर और कोटा डिवीजनों तथा जयपुर के टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में अलसी की पैदावार अच्छी होती है :—

सन्	क्षेत्रफल (हजार एकड़)	पैदावार (हजार टन)
१९४९–५०	१११	६
५०–५१	१३४	१३
५१–५२	६४	६

(४) मूंगफली:—आजकल राजस्थान में मूंगफली की खेती का विस्तार बढ़ रहा है। यहां यह खरीफ की पैदावार है। यह रेतीली तथा कम उपजाऊ भूमि में भी पनप सकती है और वर्षा के अतिरिक्त इसे सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि मूंगफली की खेती में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता।

राजस्थान में मूंगफली का उत्पादन:—

सन्	भूमि (हजार एकड़)	पैदावार (हजार टन)
१९४९–५०	४७	११
५०–५१	६६	१४
५१–५२	५२	८

मूंगफली का तेल हमारे यहां कम निकाला जाता है। अधिकांश मूंगफली खाने में काम में ले ली जाती है।

(५) अन्य तिलहन: —राजस्थान के अन्य तिलहनों में रेंडी और बिनौला या कपासिया मुख्य हैं।

रेंडी का उत्पादन नियमित रूप से तो कम होता है परन्तु खेतों में मुंडेरों के पास यों ही बो देते हैं। इसकी खेती के लिये न तो बहुत उपजाऊ जमीन की आवश्यकता होती है और न अधिक पानी की ही। पाला इसके लिये घातक होता है। इसका तेल जमता नहीं अतः यह सरदी के दिनों में मशीनों में देने के काम आता है। तेल से कई दवाइयाँ भी तैयार की जाती हैं। खली बड़ी उत्तम खाद होती है। राजस्थान के पूर्वी भाग में रेंडी का उत्पादन अच्छा होता है।

हमारे यहां बिनौले का प्रयोग, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, पशुओं को खिलाने में अधिक होता है। राज्य के जिन भागों में कपास उत्पन्न होती है उन्हीं में बिनौला अधिक मिलता है। कपास को कारखानों में भेजने से पूर्व बिनौला अलग कर लेते हैं। अनुमानतः कपास में दो-तिहाई भाग बिनौला निकलता है और एक तिहाई रुई रह जाती है।

(३) अन्य व्यापारिक उपजें

राजस्थान में और भी कई प्रकार की उपजें होती हैं जिनमें गन्ना, तम्बाकू, मसाले, फल और शाक-सब्जी आदि मुख्य हैं।

(१) गन्नाः—क्षेत्रफल के अनुसार तो गन्ने की खेती का राजस्थान में विशेष महत्व नहीं है क्योंकि यहां की सम्पूर्ण कृषित भूमि के केवल .२% भाग में गन्ना बोया जाता है ❀परन्तु गन्ने से शक्कर तथा गुड़ तैयार करने के कारण इसका उत्पादन अब बढ़ाया जा रहा है। गन्ना सिंचाई वाले स्थानों की पैदावार है। बीकानेर डिवीजन के गंगानगर, जयपुर डिवीजन के टोंक और सवाई माधोपुर जिलों तथा उदयपुर और कोटा डिवीजनों के कई भागों में गन्ना बोया जाता है।

राजस्थान में गन्ने का उत्पादनः—

सन्	क्षेत्रफल (हजार एकड़)	उपज (हजार टन)
१९५९–५०	३७	२८
५०–५१	४१	१६
५१–५२	५४	११

गंगानगर का गन्ना वहां के शक्कर बनाने के कारखानों में काम आता है। उदयपुर डिवीजन का अधिकांश गन्ना भी वहां के भोपाल सागर की चीनी की फेक्ट्री में काम आता है। शेष गन्ने से गांवों में गुड़ तैयार करते हैं। आजकल हमारे यहां कोयम्बटूर की सुधरी हुई किस्म का गन्ना बोया जाने लगा है अतः गन्ने की प्रति एकड़ उपज बढ़ने की संभावना है।

(२) तम्बाकू—राज्य के विभिन्न भागों में सिंचाई द्वारा तम्बाकू की खेती की जाती है। इसकी खेती पर सरकार की ओर से कर लगता है अतः कई किसानों ने इसका उत्पादन बन्द कर दिया है। सन् १९५०–५१ में लगभग १२,००० एकड़ भूमि में तम्बाकू बोई गई और कुल पैदावार दो हजार टन हुई। अगले साल सन् १९५१–५२ में केवल ७,००० हजार एकड़ में तम्बाकू की खेती की गई और उत्पादन केवल एक हजार टन हुआ।

(३) फल—राजस्थान के पहले के देशी राज्यों की राजधानियों में राजा महाराजा अपने लिए सुन्दर बाग लगाते थे। वे बाग अब भी मौजूद हैं। उन बागों तथा अन्य बाग-बगीचों में बड़े परिश्रम से फल पैदा किये जाते हैं। फलों में आम, अमरूद, अनार, पपीता, सीताफल आदि मुख्य हैं।

❀ Director of Land Records, Rajasthan.

(४) मसाले—लाल मिर्च, धनिया, जीरा आदि राज्य के कई भागों में सिंचाई करके पैदा किये जाते हैं। उदयपुर, कोटा और जयपुर डिवीजन से धनिया बाहर भी भेजते हैं। कोटा और जयपुर में जीरा पर्याप्त मात्रा में होता है। आज कल कई जगह सौंप का उत्पादन भी होने लगा है। अजवायन, हल्दी तथा सौंठ भी थोड़ी बहुत मात्रा में कई जगह होती हैं।

(५) शाक-सब्जी—आज कल नगरों की आबादी बढ़ती जा रही है। नगरों और बड़े कस्बों के पास कई बाड़ियाँ हैं जिनमें गोभी, टमाटर, पालक, मूली, गाजर, करेला, लौकी, आलू आदि का उत्पादन होता है। सब्जी पैदा करने के लिये कुछ सरकारी फार्म भी हैं।

राजस्थान में आज कल आलू की पैदावार बढ़ रही है जैसा कि नीचे दिए हुए अंकों से स्पष्ट ज्ञात होता है:—

सन्	क्षेत्रफल (एकड़ों में)	उत्पादन (टनों में)
१९४९–५०	१,०००	१,०००
५०–५१	१,०००	२,०००
५१–५२	२५,०००	३,०००

खाद्य-पदार्थों में वृद्धि और कृषि की उन्नति

जैसा कि ऊपर बताया गया है राजस्थान में खेती की कई प्रकार की उपज होती है परन्तु विशेषकर खाद्य-पदार्थों की राज्य में कमी है। हमारे यहां प्रति वर्ष ४० हजार टन गेहूँ और १० हजार टन चावल की कमी रहती है। ※ इन दोनों की आयात करने में राजस्थान को प्रति वर्ष लाखों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। अन्य व्यापारिक उपजें भी उद्योग-धंधों की उन्नति के साथ और अधिक मात्रा में चाहिये।

हमारे यहां कृषि के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये निम्न लिखित उपाय किये जाने चाहिये:—

(१) परती भूमि को सुधारना—राज्य के कई भागों में परती जमीन पड़ी हुई है। उसकी जाँच की जानी चाहिये। बेकार जमीन के दोषों को उपयुक्त उपचारों द्वारा दूर किया जा सकता है। ऊँची नीची जमीन को ट्रेक्टरों द्वारा समतल बनाया जा सकता है।

※ Rajasthan : A Symposium-Page 140

२--सिंचाई के साधनों में वृद्धि करना—राज्य के अधिकांश भाग में सिंचाई के साधनों के अभाव में जमीन पड़ी रहती है। पंचवर्षीय योजना में सिंचाई को विशेष महत्व दिया गया है। सरकार के अतिरिक्त प्रजा की ओर से भी इस दिशा में जाग्रति होनी चाहिये। जहां नहरें और तालाव नहीं हैं वहां कुएँ खोदे जा सकते हैं।

३--उत्तम बीजों का प्रयोग—किसानों को उत्तम कोटि के बीजों का वितरण करने के लिये राज्य में कई स्थानों पर सरकार की ओर से गोदाम होने चाहिये। इस समय ऐसे गोदाम हैं अवश्य-परन्तु उनसे किसानों की मांग पूरी नहीं होती।

४--खाद का प्रयोग—इस समय हमारे खेतों में खाद का प्रयोग बहुत कम होता है। इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। गोबर के जलाने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिये। हरी खाद देने का महत्व भी किसानों को समझाना चाहिये। एमोनियम सल्फेट जैसी वैज्ञानिक खाद देने का प्रचार होना आवश्यक है।

५--पशु पालन में सुधार—खेती की पैदावार में हमारे यहाँ पशुओं का विशेष हाथ है। विना पशुओं की सहायता के खेती करना संभव नहीं है। पशुओं की नस्ल सुधारना जरूरी है। उन्हें बीमारी से भी बचाना चाहिये। पशुओं के लिये चारे का अच्छा प्रबंध हो। चारागाहों का होना भी जरूरी है।

६- फसल को कीड़ों और कीटाणुओं से बचाना—प्रति वर्ष असंख्य कीड़े और कीटाणु फसल को हानि पहुँचाते हैं। टिड्डी, कातरा आदि से लाखों मन अनाज की हानि हो जाती है। कई पौधों में बीमारी भी लग जाती है। कीटाणुओं को नष्ट करने तथा पौधों की बीमारियों के निवारण करने का समुचित प्रबंध होना चाहिये।

७--भूमि का उचित बँटवारा— इस समय कुछ लोगों के पास इतनी भूमि है कि उसका प्रबंध होना कठिन है। कुछ लोग भूमि हीन ही हैं। जागीरदारी उन्मूलन के पश्चात् भूमि का उचित बँटवारा हो जायगा, ऐसी आशा है। फिर भूमि कर में भी कमी हो जायगी। भू-दान यज्ञ आन्दोलन से भी भूमि की समस्या कुछ सीमा तक हल हो जायगी।

८--अन्न के अतिरिक्त अन्य पैदावार में वृद्धि—खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिये फल तथा शाक-सब्जी के उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिये। जनता को उनके उपयोग बताने चाहिये और किसानों को उनके

उत्पादन में उत्साह देना चाहिये। इसके साथ दुग्ध व्यवसाय की उन्नति करना भी आवश्यक है। इस व्यवसाय के लिये हमारे राज्य में पर्याप्त संभावना है।

९-सहकारी संस्थाओं (Co-operative Societies) में वृद्धि-राजस्थानी किसान की माली हालत अच्छी न होने के कारण वह अपने खेतों को सुधार नहीं सकता। सरकार की ओर से देहातों की उन्नति के लिये कॉप-रेटिव संस्थाएँ हैं जरूर परन्तु किसान उनसे अधिक लाभ नहीं उठाते। अशिक्षित होने के कारण वे ऐसी संस्थाओं का महत्व नहीं जानते। वर्तमान संस्थाओं की संख्या में वृद्धि होना आवश्यक है। किसानों को इन संस्थाओं से होने वाले लाभों से अवगत कराना चाहिये। ऐसी संस्थाएँ किसानों को खरीदी और बिक्री में भी सहायता दें।

१०-कृषि संबंधी शिक्षा-गांवों में प्रौढ शिक्षा का प्रचार कर अशि-क्षित किसानों को खेती में सुधार करने के तरीके समझाने चाहिये। किसानों के बच्चों के लिये प्रारम्भिक शिक्षा तो अनिवार्य कर देनी चाहिये और फिर कृषि संबंधी शिक्षा दी जानी चाहिये। उत्तर प्रदेश की भाँति हमारे यहां पर भी देहाती पाठशालाओं में कृषि-संबंधी शिक्षा देने का समुचित प्रबंध होना चाहिये। गांवों में सरकार की ओर से मॉडल फार्म खोल देने चाहिये। उनके द्वारा किसान खेती में सुधार करने के महत्व को शीघ्र पहचान जायेंगे।

ऊपर बताई हुई बातों को राजस्थान की पंचवर्षीय योजना में स्थान दिया गया है। आशा है राज्य की कृषि में उनके द्वारा उन्नति अवश्य होगी परन्तु योजना से लाभ उठाने के लिए जनता में जाग्रति उत्पन्न होना बहुत आवश्यक है।

अध्याय ६

ग्रामोद्योग

राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है। यहां के अधिकांश लोग गांवों में ही रहते हैं। अपने अवकाश के समय वे अपनी आवश्यकता की बहुतसी वस्तुएँ बना लेते हैं। इन्हें हम घरेलू धंधे भी कहते हैं। गांव में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन छोटे धंधों पर ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। कुम्हार, बढ़ई आदि ऐसे ही लोग हैं। इन धंधों के आधार पर ही उन लोगों की जातियां बन गई हैं। इन घरेलू तथा छोटे पैमाने के धंधों में बहुत कम पूँजी लगानी पड़ती है। राजस्थान के लगभग ६ लाख व्यक्ति इन छोटे धंधों या ग्रामोद्योगों में लगे हुए हैं।

हमारे राज्य में ग्रामोद्योगों का बड़ा महत्व रहा है। इसके कई कारण हैं। यहां की विभिन्न रियासतों के राजा महाराजा कला–कौशल की चीजों को बहुत पसन्द करते थे। अच्छे कारीगर उनके द्वारा इनाम पाते थे। कारीगरी की महंगी से महंगी वस्तुएँ भी राजा खरीद लेते थे अतः कारीगरों को प्रोत्साहन मिलता था। राजस्थान के बड़े भाग में साल में एक ही फसल (खरीफ) होती है अतः गांव के निवासियों को छोटी मोटी चीजें बनाने के लिये समय भी पर्याप्त मिल जाता है। खेती में पर्याप्त उत्पादन न होने के कारण भी गांव वालों को अपना गुजारा करने लिये इस प्रकार के धंधे करने ही पड़ते हैं। इन्हीं सब कारणों से राजस्थान में घरेलू तथा गांव के धंधे उन्नत अवस्था में थे।

परन्तु धीरे धीरे ग्रामोद्योगों की दशा खराब होने लगी। इन धंधों में लगे हुए व्यक्तियों की आर्थिक दृष्टिकोण से आजकल हीन दशा हो गई है। अब बहुत से लोग इन धंधों को छोड़ने लगे हैं। घरेलू धंधों की अवनति के कई कारण हैं:—

(१) आजकल मशीनों से बना हुआ माल गांवों में पहुँचने लगा है। मशीन से बना सामान सस्ता पड़ता है। उदाहरण के लिए मशीन से बुना कपड़ा हाथ से बुने कपड़े की तुलना में सस्ता भी पड़ता है और सुन्दर भी होता है। यही कारण है कि लोग बाहर से आए हुए कपड़े को अधिक पसन्द करते हैं।

(२) आबादी के बढ़ने के साथ लोगों की आर्थिक दशा खराब हो रही है। राजा महाराजों और धनवान लोगों में भी कारीगरी की रुचि न रही अतः घरेलू धंधों को पहले जैसा संरक्षण नहीं मिलता।

(३) गांव के कारीगरों को वस्तुएँ बनाने के लिये कच्चा माल नहीं मिलता। उनकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है। साहूकार लोग माल बहुत महंगा देते हैं।

(४) गांव में बनी हुई वस्तुओं की बिक्री के लिए समुचित प्रबंध नहीं है। वस्तुएँ न बिकने तथा देर से बिकने के कारण कारीगरों को निराश होना पड़ता है।

(५) गांव के कारीगरों में से कई अपने धंधों से निराश होकर अन्य व्यवसाय में लग जाते हैं। वे नगरों में जाकर नौकरियाँ भी करने लगते हैं। ऐसी अवस्था में उनकी संतानें अपनी पैतृक कुशलता खो बैठी हैं। वे अच्छी वस्तुएँ नहीं बना सकते।

ऊपर बताई हुई कठिनाइयाँ आने पर भी राजस्थान के घरेलू धंधे नष्ट नहीं हुए हैं। आज दिन भी राज्य के कई भागों में उत्तम कोटि की सुन्दर उपयोगी वस्तुएँ बनाई जाती हैं। खेती के पश्चात अब भी राजस्थान में लोगों के व्यवसाय के अनुसार घरेलू धंधों का प्रथम स्थान है।

राजस्थान के कुटीर व्यवसाय कई हैं। इनका वर्णन करने के लिये उन्हें उनकी उपयोगिता तथा कच्चे माल की आवश्यकता के अनुसार कई श्रेणियों में बाँट सकते हैं। उनका वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है:—

[१] वस्त्र व्यवसाय

राजस्थान में सूती तथा ऊनी कपड़ा कई जगह बनता है। इसके अतिरिक्त सूती कपड़े की रंगाई, छपाई और बंधाई भी सुन्दर होती है।

(अ) सूती कपड़ा बुनना—इस व्यवसाय का कच्चा माल कपास है। यह राजस्थान में पैदा होती है और बाहर से भी इसे मंगाते हैं। घरों में औरतें कताई का काम करती हैं। फिर जुलाहे कपड़ा बुनते हैं। मिलों में तैयार किए हुए सूत से भी कपड़ा बुना जाता है। हाथ के बुने कपड़े में खादी, रेजा, दुकड़ी, खेस आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में सूत की कताई और बुनाई में ५५,८७१ मनुष्य लगे हुए हैं।* वैसे तो सूती कपड़ा राजस्थान के कई स्थानों में तैयार किया जाता है परन्तु कोटे का बारीक कपड़ा अधिक प्रसिद्ध है। गोविन्दगढ़, करौली और जालौर का बुना कपड़ा भी अच्छा गिना जाता है। कपड़ा बुनने के लिये आजकल कई जगह 'हैंडलूम' काम में लिये जाते हैं। सूत से दरियाँ, चद्दरें, रूमाल आदि भी कई जगह बनते हैं। जोधपुर और जयपुर की जेलों में सुन्दर और मजबूत दरियाँ बनती हैं।

---

* Census of India, Volume X Part I A, page 297

(आ) ऊनी-वस्त्रः— राजस्थान के शुष्क मरुस्थली भाग में भेड़ें बहुत पाली जाती हैं। इनकी ऊन से कम्बल तथा ऊनी वस्त्र बनाते हैं। ऊन यहां से बाहर भी भेजते हैं क्योंकि सब ऊन यहां नहीं खप सकती। बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर तथा बाड़मेर के कम्बल बड़े प्रसिद्ध हैं। मरुस्थली भाग का यह मुख्य व्यवसाय होने के कारण सरकार भी इस ओर विशेष ध्यान दे रही है। यहां के बने कम्बल बड़े गरम और मजबूत होते हैं अतः बाहर भी उनकी मांग अधिक है। ऊनी कपड़ा अभी तक कम तैयार होता है। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऊनके नमदे अच्छे बनते हैं जिनकी अच्छी मांग रहती है। ऊनकी कताई और बुनाई में १,५२० मनुष्य लगे हुए हैं।

(इ) कपड़े की रंगाई, छपाई और बंधाई— सूती कपड़े की रंगाई, और बंधाई राजस्थान की बहुत पुरानी कला है। यहां के रंगरेज इस काम को करते हैं जो बड़े निपुण गिने जाते हैं।

जोधपुर के पाली और पीपाड़, जयपुर के सांगानेर और कोटा की रंगाई अच्छी होती है। जयपुर, जोधपुर और चित्तौड़ की छपाई अच्छी होती है। आजकल बड़े बड़े नगरों में साड़ियाँ, चद्दरें, मेज-पोश, पर्दों की आदि पर छपाई करने का काम होने लगा है। जोधपुर, नागौर, कुचामन, उदयपुर और कोटा में चूँदड़ी, साड़ी और पगड़ी की बंधाई अच्छी होती है।

सूती कपड़े की रंगाई, धुलाई, छपाई आदि में १७,०४५ मनुष्य लगे हुए हैं।✽

[२] पशु-पालन और तत्सम्बंधी धंधे

राजस्थान पशु-पालन तथा तत्सम्बन्धी धन्धों का प्रमुख स्थान है। इस प्रकार के धंधों में दुग्ध व्यवसाय, घी बनाना तथा चर्म व्यवसाय मुख्य हैं:—

(अ) दुग्ध व्यवसाय— राजस्थान के बड़े बड़े नगरों और कस्बों में दूध की मांग निरन्तर बढ़ रही है। इसकी पूर्ति करने के लिये बहुत से लोग गाय और भैंस पालते हैं। इनका दूध वे नगरों में भेज देते हैं। नगरों में भी अब कई दुग्धशालाएं (डेरियाँ) खोली जा रही हैं।

एकीकरण से पूर्व कई देशी राज्यों में सरकारी डेरियाँ भी अच्छी अवस्था में थी। दूध के लिये वहां अच्छी नस्ल के पशु पाले जाते हैं।

(आ) घी व्यवसाय— गरम प्रदेश होने के कारण हमारे यहां मक्खन पर्याप्त समय तक अच्छी अवस्था में नहीं रह सकता। इसी कारण मक्खन को गरम करके घी तैयार कर लेते हैं। यह कई दिनों तक खराब नहीं होता।

✽ Census of India, 1951, Volume X Part I. A. p. 297.

राजस्थान के शुष्क मरुस्थली प्रदेश में लोग चौपाए अधिक पालते हैं। वहां के गांवों में दूध की बिक्री नहीं होती अतः लोग घी तैयार करके कस्बों और नगरों में भेज देते हैं। बड़े बड़े व्यापारी लोग घी को एकत्रित करके उसे राजस्थान के शहरों में तथा बाहर भी भेज देते हैं। जैसलमेर, फलौदी, बाड़मेर, सरदार शहर, चूरू आदि से पर्याप्त मात्रा में घी बाहर भेजा जाता है। आजकल सस्ते वनस्पती घी के प्रचार के कारण असली घी के व्यापार को बहुत धक्का लगा है।

डेन मार्क की भाँति राजस्थान में दुग्ध तथा घी व्यवसाय को यदि सहकारी पद्धति पर चलाया जाय तो बहुत लाभ होने की संभावना है।

(इ) चमड़ा कमाना—राजस्थान में पशु धन अधिक होने के कारण चमड़ा पर्याप्त मिलता है। राज्य के उत्तरी-पश्चिमी भाग से कच्चा चमड़ा बाहर भी भेजा जाता है। देहात में कई हरिजन चमड़े को साफ भी करते हैं। यहां चमड़ा कमाने का धंधा बहुत पुराने ढंग से होता है। चमड़ा कमाने के लिये बबूल तथा आंवल की छाल, तिल का तेल और चूना चाहिये। ये पदार्थ राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं अतः चमड़ा कमाने के व्यवसाय में सुधार करना चाहिये। जोधपुर डिवीजन के एरिनपुरा, पाली और रानी कस्बों में चमड़ा कमाने छोटे छोटे कारखाने हैं जिनमें सैकड़ों खालें प्रतिदिन तैयार होती हैं। आजकल ऐसे कारखाने अन्यत्र भी खोले जा रहे हैं। साफ की हुई खालें कानपुर, मद्रास, आगरा आदि नगरों में चमड़े के कारखानों में काम आने के लिए भेज दी जाती हैं।

सन् १९५१ की मनुष्य गणना के अनुसार राजस्थान में चमड़ा कमाने तथा तत्सम्बन्धी व्यवसाय में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या २५,८५५ है।

(ई) जूते तथा चमड़े का अन्य सामान बनाना—जूते बनाने का काम राजस्थान में प्रायः सभी जगह होता है। देहातों में ग्रामीणों के लिये मजबूत देशी जूते बनाए जाते हैं जिनमें स्थानीय चमड़ा काम में ले लिया जाता है। नगरों में मोची पतले चमड़े के सुन्दर जूते बनाते हैं। जोधपुर नगर में बने कसीदे के जूते बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्हें बाहर भी पर्याप्त संख्या में भेजते हैं।

जूते बनाने के अतिरिक्त चमड़े से और भी कई वस्तुएँ बनाई जाती हैं। घोड़े की काठियाँ तथा ऊँट के जीन भी तैयार किये जाते हैं। जयपुर में तलवार की म्यान अच्छी बनती है। जोधपुर में चमड़े के थैले बनते हैं जो बन्दूक की बारूद डालने में काम आते हैं। आज कल ऐसे थैलों को स्त्रियाँ हैंड बैग के रूप में रखने लगी हैं अतः उनकी माँग बाहर भी निरन्तर बढ़ रही है।

जूते बनाने, जूतों की मरम्मत करने तथा चमड़े की अन्य प्रकार की वस्तुएँ बनाने में राजस्थान में ३२,८६६ मनुष्य काम करते हैं।

(३) वनों के उत्पादन पर आधारित धंधे:—

राजस्थान के वन्य प्रदेश से कई प्रकार की वस्तुएँ मिलती हैं जिन पर विविध प्रकार के धंधे आधारित हैं। उत्तम कोटि की लकड़ी का फर्नीचर, मकान के दरवाजे, शहतीरें आदि तैयार किए जाते हैं। वृक्षों की छाल चमड़ा कमाने में काम आती है जैसा कि पहले बताया जा चुका है। वनों में बाँस भी मिलता है जो कई तरह से काम आता है। कई वृक्षों से गोंद तथा लाख प्राप्त की जाती है। वन लगाने तथा वनों की सब प्रकार की ऐसी पैदावार को एकत्रित करने में राजस्थान में कुल मिलाकर १६,४७८ मनुष्य लगे हुए हैं।※

वनों के उत्पादन पर आधारित धंधे इस प्रकार हैं :—

१) लकड़ी का सामान:— राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा आदि जिलों में अच्छे जंगल हैं जिनसे उत्तम कोटि की लकड़ी प्राप्त की जाती है। इस लकड़ी को पास के नगरों में भेजकर कई प्रकार की उपयोगी वस्तुएँ बनाई जाती हैं। चारपाइयाँ, तख्ते, मेज, कुर्सियाँ, किवाड़ आदि का काम बढ़ई अपने घरों में करते हैं। नगरों में फर्निचर बनाने के बड़े कारखाने भी खुलने लगे हैं जिनमें बाहर से मंगाई हुई लकड़ी अधिक काम में आती है। लकड़ी के सब प्रकार के काम में हमारे यहां लगभग ३० हजार मनुष्य लगे हुए हैं।

(२) खैराद का काम:— कई जगह लकड़ी के खिलौने तथा खैराद की छोटी छोटी वस्तुएँ जैसे पलंग के पाए, शृंगारदान आदि अच्छी बनती हैं। इनकी रंगाई कर लेने से वे बड़ी सुन्दर दिखाई देती हैं। उदयपुर डिवीजन के उदयपुर नगर तथा जहाजपुर कस्बे और जोधपुर डिवीजन के सज्जनपुर (बगड़ी) कस्बे में खैराद का काम अच्छा होता है। उदयपुर के लकड़ी के खिलौने तो बाहर भी बहुत भेजे जाते हैं।

(३) बाँस का काम:— पहाड़ी भाग की तिलहटी में बसे हुए गांवों में कई जगह गांछे लोग बांस का काम करते हैं। बांस से टोकरियाँ, कंडे और चिक बनाये जाते हैं। इन वस्तुओं को बिक्री के लिए बड़े नगरों में भेज देते हैं। बड़ी टोकरियाँ तो गांवों में भी बिक जाती हैं। ये किसानों के काम में आती हैं। कंडे नगरों में अधिक बनते हैं। वहां हलवाई उन्हें मिठाई डालने में काम लेते हैं। मकान के दरवाजों पर लगाने के लिये जयपुर में बनी हुई

※ Cencus of India-Volume x Part I A. Pages 283.

चिकें बहुत प्रसिद्ध हैं। रंग लेने पर वे बड़ी सुन्दर दिखाई देती हैं। नगर सफाई में काम आने वाली झाडुएँ भी बांस से बनाई जाती हैं।

(ई) लाख व्यवसाय:— राजस्थान के पठारी और पहाड़ी भाग के वनों में कई वृक्षों से लाख एकत्रित की जाती है। लाख का कीड़ा पलास, कुसुम और बेर के वृक्षों पर अधिक पाया जाता है। जंगलों में रहने वाले लोग लाख को एकत्रित करके कस्बों में बेच देते हैं। वहां लखारे लोग इसको साफ करते हैं। लाख से चपड़ी और चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। गांवों में कई स्त्रियाँ लाख की चूड़ियाँ पहनती हैं।

लाख से और भी कई वस्तुएँ तैयार की जाती हैं। हमारे यहां अभी तक लाख व्यवसाय बहुत पिछड़ी अवस्था में है। अधिकांश लाख कच्चे रूप में ही बाहर भेज दी जाती है। हमारे गांवों में यदि इस व्यवसाय को प्रोत्साहन दिया जाय तो कई लोगों का जीवन-निर्वाह हो सकता है।

(उ) सिरकी बनाना:—कांस की तीलियों से सिरकियाँ बनाने का धंधा कई जगह होता है। कांस अर्द्ध मरुस्थली तथा मैदानी भाग में पाए जाते हैं। जोधपुर के नागौर जिले में तथा जयपुर के सीकर और जयपुर जिलों में कई लोग सिरकी बनाकर जीवन-निर्वाह करते हैं। इस धंधे पर आधारित व्यक्तियों की संख्या २३० है। मोटी तीलियों से कुर्सी की भांति सुन्दर मूंढे भी बनाए जाते हैं। इस व्यवसाय को करने वालों की संख्या ४४१ है। इसी व्यवसाय से संबंधित मूंज बनाने का धंधा है। कांस के रेशे को कूट कर मूंज तैयार की जाती है जो विशेष कर चारपाई बनाने में काम आती है। मूंज की रस्सियाँ कुएँ से पानी निकालने तथा पशुओं को बांधने में भी काम आती हैं।

(४) धातु सम्बन्धी व्यवसाय

धातुओं से कई प्रकार की वस्तुएँ तैयार की जाती हैं। लोहा, पीतल, तांबा आदि धातुएँ अधिकांश रूप में प्रयुक्त होती हैं। इन धातुओं का राजस्थान में अभाव होने के कारण इन्हें बाहर से मंगाते हैं।

(अ) लोहे का सामान:—लोहे से बनने वाली वस्तुएँ विविध प्रकार की होती हैं। इनमें घरों में काम आने वाली वस्तुएँ जैसे अंगीठी, कढ़ाई, कूंडे आदि, छोटे मोटे औजार जैसे चाकू, उस्तरा, कैंची आदि मुख्य हैं।

लोहे का सामान लोहार बनाते हैं। राजस्थान के गांवों तथा कस्बों में लोहारों के कई घर मिलते हैं। एक प्रकार के घुमक्कड़ लोहार भी होते हैं जो यहां 'गाडिये लोहार' के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे घर बनाकर नहीं रहते और पुराने तथा नए लोहे से छोटी मोटी वस्तुएँ बनाकर घूमते हुए इन्हें बेचते रहते हैं और इस प्रकार अपना गुजारा करते हैं।

राजस्थान के झूंझूनू, नागौर, बांसवाड़ा और सिरोही जिलों में लोहे का काम अधिक होता है। इस व्यवसाय में लगभग डेढ़ हजार व्यक्ति लगे हुए हैं।

(आ) पीतल, तांबा आदि धातुओं की वस्तुएँ:— पीतल के बर्तन जैसे थालियाँ, कटोरियाँ, लोटे, कलस, पतीलियाँ आदि बनाने का काम बहुत प्राचीन काल से होता आ रहा है। पूजा में काम आने वाले बर्तन तांबे से बनाए जाते हैं। पीतल और तांबे की मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं। जयपुर, पाली, जोधपुर और भरतपुर में पीतल और तांबे का काम अच्छा होता है। इस धंधे में कुल मिलाकर दो हजार से भी अधिक मनुष्य काम करते हैं। आजकल धातु के बर्तन कारखानों में बनने लगे हैं। वे सस्ते भी पड़ते हैं और सुन्दर भी दिखाई देते हैं अतः हाथ से बने बर्तनों की मांग कम होने लगी है। कई जगह विशेषतः भीलवाड़े में घरेलू बर्तनों पर पक्की कलई करने का काम अच्छा होता है।

(इ) सोने और चांदी के आभूषण— राजस्थान में सोने और चांदी के जेवर का खूब प्रचार है। मारवाड़ी व्यापारियों की स्त्रियाँ बहुत कीमती गहने पहनती हैं। धनाढ्य लोगों की बस्तियों में सोनार जेवर बनाने का काम करते हैं इस बारीक काम में वे बड़े निपुण होते हैं। राजस्थान से बाहर भी कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदि राज्यों में जहां जहां मारवाड़ी व्यापारी रहते हैं वहां यहां के सोनार जेवर बनाने के लिये जाते हैं और कुछ ही दिनों में अच्छा धन कमा कर लाते हैं।

बीकानेर और जोधपुर डिवीज़नों में सोने और चांदी के गहने अच्छे बनते हैं। बीकानेर नगर, सरदार शहर, चूरू, फतेहपुर, नागौर, लाडनूं आदि के सोनार जेवर बनाने में चतुर गिने जाते हैं। राजस्थान में इस व्यवसाय में लगे हुए मनुष्यों की संख्या १७,५७२ है।

[५] पत्थर का काम

खनिज सम्पत्ति के अध्याय में बताया जा चुका है कि राजस्थान में कई प्रकार का पत्थर निकलता है। पत्थर निकालने तथा पत्थर की वस्तुएँ बनाने में कई मनुष्य लगे हुए हैं। पत्थर से संबंधित निम्नलिखित धंधे हैं:—

(अ) मकान बनाना— राजस्थान के अधिकांश मकान पत्थर से बने हुए हैं। राज्य के पहाड़ी और पठारी भाग में पत्थर से मकान बनाने का काम अधिक होता है। मकान बनाने में राज बड़े चतुर होते हैं। उनकी संख्या हमारे राज्य में ७ हजार से भी अधिक है। इनके अतिरिक्त लगभग ५ हजार अन्य व्यक्ति भवन-निर्माण में लगे हुए हैं। लगभग १२ हजार मजदूर ऐसे जो

मकानों की मरम्मत करते हैं। ४६०० मनुष्य ऐसे हैं जो मकान बनाने के लिये पत्थर काट कर तैयार करते हैं। लगभग ३ हजार मजदूर ऐसे हैं जो मकान बनाने में ही काम करके अपना गुजारा करते हैं। इस प्रकार भवन-निर्माण कार्य में लगभग ३० हजार मनुष्य कार्य करते हैं। इनके अतिरिक्त लगभग दो हजार मिस्त्री मकान बनाने के लिए राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग (पब्लिक वर्कस डिपार्टमेन्ट) में नौकर हैं।

(आ) पत्थर की खुदाई और जड़ाई—जहां सुन्दर पत्थर निकलता है वहां कई कारीगर कीमती पत्थर की खुदाई करते हैं। पत्थर की जालियाँ कई भवनों, मन्दिरों और मस्जिदों में दिखाई देती हैं। मकान की फर्श पर कई प्रकार के पत्थरों की जड़ाई होती है। जोधपुर, मकराना और जैसलमेर के कारीगर इस काम में बड़े चतुर हैं।

(इ) पत्थर की चीजें बनाना—सफेद, पीले और काले पत्थर से बहुत सी उपयोगी वस्तुएँ बनाई जाती हैं जैसे प्याले, गिलास, चकले, पेपरवेट, कूंडियाँ, फोटो के फ्रेम आदि। ये वस्तुएँ सुन्दर और मजबूत होती हैं। मकराने डूंगरपुर, जैसलमेर और जयपुर में पत्थर की ऐसी कई वस्तुएँ बनती हैं। जयपुर में संगमरमर की मूर्तियाँ अच्छी बनती हैं। कई जगह खुरदरे पत्थर से आटा पीसने की चक्की के पाट बनाते हैं। राजस्थान में पत्थर के प्याले बनाने में ३२५ मनुष्य लगे हुए हैं।* चक्कियाँ बनाने में ४०१ कारीगर लगे हुए हैं।

(६) मिट्टी का काम

गांवों में कुम्हार लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। इनकी मांग सभी जगह रहती है। मिट्टी से मकान बनाने के लिए ईंटें भी बनाते हैं। मकानों की छत के लिये मिट्टी से खपड़ैल भी बनाते हैं। कई जगह मिट्टी के खिलौने भी बड़े सुन्दर बनते हैं। इस प्रकार मिट्टी से कई प्रकार की वस्तुएँ बनती हैं।

(अ) मिट्टी के बर्तन—लाल, काली, भूरी मिट्टी के घड़े और सुराइयाँ प्रायः सभी कहीं मिलती हैं। ये बर्तन बड़े सस्ते पड़ते हैं। इन के बनाने के लिए कुम्हारों के पास देशी तरीके के बहुत ही साधारण औजार होते हैं। बारीक और चिकनी मिट्टी बर्तन बनाने के लिए अधिक काम में आती है। मिट्टी के बर्तनों का सबसे बड़ा दोष यह है कि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने में बड़ी कठिनाई होती है क्यों कि उनके फूटने का डर रहता है। नगरों

* Census of India. Volume X Rajasthan & Ajmer Part I. A Page 312.

में कई जगह सुन्दर सुराइयाँ बनती हैं। आजकल चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है।

मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों की संख्या राजस्थान में ४२,७६८ है।

(आ) ईंट व्यवसाय—मकान बनाने के लिये कच्ची और पक्की ईंटे बनाई जाती हैं। ईंटों के लिये चिकनी मिट्टी की अवश्यकता होती है। राजस्थान के जिन भागों में मकान बनाने के लिये पत्थर की कमी है वहाँ ईंटों से मकान बनाते हैं। मरुस्थली तथा पूर्वी मैदानी भाग में पत्थरों के साथ मकानों में ईंटे भी काम में ली जाती हैं। मिट्टी से पहले कच्ची ईंटें तैयार कर लेते हैं और फिर भट्टों में उन्हें पका लेते हैं। राज्य के विभिन्न भागों में लगभग ७ हजार व्यक्ति ईंट बनाने में लगे हुए हैं।

मकानों की छत्त पाटने के लिये जहां पर पत्थर की लम्बी पट्टियाँ नहीं मिलतीं वहां छत्त के लिए खपड़ैल काम में लाते हैं। छत्त पर पहले बांस या लकड़ी के टुकड़े जमा देते हैं और फिर उन पर खपड़ैल डाल देते हैं। ईंटों की भाँति खपड़ैल भी भट्टी में पकाये जाते हैं।

(इ) मिट्टी के खिलौने— कई स्थानों के खिलौने प्रसिद्ध हैं। गांवों तथा नगरों में जब मेले लगते हैं तो मिट्टी के खिलौने बिकते हुए दिखाई देते हैं। जेयपुर और मेड़ता में मिट्टी के खिलौने अधिक बनते हैं। जयपुर नगर में बने खिलौने तो बाहर भी भेजे जाते हैं। वहां मिट्टी में गोंद, कॉच, सज्जी और मुल्तानी मिट्टी आदि मिलाकर लुब्दी तैयार की जाती है और उससे चिड़ियाँ, प्याले तथा अन्य प्रकार के रंगीन खिलौने बनाए जाते हैं।

(७) कृषि की उपज पर आधारित धंधे

राजस्थान के अधिकांश लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती होने के कारण कुछ ग्रामोद्योग ऐसे भी हैं जिनका कच्चा माल खेतों से प्राप्त किया जाता है ऐसे कई धंधे हैं।

(अ) तेल निकालना—पहले बताया जा चुका है कि राजस्थान तिलहन की उपज बहुत होती है। इनसे तेल निकालने के लिये देहातों, कस्ब और नगरों में कोल्हू या घाणियाँ हैं। इस व्यवसाय को विशेषत: तेली लो करते हैं। तिल, अलसी और मूंगफली का तेल अधिक निकलता है। कोट बीकानेर, झालावाड़, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर डूंगरपुर और भरतपुर जि में घाणियों की संख्या अधिक है। आजकल नगरों में तेल निकालने के कारखा खुलने के कारण घाणियों कि संख्या कम हो रही है।

(आ) गुड़ बनाना—राजस्थान के उन भागों में, जहां गन्ने की पैदावार अच्छी होती है, गुड़ बनाते हैं। इसके लिये कोल्हू काम में लाते हैं। गंगानगर, कोटा और उदयपुर जिलों में कई जगह गुड़ बनाया जाता है।

आजकल ताड़-खजूर से गुड़ बनाने का यत्न किया जा रहा है। सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे रही है। राजस्थान के जयपुर, उदयपुर और कोटा डिवीजनों में २० हजार खजूर के पेड़ हैं।

(इ) तम्बाकू व्यवसाय—इस व्यवसाय में हुक्कों लिये तम्बाकू तैयार करना और बीड़ी बनाने का काम होता है। आज कल बीड़ी बनाने के छोटे छोटे कई कारखाने खुल गए हैं। यह व्यवसाय राजस्थान के पठारी प्रदेश में अधिक होता है। राजस्थान में बीड़ी बनाने वाले व्यक्तियों की संख्या ३,८७८ है। उनमें लगभग ४०% बूंदी और कोटा जिलों में है। इनका मुख्य कारण यह है कि उपजाऊ भूमि उत्तम कोटि की तम्बाकू उत्पन्न करने के लिये उपयोगी है और वहां के वनों से बीड़ी बनाने के पत्ते भी मिल जाते हैं।

(ई) आटा पीसना—पहले आटा पीसने के लिये हाथ की चक्कियाँ काम में आती थी। बड़े कस्बों में भैंसे और बैलों से भी चक्कियाँ चलाई जाती थी। आज कल बड़े नगरों और कस्बों में तो आटा मशीन से पीसा जाता है परन्तु देहातों में अब भी स्त्रियाँ अपने हाथ से आटा पीसती हैं। हाथ से पीसा हुआ आटा अधिक पोषक होता है। राजस्थान के जिस भाग में अनाज अधिक होता है वहां आटे की चक्कियाँ अधिक हैं। गंगानगर, अलवर, भरतपुर, कोटा आदि में आटे की चक्कियाँ अधिक हैं। वैसे हाथ की चक्कियाँ तो सर्वत्र ही पाई जाती हैं।

(उ) दालें बनाना—राजस्थान में चना, मूँग आदि का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है। उनके उत्पादन क्षेत्रों में दाल बनाने का धंधा बहुत प्रचलित है। अलवर, भरतपुर, गंगानगर, डूंगरपुर आदि जिलों में दाल बनाकर बाहर भी भेजते हैं। अन्न को साफ करने और दालें बनाने के व्यवसाय पर गुजारा करने वाले व्यक्तियों की संख्या हमारे यहाँ लगभग सात हजार है।

(८) कृषि सम्बन्धी औजार तथा अन्य वस्तुएँ

राजस्थान में खेती की प्रधानता होने से वहां खेतों में काम आने वाले औजार तथा अन्य कई प्रकार की वस्तुएँ राज्य के कई स्थानों में तैयार की जाती हैं। राज्य के पूर्वी मैदानी भाग में खेती अच्छी होती है अत: यहां

कृषि सम्वन्धी वस्तुएँ अधिक वनती हैं। पहले वहां के मेव लोग इस कार्य को करते थे परन्तु उनमें से अधिकांश अव पाकिस्तान चले गए हैं और उनके स्थान पर आए हुए शरणार्थी अव इस धंधे को करते हैं।

हमारे यहां के खेती के औजार वहुत साधारण होते हैं और उन्हें प्राय: गांव के कारीगर वना लेते हैं।

(१) **हल**— यह खेती का सवसे उपयोगी औजार है। हल लकड़ी से तैयार किया जाता है। इसे प्राय: सभी जगह गांव के वढ़ई वना लेते हैं। यह हल वजन में हल्का और कम कीमत का होता है। इसे वैल, भैंसा या ऊँट खींचते हैं।

(२) **वैल गाड़ियाँ** - खेतों में खाद देने के लिऐ, खेती की पैदावार को वाजार तक भेजने के लिये तथा पशुओं के लिये चारा लाने आदि के लिये गांवो में वैल गाड़ियों का ही अधिक प्रयोग होता है। इन्हें भी गांव के वढ़ई तैयार कर लेते है। राजस्थान के पहाड़ी और पठारी भाग में, जहां लकड़ी अच्छी मिलती है, वैल- गाड़ियाँ अच्छी वनती हैं।

(३) **रहट वनाना**—पहाड़ी भाग में जहां जमीन के नीचे पानी की गहराई अधिक नहीं है, कुएँ तथा वावड़ी में रहट लगाते हैं। नगरों तथा कस्वों में लोहे के रहट लोहार वनाते हैं। गांवों में वढ़ई भी रहट तैयार कर लेते हैं।

(४) **लोहे के औजार**— जैसा कि पहले वताया जा चुका है खेतों में काम आने वाले औजार—फावड़ा, कुदाली, गैंती आदि—लोहारों द्वारा वनाई जाती हैं।

(५) **रस्सियाँ**—कुएँ से पानी निकालने तथा पशुओं को वांधने आदि में मूँज, सन, नारियल के रेशो आदि से रस्सियाँ वनाई जाती हैं। इन सव प्रकार की रस्सियों को, जो खेती के अतिरिक्त अन्यत्र भी काम में आती हैं, वनाने में राजस्थान के २, ७१२ व्यक्ति लगे हुए हैं।

(६) सावुन, तेल आदि

घरों में प्रति दिन काम में आने वाली वस्तुएँ जैसे कपड़ा धोने का सावुन, सिर में लगाने का तेल आदि वस्तुएँ घरेलू धंधों के रूप में राजस्थान के कई कस्वों और नगरों में तैयार की जाती हैं।

(१) **सावुन वनाना**-- कपड़ा धोने तथा शरीर की सफाई के लिए सावुन की मांग निरन्तर वढ रही है। राजस्थान के नगरों और कस्वों में छोटी

छोटी फैक्ट्रियाँ साबुन बनाने के लिये खुल गई हैं। इन फेक्ट्रियों में लगभग २०० मनुष्य काम करते हैं। इनके अतिरिक्त कई लोग हाथ से ही साबुन बनाकर बेचते हैं। आजकल घरों में स्त्रियाँ अपनी आवश्यकतानुसार साबुन तैयार कर लेती हैं। साबुन बनाने के लिए सोडा तो बाहर से मंगाते हैं परन्तु तेल यहीं मिल जाता है।

(२) तेल बनाना—सिर में लगाने का सुगंधित तेल भी कई जगह तैयार किया जाता है। बड़े कस्बों और नगरों में तेल तथा सुगंधित पदार्थों की अधिक मांग होने के कारण यह व्यवसाय आज कल बढ़ रहा है। तिल, सरसों आदी का तेल मशीन से भी साफ किया जाता है। खोपरे का बाहर से मंगा कर काम में लेते हैं।

(१०) अन्य धंधे

ऊपर वर्णन किए हुए धंधो के अतिरिक्त राज्य के विभिन्न स्थानों में और भी कई प्रकार के धंधे प्रचलित हैं जैसे हाथी दाँत का सामान बनाना, नमक तैयार करना, कागज बनाना आदि। ये धंधे इस समय तो छोटे पैमाने पर हैं परन्तु इन पर ध्यान देने से इनमें पर्याप्त वृद्धि हो सकती है।

(१) हाथी दाँत की वस्तुएँ—हाथी दाँत से बटन, इत्र दानी, चाकू के बैंटे आदि कई प्रकार की छोटी वस्तुएँ बनाई जाती हैं। नागौर, पाली बालोतरा, जयपुर आदि में कई कारीगर ऐसी चीजें बनाते हैं। इन्हें बाहर भी भेजते हैं। पाश्चात्य देशों में इनकी मांग बढ़ रही है। हाथी दाँत से चूड़ियां भी बनती हैं जिन्हें गांवों में स्त्रियाँ पहनती हैं।

(२) कागज बनाना—शिक्षित मनुष्यों की संख्या बढ़ने के साथ कागज की मांग दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। बहुत पहले से ही राजस्थान में हाथ का कागज बनाया जा रहा है। कोटा, घोसूंडा (उदयपुर) और सांगानेर में कागज अच्छा बनता है। इस व्यवसाय में अभी केवल ७८ व्यक्ति ही लगे हुए हैं परन्तु इनकी संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। राजस्थान के पहाड़ी और पठारी भाग के वनों में मुलायम लकड़ी और बांस मिलता है जिनसे लुब्दी तैयार कर कागज बनाया जा सकता है।

(३) हथियार-औज़ार बनाना—राजस्थान के भूतपूर्व राज्यों में राजा महाराजा कई प्रकार के हथियार बनवाते थे। प्राचीनकाल में ये हथियार युद्ध में काम आते थे। ऐसे हथियार राज्यों के अजायबघरों में देखने को मिलते हैं। आज दिन भी राजस्थान के कई स्थानों में सुन्दर हथियार बनाने वाले कारीगर मिलते हैं। वे ढाल, तलवार, बन्दूक, छुरे आदि बनाते हैं। सिरोही की कटारें और उदयपुर के छुरे प्रसिद्ध हैं।

(४) **मधु-मक्खी पालन**—अरावली शृंखला के वनों में कई जगह मधु-मक्खियों के छाते पाए जाते हैं। उनसे शहद निकाला जाता है। वहां के आदि वासी जैसे भील, गिरासिये आदि वनों में घूमकर शहद एकत्रित करते रहते हैं। इस समय शहद के ठेके दिए हुए हैं। इसी कारण शहद-व्यवसाय की दशा अच्छी नहीं है। मधु-मक्खी पालन के लिये सरकार की ओर से यत्न किया जाना चाहिये। वन प्रदेश में इसके लिये कई शिक्षण केन्द्रों का खोला जाना आवश्यक है। ऐसा करने से उत्तम कोटि का शहद पर्याप्त मात्रा में मिलने लगेगा।

(५) **नमक बनाना**—राजस्थान के सांभर, डीडवाना और पचभद्रा स्थानों में केन्द्रीय सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर नमक तैयार किया जाता है। इसके फलस्वरूप सन् १८७८ से पूर्व राजस्थान के कई भागों में छोटे पैमाने पर नमक बनाने के धंधे को बंद करना पड़ा।

देश को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात् छोटे पैमाने पर नमक बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। इस प्रकार नमक बनाने के लिए एक व्यक्ति को १७ एकड़ से अधिक भूमि नहीं दी जायगी। जोधपुर तथा बीकानेर डिवीजनों के शुष्क प्रदेशों में फलौदी, पौकरन, बाप, कानोद, लूनकरनसर, कुचामन आदि कई स्थानों में नमकीन पानी की झीलें और गड्ढे हैं। भरतपुर में भी छोटे पैमाने पर नमक बनता है। इस समय इस व्यवसाय में २७० मनुष्य काम करते हैं। भविष्य में इस संख्या में पर्याप्त वृद्धि होने की संभावना है।

ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है कि हमारे यहाँ गाँवों के धंधे और छोटे पैमाने पर चलने वाले व्यवसायों पर बहुत से मनुष्यों का जीवन-निर्वाह होता है। पहले ये धंधे अच्छी अवस्था में थे परन्तु बड़ी मशीनों के आविष्कारों ने इन धंधों को नष्ट-प्राय अवस्था में कर दिया। वर्तमान राष्ट्रीय सरकार घरेलू धंधों के पुनरुत्थान की ओर विशेष ध्यान दे रही है। सरकार की ओर से कुटीर-उद्योगों की उन्नति के लिए 'हैंडलूम बोर्ड', ग्रामोद्योग बोर्ड (Village Industries Board), सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड आदि की स्थापना की गई है। इन बोर्डों के द्वारा राज्य सरकारों को परामर्श तथा आर्थिक सहायता दी जाती है। बनी हुई वस्तुओं को निर्यात करने के लिये भी योजना बनाई जा रही है।*

राजस्थान की पंच वर्षीय योजना में कुटीर व अन्य उद्योगों का विकास करने के लिये ३८.५ लाख रुपये रखे गए हैं। इनमें से १५ लाख रुपये केन्द्र की ओर से दिये जायँगे और शेष रकम राजस्थान सरकार द्वारा व्यय की

* Hindustan Times, 12th June '54.

जायगी। इस रकम को विविध प्रकार के घरेलू धंधों के विकास और उन्नति करने के लिए खर्च किया जायगा।

राजस्थान के कुटीर धंधों की उन्नति के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए:—

(१) घरेलू धंधों में लगे हुए कारीगरों की आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिये सरकार की ओर से उन्हें आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये।

(२) कारीगरों को कच्चा माल देने के लिये अच्छी व्यवस्था की जाये। वाहर से मंगाये हुए कच्चे माल पर रेल किराया कम से कम लिया जाय।

(३) कारीगरों द्वारा तैयार किए हुए माल की बिक्री के लिये सुप्रबंध हो। इनके लिए खरीदने और बिक्री करने की संस्थाएँ खोली जायँ। सरकारी विभागों में काम आने वाली वस्तुएँ, जहां तक हो सके, गांव के कारीगरों से ही खरीदी जायँ।

(४) कारीगरों को उद्योग-सम्बन्धी शिक्षा देने के लिये इस समय कई जगह सरकार की ओर से शिक्षण केन्द्र हैं उनमें वृद्धि की जाय। ऐसे केन्द्र नगरों में न होकर गाँवों में रखे जायँ।

(५) गांवों में जहां तेल निकालने की घाणियाँ हैं वहाँ तेल निकालने की मशीनें स्थापित करने की आज्ञा न दी जाय। इसी प्रकार से आटा पीसने की मशीनें भी कम लगाई जायँ।

(६) राजस्थान के ऊन व्यवसाय में विशेष रूप से उन्नति की जाये क्यों कि इसके लिये यहां पर कच्चा माल अर्थात् ऊन पर्याप्त मिलती है। उत्तम कोटि की ऊन प्राप्त करने के लिये भेड़ों की नस्ल सुधारना तथा उनके लिये चरागाहों का समुचित प्रबन्ध करना नितान्त आवश्यक है।

(७) छोटे पैमाने के घरेलू धंधों में वृद्धि करने के लिए छोटे छोटे यंत्र भी काम में लाये जा सकते हैं। जापानी यंत्र बड़े सस्ते होते हैं। इन यंत्रों के चलाने के लिए सस्ती बिजली देने का प्रबन्ध किया जाय।

(८) छोटे व्यवसायों को सरकार की ओर से संरक्षण दिया जाय। मशीनों से बने हुए वाहर से आने वाले माल पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो।

(९) जापान की भाँति हमारे यहाँ भी बड़े कारखानों और छोटे घरेलू धंधों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाय। बड़े कारखानों में काम आने वाला सामान छोटे कारखानों में तैयार कर लिया जाय। ऐसा करने से गांव के कारीगरों को अपनी मजदूरी तत्काल मिल जायगी और उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा।

(१०) घरेलू धंधों के रूप में बने हुए माल की ओर जनता की रुचि बढ़ाने के लिये प्रदर्शिनियों का आयोजन किया जाय। एक जगह विविध प्रकार की वस्तुएँ प्राप्त होने से लोगों में उनके खरीदने की रूचि बढ़ेगी।

राजस्थान सरकार की ओर से इस प्रकार की कई योजनाएँ बन भी चुकी है जैसे—

१—राज्य के पांच में से चार डिवीजनों में भ्रमणिक निदर्शक मंडल (Peripatetic Demonstration Parties) बना दी गई हैं जो घूम घूम कर ग्रामोद्योगों के उत्पादन में सुधार करने की शिक्षा देती है।

२—जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में कुटीर उद्योग-संस्थाएँ (Cottage Industries Institutes) स्थापित हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार की उद्योग-सम्बन्धी शिक्षा दी जाती है।

३—ग्रामीण कारीगरों के औजार आदि पुराने तरीके के हैं जिनसे उत्पादन कम होता है। इनके स्थान पर सुधरे हुए औजारों का प्रचार किया जा रहा है। उदाहरण के लिए सुमेरपुर सामुदायिक योजना क्षेत्र में 'वर्धा तेल कोल्हू' का प्रचार किया जा रहा है जिसके उपयोग से देशी घाणी की अपेक्षा अधिक तेल निकाला जा सकता है।

इन सब प्रयत्नों के विकास की आवश्यकता है। आशा है निकट भविष्य में हमारे यहां के ग्रामोद्योग और कुटीर व्यवसायों की अच्छी प्रगति होगी।

अध्याय १०

बड़े उद्योग

इस अध्याय में हम पहले राजस्थान के वर्तमान बड़े उद्योग-धन्धों का संक्षिप्त विवरण देंगे और तत्पश्चात राज्य की औद्योगिक समस्याओं पर प्रकाश डालेंगे।

(१) सूती वस्त्र उद्योग—राजस्थान के बड़े उद्योग-धन्धों में सब से प्रमुख स्थान सूती मिलों का है। राज्य में इस समय ७ सूती वस्त्रों की मिलें हैं। पृ. १०२ पर तालिका में तत्सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य संग्रहीत किये गये हैं।

इन मिलों में उत्पादित वस्त्र और सूत के अंक निम्नांकित तालिका में संग्रहीत हैं:—

वर्ष	वस्त्र	सूत	विशेष
१९४७	१,१६,४३,४३७ गज	६९,०४,४५१ पौंड	एक मिल से
१९४८	१,५५,९०,१०० ,,	७६,८४,८२४ ,,	सूचना प्राप्त
१९४९	१,४९,१२,६६७ ,,	७२,१८,७१६ ,,	नहीं हो सकी

स्रोत: लोकवाणी औद्योगिक
विकास अंक-पृ. ५१

उपर्युक्त मिलों के अतिरिक्त राज्य में १० शक्ति से संचालित करघों के कारखाने, ३१० हाथ करघों के कारखाने और २५ मोजे-बनियान आदि बनाने के कारखाने हैं। ❀ कुछ मिलों में भी मोजे-बनियान आदि बनाये जाते हैं। उदाहरण के लिए मेवाड़ टैक्सटाइल मिल, भीलवाड़ा, सूत कातने और वस्त्र बुनने के अतिरिक्त बनियान भी बनाती है।

वस्त्र उद्योग में कपास लोढने (Ginning) और रुई की गांठे बान्धने (Pressing) के कारखानों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस समय राज्य में ७१ कपास लोढने के कारखाने और ५१ कपास लोढने तथा गांठे बान्धने के

❀ A Statistical Outline of Rajasthan (Jany 1953) p. 23

क्र.	मिल का नाम	स्थान	अधिकृत पूंजी रु.	चुकती पूंजी रु.	तकलियों की संख्या	करघों की संख्या	श्रमिकों की संख्या	विशेष
१	महाराजा किशनगढ मि.	किशनगढ	३०,००,०००	३०,००,०००	२६६५०	३१४	१७३४	
२	महाराजा श्री उम्मेद मि.	पाली	१६,००,०००	८,००,०००	१७१३६	४२८	२२५१	
३	मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स लि.	भीलवाड़ा	२०,००,०००	१२,००,०००	७८१२	२५०	......	
४	श्री महादेव कोटन मि.	भीलवाड़ा	१५,००,०००	१५,००,०००	४१८०	४५	......	
५	जयपुर स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि.	जयपुर	१,००,००,०००	४९,९९,५००	५०९६	—	४०८	केवल सूत कातती है
६	कोटा टैक्सटाइल मिल्स	कोटा	......	......	७०००	१६०	......	बन्द है
७	श्री शार्दुल टैक्सटाइल मिल्स	गंगानगर	१,००,००,०००	३०,००,०००	३०००	३००	......	

स्रोतः लोकवाणी औद्योगिक विकास अंक-पृ. ५२

कारखाने हैं। ※ यह उल्लेखनीय है कि इनमें ६ कारखाने भू. पू. मेवाड़ राज्य द्वारा चलाये गये सरकारी कारखाने भी हैं।

यह अनुमान लगाना कठिन है कि राज्य में वस्त्र उद्योग में लगे हुये श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं है कि श्रमिकों को रोजगार देने की दृष्टि से राज्य में वस्त्र उद्योग का सर्व प्रथम स्थान है। राजस्थान के श्रम-आयुक्त द्वारा दिये गये आँकड़ों से ज्ञात होता है कि राज्य में सन् १६४८ के भारतीय कारखाना कानून के अन्तर्गत आने वाले कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या ३३१२६ है जिनमें ७६६८ श्रमिक कपड़े बनाने के कारखानों में लगे हुये हैं। *

इस प्रकार उत्पादन, रोजगार आदि सभी दृष्टियों से सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्रमुख उद्योग है। यद्यपि श्रमिकों और मिल मालिकों के झगड़ों तथा अन्य आभ्यन्तरिक कारणों से एक दो मिलें प्रायः बन्द रहती हैं तथापि राज्य के इस उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है। राज्य में ३४१ हजार एकड़ भूमि पर कपास की खेती की जाती है और ७६ हजार गाँठे रुई की उत्पत्ति होती है जो स्थानीय मिलों की साधारण रुई की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। * परन्तु राज्य में लम्बे रेशों वाली रुई की उत्पत्ति बहुत कम होती है और हमारी मिलों को बढ़िया कपड़ा बनाने के लिए बाहर से रुई मंगानी पड़ती है। यदि केन्द्रीय रुई समिति द्वारा प्रस्तावित सुधरे हुये बीजों आदि का प्रयोग किया जाय तो यह कमी भी न्यूनाधिक रूप में पूरी की जा सकती है।

(२) चीनी उद्योगः—इस समय राजस्थान में चीनी (दानेदार शक्कर) बनाने के दो बड़े कारखाने हैं। एक कारखाना जो बीकानेर इन्डस्ट्रीयल कार-पोरेशन लि० द्वारा संचालित है श्री गंगानगर (बीकानेर) में स्थित है। इसमें २५ लाख रु० की पूँजी लगी है और ६०० टन गन्ना प्रतिदिन पेरा जा सकता है। दूसरा, जिसका नाम मेवाड़ सूगर मिल्स लि० है, भोपालसागर (उदयपुर) में स्थित है। इसमें २० लाख रु. की पूँजी लगी है और ५०० टन गन्ना प्रतिदिन पेरा जा सकता है। सन् १६५१-५२ की मौसम में इन दोनों कार-

※ A Statistical Outline of Rajasthan (Jany 53) p. 23

* I bid p, 29

* A Statistical Outline of Rajasthan p. 21

खानों में मिलाकर २३,८५,५८१ मन गन्ना पैरा गया था और ७४३६ टन चीनी पैदा हुई थी। ❀

इन चीनी मिलों के अतिरिक्त राज्य में १० खन्डसारी के कारखाने हैं जिनमें देशी खाण्ड बनाई जाती है। * इनके उत्पादन के अंक अप्राप्य है।

राज्य में उत्तम श्रेणी का गन्ना उत्पन्न करके शक्कर की उत्पत्ति बढाई जा सकती है। आशा की जाती है कि सिंचाई के साधनों के विकास के फलस्वरुप राज्य में गन्ने की उत्पत्ति बढाई जा सकेगी और शक्कर के कारखानों का विकास संभव हो सकेगा।

(३) **सीमेन्ट:**—राजस्थान में सीमेन्ट बनाने के दो बड़े कारखाने हैं। सीमेन्ट का पहला कारखाना सन १६१५ में दी एसोसियेटेड सीमेन्ट कम्पनी (A. C. C.) द्वारा बून्दी के पास लाखेरी में चलाया गया था। इसमें लगभग ३ करोड़ रु. की पूँजी लगी हुई है और ३५०० श्रमिक काम करते हैं। यह भारत के सीमेन्ट के बड़े कारखानों में से एक है और इससे लगभग ५०० टन सीमेन्ट प्रति दिन तैयार होती है। राज्य में सीमेन्ट बनाने का दूसरा बड़ा कारखाना जयपुर उद्योग, सवाई माधोपुर, में डालमिया समूह द्वारा चलाया गया है। इसमें लगभग ५०० श्रमिक काम करते हैं और ३०० टन सीमेन्ट प्रति दिन बनाई जाती है। इस प्रकार राजस्थान में लगभग ३ लाख टन सीमेन्ट प्रति वर्ष बनाई जाती है।

सीमेन्ट बनाने के कारखानों के अतिरिक्त राज्य में ४ ऐसे कारखाने हैं जो सीमेन्ट के नल, टाइल्स इत्यादि विभिन्न वस्तुएँ बनाते हैं।

सौभाग्य से राजस्थान में सीमेन्ट बनाने के लिए कच्चा माल जैसे चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, सेलखरी (घीया भाटा), हरसोंठ (जिप्सम) आदि विपुल मात्रा में पाये जाते हैं जिनका प्रयोग करके सीमेन्ट के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है।

(४) **काँच और काँच के बर्तन:**—राजस्थान में काँच के कुल सात कारखाने हैं जो उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, धौलपुर, बीकानेर और कोटा में स्थित है। परन्तु केवल जयपुर और धोलपुर के कारखाने ही इस समय चालू हैं। जयपुर में घरेलू काम में आने वाले बर्तन और काँच की शीशियाँ बनती हैं। धौलपुर में वैज्ञानिक और प्रयोगशालाओं में काम में आने वाला सामान बनता है। कोटा, जोधपुर और उदयपुर के कारखाने पूँजी की

❀ A Statistical Outline of Rajasthan : p. 26

कमी, बीकानेर का कारखाना भागधारियों के आपसी झगड़ों तथा भरतपुर का कारखाना मशीन की खराबी से बन्द है। परन्तु राज्य में कांच बनाने के लिए कच्चे माल की बहुतायत है और कांच उद्योग की उन्नति संभव है।

५–दिया सलाइयाँ:—राजस्थान में दिया सलाइयाँ बनाने के ३ कारखाने हैं, (१) भूपालचतुर मैच फैक्ट्री, फतहनगर, (२) धौलपुर मैच फैक्ट्री, धौलपुर और (३) कोटा मैच फैक्ट्री, कोटा। इनमें से पहले दो कारखाने कच्चे माल के अभाव आदि कारणों से बन्द पड़े हैं। कोटा मैच फैक्ट्री में लगभग २,५०,००० रु. की पूंजी लगी है और ६० श्रमिक प्रतिदिन काम करते हैं। सन् १९५२ में इस कारखाने में ४१५१० ग्रूस दियासलाइयों की पेटियाँ तैयार हुई थी और औसत दैनिक उत्पादन लगभग २०० ग्रूस पेटियां थी। कुछ वर्षों से इस कारखाने में मेहतावें भी बनने लगी हैं।

६–रबड़:–राजस्थान में रबड़ के गेंद, खिलौने तथा साइकलों के पैडल आदि बनाने का एक छोटा कारखाना कोटा रबड़ इन्डस्ट्रीज, कोटा है। इसमें लगभग दो लाख रुपये की कीमत का वार्षिक उत्पादन होता है।

७–स्टार्च फैक्ट्रियाँ:–राजस्थान में दो स्टार्च फैक्ट्रियां हैं, (१) जयपुर मेज प्रोडक्टस कं० जयपुर और (२) कोटा कमर्शियल एण्ड फूड प्रोडक्टस, बाराँ। कुछ वर्षों से कच्चे माल (मकई) के अभाव में उपर्युक्त दोनों कारखाने बन्द पड़े हुये हैं। आशा है कि अब मकई के उपलब्ध होने से पुनः कार्य करने लगेंगे।

८–हड्डी पीसने के कारखाने:—राजस्थान में इस समय हड्डी पीसने के पांच बड़े कारखाने जोधपुर, जयपुर, गोसुन्डा, पलाना और कोटा में हैं, जिनमें क्रमशः ८०, ३०, १८, २० और १५ टन हड्डियां प्रति दिन पीसी जा सकती हैं। अनुमान है कि इन कारखानों में कुल मिला कर लगभग १० लाख रु. की पूँजी लगी हुई है और लगभग ७५० श्रमिक काम करते हैं।

९–धातुओं के कारखाने:—राजस्थान में इस समय तीन रोलिंग मिल्स और १३ लोह-आतिरिक्त धातुओं के (Non ferrous metals industries) कारखाने हैं, जिनमें प्रमुख निम्नांकित हैं:–

(१) जयपुर मेटल इन्डस्ट्रीज लि० जयपुर—इसमें मुख्यतः बिजली के मीटर आदि बनाये जाते हैं। इसमें ४० लाख रुपये की पूंजी लगी हुई है और लगभग २५० मजदूर प्रतिदिन काम करते हैं। यह भारत के बड़े कारखानों में से एक है।

(२) मान इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लि०, जयपुरः—इसमें लोहे की तिजोरियाँ, पेटियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ, अलमारियाँ इत्यादि बनाये जाते है। यह भी एक बड़ा कारखाना है जिनमें लगभग ४० लाख रु. की पूंजी लगी हुई है और १०० मजदूर काम करते हैं।

(३) घरेलू काम के बरतन बनाने के लिए जोधपुर में 'राजस्थान रोलिंग मिल्स' नाम का एक बड़ा कारखाना है, जिसमें लगभग १०० आदमी काम करते हैं और लगभग १ लाख रुपये की कीमत का मासिक उत्पादन होता है।

इसी प्रकार के अन्य कारखाने जयपुर में 'लक्ष्मी मेटल इन्डस्ट्रीज', बीकानेर में 'मून्दड़ा मेटल वर्क्स,' किशनगढ में 'महेश मेटल वर्क्स,' और जोधपुर में 'इलाईट इन्जीनियरिंग वर्क्स' इत्यादि है। इस अन्तिम कारखाने में सस्ती साइकलें और साइकलों के पुर्जे बनाये जाते हैं।

१०-बाल-बियरिंग का उद्योगः—बिड़ला बन्धुओं की जयपुर स्थित नेशनल बालबियरिंग कं० लि० नाम का भारत में सर्व-प्रथम कारखाना है जहाँ पर धातुओं के छर्रे (Balls) और बियरिंगें (Bearings) बनाई जाती है। यह कारखाना सन् १९५० में लगभग १ करोड़ रुपये की पूँजी लगा कर स्थापित किया गया था। इसमें लगभग ४०० मजदूर काम करते हैं और प्रति-मास १४०० बियरिंगें और ८ लाख छर्रे बनाये जाते हैं।

११-सोडियम सलफाइडः—राजस्थान में दी युनाइटेड ट्रेडिंग एण्ड केमीकल फैक्ट्री, जोधपुर द्वारा संचालित सोडियम सलफाइड तैयार करने का एक बड़ा कारखाना है। इसमें १० लाख रु. की पूँजी लगी हुई है और लगभग सौ श्रमिक काम करते हैं। इस कारखाने में लगभग पाँच टन सोडियम सलफाइड प्रतिदिन तैयार किया जा सकता है। यह भारत में इस वस्तु का सब से बड़ा कारखाना है और देश की समस्त माँग को पूरा कर सकता है। इसमें सन् १९५१-५२ में ४७६ टन सोडियम सलफाइड तैयार किया गया था।

१२-पेन्ट और वारनिशः—राजस्थान में अलवर पेन्ट एण्ड वारनिश वर्क्स लि. का पेन्ट, वारनिश, रंग, तेल इत्यादि बनाने का एक बड़ा कारखाना है। इसमें लगभग १० लाख रु. की पूँजी लगी हुई है और लगभग ३०० श्रमिक कार्य करते हैं। इसमें एक पाली (shift) में ५ टन पेन्ट, २ टन वार-निश, २ टन सूखे रंग और २०० मन तेल प्रति मास तैयार होता है।

१३-तेल की मिलें:—राजस्थान में इस समय ३८ तेल की मिलें है और २१० शक्ति से संचालित तेल के कोल्हू हैं।

१४–विविध उद्योग:— उपर्युक्त उद्योगों के अतिरिक्त राजस्थान में और भी कई छोटे मोटे कल कारखाने हैं जिनका स्थानाभाव से यहाँ अलग अलग वर्णन नहीं किया जा रहा है। राज्य में २६ सरकारी और गैर-सरकारी बिजलीघर, ६ रेलों के कारखाने, कई मरम्मत के स्थान (Repair Shops), कई आटे की चक्कियाँ, चावल की मिलें, दाल की मिलें, बिस्कुटों और मिठाइयों के कारखाने, कई सोडा-लेमन बनाने के कारखाने, कम्बल, गलीचे, मिट्टी के बर्तन, दवाइयाँ, शराब, बर्फ और चुस्कियाँ, संगमरमर, प्लास्टिक, सलमा, गोटा, छतरियाँ, चमड़े का सामान आदि बनाने के कारखाने हैं।

उपर्युक्त वर्णन से ज्ञात होता है कि यद्यपि राज्य में विभिन्न प्रकार के उद्योग-धन्धे विद्यमान हैं तथापि वास्तव में बड़े पैमाने पर चलाये जाने वाले कल-कारखानों की संख्या सीमित है। बड़े पैमाने पर चलाये जाने वाले कारखानों में केवल ७ कपड़े की मिलें, २ चीनी की मिलें, २ सीमेन्ट के कारखाने, ७ काँच के कारखाने, ३ दियासलाइयों के कारखाने, १ रबड़ का कारखाना, दो स्टार्च फैक्ट्रियाँ, ५ हड्डियाँ पीसने के कारखाने, कुछ धातुओं के कारखाने, १ बाल-बीयरिंग फैक्ट्री, १ सोडियम सलफाइट का कारखाना, १ पेन्ट और वार-निश का कारखाना, और कुछ तेल की मिलें हैं। दुर्भाग्य से इनमें से अनेक कच्चे माल, चालक शक्ति या रुपए की कमी से बन्द पड़े हैं। राज्य के क्षेत्रफल, जन संख्या और साधनों को देखते हुये औद्योगिक प्रगति बहुत मन्द गति से हुई है। यही कारण है कि राजस्थान औद्योगिक और आर्थिक दृष्टि से अब बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है।

औद्योगिक विकास की आवश्यकताएँ:— किसी देश या राज्य के औद्योगिक विकास के लिए निम्नाँकित बातों का होना आवश्यक माना गया है:—

(१) पर्याप्त, सस्ता और उत्तम श्रेणी का कच्चा माल;
(२) सस्ती औद्योगिक शक्ति;
(३) परिवहन और संवादवहन के आधुनिक साधन;
(४) समझदार और दक्ष श्रमिक;
(५) यथेष्ट पूँजी और वित्तीय व्यवस्था;
(६) योग्य, उत्साही और सुशिक्षित साहसी;
(७) प्रगतिशील और सहायक शासन नीति;
(८) जाँच और अनुसन्धान की सुविधाएँ और
(९) विस्तृत मांग।

यदि हम राजस्थान के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ होने के कारणों की जानकारी करना चाहें तो हमको देखना होगा कि उपर्युक्त बातों में से हमारे राज्य में कौन कौन सी और किस सीमा तक पाई जाती है और कौन कौन सी बातों का अभाव है।

पक्ष की बातें: (१) राजस्थान में अनेक उद्योग-धन्धों के लिए पर्याप्त और सस्ता कच्चा माल उपलब्ध है। हम देख चुके हैं कि हमारे राज्य में बड़ी मात्रा में रुई, तिलहन, गन्ना, ऊन, पशु चर्म, हड्डियाँ, कच्चे खनिज जैसे सेलखरी, हरसोंठ, आदि औद्योगिक मिट्टियाँ, जस्ता, शीशा, जैसी दुर्लभ धातुएँ, संगमरमर आदि कीमती पत्थर आदि बड़ी मात्रा में पाये जाते हैं। सिंचाई के विकास और कृषि सुधार द्वारा रुई, तिलहन तथा गन्ने की मात्रा और उत्तमता बढाई जा सकती है। इसी प्रकार ऊन कतरने, धोने, रंगने आदि के तरीको में सुधार संभव है। विस्तृत और गहन जाँच द्वारा नई औद्योगिक मिट्टियाँ और धातुओं का पता चलाकर विकास किया जा सकता है। संक्षेप में कच्चे माल की पूर्ति की दृष्टि से हमारी स्थिति संतोषजनक है और सुधारी जा सकती हैं।

(२) हमारे राज्य में सस्ते श्रमिक भी आवश्यक संख्या में उपलब्ध हैं। यह सत्य है कि अनेक कारणों से हमारे श्रमिकों की कार्य शक्ति बहुत कम है परन्तु श्रमिकों की कार्यशक्ति भी प्रयत्न करने से बढाई जा सकती है।

(३) राजस्थान बिड़लाओं, डालमियों, सोमानियों, पोद्दारों, सिंहानियों, सक्सरियों, दूगड़ों, रामपुरियों, बांगड़ों, डागों, मानसिंहकों आदि अनेक योग्य और कुशल व्यापारियों, साहूकारों और उद्योगपतियों का आदि स्थान है जिन्होने समस्त भारत में ही नहीं संसार में भी अपनी व्यावसायिक योग्यता की धाक जमा रखी है। यद्यपि हमारे व्यापारी समाज का ध्यान भूतकाल में लेन-देन और व्यापार की ओर अधिक रहा है परन्तु पिछले कुछ वर्षों में इन्होने औद्योगिक क्षेत्र में भी अच्छी दिलचस्पी दिखलाई है।

(४) राजस्थान में सम्मिलित होने वाली अनेक देशी रियासतों में आय-कर का अभाव भी राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास में सहायक रहा है। कई उद्योगपतियों ने अँगरेजी भारत में लगाये जाने वाले आय-कर से बचने के लिए अपना कारोबार देशी रियासतों में हटा लिया और नया कारोबार इन्हीं रियासतों में चलाया।

(५) भूतपूर्व देशी राज्यों में सर्वाधिकारी शासक होते थे जो योग्य और अनुभवी व्यक्तियों द्वारा उत्तम योजनाएँ बना कर कार्यान्वित कर सकते थे।

मैसूर, बड़ौदा आदि इस बात का ज्वलन्त उदाहरण है। यही बात एक सीमा तक जयपुर, बीकानेर आदि के लिए भी लागू होती है।

विपक्ष की शर्तें:—पर्याप्त और सस्ता कच्चा माल, सस्ते मजदूर और कुशल साहसिकों आदि के होते हुये भी राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? राज्य की पिछड़ी हुई औद्योगिक स्थिति के प्रमुख कारण निम्नाँकित हैं:—

१—राज्यों में सामूहिक प्रयत्न और पारस्परिक सहयोग का अभाव:—राजस्थान की इस पिछड़ी हुई स्थिति के लिए राजस्थान का इतिहास भी बहुत कुछ उत्तरदायी है। अँगरेजों के आने से पहले यह प्रदेश छोटे छोटे राज्यों में बँटा हुआ था जिनमें परस्पर लड़ाई-झगड़े होते रहते थे। इन राज्यों में निरंकुश शासन था और सामन्त लोग जनता का शोषण करते थे। अंगरेजों के आने के बाद शान्ति तो मिली परन्तु अन्य बातें पूर्ववत रहीं। राजस्थान के निर्माण से यह कठिनाई दूर हो गई है। सामन्तशाही का अन्त निकट है। राज्य की सरकार चम्बल आदि अनेक ऐसी योजनाओं को हाथ में ले रही है जो अलग अलग राज्य नहीं अपना सकते थे।

२—जकात अर्थात सीमा-कर का बन्धन: राजस्थान की विभिन्न रियासतों में माल की आयात और निर्यात पर विभिन्न कर लगाये जाते थे। करों के अतिरिक्त कारखानों के लिए यंत्र तथा कच्चा माल लाने और तैयार माल बाहर भेजने में अनेक कठिनाइयाँ थी। राजस्थान के निर्माण से सीमा-कर की दरें समान करदी गई हैं। ऐसा करते समय जो सब से ऊँची दरें लागू थी अपनाली गई हैं। इससे यह कठिनाई और भी बढ़ गई है। परन्तु वित्तीय एकीकरण के अन्तर्गत मार्च १९५५ तक सभी प्रकार के अन्तर्देशीय सीमा करों को उठाने की व्यवस्था की गई है। अतएव आशा है कि कुछ समय पश्चात यह कठिनाई भी दूर हो जायगी।

३—निरकुश शासन:—राजस्थान के निर्माण तक इस प्रदेश की सभी देशी रियासतो में राजा का निरंकुश शासन था। अज्ञानवश से होने वाली छोटी सी भूलों पर भी कड़ी कार्यवाही की जाती थी। प्रत्येक राज्य में ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे, जहाँ कारखानों के प्रबन्धकों तथा संचालकों पर भारी जुर्माने, अवैधानिक प्रतिबन्ध तथा गिरफ्तारियाँ की गई हैं। राजस्थान निर्माण के पश्चात शासन के लोकतन्त्रीकरण और कानून के राज्य की स्थापना से यह कठिनाई भी दूर हो गई है।

४–एकाधिकार की नीति:—कई राज्यों में किसी एक उद्योग के लिए किसी एक पक्ष को लम्बे समय के लिए और समस्त राज्य के लिए एकाधिकार देने की नीति भी राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास में बाधक रही है। यह नीति एक सीमा तक अब भी अमल में लाई जाती है। आर्थिक विकास की दृष्टि से एकाधिकार का अन्त करके स्वतंत्र एवं स्वस्थ प्रतियोगिता का होना आवश्यक है।

५ उद्योग-धन्धों को स्थापित करने और चलाने में उत्पन्न अड़चनो को दूर करने में शिथिलता:— प्रशासनिक व्यवस्था की अकुशलता और शिथिलता के कारण बहुधा उद्योग धन्धों को स्थापित करने तथा चलाने में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने में बड़ी देरी हो जाती थी। प्रशासनिक ढाँचे में सुधार करने से यह दोष कुछ सीमा तक कम हो गया है परन्तु लाल फीते की अड़चने अब भी विद्यमान है, और प्रशासन तन्त्र में सुधार आवश्यक है।

६–दल बन्दी:—राजस्थान के निर्माण और शासन के लोक तन्त्रीकरण से जहां अन्य कठिनाइयाँ दूर या कम हो गई है, कुछ नई कठिनाइयाँ भी पैदा हो गई है। इनमें सबसे बड़ी कठिनाई दल बन्दी और सरकार तथा दलों में असहयोग की भावना है। इससे शासन में पक्षपात, भ्रष्टाचार और शिथिलता उत्पन्न होती है।

७–औद्योगिक कलह:— स्वातंत्र्य आन्दोलन के दिनों में हमारे देश के श्रमिकों में अपने अधिकारों के प्रति जागृति उत्पन्न हो गई। विभिन्न राजनीतिक दलों वाले अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए श्रमिकों और उद्योगपतियों में झगड़े कराकर हड़तालें, तालेबन्दियाँ इत्यादि पैदा करते हैं जिससे उद्योगपति हतोत्साह हो जाते हैं और औद्योगिक गति मन्द पड़ जाती है।

८–परिवहन और संवादवहन के साधनों का अभाव:— अब हम कुछ ऐसी आधारभूत कठिनाइयों का वर्णन करते है जो पूर्ववत विद्यमान है और जिनके दूर किये बिना राज्य का औद्योगिक और आर्थिक विकास असंभव है। यह साधारण ज्ञान की बात है कि जब तक राज्य के सब भागों में रेलों, सड़कों व तारों का जाल नहीं बिछा दिया जायगा, जब तक कच्चा माल आदि प्राप्त करने और तैयार माल बाहर भेजने के साधन उपलब्ध नहीं होंगे तब तक औद्योगिकरण नहीं हो सकता। रेलें और सड़कें एक प्रकार से उद्योग-धन्धों की रक्तवाहिनी धमनियाँ है। ये ही प्राणदायनी शक्तियाँ है जिन पर औद्योगिकरण का विशाल भवन स्थिर होकर अपने को सजीव अनुभव कर

सकता है। हम पहले अध्याय में बतला चुके हैं कि परिवहन और संवादवहन के साधनों की दृष्टि से राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है। यदि राज्य सरकार औद्योगिकरण को प्रोत्साहन देना चाहती है तो इनको राज्य में सड़कों का अविलम्ब विकास करना चाहिये।

९–औद्योगिक शक्ति का अभाव:—हम शक्ति के साधनों के अध्याय में बतला चुके हैं कि राजस्थान में औद्योगिक शक्ति के साधनों का बड़ा अभाव है। जब तक प्रचुर मात्रा में सस्ती शक्ति उपलब्ध नहीं हो औद्योगिक विकास असंभव है। आशा है कि भाकरा–नागल और चम्बल की विशाल बहुमुखी योजनाओं के पूर्ण होने पर राज्य के कई भागों में यह कमी एक बड़ी सीमा तक पूरी हो जायगी और राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास की गति बढ जायगी।

१०–जलाभाव:—राजस्थान के अनेक भागों में न केवल खेती और कल–कारखानों के लिए बल्कि पीने तक के लिए भी पानी की बड़ी कमी है। यदि किसी स्थान पर अन्य बातें अनुकूल हों परन्तु पानी की कमी हो तो भी उद्योग उन्नति नहीं कर सकता। आशा है बान्धों, नहरों, तालाबों और कुओं के निर्माण और विकास से यह अभाव दूर हो सकेगा।

११–असंतोषजनक वित्तीय व्यवस्था:—साधारणतः यह माना जाता है कि जहाँ मनुष्य और कच्चा माल उपलब्ध होते हैं वहां उद्योगों के बढाने में रुपए की कमी बाधक नहीं हो सकती। परन्तु पूँजी की समुचित व्यवस्था के अभाव में भी औद्योगिक विकास रुक जाता है। उद्योग–धन्धों के लिए दो प्रकार की पूँजी की आवश्यकता होती है: (१) भूमि, भवन और यंत्रादि खरीदने के लिए स्थायी पूँजी और (२) कच्चा माल खरीदने, श्रमिकों का पारश्रमिक चुकाने आदि के लिए चालू पूँजी। स्थायी पूँजी की व्यवस्था भागों (Shares) को बेच कर और ऋण–पत्र (Debentures) जारी करके या विशेष संस्थाओं से लम्बे समय के लिए ऋण प्राप्त करके की जाती है। केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति ने उद्योग धन्धों को लम्बे समय के लिए ऋण प्रदान करने के लिए औद्योगिक–वित्त–प्रमंडल (Industrial Finance Corporation) की स्थापना की सिफारिश की थी। राजस्थान की औद्योगिक सलाहकार समिति ने भी पाँच करोड़ रु. की अधिकृत पूँजी के औद्योगिक–प्रमंडल की सिफारिश की थी। भारत सरकार द्वारा "इन्डस्ट्रीयल फाइनेन्स कारपोरेशन ऑफ इण्डीया" की स्थापना से एक सीमा तक इस अभाव की पूर्त्ति हो गई है और प्रस्तावित औद्योगिक विकास प्रमंडल की स्थापना से यह और भी पूरी हो जायगी। कुछ विशेषज्ञ राजस्थान के लिए किसी स्वतंत्र संस्था

की आवश्यकता और व्यवहारिकता पर सन्देह करते हैं। ❀ परन्तु हमारा मत है कि छोटे और मध्यम आकार के उद्योग–धन्धों के विकास के लिए राज्य में अब भी ऐसी विशेष संस्था की आवश्यकता है जो लम्बे समय के लिए ऋण दे सके।

उद्योग–धन्धों के लिए चालू पूँजी की व्यवस्था व्यापारिक बैंकों तथा साहूकारों से ऋण प्राप्त करके की जाती है। राज्य में इस समय चार रजिस्टर्ड अनुसूचित बैंक और कई गैर–अनुसूचित बैंक तथा बाहर रजिस्टर्ड होने वाले बैंकों की शाखाएँ हैं। परन्तु राज्य में अब भी अनेक कस्बों में बैंकों की कोई शाखा नहीं हैं। आशा है कि राज्य के अनुसूचित बैंकों के एकीकरण से राज्य में बैंकिंग की सुविधाओं का विकास संभव हो सकेगा।

१२–प्रशिक्षित श्रम का अभाव:—यद्यपि राज्य में साधारण श्रमिकों की कमी नहीं है तथापि हमारे श्रमिक अधिकतर अशिक्षित होते हैं। वे यहाँ तथा बाहर मशीनों पर काम करने में असमर्थ रहते हैं। श्रमिकों के गाँवों से शहरों में और शहरों से वापस गाँवों में होने वाले निरन्तर आवास–प्रवास से भी उनकी कार्यशक्ति नहीं बढने पाती। सब से बड़ी कमी प्रशिक्षित श्रमिकों और योग्य प्रबन्धकों और प्रशासकों की है। औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों और बहु–औद्योगिक (Polytechnic) संस्थाओं की स्थापना से यह कमी पूरी की जा सकती है।

१३ जाँच और अनुसन्धान:—औद्योगिक उन्नति के लिए जाँच और अनुसन्धान का महत्व सर्वमान्य है। दुर्भाग्य से राजस्थान में सम्मिलित होने वाली किसी भी रियासत में औद्योगिक या आर्थिक जाँच (Survey) नहीं की गई थी। अतएव हमको राज्य के औद्योगिक साधनों की पूरी जानकारी नहीं है। कुछ समय पूर्व राज्य सरकार ने औद्योगिक जाँच की योजना प्रस्तावित करने और औद्योगिक जाँच की योजना प्रस्तावित करने और औद्योगिक विकास के साधन सुझाने के लिए एक समिति की नियुक्ति की थी। परन्तु इस समिति ने अब तक क्या किया है इसकी जानकारी जनता को अप्राप्य है। राज्य सरकार को अविलम्ब राज्य की औद्योगिक जाँच की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे हमको राज्य के औद्योगिक साधनों की पूरी जानकारी हो सके और यह निश्चित किया जा सके कि उन्नति किस दिशा में संभव है। प्रस्तावित जाँच में राज्य की अज्ञात और अविकसित खनिज सम्पदा की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये और केन्द्रीय सरकार की सहायता से एक ऐसी शोध–संस्था की

❀ श्री द्वारिकालाल गुप्ता: लोकवाणी–औद्योगिक विकास अंक पृ. २०

स्थापना की जानी चाहिये जहाँ पर राज्य के खनिजों और उनके नये उपयोगों का पता लगाया जा सके।

(१४) योजना:—हम आगे चलकर बतलाएँगे कि प्रथम पंच-वर्षीय योजना में राजस्थान के औद्योगिक विकास की अपेक्षाकृत उपेक्षा की गई है। कहा जाता है कि दूसरी पंच-वर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर अधिक ध्यान दिया जायगा। राज्य सरकार का कर्त्तव्य है कि राज्य में औद्योगिक विकास के निश्चित लक्ष्य निर्धारित करके निश्चित समय में उनकी पूर्ति का प्रयत्न करें। साथ ही औद्योगिक विकास की संभावनाओं की जानकारी राज्य के धनिकों को, विशेष कर प्रवासी राजस्थानियों को, दी जानी चाहिये जिससे वे इन संभावनाओं को पूरा करने की ओर आगे बढ़ें। इस कार्य के लिए बम्बई, कलकत्ता आदि बड़े शहरों में सम्पर्क कार्यालय स्थापित किये जाने चाहियें।

राजस्थान सरकार की आर्थिक नीति

हम राजस्थान के वर्तमान बड़े उद्योग-धन्धों का संक्षिप्त विवरण दे चुके हैं। इस विवरण में हमने भावी विकास की संभावनाओं की ओर भी संकेत किया है। तत्पश्चात् हमने राज्य के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ होने के कारणों का सविस्तार विश्लेषण किया है और इनके निराकरण का मार्ग सुझाया है। अब हम राज्य सरकार की आर्थिक और औद्योगिक नीति का उल्लेख करते हैं जिससे ज्ञात होगा कि यह नीति किस सीमा तक उपर्युक्त कारणों का निराकरण करने में सफल हो सकेगी।

"राजस्थान में, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, औद्योगिक विकास और आर्थिक उन्नति की बड़ी सम्भावनायें हैं। राजस्थान सरकार प्रान्त के विकास के लिए उत्सुक है। सरकार की आर्थिक नीति का चरम लक्ष्य पूर्ण रोजगार और जन-साधारण का उच्च जीवन-स्तर है। उसकी समस्त आर्थिक एवं औद्योगिक योजनाएँ इस आधारभूत लक्ष्य से सम्बन्धित होंगी।

२—हमारी समाज-व्यवस्था का आधार गाँव है और हमारे समस्त आर्थिक प्रयत्नों का आधार कृषि। हमारी जन-संख्या का बड़ा भाग गाँवों में रहता है और खेती में लगा हुआ है जिससे कि हमें जीवन की दो सब से महत्वपूर्ण और प्राथमिक आवश्यकतायें, भोजन और वस्त्र, प्राप्त होती हैं। दुर्भाग्य से हमारी ग्रामीण अर्थ व्यवस्था आजकल हीन दशा में है, अतएव इसका पुर्नस्थापन हमारा मुख्य कर्त्तव्य होना चाहिए।

३—सरकार खेती में सहायता पहुंचाने और उसको सुधारने के सभी साधन जुटायेगी किन्तु सहायक धन्धों के बिना खेती पनपनी नहीं पनप सकती।

ये धन्धे गांव को यथा सम्भव आत्म निर्भर बनाने और जन-साधारण का जीवन स्तर बढ़ने के लिए आवश्यक हैं। हमें अपने औद्योगिक विकास का भवन इस नींव पर खड़ा करना होगा।

४—अतएव कुछ चुने हुए ग्रामीण उद्योगों का विकेन्द्रित आधार पर संगठन करना, उनके आयोजित विकास में सहायता देना और उनको पूर्ण संरक्षण प्रदान करना सरकार का प्रथम कर्त्तव्य होगा।

५—इस आधार से आरम्भ करके और उपर्युक्त उद्देश्य के अनुसार सरकार उद्योगों की स्थापना और वाणिज्य के विकास को यथा-सम्भव सहायता प्रदान करेगी। निम्नांकित आधार पर उद्योगों को दो श्रेणियों में बाँटा जायगा:—

(क) जिस उद्योग में ५ लाख या अधिक पूँजी लगी हो, बड़ा उद्योग माना जायगा, और

(ख) शेष सब उद्योग छोटे उद्योग माने जायँगे।

६—सरकार का विचार उद्योग धन्धों को निम्नांकित सुविधायें और छूटें प्रदान करने का है:—

(१) जहां संभव हो उद्योग के लिए रिआयती दर पर भूमि प्रदान करना।

(२) जहां बिजली उपलब्ध हो, वहाँ औद्योगिक दरों पर बिजली की पूर्ति करना।

(३) जहाँ संभव हो, औद्योगिक कार्य के लिए विशेष दरों पर पानी की पूर्ति करना।

(४) सीमाकरों से निम्नांकित छूटें देना:—

(क) कारखाने के बनाने, बढ़ाने तथा चालू रखने के लिए आवश्यक मशीनों आदि पर आयातकर की छूट।

(ख) उद्योग-विभाग द्वारा प्रमाणित कच्चे माल और स्टोर-सामान (कोयला और इन्धन के तेल सहित) की आयात पर आयात कर की छूट।

(ग) कारखानों में बने हुये माल पर निर्यात कर की छूट।

(५) कारखाने के लिए स्वतन्त्र बिजलीघर बनाने की स्वीकृति।

(६) नियन्त्रित सामान के प्राप्त करने में उपयुक्त सुविधायें प्रदान करना।

७—उपर्युक्त सुविधायें साधारणतः सभी उद्योगों को प्रदान की जायगी परन्तु सरकार को अधिकार होगा कि किसी विशेष श्रेणी या श्रेणियों के उद्योगों को, जिनको वे जन-कल्याण के उपर्युक्त मूल लक्ष्य के अनुकूल नहीं मानती, उपर्युक्त सुविधायें प्रदान नहीं करें।

८—जहाँ तक बड़े पैमाने के उद्योगों का प्रश्न है सरकार उनको नीति के अनुसार उपर्युक्त कोई एक या सभी सुविधायें प्रदान करेगी।

९—सरकार विशेष परिस्थितियों में निजी कम्पनियों को विद्युत पूर्ति और जलपूर्ति के कार्य की स्वीकृति पर विचार करेगी।

१०—साधारणतः सरकार किसी कार्य के लिए एकाधिकार प्रदान नहीं करेगी।

११—औद्योगिक विकास के लिए प्रशिक्षित श्रमिकों और विशेषज्ञों की पूर्ति के महत्व को ध्यान में रखते हुये सरकार राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण की की सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयत्न करेगी।

१२—सरकार अपनी आवश्यकता का सामान खरीदने की ऐसी नीति अपनायेगी जो प्रान्त के सर्वांगीण औद्योगिक विकास के अनुकूल हो।

१३—सरकार का विचार समस्त राज्य में सस्ती दरों पर बिजली की पूर्ति में वृद्धि करने की नीति अपनाने का है।

१४—सुयोग्य छोटे उद्योग धन्धों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उपयुक्त संस्था की स्थापना का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। ऐसी सहायता विशेषकर उन उद्योगों को दी जायगी जो पिछड़े हुये नगरों और कस्बों में चलाये जायँगे।

१५—सरकार ने उद्योग और वाणिज्य सम्बन्धी सभी मामलों पर परामर्श देने के लिए एक "औद्योगिक परामर्शदात्री परिषद् (Industrial Advisory Council)" नियुक्त करने का निश्चय किया है। उन्होंने ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए एक "ग्रामोद्योग मण्डल" की स्थापना भी की है।

१६—सरकार का विचार व्यापारी समाज से उनके संगठित मंडलों और संघों के द्वारा सम्पर्क रखने और समय समय पर तत्सम्बन्धित मामलों में परामर्श करने का है।"

सरकार की आर्थिक नीति के चरम लक्ष्य, पूर्ण रोजगार और उच्च जीवन-स्तर, के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। कृषि प्रधान राजस्थान में खेती और ग्रामोद्योगों को प्राथमिकता देना भी सर्वथा उचित है। छोटे उद्योग धन्धों के लिए जो सुविधाएँ और छूटें सरकार ने प्रदान करने का आश्वासन प्रदान किया है, वे सब आवश्यक है। हमारी मान्यता है कि यदि सरकार राजस्थान में छोटे उद्योग-धन्धों को पनपाने के लिए उत्सुक है तो केवल इतना ही पर्याप्त नहीं होगा। सरकार को इनके विकास में अधिक सक्रिय भाग लेना होगा। परन्तु इस अध्याय में हमारा सम्बन्ध केवल बड़े उद्योग-धन्धों से है। इनके

सम्बन्ध में उपर्युक्त घोषणा का आठवाँ पद केवल इतना ही कहता है कि सरकार "उनको सन्धि के अनुसार उपर्युक्त कोई एक या सभी सुविधाएँ प्रदान करेगी।" दूसरे शब्दों में इस श्रेणी के उद्योगों के लिए सरकार की कोई साधारण नीति नहीं है परन्तु प्रत्येक मामले पर अलग से विचार किया जायगा। इसमें विभागीय पक्षपात आदि का भय है। सरकार को बड़े उद्योगों के लिए भी प्रगतिशील साधारण नीति अपनानी चाहिये। यही नहीं सरकार को औद्योगिक जाँच द्वारा राज्य में पनप सकने वाले उद्योगों की सूची बना कर साहसियों को उनको हाथ में लेने के लिए आमंत्रित और आकर्षित करना चाहिये और जिन उद्योगों का चलाना आवश्यक हो परन्तु जिनके लिए कोई साहसी आगे नहीं आये सरकार को स्वयं अपने हाथ में लेना चाहिये। साथ ही सरकार को औद्योगिक शक्ति ('बिजली), परिवहन के साधनों और जल-पूर्ति के विकास द्वारा औद्योगिक विकास के आवश्यक साधन जुटाने चाहिये।

छपते छपते:—गत शनिवार दि. १७ जुलाई १९५४ को राजस्थान योजना मंडल के द्वितीय अधिवेशन का उद्घाटन करते हुये राज्य के मुख्य मंत्री श्री जयनारायण व्यास ने बतलाया कि राज्य में औद्योगिक वित्तीय निगम (Industrial Finance Corporation) स्थापित करने का प्रश्न प्राय: तय किया जा चुका है। यह निगम २ करोड़ रु. की अधिकृत पूँजी से स्थापित किया जायगा और इसकी जारी की हुई पूँजी १ करोड़ रु. होगी। आपने यह भी कहा कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया निगम के १५ प्रतिशत भाग खरीदने को सहमत हो गई है।

राजस्थान में नये उद्योगों के चालू करने की संभावनाओं का वर्णन करते हुये मुख्य मंत्री ने कहा कि डा. काटजू ने राज्य के पशुधन को देखते हुये यहाँ सूखा दूध तैयार करने का कारखाना खोलने का सुझाव दिया था। इसी प्रकार अमोनियम सल्फेट का कारखाना और सोडा एश फैक्टरी खोलने के प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है। जयपुर चैम्बर आफ कोमर्स एण्ड इन्डस्ट्री के नवें वार्षिक अधिवेशन के सन्मुख भाषण करते हुये मुख्य मंत्रीजी ने यह भी बताया कि उदयपुर के निकट जावर खानों में राज्य सरकार ४ करोड़ रु. की लागत का एक "स्मेलटिंग प्लान्ट" लगाने का विचार कर रही है। हम मुख्य मंत्री जी की उपर्युक्त घोषणाओं का स्वागत करते है।

अध्याय ११

सहकारिता की प्रगति

संक्षिप्त इतिहासः—राजस्थान में सहकारी आन्दोलन का श्री गणेश सर्व प्रथम सन् १६१५ में भरतपुर में हुआ था। तत्पश्चात सन् १६१६ में कोटा में भी यह आन्दोलन आरम्भ हुआ। राजस्थान के निर्माण के समय तक यह राज्य में सम्मिलित होने वाली तेरह रियासतों में फैल चुका था। निम्नांकित तालिका में उस समय की स्थिति प्रदर्शित की गई है:—

क्रम संख्या	राज्य का नाम	प्रथम वर्ष	समितियों की संख्या
१	भरतपुर	१६१५	६५५
२	कोटा	१६१६	६५५
३	बीकानेर	१६२६	१३६
४	अलवर	१६३४	३२१
५	किशनगढ	१६३५	३५
६	जोधपुर	१६३८	२०७
७	जयपुर	१६४४	५१७
८	उदयपुर	१६४८	१५५
९	धोलपुर	१६४६	११
१०	करौली	१६४६	२५
११	झालावाड़	१६४६	६
१२	बून्दी	१६४६	१
१३	कुशलगढ	१६४६	१
		कुल	२६७७

Source : Rajasthan-A Symposium : p. 91

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि (१) राजस्थान के निर्माण के समय तक टौंक, शाहपुरा, बाँसवाड़ा, प्रतापगढ, डूँगरपुर और जैसलमेर की रियासतों में सहकारी आन्दोलन आरम्भ नहीं हुआ था; (२) जिन स्थानों में आन्दोलन

काफी जल्दी आरम्भ हो गया था वहाँ भी इसकी प्रगति बहुत धीमी थी। इस मन्द प्रगति के प्रधान कारण निम्नाँकित थे:-(१) रियासती सरकारों की निर्वाधनीति (laissez faire policy); (२) प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव; (३) जनता की निरक्षरता और (४) आन्दोलन का एकतरफा होना अर्थात सहकारिता के सिद्धान्त को केवल लेनदेन या साख के क्षेत्र तक सीमित रखा जाना और इसका व्यक्ति के जीवन से सर्वाङ्गीण सम्बन्ध नहीं होना।

राजस्थान के निर्माण और विभिन्न रियासतों के सहकारी विभागों के एकीकरण से सहकारी आन्दोलन को बल मिला। विभाग के साधनों और कर्मचारियों में वृद्धि से अनेक नई समितियाँ खोली गई और पुरानी समितियों की स्थिति सुधारने का प्रयत्न किया गया। फलस्वरुप आन्दोलन का विकास हुआ। निम्नाँकित तालिका से सन् १९४९ से १९५२ तक राजस्थान में सहकारी संस्थाओं की प्रगति ज्ञात होगी:—

समितियों के प्रकार	समितियों की संख्या		
	४९–५०	५०–५१	५१–५२
कृषि साख समितियाँ	१७१८	१७६४	१७०६
कृषि गैर–साख समितियाँ	२६७	४००	४४५
गैर–कृषि साख समितियाँ	२१३	१४०	१४१
गैर–कृषि गैर–साख समितियाँ	५००	५५२	८२१
केन्द्रीय साख समितियाँ	७	७	१०
केन्द्रीय गैर–साख समितियाँ	१३	१३	१८
कुल	२७१८	२८७६	३१४१

Source : A Statistical Outline of Rajasthan : p. 34.

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस काल में समितियों की कुल संख्या २७१८ से बढकर ३१५१ हो गई। यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि आज भी कृषि साख समितियों की प्रधानता है तथापि इस काल में जहाँ एक ओर साख समितियों की संख्या में वास्तव में कमी हुई वहाँ गैर–साख समितियों की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई। यह प्रवृत्ति कृषि और गैर–कृषि दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस काल में केन्द्रीय साख

समितियों की संख्या ७ से बढ़ कर १० और केन्द्रीय गैर-साख समितियों की संख्या १३ से बढ़ कर १८ हो गई। इस प्रकार इस काल में जहाँ गैर-साख समितियों के विकास से राज्य में सहकारी आन्दोलन का एकाङ्गीपन कुछ कम हुआ और केन्द्रीय संस्थाओं के विकास से आन्दोलन को बल मिला वहाँ सहकारी विभाग के पास साधनों और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी और जनता की निरक्षरता से आन्दोलन की प्रगति सीमित रही। राज्य में सहकारी आन्दोलन की आर्थिक सहायता करने और इसको शक्तिशाली बनाने के लिए राज्य में एक चोटी के बैंक (Apex Bank) की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। ऐसे बैंक के खोलने की पहली शर्त यह थी कि सारे राजस्थान में एकसा सहकारी विधान होना चाहिये। इस कमी को पूरा करने के लिए राजस्थान विधान-सभा ने सन् १९५३ में सहकारी समिति अधिनियम स्वीकार किया और सरकार ने राजस्थान सहकारी बैंक की स्थापना की जो राज्य में सहकारी आन्दोलन के लिए चोटी के बैंक का कार्य करेगा। आशा है कि सम्पूर्ण राज्य के लिए एक से सहकारी विधान की स्वीकृति और चोटी के बैंक की स्थापना से राज्य में सहकारी आन्दोलन की प्रगति को प्रोत्साहन मिलेगा।

वर्तमान स्थितिः— पिछले दो वर्षों में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किये गये प्रयत्नों के फलस्वरूप राज्य में सहकारी आन्दोलन की अच्छी प्रगति हुई है। हम देख चुके हैं कि पंच वर्षीय योजना पर कार्य आरम्भ होने से पूर्व राजस्थान में सहकारी समितियों की संख्या ३१११ थी। इसी समय इनके सदस्यों की कुल संख्या १,२०,९२४ थी। योजना के प्रथम दो वर्षों के अन्त में सहकारी समितियों की संख्या ३७५० और इनके सदस्यों की १,४६,७७८ हो गई है। आशा की जाती है कि पंच वर्षीय योजना के पूरे होने पर राजस्थान में सहकारी समितियों की संख्या ५,७५८ और इनके सदस्यों की संख्या १,९७,-०५२ तक जा पहुँचेगी। सहकारी केन्द्रीय बैंकों की संख्या भी पंच वर्षीय योजना के अधीन बढ़ाई जायगी। योजना कार्य आरम्भ होते समय राज्य में ऐसे १० बैंक थे। योजना के पूरे होने पर १८ हो जायँगे। गत दो वर्षों में ऐसे पांच नये बैंक खोल दिये गये हैं। इनके अतिरिक्त एक चोटी का बैंक भी खोल दिया गया है। *

सहकारी विभाग का लक्ष्यः— भारत की प्रथम पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत सहकारी विभाग को राष्ट्र निर्माण के सभी क्षेत्रों में एक विशेष उत्तरदायित्व और कर्त्तव्य का भार प्रदान किया गया है। इनको पूर्ण करने के लिए विभाग ने प्रथम दौर में ५०% गांवों और ३०% जनता को सहकारी

* संयुक्त राजस्थान-मई-जून १९५३ संयुक्तांक-पृ. ११

आन्दोलन के अन्तर्गत लाभ पहुंचाने का लक्ष्य बनाया है। इस लक्ष्य के अनुसार, जो सन् १९४९ में सरैया समिति द्वारा भारत के लिए प्रस्तावित किया गया था, राजस्थान में १५००० सहकारी समितियाँ होनी चाहिये। इस लक्ष्य के अनुसार राज्य में कहाँ कहाँ किस प्रकार की और कितनी समितियाँ होनी चाहिये इसकी गवेषणापूर्वक विस्तृत तालिका बनाई गई और इसे कार्यान्वित करने के लिए उचित धनराशि (५१.१६ लाख रु.) की मांग की गई। किन्तु राजकीय आर्थिक साधनों की सीमितता के कारण केवल ३ लाख रु. प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में सहकारिता की प्रगति के लिए प्राप्त हो सके है। फलतः स्वरुप सहकारी विभाग को अपने लक्ष्य को घटा कर स्वीकृत साधनों के अनुकूल बनाना पड़ा है। हम देख चुके हैं कि जहाँ सरैया समिति के प्रस्तावों के अनुसार राजस्थान में १५००० सहकारी समितियाँ होनी चाहिये योजना काल की समाप्ति तक केवल ५७५८ समितियाँ होनें की आशा है।

राज्य के सहकारी विभाग ने पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत राशि को मुख्यतः कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विशेप प्रकार की सहकारी समितियाँ की सहायतार्थ व्यय करने का निश्चय किया है। तदानुसार जयपुर में एक सहकारी शिक्षा सदन की स्थापना की गई है और अलवर, सोजत, जयपुर, कोटा आदि स्थानों पर रिफ्रेशर कोर्सों की व्यवस्था की गई है। साथ ही उच्चाधिकारियों को प्रशिक्षणार्थ अन्य राज्यों में भेजने का प्रबन्ध भी किया गया है।

आर्थिक सहायता विशेप प्रकार की सहकारी समितियों तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों, शुद्ध खादी सहकारी समिति, सहकारी कृपि समिति, चर्म उद्योग सहकारी समिति आदि को दी गई है, जिससे इनको आरंभिक अवस्था में आत्म निर्भर बनने के लिए बड़ा सहारा प्राप्त हुआ है। साथ ही योजना कमीशन की सिफारिशों के अनुसार कृषि, छोटे उद्योग-धन्धों और गांवों के प्रबन्ध में सहकारी संगठन को प्रोत्साहन दिया जायगा।

सहकारी आन्दोलन के लाभः— आज राजस्थान में सहकारी आन्दोलन का श्रीगणेश हुये लगभग चालीस वर्ष हो चुके है। इस अवधि में आन्दोलन में बड़ी उन्नति हुई है। सहकारी आन्दोलन के लाभ निम्नलिखित है।

(१) आर्थिक लाभः— (अ) सहकारी साख समितियाँ किसानों और कारीगरों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करती है। इससे जो रुपया उन्हें ब्याज में देना पड़ता है उसमें बचत हो जाती है।

(आ) कई गाँवों में महाजनों का एकाधिकार समाप्त हो गया है और उन्हें अपने ब्याज की दरें घटाने के लिये बाध्य होना पड़ा है। इससे जो व्यक्ति सहकारी समितियों के सदस्य नहीं हैं, उन्हें भी लाभ पहुँचा है।

(इ) सहकारी समितियों ने ऋणों को कम करने में भी सहायता दी है।

(ई) सहकारी समितियाँ नियंत्रित साख प्रदान करती है, जो महाजन की अनियंत्रित और नैतिक पतनकारक साख से अधिक उत्तम है।

(उ) सहकारी समितियों ने अनुत्पादक संचय की प्रवृत्ति को रोका है और लोगों में महाजनी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया है।

(ऊ) गैर – साख के क्षेत्रों में भी सहकारी समितियों द्वारा कृषि को अनेक प्रकार से लाभ पहुंचा है। किसानों की नाना प्रकार की आवश्यकताओं को सहकारी आधार पर पूर्ति करने का प्रयत्न किता गया है। सहकारी समितियों द्वारा कृषि-विभागों को उत्तम बीज, उत्तम औजार, उत्तम खाद और उत्तम मवेशियों के प्रचार में बड़ी सहायता मिली है। बहुत उद्देश्यों वाली समितियां स्थापित होने से, जो लेन देन के अतिरिक्त खेती की पैदावार की बिक्री तथा अन्य आवश्यक सामान की पूर्ति का कार्य भी करती हैं, शीघ्र ही उन्नति की आशा की जाती है। आज कल किसानों को उत्तम खेती, उत्तम व्यवसाय तथा उत्तम जीवन का आदर्श उपलब्ध करने में सहकारी आन्दोलन से बड़ी आशायें हैं।

(ए) गैर–कृषि समितियाँ (Non-Agricultural Societies) भी जैसे बुनकरों, कारीगरों, श्रमिकों, वेतन-भोगियों व उपभोक्ताओं की समितियां, यद्यपि संख्या में सीमित हैं, उपयोगी कार्य कर रही हैं। कुटीर-उद्योग-धन्धों, जैसे हाथ की बुनाई के काम के लिये भी सहकारिता बड़ी उपयोगी सिद्ध हो रही है।

(२) नैतिक लाभः—आर्थिक लाभों के अतिरिक्त सहकारी आन्दोलन से सदस्यों का नैतिक स्तर ऊपर उठ गया है। एक चरित्रहीन और संदिग्ध चरित्र वाला व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता है। इससे सदस्य बनने की इच्छा करने वाले व्यक्ति चरित्र को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। सदस्यों के झगड़े पंचायतों के सुपुर्द किये जाते हैं। इससे मुकदमेबाजी में होने वाले समय, शक्ति और व्यय बच जाते हैं। सदस्यगण पारस्परिक नियन्त्रण रखते हैं। इससे फिजूल खर्ची कम हो जाती है और मितव्ययिता को प्रोत्साहन मिलता है। सर माल्कोम डार्लिङ्ग के अनुसार "एक अच्छी सहकारी समिति में मुकदमेबाजी, फिजूलखर्ची, शराबखोरी, जुआबाजी सभी कम हो जाते हैं और उनके स्थान पर परि- श्रम, आत्म-विश्वास, ईमानदारी, शिक्षा, पंचायत–समितियाँ, मितव्ययिता, स्वावलम्बन और पारस्परिक सहायता पाई जाती है।"

(३) शैक्षिक लाभः— सहकारिता आन्दोलन ने अनेक प्रकार से लोगों की ज्ञान वृद्धि में भी सहायता दी है। सहकारी समिति एक प्रकार की पाठशाला है जिसमें सदस्यों को नागरिकता के कर्त्तव्यों और स्वशासन की प्रारम्भिक शिक्षा मिलती है। एक सहकारी समिति के सदस्य को इसकी बैठकों में भाग लेना पड़ता है और इसके नियमोपनियम समझने पड़ते हैं। यदि वह किसी उत्तरदायी पद पर नियुक्त हुआ तो उसे सारी बातों को अधिक ध्यान से अध्ययन करना होता है। इससे उसकी बुद्धि तथा ज्ञान शक्ति का विकास होता है। हस्ताक्षर करने और बही को पढ़ने की आवश्यकता से भी साक्षरता को प्रोत्साहन मिलता है।

(४) सामाजिक लाभः—सहकारी आन्दोलन से समाज को भी अनेक लाभ पहुँचे हैं। अपरिमित दायित्व के सिद्धान्त से पारस्परिक नियन्त्रण अनिवार्य हो जाता है और फिजूलखर्ची के विरुद्ध लोकमत तैयार हो जाता है। इससे विवाह आदि धार्मिक और सामाजिक अवसरों पर होने वाली फ़िजूल खर्ची कम होती है। क्योंकि समितियों को १०% वार्षिक लाभ शिक्षा तथा दान धर्म के कार्यों में व्यय करने की अनुमति है इससे गांवों में कुओं की मरम्मत, साधारण सफाई, गंदे पानी के बहाव की नालियों का निर्माण, और चिकित्सा की सुविधाओं से सम्बन्ध रखने वाले कई कार्य किये जाते हैं।

सहकारिता आन्दोलन की मर्यादायें और कमियाँ:—यद्यपि गत चालीस वर्षों में हमारे राज्य में सहकारिताता आन्दोलन की बड़ी उन्नति हुई है, तथापि इस आन्दोलन में अनेक कमियाँ है।

(१) गैर साख समितियों की उपेक्षा:—सब से बड़ी कमी यह है कि इस आन्दोलन में आरम्भ ही से साख की प्रधानता रही है, और वह भी ग्रामीण जनता के लिये। इस विशेष क्षेत्र में भी राज्य के विस्तार और जनसंख्या को देखते हुये अब तक जो कुछ हुआ है, केवल धरातल को कुरेदने के समान है। दुःख की बात यह है कि जो कमियाँ इस आन्दोलन में पाई जाती हैं उनका सम्बन्ध साख समितियों से है और इसलिये ये कमियाँ बड़ी विस्तृत हैं।

(२) स्वेच्छा का अभावः—राजस्थान में सहकारिता एक आन्दोलन नहीं वरन् एक सरकारी नीति के रूप में आई है। इसका आरम्भ सरकार की ओर से हुआ है, इसका नियन्त्रण सरकार के हाथ में है और इसके लिये रुपया भी सरकारी साख पर ही प्राप्त हुआ है क्योंकि रुपया ऐसे लोगों से आया है जो यदि वे जानते कि सरकार इसके पीछे नहीं है, ऐसे बैंकों (सहकारी

समितियाँ) को रुपया नहीं देते । अब भी रजिट्रार के हाथों में बहुत अधिकार है, उसकी स्वीकृति के बिना कोई समिति का संगठन नहीं कर सकता, उसके सरकारी निर्णय के विरुद्ध कहीं अपील नहीं हो सकती। इससे आत्मनिर्भरता घटती है । सरकारी हस्तक्षेप घटा करके रजिस्ट्रार के अनेक अधिकार गैर सरकारी संस्थाओं को दिये जाने चाहिये । संयुक्त प्रान्तीय बैंकिंग जांच समिति के अनुसार "सरकारी प्रयत्नों का उद्देश्य अपने आपको अनावश्यक बनाना होना चाहिये और इनकी सफलता, जिस गति से यह उद्देश्य प्राप्त हो सके, मानी जानी चाहिये ।" यदि सहकारिता को सफल होना है तो यह आन्दोलन जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिये होना चाहिये ।

(३) **सहकारिता के सिद्धान्तों के ज्ञान का अभाव:**—एक बड़ी कमी यह है कि सहकारी समितियों के सदस्यों तथा पदाधिकारियों में सहकारिता के ज्ञान का अभाव है । कई सरकारी तथा गैर सरकारी लोग इस आन्दोलन में भाग लेने में उत्साह दिखाते हैं किन्तु समितियों के वर्तमान और आने वाले सदस्यों को सहकारिता के सिद्धान्तों का ज्ञान कराने में उतना उत्साह नहीं दिखाया जाता है । इस कार्य में निरक्षरता एक बड़ी रुकावट है लेकिन यदि आन्दोलन को सफल बनाना है तो इसे दूर करना होगा ।

(४) **कुप्रबन्ध:**—सहकारी समितियों के सदस्य समिति का ऋण ठीक समय पर नहीं चुकाते हैं । यद्यपि प्रति सदस्य बकाया की मात्रा कम है तथापि यदि ऋण लौटाया नहीं जावे तो नया ऋण नहीं दिया जा सकता, इससे कार्य में शिथिलता आ जाती है । बकाया को छिपाने के लिये लेखा परिवर्तन (Paper Adiustment), बनावटी अदायगी और बारबार तथा स्वतः ऋणों का नवीनकरण किया जाता है । ऋण देते समय ऋण के उद्देश्य की छानबीन नहीं की जाती । पदाधिकारी स्वयं ऋण बकाया रखते हैं और बकाया रखने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करते । मैक्लेगन समिति ने सत्य कहा है कि "जब तक समय की पाबन्दी नहीं की जाती है सहकारिता आर्थिक और शैक्षिक दोनों रूपों से केवल भ्रम है ।"

(५) **जाँच की कमी:**—जनता में विश्वास उत्पन्न करने और कुप्रबन्ध तथा अपहरण को रोकने के लिये आय व्यय की कुशल और पूर्ण जाँच की बड़ी आवश्यकता है। आय व्यय के जाँच की वर्तमान व्यवस्था बड़ी असन्तोषजनक है ।

(६) **ब्याज की ऊँची दरें:**—कई स्थानों में अब भी ब्याज की दरें ऊँची हैं । इसका कारण यह है कि समितियों के पास अपनी पूँजी न होने से केन्द्रीय बैंकों से रुपया उधार लेती हैं और केन्द्रीय बैंक प्रान्तीय बैंक से लेते हैं ।

इस प्रकार अन्तिम ऋणी और प्रारम्भिक ऋणदाता के बीच में कई संस्थाएँ आती है और प्रत्येक संस्था व्याज की दर पर वृद्धि करती है।

(७) **लोच का अभाव, विलम्ब और अपर्याप्तता:**—सदस्यों को समितियों से अपनी आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त ऋण नहीं मिलता। बहुधा ऋण के लिये बड़ी देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और असुविधा तथा व्यक्तिगत अपमान तक सहन करना पड़ता है। फलस्वरूप समितियों को भी बहुधा महाजन से उधार लेना पड़ता है इसका यह भी है कि समितियों के पास जरूरी माँग को पूरा करने के लिये काफी नकद रुपया नहीं होता। यदि केन्द्रीय बैंकों से नकदी साख (Cash Credit) की व्यवस्था की जाय तो यह कमी दूर हो सकती है।

(८) **दीर्घकालीन साख का अभाव:**—सहकारी समितियाँ दीर्घकालीन ऋण देने में असमर्थ है, फलस्वरूप वे पुराने ऋणों को चुकाने और चकबन्दी की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये ऋण प्रदान नहीं कर सकतीं, अतः किसानों को दीर्घकालीन ऋण देने की सुविधा प्रदान करने के लिये भूमिबन्धक बैंकों की स्थापना की जानी चाहिये।

राजस्थान ही नहीं भारत में सहकारी आन्दोलन की आशानुकूल उन्नति और सफलता नहीं हो सकी है। इसका कारण केवल आन्दोलन की आन्तरिक कमियां ही नहीं है, हमारे देश की विकट आर्थिक समस्या, विस्तृत अशिक्षा, के पास पर्याप्त साधनों का अभाव और आन्दोलन के वृहत भाग की जलवायु पर आश्रितता भी इसकी उन्नति तथा सफलता के मार्ग में बाधाएँ उपस्थित करती है।

१ **विकट आर्थिक समस्या:**—हमारे देश में आर्थिक समस्या बड़ी विकट है। केवल किसानों की चलती आवश्यकताओं के लिये ऋण की व्यवस्था से ही उन्हें कोई बड़ा लाभ नहीं हो सकता जब तक कि ऋणग्रस्तता का मूल कारण दरिद्रता दूर नहीं की जाती है। कारीगरों की दशा सुधारने के लिये उनकी आय में वृद्धि के अतिरिक्त स्वास्थ्यप्रद मकानों की व्यवस्था की भी आवश्यकता है। श्रमिकों को भी ऋणग्रस्तता से मुक्ति, कम व्याज पर नियन्त्रित ऋण, सामाजिक व्यय में कमी तथा शिक्षा की आवश्यकता है, लेकिन उनकी सब से बड़ी आवश्यकता उनके पारश्रमिक या वेतन में वृद्धि की है। दुर्भाग्यवश किसानों, कारीगरों तथा श्रमिकों की आय में वृद्धि करना सहकारिता आन्दोलन के क्षेत्र के बाहर है। इसके लिये समस्या को पूर्णतया समझ कर आयोजित प्रयत्न करने की आवश्यकता है। सहकारिता के सिद्धान्तों को जितने भी अधिक मोर्चों पर

लगाया जाय, अच्छा है। साथ ही कृषि-विकास, औद्योगीकरण और सामाजिक सुरक्षा (Sorial Insurance) की योजनाएँ भी कार्यान्वित की जानी चाहिये।

२ विस्तृत अशिक्षा:—सहकारिता आन्दोलन के मार्ग में जनता की भयंकर और विस्तृत निरक्षरता बड़ी बाधा है। शिक्षा के अभाव में सहकारी सिद्धान्तों का ज्ञान कराने में बड़ी कठिनाई होती है। इससे साधारण सदस्य आन्दोलन में सक्रिय भाग नहीं ले सकते और प्रभावशाली सदस्य उनसे अनुचित लाभ उठाते हैं। कहीं-कहीं तो समितियों के लिये शिक्षित मन्त्री ढूढ़ने में भी बड़ी कठिनाई पड़ती है।

(२) सहकारी विभाग के पास साधनों का अभाव:—यद्यपि सीधी सरकारी सहायता तथा ऋण सहकारी भावना का नाश कर देते हैं, तथापि निरीक्षण तथा नियन्त्रण के लिये पर्याप्त साधनों तथा कर्मचारियों के अभाव में आन्दोलन का विस्तार करना भी मूर्खता है। सरकार के पास रुपयों की कमी से आन्दोलन का विस्तार नहीं हो सकता है और जब तक इस आन्दोन का विस्तार नहीं होता, सरकार की आर्थिक स्थिति में सुधार की आशा नहीं की जा सकती है।

(४) जलवायु पर आश्रितता:—भारत में सहकारी आन्दोन की उन्नति के मार्ग में एक बड़ी बाधा यह है कि इस आन्दोलन में कृषि समितियों की प्रधानता है और जब तक भारत कृषि प्रधान रहेगा, यह प्रधानता बनी रहेगी। कृषि सहकारिता की सफलता फसलों की उत्तमता पर निर्भर है और हमारे देश की फसलें वर्षा पर आश्रित हैं। सिंचाई के कृत्रिम साधनों का विकास करके यह आश्रितता कम की जा सकती है।

यह हर्ष का विषय है कि उपरोक्त बाधाओं तथा कमियों की रचनात्मक आलोचना द्वारा इनको दूर करके आन्दोलन को बल देने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। क्योंकि अब देश की राजनीतिक समस्या हल हो गई यह आशा की जा सकती है कि जन-सेवक जो अब तक राजनीतिक संग्राम में व्यस्त थे, अब इस रचनात्मक प्रवृत्ति में सक्रिय भाग लेंगे और सहकारिता की शिक्षा तथा सहकारी समितियों का सुधार और पुनर्संगठन की ओर विशेष ध्यान दिया जायगा। राजकीय-कृषि-जाँच समिति ने बड़ी सुन्दरता से कहा है कि यदि सहकारिता असफल होती है तो ग्रामीण भारत की सर्वोत्तम आशा असफल हो जायगी।

अध्याय १२

राज्य की पंचवर्षीय योजना

योजना की पृष्ठ भूमिः—हम पिछले अध्यायों में देख चुके हैं कि राजस्थान में खनिज पदार्थों, कच्चे माल तथा अन्य प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय साधनों की विशेष कमी नहीं है। परन्तु राज्य की अर्थ-व्यवस्था पिछड़ी हुई और अविकसित है। यही स्थिति न्यूनाधिक रूप में समस्त भारत की भी है। हमारे देश में प्राकृतिक, मानवीय और भौतिक साधनों की प्रचुरता होते हुये भी हमारा जीवन स्तर बहुत नीचा है। हमारी राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष केवल २५५) रु. है। इसका प्रधान कारण हमारी अविकसित या अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था है।

पिछले कई वर्षों से हमारी जन-संख्या निरन्तर तेजी से बढ़ रही है परन्तु हमारी आर्थिक-उन्नति की गति बहुत मन्द और अवरुद्ध रही है। हमारी जन-संख्या का दो-तिहाई भाग खेती पर निर्भर है और हमारी खेती की उत्पत्ति बहुत कम है। गत तीस वर्षों में हमारे देश में उद्योगों की उन्नति हुई है परन्तु इतनी नहीं कि खेती पर से जन-भार हटा सके। उल्टा ग्रामीण उद्योगों की अवनति से खेती पर भार बढ़ता जा रहा है। गत महा युद्ध ने हमारी अर्थ-व्यवस्था पर असहनीय बोझ डाला है। देश के बँटवारे ने हमारी अन्न की कमी को और भी बढ़ा दिया और हमारे पटसन तथा वस्त्र उद्योगों को कच्चे माल से वंचित कर दिया। फलस्वरुप देश में सर्वत्र अन्न-वस्त्रादि जीवनोपयोगी वस्तुओं की कमी, बढ़ती हुई कीमतें और गिरते हुये जीवन-स्तर की विकट समस्या उत्पन्न हो गई। देश की इस बिगड़ी हुई अर्थ-व्यवस्था को सुधारने के लिए भारत सरकार ने प्रथम पंच वर्षीय योजना को अपनाई है। यह हमारी प्रस्तुत योजना की पृष्ठ भूमि है।

योजना का इतिहासः—आर्थिक नियोजन एक नया विचार है। प्रथम विश्वयुद्ध तक यह केवल अर्थशास्त्र की प्रगतिशील पाठ्यपुस्तकों में पाया जाता

था। यहाँ तक कि इस शताब्दि के तीसरे दशक के अन्त तक साधारण अर्थ-शास्त्री आर्थिक नियोजन का नाम सुनकर नाक-भौं सिकोड़ता था। परन्तु सोवियत भूमि में आर्थिक-नियोजन की आशातीत सफलता ने लोगों का इस ओर ध्यान आकर्षित किया। साथ ही अनियोजित पूँजीवादी देशों में आर्थिक विषमता तथा महामन्दी की कठिनाइयों के कारण अनेक लोगों का अनियोजित पूँजीवाद में विश्वास जाता रहा। यहाँ तक कि पूँजीवाद के सुदृढ़ गढ़ अमरीका में भी राष्ट्रपति रुजवैल्ट की नई व्यवस्था (New Deal) और राष्ट्रपति ट्रूमैन की उचित-व्यवस्था (Fair Deal) के रूप में एक प्रकार की आर्थिक योजना स्वीकार की गई। द्वितीय महायुद्ध में तो लगभग सभी देशों में नियोजन का सहारा लिया गया।

भारत में योजना बनाने का काम सब से पहले अक्तूबर १९३८ में कार्यान्वित किया गया। तब भारतीय राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) ने श्री जवाहरलाल नेहरु के सभापतित्व में राष्ट्रीय-योजना-समिति की स्थापना की। इस समिति ने मूल्यवान सामग्री इकट्ठी की और देश को योजना के विचारों से युक्त बनाने में सहायता दी। परन्तु १९३९ में महायुद्ध छिड़ जाने और समिति के अनेक सदस्यों की गिरफ्तारी से समिति का काम कभी पूरा नहीं हो सका। युद्धोत्तर काल में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे देश में आर्थिक योजनाओं की एक प्रकार की बाढ सी आगई। इनमें ताता-बिड़ला आदि उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत "बम्बई योजना", स्व० राय द्वारा प्रस्तावित "जनता योजना", श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल की " गान्धी योजना ", स्व. प्रो. शाह की "राष्ट्रीय योजना" अधिक प्रसिद्ध हैं। उपर्युक्त सभी योजनाएँ गैर सरकारी और न्यूनाधिक रुप में काल्पनिक थी। अतएव ये योजनाएँ कार्यान्वित नहीं की जा सकी।

देश की बिगड़ी हुई आर्थिक दशा को सुधारने के लिए योजना बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रधान मंत्री के सभापतित्व में मार्च १९५० में एक योजना आयोग (Planning Commission) नियुक्त किया। देश की आर्थिक दशाओं की विस्तृत जाँच और अनुसंधान के पश्चात योजना आयोग ने प्रथम पंच वर्षीय योजना की रुपरेखा का एक मसौदा प्रकाशित किया और जनता की टिप्पणियों तथा प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रख कर योजना को अन्तिम रुप दे दिया गया। प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत देश में विकास कार्यों पर २०६८. ६८ करोड़ रु. व्यय करने की व्यवस्था की गई है। इस योजना का काल १९५१-५२ से १९५५-५६ तक है।

राजस्थान के विस्तृत क्षेत्रफल और इसकी अविकसित आर्थिक स्थिति तथा विकास की बड़ी संभावनाओं को देखते हुये राज्य सरकार ने जनवरी १६५१ में ३०४६·६५ लाख रु. की एक योजना भारत सरकार के योजना आयोग के सन्मुख रखी। परन्तु पंच वर्षीय योजना की रुपरेखा के मसौदे में राजस्थान की योजना के लिए केवल १५२१·२५ लाख रु. रखे गये जिनमें से ६०० लाख रु. भारत सरकार द्वारा और शेष ६२१-२५ लाख रु. राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये जाने की व्यवस्था थी। राज्य की विधान सभा के सदस्यों, वाणिज्य और उद्योग के प्रतिनिधियों तथा अन्य महत्वपूर्ण हितों द्वारा यह टीका टिप्पणी की गई कि अविकसित और विशाल क्षेत्रों से युक्त इस राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुये यह रकम बहुत कम है। अतएव राज्य की न्यूनतम आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए मुख्य मंत्री के सभापतित्व में एक सम्मेलन ३१ मई १६५२ को बुलाया गया और जून १६५२ में ३५ करोड़ रु. की अतिरिक्त मांग की गई। भारत सरकार के परिवहन सचिवालय की सिफारिश पर सड़कों के लिए निर्धारित राशि २०० लाख रु. से बढाकर ४०० लाख कर दी गई। साथ ही जवाई बान्ध के लिए भी अतिरिक्त राशि स्वीकार की गई। इस प्रकार अन्तिम योजना में राजस्थान के लिए १६८१.४० लाख रु. रखे गये। इसके अतिरिक्त चम्बल योजना को भी सम्मिलित कर लिया गया है।

अब समाचार मिला है कि राजस्थान में पंच वर्षीय योजना के कुल लागत में योजना को अन्तिम रूप देने के बाद ६ करोड़ से कुछ अधिक की और वृद्धि की गयी है। अब कुल २२६७.१ लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है। कृषि मद में ५.८ लाख, पशु चिकित्सा एवं नस्ल सुधार में १० लाख, अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों के लिये २५० लाख, विद्युत योजनाओं में २५०.८ लाख और सड़क निर्माण में १०० लाख की वृद्धि की गयी है।

योजना में प्राथमिकताएँ:—राजस्थान की पंचवर्षीय योजना में अधिकांश धन सिंचाई के कार्यों, सड़कों, शिक्षा व अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए रखा गया है। यह निर्विवाद है कि अन्य दिशाओं में भी विकास की आवश्यकता है। परन्तु राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए सिंचाई और शक्ति के साधनों का विकास और परिवहन के साधनों की उन्नति अत्यंत आवश्यक है। निम्नाँकित तालिका में विकास पर होने वाले व्यय को बड़े शीर्षकों में बाँट कर दिखलाया गया है:—

पंचवर्षीय योजना की लागत

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	विषय	योजना के मसौदे में	राज्य सरकार की अतिरिक्त मांग	अन्तिम योजना में	हाल की वृद्धि सहित
१	कृषि और ग्रामोन्नति	१६७.२५	६४६.५३	१६५.३०	१८२.२०
२	सिंचाई और शक्ति की बड़ी योजनाएँ	४९४.३०	१३३६.००	५५५.५०	१०५५.२०
३	उद्योग	३८.५०	१८५.००	३८.५०	३८.५०
४	परिवहन	२९१.००	६१०.००	५०१.००	५०१.००
५	सामाजिक सेवाएँ	५३०.२०	७०६.००	५३०.२०	५३०.२०
	कुल योग	१५२१.२५	३४८६.५३	१६८१.५०	२२६७.१०

Source : A Statistical Outline of Rajasthan : p. 69.

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राजस्थान में पंचवर्षीय योजना पर व्यय किये जाने वाले कुल २२६७.१ लाख रु० में से १०५५.२० लाख रु० सिंचाई और विद्युत शक्ति के विकास पर, ५०१ लाख रु० सड़कों और सड़क परिवहन के विकास पर और ५३०.१० लाख रु० सामाजिक सेवाओं के विकास पर व्यय किये जायंगे। इनके पश्चात खेती और ग्रामोन्नति का नम्बर आता है जिन पर १८२.२० लाख रु० व्यय होंगे और शेष ३८.५० लाख रु० उद्योग धन्धों के विकास पर व्यय किये जायंगे।

योजना के लक्ष्य:—(१) सिंचाई और शक्ति:—हम बतला चुके हैं कि राजस्थान की पंचवर्षीय योजना में सब से अधिक राशि सिंचाई और शक्ति के साधनों के विकास के लिए रखी गई है। यह उचित ही है क्योंकि राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है और कृषि की उन्नति के लिए सिंचाई का विकास आवश्यक है। योजना के मसौदे में सिंचाई के लिये ४५६ लाख रुपये स्वीकार किए गये थे जिसमें ५६ लाख रु० का प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा और ४०० लाख रु० का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाना था। परन्तु नहरों और अन्य बांधों पर लागत बढ़ जाने से अन्तिम योजना में सिंचाई के लिये

५०३.६ लाख रु० रखे गये। इन रुपयों द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं का संक्षिप्त विवरण सिंचाई के अध्याय में दे दिया गया है। इन योजनाओं के परिणाम स्वरूप राज्य में १८६००० टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पन्न होने की संभावना है। हाल में प्राप्त सूचना के अनुसार अभावग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों के विकास के लिए २५० लाख रु० की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। और सिंचाई पर कुल व्यय ७५३.६ लाख होने का अनुमान है। इस प्रकार आशा की जाती है कि इन योजनाओं के पूरा होने पर राज्य में अकाल का भय जाता रहेगा और हम खाद्यान्नों में एक सीमा तक आत्म-निर्भर हो जायंगे।

शक्तिः—हम शक्ति के साधनों के अध्याय में देख चुके हैं कि राजस्थान में शक्ति के साधनों का बड़ा अभाव है। इससे राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास में बड़ी कठिनाई उपस्थित होती है। योजना के मसौदे में राज्य में शक्ति (बिजली) के विकास के लिए ३८.२५ लाख रु० रखे गये थे जो अन्तिम योजना में बढ़ा कर ४०.८० लाख कर दिये गये थे। यह धन राशि मार्च १६५३ तक व्यय हो चुकी है और राज्य में बिजली का उत्पादन ६००० कीलोवाट बढ़ गया है। यह हर्ष का विषय है कि योजना आयोग ने राज्य के वर्तमान ताप बिजली घरों के सुधार और विकास के लिए २५० लाख रु० की अतिरिक्त राशि स्वीकार की है। यह राशि योजना काल की अवशेष अवधि में बिजली घरों के सुधार और विकास पर व्यय की जायगी। इसके लिए हाल ही में भारत-अमरीकी सन्धि होने की सूचना मिली है।

(२) सामाजिक सेवाएँ:—राजस्थान की पंच वर्षीय योजना में दूसरी सब से बड़ी राशि (५३०.२० लाख रु०) सामाजिक सेवाओं पर व्यय की जायंगी। उपर्युक्त राशि में से २६३.५० लाख रु० शिक्षा प्रसार के लिए रखे गये हैं। इनमें से १० लाख रु० प्रायोगिक शिक्षा के लिए अलग रखे गये हैं जो केन्द्रीय सरकार से मिलेंगे। शेष २५३.५० लाख की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। आशा की जाती है इस प्रयत्न के फलस्वरूप राजस्थान की वर्तमान ८.४ प्रतिशत साक्षरता बढ़ कर १५ प्रतिशत हो जायगी।

शिक्षा के पश्चात् सब से बड़ी रकम चिकित्सा और लोक-स्वास्थ पर रखी गई है। चिकित्सा के लिए ८२ लाख रु० रखे गये हैं जो सवाई मानसिंह मेडीकल कालेज, जयपुर के विकास पर व्यय किये जायंगे। लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत कुल मिलाकर १३५.५० लाख रु० रखे गये हैं, इनमें से १०० लाख रु० तो केन्द्रीय सरकार द्वारा गांवों में पीने के पानी की योजनाओं के लिए प्रदान किये जायंगे और शेष ३५.५० लाख रु० राज्य कोष से निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किये जाने को रखे गये हैं:—(क) गांवों और नगरों में पीने के पानी की

योजनाओं पर; और (ख) संक्रामक रोगों की रोकथाम पर। योजना काल के प्रथम दो वर्षों में 'क' शीर्षक पर ३०.३५ लाख और 'ख' पर २ लाख रुपये व्यय हो चुके हैं। योजना के अन्तर्गत गृह निर्माण के लिए लाख, श्रम और श्रम कल्याण के लिए ५ लाख, और पिछड़े हुये वर्गों की सहायता के लिए ४२.२० लाख रु० रखे गये हैं।

(3) परिवहनः—हम देख चुके हैं कि राजस्थान के औद्योगिकरण में एक बड़ी कठिनाई परिवहन के साधनों, विशेषकर सड़कों के अभाव की है। पंचवर्षीय योजना के मसौदे में राजस्थान में सड़कों के विकास के लिए २६० लाख रु० रखे गये थे। परिवहन सचिवालय की सिफारिश पर अन्तिम योजना में यह राशि बढ़ाकर ४०० लाख कर दी गई है और अब ५०० लाख कर दी गई है। अनुमान है कि इससे राज्य में सड़कों की कुल लम्बाई ८५७५ मील से बढ़कर ११०५७ मील हो जायगी। सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण के लिए योजना में केवल १ लाख रु० की स्वीकृति है जिससे केवल प्रारंभिक कार्य हो सकेगा।

(४) कृषि और ग्रामोन्नतिः—अन्तिम योजना में कृषि और ग्रामोन्नति के लिए १६७.३० लाख रु० की राशि निर्धारित की गई थी। प्लान के परिवर्द्धन में यह राशि बढ़ाकर १८२.२ लाख रु० कर दी गई है। इस राशि में से ११५.० लाख रु० कृषि सुधार और विस्तार पर, २८.२ लाख रु० पशुचिकित्सा एवं पशु-सुधार पर, २१.० लाख रु० वनारोपण पर, ३.० लाख रु० सहकारिता के विकास पर और १५.० लाख रु० ग्राम-विकास व्यय किये जायंगे।

कृषि सुधार और विस्तार के लिए स्वीकृत राशि अच्छे बीजों के वितरण, फसलों को कीड़ों व बीमारी से बचाने, सिंचाई के लिए रहटों तथा शक्ति से चलने वाले पम्प खरीदने के लिए तकावी देने, पशुओं को बीमारी से मुक्त करने, अमोनियम सल्फेट का प्रयोग बढ़ाने तथा फसल प्रतियोगिता पर व्यय की जायगी।

(आ) पशु चिकित्सा और नस्ल सुधार के लिए रखी गई रकम योजना आयोग द्वारा बनाई गई प्रमुख गांवों (Key Villages) की योजना पर व्यय की जायगी।

(इ) राजस्थान का बड़ा भाग रेगिस्तान है और यहां वर्षा की कमी और अनिश्चितता के कारण प्राकृतिक वनस्पति की बड़ी कमी है। जिन स्थानों में वनस्पति थी वह निर्दयता और बेपरवाही से नष्ट कर दी गई है। राज्य में रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने और वनारोपण के लिए २१.० लाख रु० रखे

गये हैं जिसमें से २० लाख रु० केन्द्रीय सरकार देगी और शेष राज्य सरकार प्रदान करेगी।

(ई) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सहकारी आन्दोलन के विकास के लिए ३ लाख रु० व्यय होंगे। यह अधिकत्तर प्रशिक्षण और विशेष प्रकार की सहकारी समितियों की सहायतार्थ व्यय किये जायंगे। इससे राजस्थान में १० केन्द्रीय सहकारी बैंकों के स्थान पर १८ बैंक हो जायंगे। लगभग ३१४१ सहकारी समितियां बढ़ कर ५७५८ होजायंगी और उनके सदस्यों की संख्या १४०६२४ से बढ़कर १६७०५२ तक बढ़ जायगी।

(उ) ग्राम विकास कार्य राजस्थान में १२ केन्द्रों पर होरहा है। यहां ग्राम सुधार का बहुमुखी कार्य क्रम प्रौढ़ शिक्षा, चिकित्सा, ग्राम स्वास्थ्य और सफाई, पशु वंश सुधार, कृषि विकास, ग्रामोद्योग निर्माण कार्य, समाज सुधार आदि की प्रवृत्तियों में सम्पन्न किया जारहा है। इस कार्य को योजना के अन्तर्गत और अधिक गहन कर दिया जायगा और प्रत्येक केन्द्र के अन्तर्गत १५-१५ गांव और बढ़ा लिये जायेंगे। इस समय केन्द्र के ५ मील के अर्द्ध व्यास के अन्तर्गत आने वाले १५ से ४० तक गांव ही हैं। प्रत्येक ग्राम सुधार केन्द्र पर एक छोटे ग्रामीण वर्कशाप और बीज गोदाम बनाने का भी आयोजन है।

(५) उद्योग-धन्धे:—राज्य की पंच वर्षीय योजना में उद्योग-धन्धों के विकास के लिए ६८.५० लाख रु० रखे गये हैं जो सब के सब कुटीर उद्योगों के विकास पर व्यय किये जायंगे। यह राशि कुटीर उद्योगों की उत्पत्ति की बिक्री का संगठन करने, ताड़ गुड़ उद्योग का विकास करने, कुटीर उद्योगों को सहायता देने, भेडों के अनुसन्धान और ऊन के व्यापार तथा कुटीर उद्योगों के विकास का कार्य करने वाले संगठनों पर व्यय की जायगी।

वित्तीय व्यवस्था:—हम ऊपर बतला चुके हैं कि भारत की प्रथम पंच वर्षीय योजना के मसौदे में राजस्थान में विकास कार्यों के लिए १५२१.५५ लाख रु० रखे गये थे। इनमें से ६०० लाख रु० केन्द्रीय सरकार ने प्रदान करने को कहा था और शेष ६२१.५५ लाख रु० की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी थी। अन्तिम योजना में सड़कों और सिंचाई आदि के लिए अतिरिक्त धन राशि स्वीकार की गई जिससे राज्य में पंच वर्षीय योजना पर व्यय होने वाले रुपयों की राशि १५२१.५५ लाख से बढ़ कर १६८१.४० लाख होगई। यदि यह मान कर चला जाय कि सड़कों और सिंचाई आदि पर व्यय की जाने वाली अतिरिक्त धन राशि केन्द्रीय सरकार प्रदान करेगी तो केन्द्र से कुल १०५८.३० लाख रु० प्राप्त होंगे और ६२३-१० लाख रु० की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी होगी। परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार ने केवल ६०० लाख रु० ही प्रदान किये तो शेष ७८१-४० लाख की व्यवस्था राज्य सरकार

को करनी पड़ेगी। इस प्रकार राज्य सरकार को पंच वर्षीय योजना के लिए ६२३.१० लाख से लेकर ७८१.४० लाख रु० की व्यवस्था करनी होगी। ऐसा अनुमान है कि लग भग आधे से अधिक रुपए चालू आय में से बचत द्वारा इकट्ठे करने होंगे और शेष राज्य सरकार के पास रखी हुई प्रतिभूतियों (Securities) की बिक्री से प्राप्त हो सकेंगे। परन्तु राज्य का बजट घाटे का चल रहा है और प्रतिभूतियों का बड़ा भाग इम्पीरियल बैंक से लिये गये ऋण के लिए बन्धक पड़ा हुआ। यद्यपि वित्त आयोग और गैडगिल समिति की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार को केन्द्र से मिलने वाली सहायता के फलस्वरूप राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति कुछ सुधर रही है फिर भी भय है कि राज्य सरकार को योजना को कार्यान्वित करने के लिए यथेष्ट साधन जुटाने में कठिनाई होगी।

हम यह भी बतला चुके हैं कि योजना को अन्तिम रूप देने के बाद ६ करोड़ से कुछ अधिक की वृद्धि और की गई है। आशा की जाती है कि यह अतिरिक्त राशि भी केन्द्र द्वारा अनुदान या ऋण के रूप में राज्य सरकार को प्राप्त हो सकेगी।

योजना की प्रगतिः—राजस्थान में पंच वर्षीय योजना की प्रगति का जो विवरण प्रकाशित किया गया है उससे ज्ञात होता है कि योजना के प्रथम अढाई वर्षों में सिंचाई, कृषि और शिक्षा के लक्ष्य न्यूनाधिक अंशों में प्राप्त कर लिए गये है। परन्तु अनेक महत्व पूर्ण क्षेत्रों में जैसे सड़कों के बनाने में, पशु चिकित्सा और नस्ल सुधार में बहुत काम बाकी पड़ा हुआ है। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जिनमें काम अब हाथ में लिया जाना है। विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत हुई प्रगति का सारांश निम्न है:—

कृषिः—६६६ कुएं खोदे गये, ८८३ गहरे किये गये, २३३ पम्प लगाये गये, ६ नल कूप बनाये गये, २१ व्यक्तियों को कृषि-सुधार कार्य में प्रशिक्षित किया गया, यांत्रिक कृषि के लिए ७१ ट्रेक्टर उपलब्ध किये गये और कई हजार मन सुधरे हुये बीजों और रासायनिक खादों का वितरण किया गया।

ग्राम-विकास के लिए निर्धारित धन राशि का लग भग तिहाई भाग राज्य के १२ वर्तमान केन्द्रों का कार्य क्रम चलाने में व्यय कर दिया गया है।

सिंचाईः—६० काम पूरे किये गये और ८४ विशेष छोटे कार्यों पर कार्य पूरा किया गया। जयाई बन्ध जुलाई तक पूरा हो जायगा।

कुटीर उद्योगः—चार प्रदर्शन और प्रशिक्षणदलों का संगठन किया गया, ३३१ व्यक्तियों को विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया, १८४

व्यक्तियों को ताड़ गुड़ बनाना सिखलाया गया, ३ विक्री समितियों का संगठन किया गया।

सड़कें:—१४ मील लम्बे राष्ट्रीय राज मार्ग बनाये गये, २०७ मील पक्की (metalled) और १६६ मील कच्ची (unmetalled) सड़कें बनाई गई।

शिक्षा:—५८० प्राथमिक और १३४ माध्यमिक पाठशालाएँ खोली गई।

चिकित्सा:—चिकित्सा के लिए निर्धारित धन राशि का लग भग अर्द्धांश जयपुर के मेडिकल कालेज के निर्माण, विकास और साज-सामान में व्यय कर दिया गया है।

इनके अतिरिक्त सामुदायिक विकास योजनाओं और राष्ट्रीय-विकास-सेवा के अन्तर्गत महत्वपूर्ण कार्य किये गये हैं जिनका व्यौरा अन्यत्र मिलेगा।

राज्य की पंच वर्षीय योजना का तुलनात्मक विवेचन:—

यदि हम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत राजस्थान के विकास पर व्यय की जाने वाली धन राशि की तुलना भारत के अन्य राज्यों के विकास पर व्यय की जाने वाली धन राशि से करें तो हमको ज्ञात होगा कि पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य-संघ (पेप्सू) को छोड़ कर भारत के सब 'क' और 'ख' श्रेणी के राज्यों की अपेक्षा राजस्थान के विकास पर सब से कम धन राशि व्यय की जायगी। यदि हम केवल निरपेक्ष राशियों की तुलना नहीं करके विभिन्न राज्यों के क्षेत्रफल और जन-संख्या का ध्यान रखते हुये उनके विकास पर व्यय की जाने वाली राशियों की तुलना करें अर्थात पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों के लिए निर्धारित धन राशि की प्रति व्यक्ति या प्रति वर्ग मील के आधार पर तुलना करें तो भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि राजस्थान के विकास के लिए निर्धारित धन राशि सब से कम है।

निम्नांकित तालिका में संग्रहीत अंकों से हमारे उपर्युक्त कथनों की सत्यता स्पष्ट होगी:—

राज्यों की पंचवर्षीय योजनाएँ

राज्य का नाम	जन संख्या (१९५१)	क्षेत्रफल (वर्गमील)	अन्तिम योजना में स्वीकृति राशि (करोड़ रु०)	प्रति व्यक्ति राशि (रु०)	प्रतिवर्गमील राशि (रु०)
'क' श्रेणी के राज्य					
(१) आसाम	९,०४३,७०७	८५,०१२	१७.४९	१९.३	२,०५७.३६
(२) बीहार	४०;२२५,९४७	७०,३३०	५७.२९	१४.२	८,१४५.८०
(३) बम्बई	३५,९५६,१५०	१११,४३४	१४६.५४	४०.७	१,३१४.४१
(४) मध्य प्रदेश	२१,२४७,५३३	१३०,२७२	४३.०८	२०.३	३,३०६.९३
(५) मद्रास	५७,०१६,००२	१२७,७९०	१३५.४९	२३.७६	१०,६०२.५५
(६) उड़ीसा	१४,६४५,९४६	६०,१३६	१७.८४	१२.१८	२,९६६.६१
(७) पंजाब	१२,६४१,२०५	३७,३७८	२०.२१	१५.९९	५,४०६.९२
(८) उत्तर प्रदेश	६३,२१५,७४२	११३,४०९	९४.३	१४.९	८,३०८.८६
(९) प. बंगाल	२४,८१०,३०८	३०,७७५	६९.१०	२७.८५	२२,५५३.२९
'ख' श्रेणी के राज्य					
(१) हैदराबाद	१८,६५५,१०८	८२,१६८	४१.५६	२२.३	५,०५७.९३
(२) मध्य प्रदेश	७,९५४,१५४	४६,४७८	२२.५२	२८.२	४,८२३.७९
(३) मैसूर	९,०७४,९७२	२९,४८९	३६.६	४०.३	१२,४११,४१
(४) पेप्सू	३,४९३,६८५	१०,०७८	८.१४	२३.३	८,०७७.००
(५) राजस्थान	१५,२९०,७९७	१३०,२०७	१६.८१	१०.९९	१,२९१.०२
(६) सौराष्ट्र	४,१३७,३५९	२१,४५१	२०.४७	४९.५	९,५४२.६८
(७) ट्रावनकोर-कोचीन	९,२८०,४२५	९,१४४	२७.३२	२९.४	२९,८७७.४१

Source: A Satistical Outline of Rajasthan : pp 65,66

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जहाँ राजस्थान में प्रतिव्यक्ति १०.६६ रु० व्यय होंगे वहाँ सौराष्ट्र में ४६.५ रु०, बम्बई में ४०.७ रु०, मैसूर में ४०.३ रु०, ट्रावन्कोर-कोचीन में २६.४ रु० और मध्य भारत में २८.७ रु० व्यय किये जायंगे। इसी प्रकार जहाँ राजस्थान के विकास के लिए प्रतिवर्ग मील लगभग १२६१ रु० व्यय होंगे वहाँ ट्रावन्कोर-कोचीन में लगभग २६,८७८ रु०, पश्चिमी बंगाल में २२,४५३ रु०, मैसूर में १२,४११ रु०, मद्रास में १०,४०६ रु० और सौराष्ट्र में ६,५४३ रु० व्यय किये जायंगे।

संघीय संगठन का एक सिद्धान्त समानता है। संघीय सरकार का कर्त्तव्य है कि ऐसी आर्थिक और वित्तीय नीतियाँ अपनाएँ जिनसे संघ की सभी इकाइयों (राज्यों) में आर्थिक दशाएँ, प्रशासन की कुशलता और शिक्षा, चिकित्सा आदि सामाजिक सेवाओं का समान स्तर हो। इस दृष्टि से पिछड़े हुये और अविकसित राज्यों को विशेष सहायता, अनुदान तथा ऋण प्रदान किये जाने चाहिये। हम पहले अध्याय में बतला चुके हैं कि सभी दृष्टियों से राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई है। राजस्थान का क्षेत्रफल मध्य-प्रदेश को छोड़कर भारत के सब राज्यों से अधिक है। राजस्थान की जन-संख्या हैदराबाद को छोड़कर भारत के 'ख' श्रेणी के राज्यों में सबसे अधिक है। इसी प्रकार राजस्थान में राष्ट्र-निर्माणकारी-कार्यों पर होनेवाला व्यय 'ख' श्रेणी के राज्यों में सब से कम है। फिर राजस्थान का एकीकरण हुये अभी केवल पाँच वर्ष हुये हैं और एक नव-निर्मित राज्य में अनेक पेचीदा समस्याएँ होती हैं। जिन पाठकों ने पुस्तक को आरम्भ से पढ़ा है उनको ज्ञात हुआ होगा कि राजस्थान में अनेक क्षेत्रों में विकास की बड़ी संभावनाएँ हैं। इन सब बातों को देखते हुये यह आशा थी कि पंचवर्षीय योजना में राजस्थान के प्रति उदारता बरती जायगी। परन्तु जब योजना की रूपरेखा के मसौदे में राजस्थान के विकास के लिए केवल १५२१.२५ लाख रु० की राशि प्रस्तावित की गई तो राज्य के सभी क्षेत्रों में बड़ी निराशा हुई और राजस्थान के प्रति बरते गये व्यवहार की अनेक क्षेत्रों में कटु आलोचना की गई। राज्य सरकार ने सभी महत्वपूर्ण हितों के प्रतिनिधियों की राय लेकर लगभग ३५ करोड़ रु० की अतिरिक्त मांग की। परन्तु अन्तिम योजना में राजस्थान के लिए केवल १६०.१५ लाख रु० की अतिरिक्त राशि निर्धारित की गई। हाल में सूचना मिली है कि लगभग ६ करोड़ की अतिरिक्त राशि राजस्थान के लिए स्वीकार की गई है। यह केवल रुलाकर आँसू पोंछने के बराबर है। आशा है कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में राजस्थान की न्यायोचित आवश्यकताओं की इस प्रकार उपेक्षा नहीं की जायगी।

हम यह भी देख चुके हैं कि राजस्थान की प्रथम पंच वर्षीय योजना में उद्योग-धन्धों के विकास के लिए केवल ३८.५ लाख रु० रखे गये हैं ये सब कुटीर उद्योगों के विकास पर व्यय होंगे। इस प्रकार बड़े उद्योगों के विकास की उपेक्षा की गई है। आशा की जाती है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ऐसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जायगा जिन पर चालू योजना में यथेष्ट ध्यान नहीं दिया जा सका है।

अध्याय १३

Community projects

सामुदायिक योजनाएँ

भारत की पंच वर्षीय योजना में सामूहिक विकास योजना का प्रमुख स्थान है। प्रस्तुत योजना में देश के विकास में जनता के स्वेच्छापूर्वक किये गये सामूहिक या सामुदायिक प्रयत्नों को बहुत महत्व दिया गया है। इन प्रयत्नों का वर्णन करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि सामुदायिक योजना किसे कहते हैं ?

सामुदायिक योजना क्या और कैसे ? योजना का अर्थ किसी चीज को पहले से सोच विचार कर, छान बीन कर या पता लगा कर निश्चय कर लेना है। सामुदायिक शब्द अंग्रेजी शब्द कॉम्युनिटी (Community) का अनुवाद है जिसका अर्थ किसी विशेष समाज या बस्ती से होता है। अतएव सामुदायिक शब्द का मूल अर्थ 'सामाजिक' या 'पंचायती' है। इस प्रकार सामुदायिक योजना से अर्थ किसी गांव या नगर के विकास की पंचायती योजना से है।

भारत एक गांवों का देश है। हमारे देश की ८५ प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। अतएव विकास की किसी योजना में हमारे लिये गांवों को प्राथमिकता और विशेष महत्व देना आवश्यक है। हमारे देश में सामुदायिक योजना चुने हुये ग्रामीण क्षेत्रों के गहन विकास के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा चलाये हुये कार्यक्रम को कहते हैं। इस विकास योजना को तीव्र गति से चलाने के लिए भारत सरकार को भारत-अमरीकी प्राद्योगिक-सहयोग के अधीन अमरीका से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। प्रारम्भ में यह कार्यक्रम देश के ५५ चुने हुये क्षेत्रों में आरम्भ किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में लगभग ४५० से ५०० वर्गमील में स्थित लगभग ३०० गांव हैं जिनको प्रबन्ध की सुविधा के लिए १०० गांवों के खण्डों (Blocks) में बांट दिया गया है। इस प्रकार प्रत्येक सामुदायिक योजना के क्षेत्र में तीन विकास खण्ड हैं। सामुदायिक योजना के प्रत्येक क्षेत्र में लगभग १,५०,००० एकड़ कृषित भूमि और २,७०,००० जन संख्या रखी गई है। इस प्रकार सारे देश में कुल मिलाकर १,६५,००० गांव और १,२०,००,००० व्यक्ति इन योजनाओं के अन्तर्गत आते हैं। यह योजनाओं का प्रथम चरण समझना चाहिये जो ३ वर्ष में पूरा हो

जायगा। आशा की जाती है एक समय ऐसा आयगा जब यह कार्यक्रम प्रत्येक देश के सम्पूर्ण क्षेत्र में व्याप्त हो जायगा।

उद्देश्य:—सामुदायिक योजना का मुख्य उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि करना है और रोजगार बढाना है जिससे गांवों में रहने वाले लोगों की मूलभूत आवश्यकतायें पूरी हो सकें। अतएव योजनाओं की स्थापना पहले ऐसे क्षेत्रों में की गई है जहां सिंचाई अथवा निश्चित वर्षा के कारण अतिरिक्त प्रयत्नों से शीघ्र लाभकारी परिणाम निकलने की संभावना है।

कार्यक्रम:—उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक अष्ट-सूत्री कार्यक्रम अपनाया गया है, यथा (१) खेती बाड़ी और तत्संबंधित कार्य, (२) सड़कें और परिवहन के साधन, (३) शिक्षा, (४) स्वास्थ्य और सफाई, (५) व्यावसायिक प्रशिक्षण, (६) नियोजन अर्थात बेकारों को काम पर लगाना, (७) आवास-व्यवस्था अर्थात गृह निर्माण और (८) सामाजिक कल्याण।

इस अष्टसूत्री कार्यक्रम को ४२ शीर्षकों के अन्तर्गत और भली प्रकार समझा जा सकता है और वे इस प्रकार हैं:—

(क) खेती-बाड़ी और उससे सम्बन्धित कार्य:—

(१) उपलब्ध कृषित तथा परती भूमि का खेती के लिये सुधार,

(२) सिंचाई के लिये नहरों, नल-कूपों, देशीकुओं, तालाबों आदि की व्यवस्था,

(३) उत्तम बीज,

(४) खेती के अधिक अच्छे तरीके,

(५) पशु-चिकित्सा सम्बन्धी सहायता,

(६) खेती के अच्छे औजारों का प्रबन्ध,

(७) उत्पादन बेचने के लिये हाट-व्यवस्था तथा ऋणों की सुविधा,

(८) पशु-पालन के लिये पशु-प्रजनन केन्द्रों की व्यवस्था,

(९) अन्तर्देशीय मछली व्यवसाय का विकास,

(१०) खुराक का सुधार,

(११) फलों व शाकों की खेती का विकास,

(१२) मिट्टी के सम्बन्ध में खोज और खादों का प्रबन्ध,

(१३) पेड़-पौधों की खेती और वृक्षारोपण, और

(१४) उपर्युक्त कार्यों के परिणामों की जांच के लिये व्यवस्था।

(ख) परिवहन के साधनः—

(१) सड़कों की व्यवस्था,

(२) यांत्रिक सड़क-परिवहन सेवाओं को प्रोत्साहन, और

(३) पशु-परिवहन का विकास।

(ग) शिक्षाः—

(१) प्रारम्भिक अवस्था में अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था,

(२) हाई स्कूलों और मिडिल स्कूलों की व्यवस्था, और

(३) सामाजिक शिक्षा तथा पुस्तकालयों की व्यवस्था।

(घ) स्वास्थ्यः—

(१) सफाई व सार्वजनिक स्वास्थ्य की व्यवस्था,

(२) बीमारों के लिये चिकित्सा-सहायता,

(३) गर्भवती स्त्रियों की प्रसव से पहले और उसके बाद की देख भाल, और

(४) दाइयों का प्रबन्ध।

(ङ) प्रशिक्षण (ट्रेनिंग):—

(१) मौजूदा कारीगरों को अधिक कुशल बनाने के लिये प्रत्यास्मरण पाठ्य-क्रम,

(२) खेतिहरों का प्रशिक्षण,

(३) कृषि-विस्तार सहायकों का प्रशिक्षण,

(४) सुपरवाइज़रों का प्रशिक्षण,

(५) कारीगरों का प्रशिक्षण,

(६) प्रबन्ध कार्य संभालने वाले कर्मचारियों का प्रशिक्षण,

(७) स्वास्थ्य-कर्मियों का प्रशिक्षण, और

(८) योजनाओं के लिये कार्याधिकारियों का प्रशिक्षण।

(च) नियोजन (काम):—

(१) मुख्य या सहायक धंधों के रूप में ग्राम उद्योगों व शिल्पों को प्रोत्साहन,

(२) बेकार आदमियों को काम पर लगाने के लिये छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन, और

(३) आयोजित वितरण, व्यापार, सहायक तथा कल्याणकारी सेवाओं द्वारा काम दिलाने की व्यवस्था।

(छ) आवास-व्यवस्था:—

(१) देहात में घर बनाने के लिये अधिक अच्छे तरीकों और डिजाइनों की व्यवस्था, और

(२) शहरी इलाकों में मकान बनवाने की व्यवस्था।

(ज) सामाजिक कल्याण:—

(१) स्थानिक प्रतिभा एवं सांस्कृतिक साधनों की सहायता से जन-समुदाय के मनोरंजन की व्यवस्था,

(२) शिक्षा व मन-बहलाव के लिये दिखा-सुनाकर समझाने की (श्रव्य-दृश्य) व्यवस्था,

(३) स्थानिक तथा अन्य प्रकार के खेल-कूद का प्रबन्ध,

(४) मेले लगवाना और

(५) सहकारिता तथा "अपनी मदद आप" आन्दोलन का संगठन।

आशा की जाती है कि कुल मिलाकर यह कार्यक्रम ग्रामीण जनता का जीवन स्तर ऊँचा उठाने में, उनमें नई चेतना और नया उत्साह उत्पन्न करने में तथा उनके जीवन में नई दिशा दिखाने में सहायक होगा।

राजस्थान में सामुदायिक विकास योजनाएँ

राजस्थान को दो 'सामुहिक योजनाएँ' और एक विकास खण्ड प्रदान किये गये हैं। राज्य सरकार ने इन्हें सात विकास खण्डों में बांट कर एक एक खण्ड पांचों डिवीजनों के लिए, एक पिछड़ी हुई जातियों के लिए (डूंगरपुर) और एक विस्थापित हरिजनों के लिए (अलवर) नियत कर दिया है। निम्नांकित तालिका में तत्संबंधित आवश्यक सामग्री इकट्ठी की गई है:—

सामुदायिक प्रयोजना के अन्तर्गत राजस्थान के विकास-खंड

नाम विकास खण्ड	क्षेत्रफल (वर्गमील में)	गांव संख्या	ग्रामीण संख्या
१. अलवर (उत्थापित-हरिजनों के लिए)	१४२	१००	३६,३६४
२. बारां (कोटा)	२२०	१२५	७६,३३४
३. डूंगरपुर (भीलों के लिए)	३२०	१७६	७५,२४७
४. हिण्डौन (जयपुर)	१७२	११७	७६,१२३
५. रायसिंह नगर-(बीकानेर)	३४६	२६६	६८,१६७
६. राजसमन्द (उदयपुर)	२२७	१२६	६६,३७६
७. सुमेरपुर (जोधपुर)	६००	१००	१,११,७६७
कुल जोड़	२,०३७	१,०४३	५,१६,४३८

स्रोत:—संयुक्त राजस्थान—मार्च १६५३ पृष्ठ ६

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में आगामी तीन वर्षों में सामुदायिक योजनाओं का प्रभाव २०३७ वर्ग मील क्षेत्र में स्थित १०४३ गांवों में रहने वाले ५,१६४,३८ मनुष्यों पर पड़ेगा।

महात्मा गांधी की ८४ वीं जयन्ती २ अक्तूबर १६५२ से इन विकास क्षेत्रों में कार्य प्रारम्भ हो गया है और अक्तूबर १६५५ तक समाप्त हो जायगा। अनुमान है कि तीनों वर्षों (१६५२-५३ से १६५४-५५) में सातों विकास खण्डों में मिलाकर १२५.३८ लाख रु. व्यय होंगे। इसमें से ५६.७१ लाख रु. भारत सरकार से ऋण के रुप में प्राप्त होंगे जो ब्याज सहित लौटाना होगा। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ४४.२७ लाख रु. की अनुदान प्रदान करेगी। शेष २४.४० लाख रु. की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी होगी। पृ० १४३ पर तालिका में विकास क्षेत्रों सम्बन्धी व्यय का व्योरा दिया गया है:—

प्रशासन:—कार्यकर्त्ताओं के शिक्षण एवं प्रशासन के समस्त उत्तरदायित्व का भार एक केन्द्रीय समिति को सौंपा गया है जो योजना आयोग के सदस्यों से बनाई गई है। योजनाओं के संचालन का दायित्व राज्य विकास समितियों पर होगा जिनके अध्यक्ष वहां के मुख्य मंत्री होंगे। प्रत्येक राज्य में

राजस्थान

सामुदायिक विकास क्षेत्र



राजस्थान में सामुदायिक प्रयोजना के विकास-खंडों पर १६५२-५३ से १६५४-५५ तक व्यय की तालिका
(लाखों में)

	अलवर	बारां	डूंगरपुर	हिन्डौन	राजसमन्द	रायसिंह नगर	सुमेरपुर	योग
(१) राज्य एवं जिला मुख्यालय	२.२३	२.३३	२.५८	२.४३	२.५६	२.३३	२.४७	१६.६६
(२) कृषि एवं पशुपालन विकास	१.१२	१.४७	१.०२	१.२६	०.६६	२.३६	१.२६	६.५१
(३) सिंचाई	६.४५	६.७०	८.४१	४.००	७.६६	१.३७	५.२०	३६.७६
(४) भूमि सुधार	०.३०	१.२०	०.५०	—	०.५४	०.७२	१.००	४.२६
(५) स्वास्थ्य एवं सफाई	६.०७	१.५५	१.८०	२.४६	१.७६	२.१४	२.६०	१८.३८
(६) शिक्षा	१.३०	०.६०	०.८०	१.००	०.६५	१.१५	१.५०	७.६०
(७) सामाजिक शिक्षा	०.६०	०.३५	०.६०	०.६०	०.३५	०.६०	०.६०	३.७०
(८) यातायात	०.६०	२.६०	२.४०	२.१०	२.६७	३.७०	३.६४	१६.८०
(६) ग्रामीण उद्योग एवं कला कौशल	१.५०	१.१०	१.०६	१.५०	१.४६	०.७५	१.०२	८.३६
कुल योग	२०.१७	१८.२०	१६.२६	१५.३८	१८.६४	१५.१२	१८.३२	१२५.३६

स्रोत:—संयुक्त राजस्थान-मार्च १६५३ पृष्ठ १३

एक विकास–आयुक्त (डेवलप मेन्ट कमिश्नर) रहेगा तथा केन्द्र में एक मुख्य अधिशासी अधिकारी (एक्जीक्यूटिव आफीसर) होगा जो प्रशासक कहलावेगा। जिला विकास अधिकारी प्रयोजना के जिला स्तरीय संचालन का उत्तरदायी होगा। जिलों में प्रयोजना कार्य के लिये एक जिला विकास समिति भी रहेगी जिसका अध्यक्ष कलेक्टर रहेगा। प्रयोजना अधिकारी प्रयोजना क्षेत्र के कार्यक्रम को निर्धारित करेगा। परन्तु पांच गांवों के ऊपर रहने वाला एक ग्राम सेवक इस प्रशासन की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। यह बहुत कुछ ग्राम सेवक की योग्यता पर निर्भर रहेगा कि वह किस प्रकार ग्रामवासियों का सहयोग प्राप्त करता है। राजस्थान में सामुदायिक प्रयोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये नीचे बताये हुए प्रकार का संगठन है।

मुख्य मंत्री (अध्यक्ष, राज्य विकास समिति)
|
विकास मंत्री
विकास आयुक्त (योजना सचिव)
|
विकास संचालक
|
प्रयोजना अधिकारी
सुमेरपुर, हिन्डौन, बारां, राजसमन्द, रायसिंह नगर,
डूंगरपुर, अलवर
|
ग्राम सेवक गण
(प्रत्येक ५ गांवों पर एक)

सामुदायिक योजनाओं की प्रगति:– राजस्थान में सामुदायिक योजनाओं की प्रगति का विवरण सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय जयपुर, द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जाने वाली 'विकास किरणे' नामक पुस्तिकाओं में पाया जाता है।

राजस्थान को अब तक ६ सामुदायिक विकास खंड एवं १२ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड प्राप्त हुए हैं। इन पर संचालित कार्यों से राज्य के ४१७२ ग्रामों में निवास करने वाले १५, ८६, ८७० व्यक्तियों का जीवन स्तर शनैः शनैः ऊंचा उठ रहा है।

मई १६५४ तक योजना खंडों एवं विस्तार सेवा खंडों पर चल रही कार्य प्रगति काफी संतोषप्रद रही है। उत्तम खेती के लिये २०,४८२ मन बीज,

२१,८७० मन खाद, एवं १,६०० औजार ग्रामीणों में वितरित किये गये। खाद के लिये ३६,६७४ गड्ढे खोदे गये। इस अवधि में ५०० एकड़ भूमि में फल एवं १६,३१ एकड़ भूमि में शाक सब्जियाँ पैदा की गई। ८१६१ एकड़ जमीन को खेती के लिये नये सिरे से काम में लाया गया। सिंचाई के लिये १७१३ कुये एवं २७ तालाब खोदे गये तथा १०२६ कुओं की मरम्मत की गई, ६६ नल कूप तथा ५२ पंपिंग सेट लगाये गये और ३६ मील लम्बी नई नहरें निकाली गई।

देहातों में पीने के पानी की सुविधा के लिये ३३५ कुएँ खोदे गये, ३७२ कुओं का जीर्णोद्धार किया गया और ५,१५३ कुओं में दवा डाल कर विटाणु रहित किया गया। इसके अतिरिक्त १३० डिग्गियों का भी निर्माण किया गया।

शिक्षा एवं सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रगति हुई। ३२ स्कूलों को बुनियादी स्कूलों का रूप दिया गया। १२ प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूलों में परिवर्तित किया गया। २१४ नये प्राइमरी स्कूल खोले गये तथा ११४ स्कूलों के भवन निर्माण किये गये। सामाजिक शिक्षा के लिये ४७६ प्रौढ शिक्षा केन्द्र आरम्भ किये गये। देहातों में खेलकूद एवं आमोद प्रमोद के लिये २०४ केन्द्र खोले गये। १२२ पुस्तकालय स्थापित किये गये तथा १८०४ विकास मंडलों का संगठन किया गया।

इस अवधि में २४,३१,२१ ग्रामीण रोगियों तथा ३५,३०७ पशुओं की चिकित्सा की गई एवं ४४५६ ग्रामों की सफाई की गई। ७०० मील कच्ची सड़कों का निर्माण किया गया तथा १२६ पुलियें बनाई गई।

इन जन हितकारी कार्यों में जनता द्वारा लगभग ७२०२८१ रु. की लागत का श्रमदान किया गया तथा ५७० ५६० रु० की धनराशि उदारतापूर्वक प्रदान की गई। अपनी योजना में जनता का उत्साह पूर्वक योगदान सराहनीय कहा जा सकता है।※

गत शनिवार दि० २२ जुलाई १९५४ को राजस्थान योजना मंडल के द्वितीय अधिवेशन का उद्घाटन करते हुये राज्य के मुख्य मंत्री श्री जयनारायण व्यास ने बताया कि राजस्थान २० राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड और प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। आपने यह भी व्यक्त किया कि सामाजिक कल्याण परिषद् ने राज्य के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकास के लिए १० खण्ड चालू करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इस योजना के अनुसार राजस्थान को प्रति खण्ड ५०,००० रु० केन्द्र से प्राप्त होंगे और राज्य सरकार द्वारा इनको

※ साप्ताहिक "ज्वाला" २२ जुलाई १९५४ पृ० ७

लिए १२,००० रु० देने की अपेक्षा की जाती है जबकि शेष रकम सम्बन्धित क्षेत्रों की जनता से प्राप्त की जायगी। ॐ हमें आशा करनी चाहिये कि इन लोक-कल्याणकारी प्रवृत्तियों में जनता का सक्रिय सहयोग मिलेगा और निकट भविष्य में इन प्रवृत्तियों का क्षेत्र सम्पूर्ण राज्य में फैल जायगा। तब हमारे गाँवों का पिछड़ापन दूर होकर वहाँ वास्तविक रामराज्य की स्थापना हो सकेगी।

ॐ राष्ट्र दूत, जयपुर, २१ जुलाई १६५४ पृ० ६

अध्याय १४

सार्वजनिक वित्त

इस अध्याय में हम पहले संघीय वित्तीय एकीकरण का वर्णन करके राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करेंगे और तत्पश्चात् राज्य सरकार के आय के साधनों और व्यय के पदों का संक्षिप्त विवरण देंगे।

संघीय वित्तीय एकीकरण:——१५ अगस्त १९४७ को स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पश्चात् एक बड़ा काम जो भारत सरकार को हाथ में लेना था वह देश का राजनीतिक और वित्तीय एकीकरण। हमारे देश में अनेक छोटी मोटी देशी रियासतें थी जिनमें से अधिकांश सर्व-प्रभुत्व-संपन्न (Sovereign) थी। स्वतन्त्र भारत में ये रियासतें इस रूप में नहीं रह सकती थी। अतएव भारत सरकार ने छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर कुछ रियासती संघ बना दिये। कुछ बड़ी रियासतें वैसे ही भारत संघ की इकाइयाँ मान ली गई।

संघीय संविधान के अन्तर्गत सरकार के कार्यों, आय के साधनों इत्यादि विषयों को संघीय और प्रान्तीय दो भागों में बांटा जाता है। आय और व्यय के संघीय विषय केन्द्रीय सरकार के सुपुर्द कर दिये जाते हैं और आय-व्यय के प्रान्तीय विषय राज्यों को सौंप दिये जाते हैं। इस विषय पर राय देने के लिए भारत सरकार ने २२ अक्तूबर १९४८ को श्री वी० टी० कृष्णामाचारी की अध्यक्षता में एक विशेष जांच समिति (Indian States Finances Enquiry Committee) की नियुक्ति की। इस समिति ने भारत संघ और देशी राज्यों के संबंधों के लिए निम्नांकित सिद्धान्त प्रस्तुत किये:—

(१) संघीय सरकार को देशी राज्यों में उन सब विषयों पर अधिकार होना चाहिये जिन पर इसे प्रान्तों में प्राप्त है।

(२) संघीय सरकार को राज्यों में प्रान्तों की भांति अपनी ही प्रशासनिक सेवाओं द्वारा अपने कार्यों को करना चाहिये।

(३) राज्यों को संघीय राजस्व में उसी आधार पर अंशदान देना चाहिये जिस आधार पर प्रान्त देते हैं और उनको संघ से उसी आधार पर अनुदान तथा अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त होनी चाहिये।

समिति ने यह भी सिफारिश की कि वित्तीय एकीकरण धीरे धीरे नहीं होकर तुरन्त होना चाहिये। वित्तीय एकीकरण के फलस्वरूप रेलें इत्यादि के

संघीय संपत्ति भारत सरकार को प्राप्त हो या जो अधिकार व छूटें लोप हो उनके लिए कोई हर्जाना नहीं मिलना चाहिये, परन्तु एकीकरण से राज्यों की वित्तीय व्यवस्था में जो गड़बड़ पैदा हो उसका उपचार किया जाना चाहिये। राजाओं को निजी खर्च भारत सरकार दे या राज्य सरकार दे यह प्रश्न एक राजनीतिक प्रश्न है और खुला रहना चाहिये। केन्द्रीय आयकर से प्राप्त होने वाली आय के वितरण में प्रान्तों और राज्यों में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये।

उक्त समिति के अनुसार प्रान्तों और राज्यों में तीन प्रमुख अन्तर हैं:—

(क) अधिकांश राज्यों को अर्न्तदेशीय सीमाकरों से अच्छी आय प्राप्त होती है, परन्तु प्रान्तों में ये कर नहीं पाये जाते।

(ख) राज्यों की अपनी सेनाएँ थी जिनका केन्द्रीय सेनाओं से एकीकरण कर दिया गया है।

(ग) राज्यों को राजाओं को निज खर्च देना पड़ता है।

समिति ने राय दी कि अर्न्तदेशीय सीमाकरों से व्यापार में रुकावट होती है इसलिए उनको उठा देना चाहिए और इनके उठाने से आमदनी में होने वाला घाटा बिक्री कर लगा कर पूरा किया जाना चाहिये। राज्यों को सीमाकरों के उठाने के एवज में कोई हर्जाना नहीं मिलना चाहिये। परन्तु राज्यों को सीमाकर उठाने और बिक्री कर लगाने के लिए समय देना चाहिये।

राज्यों की सेनाओं के सम्बन्ध में समिति ने राय दी कि देश की सुरक्षा केन्द्रीय सरकार का कर्त्तव्य है। अतएव सेनाओं का खर्चा भारत सरकार को उठाना चाहिये।

समिति की सिफारिशों के अनुसार १ अप्रेल १६५० से राजस्थान से २४७.४३ लाख रु० की आय के विभिन्न साधन और २६४.०२ लाख रु० के व्यय के विषय भारत सरकार को दे दिये गये।❀ इस प्रकार वित्तीय एकीकरण के फलस्वरूप राजस्थान सरकार को आय के घाटे के ऊपर ४६.५६ लाख रु० की खर्चे में बचत हुई। आगे चलकर राज्य सरकार ने नमक सम्बन्धी कुछ भुगतानें छोड़ दी जिससे यह बचत लगभग ४० लाख रह गई। अतएव यह तय हुआ कि राजाओं को निज खर्च देने का उत्तरदायित्व भारत सरकार लेगी परन्तु राज्य सरकार को इसकी एवज में भारत सरकार को सन् १६५०–५१ में ४० लाख रु०, १६५१–५२ में ३२ लाख रु०, १६५२–५३ में २४ लाख रु०, १६५३–५४ में १६ लाख रु०, १६५४–५५ में ८ लाख रु० और आगे कुछ नहीं, इस प्रकार कुल १२० लाख रु० होंगे।

❀ देखिये परिशिष्ट (ऐ)

वित्तीय एकीकरण के अहितकर परिणामः—इस प्रकार हम देखते हैं कि संघीय वित्तीय एकीकरण के फलस्वरूप राजस्थान सरकार को निम्नांकित अहितकर परिणाम सहन करने पड़ेः—

(१) संघीय वित्तीय एकीकरण के फलस्वरूप राजस्थान की आय में होने वाली कमी का हिसाब लगाते समय अन्तर्देशीय सीमाकरों के उठाने से होने वाली कमी को नहीं गिना गया क्योंकि संघीय सरकार को इस साधन से कोई आय नहीं होगी। समिति का कहना था कि एकीकरण के फलस्वरूप होने वाले प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभों तथा बिक्री करके लगाने से यह कमी पूरी हो जायगी। यह कथन असत्य है। राजस्थान सरकार को सीमाकरों से लगभग ४ करोड़ रु० प्रतिवर्ष प्राप्त होते हैं और अनुमान है कि बिक्री कर से १॥ या २ करोड़ से अधिक आय नहीं होगी। अतएव जब तक भारत सरकार क्षति पूर्ति या विशेष सहायता नहीं देती राज्य सरकार के लिए सीमाकरों का उठाना कठिन है। वित्त आयोग (Finance Commission) की सिफारिशों के अनुसार प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय इस कमी को पूरा करने में काम आ सकती है या राज्य में सामाजिक सेवाओं का स्तर ऊँचा करने में उपयोग की जा सकती है। राज्य सरकार ने अपनी यह कठिनाई 'ख' श्रेणी के राज्यों के लिए विशेष सहायता समिति के सम्मुख रखी। समिति ने राज्य को विशेष सहायता की सिफारिश की है। राज्य सरकार बिक्री कर लगाने का विचार कर रही है और आशा है मार्च १९५५ तक राज्य में अन्तर्देशीय सीमाकर उठा लिए जाएँगे यद्यपि राज्य सरकार को इससे लगभग २ या २॥ करोड़ रु० की आय में कमी सहन करनी पड़ेगी।

(२) संघीय वित्तीय एकीकरण से पूर्व राजस्थान और इसमें सम्मिलित होने वाली विभिन्न रियासतों में एकीय (unitary) शासन था और संघीय तथा राज्यीय कार्यों या विषयों में कोई अन्तर नहीं किया जाता था। इससे शासन व्यय में कुछ बचत होती थी। उदाहरणार्थ सशस्त्र सेनाएँ और पुलिस सुरक्षा सेवाओं की दो बाहुएँ मानी जाती थी। रियासती सेनाएँ न केवल प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस और रक्षित पुलिस के कार्य करती थी परन्तु अनेक अन्य कार्य भी करती थी। राजस्थान के निर्माण से पूर्व १९४८–४९ में विलीनकृत रियासतों में कुल मिलाकर पुलिस पर १९३.५ लाख रु० और सेना पर १८३.९० लाख रु० व्यय होते थे। संघीय वित्तीय एकीकरण के अन्तर्गत सेनाएँ केन्द्र को सौंप दी गई हैं। फलस्वरूप राज्य को अपनी पुलिस की कार्य-शक्ति बढ़ाने और सीमाओं की चौकीदारी के लिए नई सशस्त्र पुलिस संगठन करने के लिए अतिरिक्त व्यय करना पड़ा है। इस अतिरिक्त व्यय में लगभग ६५ लाख रु० आवर्त

पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा के लिए नियत सशस्त्र पुलिस परहोता है। राज्य सरकार की मान्यता है कि यह कार्य केन्द्र का है और इसका खर्चा केन्द्र को करना चाहिये। राज्य सरकार की अतिरिक्त व्यय सहन करने की असमर्थता को देखते हुये यह और भी आवश्यक है।

(३) संघीय वित्तीय एकीकरण के अन्तर्गत कुछ ऐसे खर्चे लाद दिये गये जो कोई 'क' श्रेणी का राज्य नहीं करता। उदाहरणार्थ राजाओं के निज खर्च को लीजिये। केन्द्रीय सरकार ने राजाओं के निज खर्च का उत्तरदायित्व मान लिया है। फिर भी राजस्थान पर पाँच /वर्ष तक कुल मिलाकर १२० लाख रु० इस कार्य के लिए देने का भार डाल दिया गया है। इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार को राजाओं के सम्बिन्धियों और आश्रितों के भत्तों के लिए १६ लाख प्रतिवर्ष और राजाओं को निशुल्क रोशनी, पानी, पुलिस आदि देने पर १० लाख रु० वार्षिक देना पड़ता है।

(४) संघीय वित्तीय एकीकरण के अन्तर्गत रेलों के केन्द्रीय सरकार को मिल जाने से राज्य का एक सब से महत्वपूर्ण, लोचदार और वृद्धिशील आय का साधन जाता रहा है। राज्य को यह सम्पत्ति बिना किसी क्षतिपूर्ति के देनी पड़ी है। क्योंकि ये रेलें बिना किसी स्थाई ऋण के लोक-कल्याणकारी कार्यों का त्याग करके बनाई गई थी इसलिए भारत सरकार को यह सम्पत्ति बिना किसी दायित्व के मिली है। अनुमान है कि राजस्थान की रेलों का लागत मूल्य लगभग १३ करोड़ रु० था और आज के बाजार भाव से लगभग ५० करोड़ रु० होगा। इसके अतिरिक्त जयपुर दरबार ने बम्बई-बड़ौदा सैन्ट्रल-इण्डिया रेलवे की नागदा-मुथरा शाखा के निर्माण में ८५ लाख रु० की पूँजी लगाई थी वह भी भारत सरकार ने बिना क्षतिपूर्ति के लेली है। राज्य सरकार का दावा है कि यदि इसका सन्धि के अनुसार मुआवजा दिया जाता तो लगभग ५.१६ करोड़ रु० के होता।

राजस्थान की वित्तीय स्थितिः— हम पहले अध्याय में बतला चुके है कि राजपूताने की समस्त रियासतों का वर्तमान संयुक्त राजस्थान के रूप में एकीकरण कई घटनाओं के परिणाम स्वरूप हुआ। ७ अप्रेल १९४९ से राजस्थान के नये राज्य ने कार्य करना आरम्भ किया। राजस्थान में सम्मिलित होने वाली रियासतों के आर्थिक वर्ष अलग अलग थे। राजस्थान सरकार ने आर्थिक वर्ष को अप्रेल से मार्च तक रखने का निश्चय किया और केन्द्रीय सरकार द्वारा माना हुआ हिसाब-किताब का तरीका भी अपनाया गया। कुछ समय के लिए नया बजट बनाना असम्भव था इसलिए अप्रेल से सितम्बर १९४९ तक पुराने बजटों के आधार पर काम चालू रखा गया। अक्तूबर १९४९ से मार्च १९५० तक के

६ महिनों के लिए एक नया काम-चलाऊ बजट बनाया गया और १ अप्रैल १९५० से ३१ मार्च १९५१ के लिए नियमानुकूल बजट बनाया गया।

विभिन्न इकाइयों के बजट जो ७ अप्रैल १९४९ को राजस्थान सरकार को मिले उनमें दिये आँकड़ों के अनुसार कुल आय १७००.२३ लाख रु० और कुल व्यय १८६६.७५ लाख रु० था अर्थात् १६६.५२ लाख रु० का घाटा था, जिसमें ११७.४९ लाख रु० का घाटा अकेले जोधपुर में था। इन बजटों के अनुसार अप्रैल से सितम्बर तक ६ महिनों में ८३,२६,००० रु० का घाटा होने की संभावना हो सकती थी। इस प्रकार नई राजस्थान सरकार ने अपना कार्य घाटे की स्थिति में आरम्भ किया। राज्य सरकार ने आरम्भ ही से हर प्रकार की कड़ाई बरती और घाटे को कम करने का प्रयत्न किया। फलस्वरूप यह घाटा बचत में बदल गया और इन ६ महिनों के वास्तविक आँकड़ों के अनुसार कुल आय ९,०४,५७,९३० रु० और कुल व्यय ८,१७,५८,७८० रु० पाया गया।*

अंतरिम समय (१ अक्तूबर १९४९ से ३१ मार्च १९५०) के अनुमानों के अनुसार कुल आय ८,८३,५०,००० रु० और कुल व्यय ८,२३,५०,००० रु० होने की आशा थी। इसी समय के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल आय ८,३६,९५,००० रु० और कुल व्यय ८,०९,७९०० रु० अर्थात् कुल बचत ६० लाख रु० के स्थान पर केवल लगभग २७ लाख रु० होने की आशा थी। परन्तु इस समय में वास्तविक आय केवल ६५५.३३ लाख रु० हुई और आय-खाते तथा पूँजी-खाते का कुल मिलाकर व्यय ८४२.७० रु० हुआ।

१९५०-५१ का बजट पेश करते समय कुल आय १६०९.०० लाख रु० और व्यय १५५९.०० लाख रु० होने का अनुमान लगाया गया। वास्तव में इस वर्ष १४६०.५३ लाख की आय और १३९१.२९ लाख रु० का व्यय हुआ अर्थात् ६९.२४ लाख रु० की बचत हुई। परन्तु इसी वर्ष २००.७२ लाख रु० पूँजी खाते से व्यय हुये। इस प्रकार आय-खाते और पूँजी खाते दोनों का व्यय मिलाकर १५९२.०३ लाख रु० हुआ अर्थात् १३१.४९ लाख रु० का खर्च सम्मिलित रियासतों से प्राप्त नकदी में से करना पड़ा।

सन् १९५१-५२ के आय-व्ययक में आय की रकम १६०५.१० लाख रु० और व्यय १६२०.१७ लाख रु० अर्थात् १५.०० लाख रु० घाटे का अनुमान था। वास्तव में आय १५५५.१९ लाख रु० और व्यय १५७१.७६ लाख रु० हुआ जिससे १६.५७ लाख का घाटा रहा। इस वर्ष ६०७.१७ लाख रु० पूँजी खाते से व्यय हुये। इस प्रकार पूँजी खाते और आय में से होने वाला व्यय मिला

* राजस्थान सरकार आय-व्ययक १९५०-५१ मुख्य मंत्री का भाषण पत्रक (अ) और (आ)।

कर २१८१.६३ लाख रु० हुआ जबकि आय केवल १५५५.१६ लाख रु० हुई। इस कमी को पूरा करने के लिए संचित कोष की रकम काम में ली गई और बैंकों से ऋण लिया गया।

१९५२–५३ के लिए बजट बनाते समय आय १६३२.१८ लाख रु० और व्यय १७२५.६६ लाख रु० अर्थात् ९३.४८ लाख रु० का घाटा होने का अनुमान था। परन्तु कुछ क्षेत्रों में वर्षा की कमी और कहीं कहीं वर्षा की अधिकता से अनेक करों की अनुमित आय कम पड़ गई और वित्त आयोग (Finance Commission) की सिफारिशों के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सहायता को छोड़कर संशोधित अनुमानों के अनुसार आय १४९३.१० लाख रु० और व्यय १७१४.३५ लाख रु० अर्थात् २२१.२५ लाख रु० के घाटे की संभावना उत्पन्न हो गई। सौभाग्य से इस वर्ष वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार को २५६.९० लाख रु० (संघीय उत्पादन कर ७७.७५ लाख रु०, केन्द्रीय आयकर से अतिरिक्त प्राप्ति १७५.१५ लाख रु०) की विशेष सहायता प्राप्त हुई जिससे संशोधित अनुमानों में २२१.२५ लाख रु० के घाटे के स्थान पर ३५.६५ लाख रु० की बचत की आशा हो गई। इस वर्ष के वास्तविक आँकड़ों के अनुसार आय १८१४.७३ लाख रु० और आय–खाते का व्यय १५९३.६५ लाख रु० हुआ अर्थात् २२१.०८ लाख रु० की बचत हुई। इस वर्ष ५.०३ लाख रु० का व्यय पूँजी खाते से हुआ अर्थात् आय–खाते और पूँजी खाते दोनों का कुल मिलाकर व्यय १५९८.६८ लाख रु० हुआ।

राज्य के मुख्य मंत्री श्री जयनारायण व्यास ने १९५३–५४ के वर्ष के लिए एक सन्तुलित बजट प्रस्तुत किया जिसमें आय और आय–खाते से होने वाले व्यय के अनुमान १९४४.०० लाख थे। परन्तु संशोधित अनुमानों के अनुसार इस वर्ष में आय १८८३.३१ लाख रु० और आय–खाते का व्यय १८८९.७४ लाख रु० अर्थात् ६.४३ लाख रु० के घाटे का भय है। संशोधित अनुमानों के अनुसार इस वर्ष ७५३.१९ लाख रु० का व्यय पूँजी खाते से होगा। इस प्रकार आय–खाते और पूँजी खाते दोनों का मिलाकर कुल व्यय २६४२.९३ लाख रु० होने का अनुमान है जबकि आय केवल १८८३.३१ लाख रु० है।

चालू वर्ष (१९५४–५५) के लिए आय और आय–खाते का व्यय दोनों २१५५.११ लाख रु० होने का अनुमान है। परन्तु इस वर्ष पूँजी खाते से ११९७.२२ लाख रु० व्यय होने का अनुमान है। इस प्रकार चालू वर्ष के अनुमानों के अनुसार आय–खाते और पूँजी खाते का कुल व्यय ३३७२.३३ लाख रु० होने की आशा है जबकि आय केवल २१५५.११ लाख रु० होने का अनुमान है।

उपर्युक्त विवरण से ज्ञात होगा कि आरम्भ में राजस्थान की वित्तीय स्थिति बड़ी डावाँडोल थी। राज्य के बजट प्रायः घाटे के बजट होते थे और घाटा पूरा करने के लिए राज्य में सम्मिलित होने वाली रियासतों से प्राप्त कोषों (funds) का उपयोग किया जाता था। एक समय ऐसा आया जब यह भय उत्पन्न होने लगा कि राज्य के गैर-प्रयोजन विशिष्ट कोष (non earmarked reserve) सन् १९५२-५३ के अन्त तक समाप्त हो जायँगे और प्रयोजन-विशिष्ट प्रतिभूतियाँ (earmarked securities) बैंकों से ऋण प्राप्त करने के काम में ली गई। राज्य के उच्च अधिकारियों ने स्वयँ अनेक स्थानों पर ऐसा भय प्रकट किया है। वित्त आयोग (१९५२) की जाँच के समय के पूर्वानुमानों के अनुसार तात्कालीन आय और व्यय के स्तरों के आधार पर १९५२-५३ से १९५६-५७ के पंच-वर्षीय काल में राज्य सरकार को १०४१.४३ लाख रु० के घाटे का भय था। सौभाग्य से वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत प्राप्त होनेवाली अतिरिक्त आय से राज्य की वित्तीय स्थिति संभल गई। हम देख चुके हैं कि सन् १९५२-५३ के बजट के अनुमानों के अनुसार राज्य में ६३.४६ रु० के घाटे का भय था परन्तु इस वर्ष के हिसाबों के अनुसार राज्य को २२१.०८ लाख रु० की बचत हुई। इसी सहायता के कारण वित्त मंत्री आगामी दो वर्षों के लिए सन्तुलित बजट प्रस्तावित कर सके हैं।

परन्तु पिछले दो वर्षों के सन्तुलित बजटों से हमें यह नतीजा नहीं निकालना चाहिये कि राज्य की वित्तीय स्थिति आज पूर्णतः सुदृढ़ है या राज्य के वित्तीय साधन राज्य की वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। हम आगे चल कर देखेंगे कि राज्य की आय का एक बड़ा भाग (लगभग ४ करोड़ रु. अर्थात् कुल आय का पंचमांश) अन्तर्देशीय सीमाकरों से प्राप्त होता है। संघीय वित्तीय एकीकरण के समझौते के अनुसार ३१ मार्च १९५५ तक ये कर उठा लिये जायंगे और इनके स्थान पर बिक्री कर लगाया जायगा। परन्तु बिक्री कर से सीमाकरों की आधी आय भी प्राप्त नहीं हो सकेगी। इस प्रकार इस परिवर्त्तन से राज्य को २ या २॥ करोड़ रु. की वार्षिक आय की हानि होगी। इसी प्रकार राज्य को आजकल आबकारी से लगभग ३ करोड़ रु. प्रतिवर्ष प्राप्त होते हैं। यदि राज्य में मद्यनिषेध की नीति अपनाई गई तो सरकार को इस आय का भी त्याग करना पड़ेगा। निःसंदेह ऐसा करना अव्यावहारिक होगा।

यहाँ यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि एकीकरण के पश्चात् अन्तर्देशीय सीमाकरों, आबकारी करों, स्टाम्प और रजिस्ट्री करों तथा मोटर गाड़ियों पर लगाये गये करों की दरों में समानता लाने की दृष्टि से विभिन्न राज्यों में उच्चतम विद्यमान दरें अपनाली गई थीं। फलस्वरूप पिछले कुछ

वर्षों में इन करों से तथा वनों से प्राप्त होने वाली आय में यथेष्ट वृद्धि हुई है। निम्नांकित सारिणी से इस कथन की सत्यता स्पष्ट है :—

(लाख रुपयों में)

	१९४८–४९ हिसाब	१९५०–५१ हिसाब	१९५१-५२ हिसाब	१९५२-५३ संशोधित अनुमान	१९५३–५४ बजट के अनुमान
सीमाकर और आबकारी	५८७.४२	६२१.७०	७१८.३३	५९६.००	६१६.००
स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन	३१.८८	४६.०४	५०.९९	५५.७५	५६.७५
वन	३६.१७	४०.००	३६.६२	४०.००	४०.००
मोटर गाड़ियों के कर	१२.००	१८.००	२४.७६	३०.१५	३५.००

Source : Govt. of Rajasthan : Memoranda on State Taxation & Local Taxation etc. p. 6.

हम आगे चलकर राज्य के आय के साधनों का विश्लेषण करेंगे। इससे ज्ञात होगा कि राज्य सरकार को व्यापारिक एवं अर्द्ध-व्यापारिक विभागों से बहुत कम (केवल लगभग ५%) आय प्राप्त होती है और राज्य को आय के ७०% भाग के लिए करों पर आश्रित रहना पड़ता है।* राज्य में प्रति व्यक्ति कर-भार भी अनेक 'क' और 'ख' श्रेणी के राज्यों की अपेक्षा अधिक है।† यदि राज्य की पिछड़ी हुई आर्थिक दशा को ध्यान में रखा जाय तो राज्य में वास्तविक कर-भार और भी अधिक मानना पड़ेगा। सारांश यह है कि राज्य में पिछले कुछ वर्षों में की गई कर-वृद्धि और वर्तमान कर भार को देखते हुये अतिरिक्त कर लगाने का क्षेत्र अत्यन्त सीमित है।

अब थोड़ा राज्य में व्यय की आवश्यकता पर विचार कीजिये। राजस्थान एक पिछड़ा हुआ और अविकसित राज्य है। राज्य में शिक्षा, चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य आदि सामाजिक सेवाओं और विकास कार्यों का स्तर अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत ही नीचा है। निम्नांकित तालिका से इस कथन की सत्यता प्रकट होती है :—

* Report of The Finance Commission (1952) p. 168-171.

† Ibid p. 172-173.

सामाजिक सेवाओं पर प्रतिव्यक्ति व्यय (१९५०-५१)

राज्य	सामाजिक सेवाएँ	शिक्षा	चिकित्सा और लोकस्वास्थ्य
आसाम	३.१	१.७	०.५
बिहार	१.७	०.८	०.४
बम्बई	६.०	३.५	१.२
मध्य प्रदेश	२.१	१.२	०.३
मद्रास	३.३	१.८	०.७
उड़ीसा	२.०	०.६	०.५
पंजाब	३.१	१.५	०.६
उत्तर-प्रदेश	२.४	१.१	०.५
पश्चिमी बंगाल	३.६	१.२	१.५
हैदराबाद	३.२	२.१	०.७
मध्य भारत	३.६	१.८	१.२
मैसूर	६.६	३.०	१.१
पेप्सू	३.४	१.७	१.३
राजस्थान	२.४	१.३	०.५
सौराष्ट्र	५.२	२.५	१.४
ट्रावन्कोर-कोचीन	४.२	२.३	१.०

Source : Report of The Finance Commission (1952) p. 183.

राज्य की पिछड़ी हुई स्थिति और विकास की संभावनाओं को देखते हुये सामाजिक सेवाओं और विकास कार्यों पर अधिकाधिक व्यय की आवश्यकता है। परन्तु राज्य के साधन सीमित हैं और राज्य में अतिरिक्त करों का क्षेत्र भी सीमित है। स्पष्ट है कि राज्य के विकास के लिए और राज्य में सामाजिक सेवाओं का स्तर अन्य प्रगतिशील राज्यों के समान बनाने के लिए उदार केन्द्रीय अनुदान और सहायता की आवश्यकता है।

राज्य की कमज़ोर वित्तीय स्थिति के कारण:— राजस्थान की वित्तीय स्थिति कमजोर होने के प्रमुख कारण निम्नाँकित हैं:—

(१) साधनों का अभाव और पिछड़ापन:— किसी देश या राज्य की सरकार की आय उस देश की आर्थिक विकास की अवस्था पर निर्भर करती है। राजस्थान सरकार की आय कम होने का एक बड़ा कारण राज्य में आर्थिक विकास के साधनों की कमी और उनकी अविकसित दशा है। राज्य की अर्थ-व्यवस्था में कृषि की प्रधानता है और वर्षा के अभाव तथा अनिश्चितता तथा टिड्डियों के आक्रमण से राज्य में बहुधा अकाल और भूखमरी का भय बना रहता है। राज्य में बहने वाली नदियों का पानी न सिंचाई के काम आता है और न बिजली बनाने के। राज्य में खनिज सम्पत्ति और पशुधन की बाहुल्यता है परन्तु इनका सदुपयोग नहीं किया जाता। इस प्रकार साधनों की कमी और अविकसित दशा के कारण राज्य सरकार की आय भी बहुत कम है। साथ ही यह भी सत्य है कि राज्य सरकार के पास आय की कमी से यह राज्य के साधनों के समुचित विकास के साधन जुटाने में असमर्थ है। राज्य के साधनों के अविकसित होने से राज्य सरकार की आय कम है और राज्य सरकार के पास आय की कमी के कारण राज्य के साधनों का समुचित विकास नहीं हो सकता। इस विषम चक्र को तोड़ने के लिए उदार केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है।

(२) राजनीतिक एकीकरण और शासन का लोकतंत्रीकरण:— प्राय: कहा जाता है कि राजपूताने की विभिन्न रियासतों के एकीकरण से प्रशासनिक व्यय में बचत होनी चाहिये थी और संयुक्त राजस्थान सरकार के पास साधनों की प्रचुरता होनी चाहिये थी। यह सत्य है कि यदि संघ में सम्मिलित होने वाली इकाइयाँ के प्रशासनिक ढाँचे समान और प्रगतिशील हों तो उच्च प्रशासकों और निरीक्षकों के खर्चे में बचत की जा सकती है। परन्तु यह नहीं भूलना चाहिये कि वेतनों और भत्तों पर होने वाले व्यय का बड़ा भाग निम्न कर्मचारियों (क्लर्कों तथा चतुर्थ श्रेणी के नौकरों) पर होता है जिसमें कमी नहीं की जा सकती। फिर राजस्थान में सम्मिलित होने वाली रियासतों

के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते अलग अलग थे। उदाहरणार्थ जयपुर में वेतन स्तर नीचे थे जब कि जोधपुर में अपेक्षाकृत ऊँचे थे। राजस्थान की स्थापना पर विभिन्न राज्यों के प्रशासनिक तंत्रों को मिलाकर एक करना था और कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों को समान स्तर पर लाना था। क्योंकि वेतन और भत्तों को घटाना अव्यावहारिक था अतएव उनको बढ़ा कर ही एक स्तर पर लाया जा सकता था। अनुमान है कि इससे राज्य सरकार को लगभग ६० लाख रु. प्रतिवर्ष का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। इस पर भी मँहगाई भत्ता अब भी बहुत कम है और कर्मचारी संघ बराबर इसमें वृद्धि की माँग कर रहा है। वेतनों और भत्तों के अतिरिक्त प्रशासन के लिए आवश्यक दफ्तरों और कर्मचारियों के निवास के लिए मकानों की व्यवस्था करनी थी और प्रशासन की कुशलता बढ़ाने के लिए परिवहन के साधनों का विकास भी आवश्यक था। हमको यह भी नहीं भूलना चाहिये कि कई राज्यों में राजा का व्यक्तिगत शासन था और राज्य के कर्त्तव्य भी सीमित थे। राजस्थान के निर्माण पर राज्य का क्षेत्रफल और जनसंख्या ही नहीं बढ़ी वरन राज्य सरकार को अनेक लोक-कल्याण-कारी कार्य हाथ में लेने पड़े। राजा के व्यक्तिगत शासन के स्थान पर लोकतंत्रात्मक जनतंत्र के अनुकूल पेचीदा शासन तंत्र संगठित करना पड़ा जिससे भी प्रशासन का खर्चा बहुत बढ़ गया।

(३) संघीय वित्तीय एकीकरण:—हम ऊपर बतला चुके हैं कि संघीय वित्तीय एकीकरण के फलस्वरुप जहाँ एक ओर राजस्थान सरकार को पुलिस और राजाओं के निज खर्च और उनके आश्रितों के भत्तों आदि पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ा वहाँ दूसरी ओर रेलों, नमक, अन्तर्देशीय सीमाकरों की आय का त्याग करना पड़ा। फलस्वरुप वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अतिरिक्त आय मिलने तक राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति डावांडोल हो गई।

साथ ही वित्तीय एकीकरण से पूर्व राज्य की विभिन्न इकाइयों में भू. पू. शासकों की नीति के फलस्वरुप सेनाओं का व्यय बढ़ा हुआ था और आयकर नहीं लगाया जाता था जिसका परिणाम यह था कि शिक्षा, चिकित्सा आदि कार्यों पर बहुत कम व्यय किया जाता था। इन राष्ट्र-निर्माण-कारी प्रवृत्तियों को अन्य राज्यों के स्तर पर लाने के लिए राज्य सरकार को केन्द्र से सहायता की अपेक्षा थी। भारत सरकार ने वित्तीय सन्धि में इस उत्तरदायित्व को स्वीकार किया है। गैडगिल समिति की सिफारिशों के अनुसार राज्य को शिक्षा के लिए विशेष सहायता मिल रही है। परन्तु आज भी राजस्थान में सामाजिक और विकास सेवाओं का स्तर बहुत नीचा है और उदार केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है।

राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति में सुधार के उपाय:—सन् १९५१-५२ का बजट तैयार करते समय जब यह भय उत्पन्न हुआ कि राज्य सरकार अपना बजट सन्तुलित नहीं कर सकती तो भारत सरकार ने श्री स्वामीनाथन, संयुक्त मंत्री, राज्य सचिवालय, की सेवाएँ राजस्थान सरकार को प्रदान की। श्री स्वामीनाथन ने राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए अनेक सुझाव दिये। उनके सुझावों के अनुसार राज्य सरकार ने मालगुजारी की बकाया वसूल करने, स्टाम्प करों को समान स्तर पर लाने, मोटर गाड़ियों के कानून का सख्ती से अमल करने, सिंचाई की दरों में तथा तम्बाकू के लाइसैन्सों की फीस में वृद्धि करने, बिजली घरों को चलाने और कृषि योग्य भूमि की बिक्री करने आदि सुझावों पर अमल किया है और स्टाम्प करों तथा मोटर गाड़ियाँ से प्राप्त होने वाली आय में वृद्धि भी हुई है। कृषि-आय-कर और पैट्रोल बिक्री कर लागू कर दिये गये हैं और साधारण बिक्री कर तथा सीमेन्ट बिक्री करों पर विधान सभा विचार कर रही है। आशा है इन पदों से राज्य सरकार की आय में अच्छी वृद्धि हो सकेगी। जागीरों के पुनर्ग्रहण और भाखरा-नांगल, चम्बल और जवाई योजनाओं के अन्तर्गत खेती के विकास से मालगुजारी की आय भी बढ़ने की आशा है। इसी प्रकार राज्य की ज्ञात और अज्ञात खनिज सम्पत्ति का सदुपयोग करने से खानों की रायल्टी (Royalty) द्वारा प्राप्त होने वाली आय भी बढाई जा सकती है। सुधार-शुल्क (Betterment Fee) और पूँजी-वृद्धि-कर (Capital gains tax) लगाने से भी अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है। परन्तु पिछले वर्षों में की गई कर वृद्धि, वर्तमान कर भार और जनता का निम्न जीवन-स्तर देखते हुये यह मानना पड़ेगा कि राज्य में नये कर लगाकर या वर्तमान करों में वृद्धि करके राज्य सरकार की आय बढाने की संभावनाएँ अत्यंत सीमित है। इसके विपरीत जागीरों के पुनर्ग्रहण पर कृषि आय कर की आमदनी कम होगी और अन्तर्देशीय सीमा करों के उठाने पर राज्य की लगभग ४ करोड़ वार्षिक आय मारी जायगी। एतएव करों से प्राप्त होने वाली आय भविष्य में बढने की बजाय घटने की संभावना है।

करों के अतिरिक्त व्यापारिक कार्यों से भी आय प्राप्त की जानी चाहिये। हम ऊपर बतला चुके हैं कि राजस्थान सरकार की व्यापारिक विभागों से प्राप्त होने वाली आय कुल आय का अल्यांश (केवल ५%) है। इसका कारण यह है कि भू. पू. रियासतों के शासकों ने रेलों के अतिरिक्त अन्य व्यापारिक कार्यों में बहुत कम पूँजी लगाई थी। हम देख चुके हैं कि रेलों के केन्द्रीय सरकार के सुपुर्द हो जाने से राज्य सरकार की आमदनी का एक बड़ा साधन जाता रहा है। नये व्यापारिक कार्य हाथ में लेकर यह क्षति कुछ हद तक पूरी की

जा सकती है। उदाहरणार्थ सड़क यातायात के राष्ट्रीयकरण, जावर स्थान पर प्रस्तावित स्मेल्टिंग प्लान्ट, अमोनियम सल्फेट और सोडा एश के कारखाने आदि कार्य हाथ में लिए जा सकते हैं।

राज्य सरकार की आय बढ़ाने का तीसरा और सब से आशाजनक एवं आवश्यक साधन केन्द्रीय सहायता है। हम ऊपर बतला चुके हैं कि संघीय वित्तीय एकीकरण के फलस्वरुप राज्य सरकार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अतएव जब वित्त आयोग की स्थापना हुई तो राज्य सरकार ने अगले पाँच वर्षों का घाटा पूरा करने के लिए १० करोड़ रु., प्रशासनिक इमारतों, शिक्षा, चिकित्सा के विकास के लिए सहायता, अन्तर्देशीय सीमाकरों को उठाने से होने वाली कठिनाई का सामना करने के लिए सहायता और सामाजिक तथा विकास कार्यों का स्तर ऊपर उठाने के लिए विशेष सहायता की मांग की। वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत राजस्थान को केन्द्रीय उत्पादन करों का ४.४१%, आय-कर का ३.५% और शिक्षा के लिए विशेष सहायता प्राप्त हुई। इसी प्रकार 'ख' श्रेणी के राज्यों की विशेष सहायता जाँच समिति की सिफारिशों के अनुसार राजस्थान को पुनः केन्द्रीय सहायता प्रदान हुई। इन सहायताओं से राज्य की वित्तीय स्थिति बिगड़ने से बच गई और राज्य में शिक्षा आदि का समुचित विकास संभव हो सका है। फिर भी राजस्थान सामाजिक सेवाओं और विकास कार्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत पिछड़ा हुआ है और इसको अन्य राज्यों के स्तर पर लाने के लिए उदार केन्द्रीय सहायता आवश्यक है।

आय में वृद्धि के साथ ही साथ राज्य सरकार को खर्चे में बचत की ओर भी ध्यान देना चाहिये। इस कार्य के लिए सन् १९५१ में मंत्रि-मंडल की मित-व्ययिता-समिति की स्थापना की गई थी जो अब तक कार्य कर रही है। परन्तु उक्त समिति के होते हुये भी प्रशासनिक खर्चा बराबर बढ़ता ही जा रहा है। लेखा-परीक्षक की विगत रिपोर्टों से स्पष्ट है कि राज्य में वित्तीय नियंत्रण की व्यवस्था संतोषप्रद नहीं है। यदि नियोजित प्रयत्न किये जाएँ तो कई विभागों का खर्चा उनकी कुशलता घटाए बिना कम किया जा सकता है।

राज्य सरकार के आय के साधन और व्यय के पद:—

नीचे की तालिका में राज्य सरकार के १९५४-५५ के आय-व्ययक के अनुसार आय के प्रमुख साधन और आय खाते से होने वाले व्यय के पद दिये जाते हैं और तदुपरान्त इन विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ दी जायेंगी।

आय के साधन	(लाख रु०)
(१) संघीय उत्पादन कर	७६.८२
(२) निगम कर के अतिरिक्त अन्य आय कर	२२२.६०
(३) भू राजस्व	४७१.००
(४) आबकारी	२४०.००
(५) स्टाम्प	५६.००
(६) वन	३६.५२
(७) रजिस्ट्री	३.४०
(८) मोटर गाड़ियों के अधिनियम के अधीन आय	३४.५०
(९) अन्य कर	३६५.१६
(१०) सिंचाई	३४.४३
(११) व्याज	४१.४६
(१२) नागरिक प्रशासन	१६३.३१
(१३) सार्वजनिक निर्माण कार्य	६५.००
(१४) विविध	११५.६६
(१५) केन्द्रीय और राज्यीय सरकारों की लेनी देनी	१७६.६७
(१६) असाधारण आय	४६.१६
योग	२१५५.११

आय खाते से व्यय के पद	(लाख रु०)
(१) कर प्राप्ति व्यय	३३६.१०
(२) सिंचाई	८८.०३
(३) व्याज	१२.७८
(४) नागरिक प्रशासन	१२७६.६२
(५) सार्वजनिक निर्माण कार्य	१८४.०७
(६) विविध	१८२.७१
(७) असा धारण पद	७१.५०
योग	२१५५.११

आय के प्रमुख साधनों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ:—

(१) संघीय उत्पादन कर:—भारतीय संविधान की २७२ वीं धारा के अधीन तम्बाकू, दियासलाइयों और वनस्पति की उत्पत्ति पर लगाये गये

करों की वास्तविक आय का ४० % 'क' और 'ख' श्रेणी के राज्यों में उनकी जन-संख्या के अनुपात से बाँट दिया जाता है। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राजस्थान का भाग ४.४१ % रखा गया है। सन् १९५४-५५ में राजस्थान को इस साधन से ७६-८२ लाख रु० प्राप्त होने का अनुमान है जो १९५३-५४ के बजट के अनुमानों से ४.४१ लाख रु० कम है।

(२) निगम कर के अतिरिक्त अन्य आय कर:— इस पद के अन्तर्गत दो प्रकार की आय सम्मिलित हैं:—

(अ) भारतीय संविधान की २७२ वीं धारा के अधीन केन्द्रीय आय कर की वास्तविक आय में से राज्यों को मिलने वाला भाग और (आ) कृषि आय कर से प्राप्त होने वाली आय।

हम ऊपर बतला चुके हैं कि वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय आय कर के विभाजीय अंश में राजस्थान का भाग ३.५ % निर्धारित किया गया है। सन १९५४-५५ में राज्य सरकार को २०७.६० लाख रु० इस साधन से प्राप्त होंगे।

इसके अतिरिक्त सन १९५४-५५ में १५ लाख रु० राज्य सरकार को कृषि आय कर से प्राप्त होने का अनुमान है। यह उल्लेखनीय है कि इस कर के अधिकांश कर दाता जागीरदार हैं और जागीरों के पुनर्ग्रहण के पश्चात इस कर की आय नगण्य हो जायगी। वैसे भी कर मुक्त आय स्तर ऊँचा रखने और अविभाजित हिन्दू परिवारों को दी जाने वाली रिआयतों के कारण १५ लाख की अनुमित आय प्राप्त होने की आशा कम ही है।

(३) भू-राजस्व:—अन्य राज्यों की भाँति राजस्थान सरकार की आय का एक प्रमुख साधन भू-राजस्व या मालगुजारी है। राजस्थान में जागीरों के पुनर्ग्रहण के फलस्वरूप राज्य सरकार को जागीरी क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली भू-राजस्व की आय में वृद्धि की आशा की जाती है। सन १९५४-५५ में राज्य सरकार को इस साधन से ४७१.०० लाख रु० प्राप्त होने का अनुमान है जो गत वर्ष के बजट के अनुमानों से ४६ लाख और सन १९५१-५२ के वास्तविक आँकड़ों से १५६ लाख अधिक है।

(४) आबकारी:—आबकारी के अन्तर्गत देशी शराब, अफीम, गांजा, चरस, आदि मादक वस्तुओं के उत्पादन एवं बिक्री पर लगाये गये करों से प्राप्त होने वाली आय सम्मिलित की जाती है। हम ऊपर बतला चुके हैं कि एकीकरण के पश्चात आबकारी करों में समानता लाने के लिए भू. पू. रियासतों में प्रचलित ऊँची से ऊँची दरें अपनाई गई थीं। फलस्वरूप राज-

स्थान के निर्माण के पश्चात आबकारी से आय होने वाली आय में यथेष्ट वृद्धि हुई है। जनता की बहुत कम क्रय-शक्ति को देखते हुये इसमें और वृद्धि की कोई संभावना नहीं है। सन १९५४-५५ के बजट अनुमानों के अनुसार राज्य सरकार को आबकारी से २४०.०० लाख रु० प्राप्त होने का अनुमान है। इसमें लग भग ७५ लाख रु० अफीम कर और लाइसैन्स शुल्क के भी शामिल है। भारत सरकार की नीति १९५९-६० तक अफीम का सेवन निषेध करने की है। फलस्वरूप १९५९-६० के पश्चात यह आय उपलब्ध नहीं हो सकेगी।

(५) **स्टाम्पः**—स्टाम्प दो प्रकार के होते हैं : (अ) गैर-अदालती और (आ) अदालती। प्रथम श्रेणी में बिल्स आफ एक्सचेंज या हुण्डियों तथा अन्य दस्तावेजों पर लगने वाले टिकटों की बिक्री तथा दस्तावेजों के मुद्रांकित करने का कर और जुर्माने, दण्ड आदि से होने वाली आय समाविष्ट है। दूसरी श्रेणी में टिकटों से वसूल की गई कोर्ट फीस, अदालती स्टाम्पों की बिक्री तथा जुर्मानों और दंड की आय समाविष्ट है। स्टाम्प करों की दरों को दोहराने के समय 'क' श्रेणी के राज्यों में प्रचलित उच्चतम दरें अपनाई गई है। फलस्वरूप इनसे होने वाली आय सन १९५१-५२ में ४७.३२ लाख रु० से बढ कर सन १९५४-५५ में ५६.०० लाख रु० होने का अनुमान है। स्टाम्प कर एक प्रकार का न्याय कर है और इसको बढ़ाना न्याय को महँगा करना है।

(६) **वनः** इस पद की आय लकड़ी, कोयला, घास और वनों की अन्य छोटी पैदावार (जैसे राल, कत्था आदि) की बिक्री, वनों का लावारिसी या जब्त किया हुआ माल, जुर्मानों, शिकार करने के लाइसैन्सों की फीस आदि से होती है। सन् १९५४-५५ में राज्य सरकार को वनों से ३६.५२ लाख रु. की आय होने का अनुमान है।

(७) **रजिस्ट्रीः** इस पद की आय दस्तावेजों की रजिस्ट्री कराने की फीस, रजिस्ट्री किये हुये दस्तावेजों की नकलों की फीस, विविध फीस और जुर्मानों आदि से प्राप्त होती है। स्टाम्पकरों की दरों की भांति राजस्थान में रजिस्ट्री की फीस की दरें भी बढ़ा दी गई है। परन्तु यह फीस एक उपयोगी सेवा के एवज में ली जाती है अतएव बुरी नहीं है।

(८) **मोटर गाड़ियों के अधिनियम के अधीन आयः** पिछले वर्षों में उक्त अधिनियम का अमल कठोरता पूर्वक किया जाने लगा है और मोटर गाड़ियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। फलस्वरूप इस पद की आय जो सन् १९५१-५२ में २४.७६ लाख रु. थी सन् १९५४-५५ के अनुमानों में बढ़-

कर ३८-५० लाख रु. हो गई है। प्रशासन की कुशलता बढ़ाकर इस आय में और भी वृद्धि की जा सकती है।

(९) अन्य कर : सन् १९५४-५५ के आय व्ययक के अनुमानों में ३६५.०० लाख रु. की आय "अन्य करों" के अन्तर्गत दिखलाई गई है। अन्य करों में (क) लगभग १६००० रु. की आय मनोरंजन कर सहित अन्य विलासिताओं पर लगाये गये करों से, (ख) लगभग ३००० रु. बिजली शुल्क से, (ग) ३५४ लाख रु. अन्तर्देशीय सीमा करों से और (घ) ११ लाख रु. बिक्री करों से होना बतलाया गया है। यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान में बीकानेर डिवीजन के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में मनोरंजन कर की आय स्थानीय संस्थाओं को प्राप्त होती है। अतएव राज्य सरकार के लिए मनोरंजन कर आय का एक नगण्य साधन है।

अन्यकरों में आय की दृष्टि से अन्तर्देशीय सीमाकरों की प्रधानता है। ये कर राज्य में बाहर से आने वाले और राज्य से बाहर जाने वाले माल पर लगाये जाते हैं और भू-राजस्व को छोड़कर राज्य की आय का सब से बड़ा साधन है। परन्तु संघीय वित्तीय एकीकरण की सन्धी के अधीन ३१ मार्च १९५५ तक ये कर उठा लिए जाएँगे और इनके स्थान पर साधारण बिक्री कर लगाया जायगा। हम ऊपर बतला चुके हैं कि साधारण बिक्री कर विधेयक अभी तक राजस्थान विधान सभा के विचाराधीन है। अनुमान है कि उसके लागू होने पर राज्य सरकार को लगभग २ करोड़ की वार्षिक आय प्राप्त हो सकेगी जबकि अन्तर्देशीय सीमाकरों के उठाने से लगभग ३॥ या ४ करोड़ रु० की आय जाती रहेगी।

राज्य में अभी पैट्रोल की बिक्री पर कर लगाया जाता है जिससे ११ लाख रु० की आय होती है।

(१०) सिंचाई:—इस पद की आय कुल आय में से सम्पादन व्यय निकाल कर दिखलाई जाती है। कुल आय में से कुछ आय तो प्रत्यक्ष होती है और कुछ वह होती है जो सिंचाई के कारण मालगुजारी के बढ़ने से होती है। पिछले वर्षों में योजना आयोग के सुझाव से कई राज्यों में सिंचाई की दरें बढ़ा दी गई है। फलस्वरूप इस पद से होने वाली आय सन् १९५१-५२ में लगभग ३४.४२ लाख रु० होने का अनुमान है। यद्यपि सिंचाई की दरों में वृद्धि का कई स्थानों पर विरोध हुआ है तथापि विशुद्ध आर्थिक दृष्टि से यह वृद्धि अनुचित नहीं कही जा सकती क्योंकि सिंचाई के कार्यों का निर्माण और सम्पादन व्यय भी बढ़ गया है और किसानों की आय भी बढ़ गई है।

(११) ब्याज— इस पद में नगरपालिकाओं तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं किसानों, सहकार समितियों तथा अन्य व्यक्तियों, राज्य कर्मचारियों और विस्थापितों को दिये हुये ऋणों, बैंकों को दिये हुये ऋणों तथा बैंकों में रखी जमा और अन्य प्रकार से लगाई हुई पूँजी पर प्राप्त ब्याज से होने वाली आय समाविष्ट की जाती है।

(१२) नागरिक प्रशासनः—इस पद में न्याय विभाग, जेल विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, लोक-स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, ग्रामोन्नति विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, सहकारी विभाग, उद्योग एवं नागरिक रसद विभाग, और अन्य सरकारी विभागों से प्राप्त होने वाली आय संयुक्त की जाती है। सन् १६५४-५५ में इन विभागों से कुल मिला कर १६३ ३१ लाख रु० प्राप्त होने का अनुमान है।

(१३) सार्वजनिक निर्माण कार्यः—इस पद के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण कार्यों, बहु उद्देश्यक नदी योजनाओं तथा विद्युत-योजनाओं से प्राप्त होने वाली आय समाविष्ट की जाती है।

(१४) विविधः—इस शीर्षक के अन्तर्गत अधिवार्षिकी (Superannuation) की सहायतार्थ प्राप्त आय, लेखन-सामग्री और मुद्रण विभाग से प्राप्त आय तथा अन्य विविध आय समाविष्ट की जाती है।

(१५) केन्द्रीय और राज्यीय सरकारों की लेनी देनीः— इस पद में केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता तथा केन्द्रीय और राज्यीय सरकारों की लेनी देनी की रकमें शामिल की जाती है। आलोच्य वर्ष में राजस्थान सरकार को केन्द्र से १७६'४३ लाख रु० की सहायता प्राप्त होने का अनुमान है।

(१६) असाधारणः—सन् १६५४-५५ में राज्य सरकार को ४६.१६ लाख रु० की आय असाधारण साधनों से प्राप्त होने का अनुमान है।

व्यय के पदों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँः—

(१) कर प्राप्ति व्ययः— इस पद में भू-राजस्व, आबकारी, स्टाम्पों, वनों, रजिस्ट्री, मोटर गाड़ियों आदि से कर प्राप्त करने का व्यय समाविष्ट है। सन् १६५४-५५ में यह व्यय ३३६.१० लाख रु० होने का अनुमान है जिसमें से २०२.०० लाख रु० केवल भू-राजस्व वसूल करने में होने का अनुमान है। राजस्थान की जनता की दरिद्रता को देखते हुये शासन का इतना व्यय अधिक है और इसमें कमी की जानी चाहिये।

(२) सिंचाई:—इस पद के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यय सम्मिलित हैं—

(१) जिन सिंचाई के कार्यों के लिये पूँजी खाते रखे जाते हैं उनमें लगी हुई पूँजी का ब्याज;

(२) अन्य व्यय जो साधारण आय में से किया जाता है;

(३) नये सिंचाई के कार्यों के निर्माण का व्यय।

सन् १९५४-५५ में सिंचाई पर कुल ८८.०३ लाख रु० व्यय होने का अनुमान है जिनमें ३३ लाख ब्याज पर, ५१.०६ लाख आय में से किया जाने वाला व्यय और ३.९४ लाख सिंचाई के कार्यों के निर्माण पर होने का अनुमान है। राज्य की कृषि-प्रधान और अस्थिर अर्थ-व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुये सिंचाई के विकास पर जितना भी व्यय किया जाये कम है।

(३) ब्याज:—इस पद के अन्तर्गत (१) राज्य सरकार द्वारा लिए नये ऋणों पर ब्याज और (२) ऋण कम करने या ऋण से बचने के लिए रखी गई राशि समाविष्ट की जाती है। आलोच्य वर्ष में दूसरे उद्देश्य के लिए १५ लाख रु० रखे गये हैं।

(४) नागरिक प्रशासन:—इस शीर्षक के अन्तर्गत निम्नांकित पद समाविष्ट किये जाते हैं:—

(१) सामान्य प्रशासन—अर्थात् महाराज प्रमुख और राजप्रमुख, मंत्रिमंडल और मंत्रियों, सचिवालय और प्रधान कार्यालयों, विधान सभा और चुनाओं, कमिश्नरों तथा जिला प्रशासन पर किया गया व्यय; (१८६.१३ लाख)[१७०.३४]

(२) न्याय व्यवस्था	(३६ लाख)	[३१.७१ लाख]
(३) जेल	(२४ लाख)	[२१.६० लाख]
(४) पुलिस	(३००.४१ लाख)	[२४०.४६ लाख]
(५) वैज्ञानिक विभाग	(१५.६१ लाख)	[१०.८२ लाख]
(६) शिक्षा	(३३५.२० लाख)	[२२६.५८ लाख]
(७) चिकित्सा	(१२८.३५ लाख)	[१०२.४४ लाख]
(८) लोक-स्वास्थ्य	(६६.२९ लाख)	[४१.६२ लाख]
(९) कृषि	(३५.१२ लाख)	[२१.१५ लाख]
(१०) ग्रामोन्नति	(३५.४७ लाख)	[११.१७ लाख]
(११) पशु चिकित्सा	(२० ५६ लाख)	[११.१० लाख]
(१२) सहकारिता	(७.७३ लाख)	[५.४७ लाख]
(१३) उद्योग और रसद	(४७.३४ लाख)	[१३.१० लाख]
(१४) विविध	(३८.३८ लाख)	[४८.४८ लाख]

बड़े कोष्टकों में विविध पदों पर सन् १६५१-५२ के व्यय के अंक दिये गये हैं जिनसे तुलना करने पर ज्ञात होगा कि लगभग सब पदों पर व्यय में वृद्धि हुई है। यह भी उल्लेखनीय है कि सब से बड़ा पद शिक्षा का है जिसके लिए केन्द्र से विशेष सहायता मिलती है। दूसरा सब से बड़ा पद पुलिस का है जिसको सीमा की सुरक्षा का कार्य करना पड़ता है और जिसके लिए केन्द्रीय सहायता मिलनी चाहिये। हम ऊपर बतला चुके हैं कि शिक्षा, चिकित्सा आदि सामाजिक सेवाओं तथा अन्य विकास कार्यों पर राज्य में प्रति व्यक्ति व्यय बहुत कम है। यह राज्य की पिछड़ी हुई दशा का द्योतक है। राजस्थान को अन्य राज्यों के स्तर पर लाने के लिए इन कार्यों पर निरन्तर अधिक व्यय करने की आवश्यकता है।

५ सार्वजनिक निर्माण कार्य:—इस शीर्षक में नई इमारतों और सड़कों के बनाने, पुरानी इमारतों और सड़कों की मरम्मत करने, कर्मचारियों, कार्यालयों, औजारों का व्यय और बिजली की योजनाओं पर लगाई गई पूँजी का ब्याज समाविष्ट किया जाता है। हम बतला चुके हैं कि राजस्थान सड़कों की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। इस कमी को दूर करने के लिए इस पद पर अधिक व्यय करना अनिवार्य है।

६ विविध:—इस शीर्षक के अन्तर्गत निम्नांकित पद सम्मिलित किये जाते हैं—(अ) अकाल या दुर्भिक्ष पर किया जाने वाला व्यय (आ) राजाओं के निज़ खर्च और भत्ते; (इ) अधिवार्षिकी भत्ते और पेन्शनें; (ई) लेखन सामग्री और मुद्रण आदि का व्यय।

७ असाधारण:—इस शीर्षक के अन्तर्गत सामुदायिक विकास योजनाओं का व्यय तथा अन्य असाधारण पदों का व्यय समाविष्ट है। आलोच्य वर्ष में राजस्थान में ५६.५० लाख रु० सामुदायिक विकास योजनाओं पर व्यय होने का अनुमान है।

———

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान-क्षेत्रफल, जनसंख्या और घनत्व (सन् १९५१)

क्रम सं०	जिले का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मिलोंमें)	जन संख्या	जन-संख्या प्रति औसत मील
	[अ] जयपुर डि०			
१	अलवर	३२४५.३	८,६१,९९३	२६५.६
२	भरतपुर	३१३२.६	९,०७,३९९	२८९.७
३	जयपुर	६२९५.४	१६,५६,०९७	२६३.१
४	झूंझूनूं	२३१०.५	५,८८,६२१	२५४.७
५	सवाई माधोपुर	४२०३.८	७,६५,१७२	१८२.०
६	सीकर	२९४१.९	६,७७,७८२	२३०.३
७	टोंक	३५८१.६	४,००,९४७	१११.९
	कुल जयपुर डि.	२५७११.१	५८,५८,०११	२२७.८
	[आ] जोधपुर डि.			
८	बाडमेर	१०१५०.५	४,४१,३६८	४३.५
९	जैसलमेर	१५९६७.५	१,०२,७४३	६.४
१०	जालोर	४९२३.६	४,५९,४६७	९३.३
११	जोधपुर	९४३४.४	६,९१,७८६	७३.३
१२	नागौर	६८९८.८	७,६३,८२९	११०.७
१३	पाली	४७५०.७	६,६०,८५६	१३९.१
१४	सिरोही	१६७१.१	२,३७,३६२	१४२.०
	कुल जोधपुर डि.	५३७९६.६	३३,५७,५११	६२.४

	[इ] उदयपुर डि०			
१५	बांसवाड़ा	१६५३.८	३,५६,५५६	१८२.५
१६	भीलवाड़ा	४६७१.५	७,२७,३५६	१५५.७
१७	चित्तौड़	३२३१.२	५,८७,७२४	१८१.६
१८	डूंगरपुर	१४६६.३	३,०८,२४३	२१०.२
१६	उदयपुर	६६५७.५	११,६१,२३२	१७१.२
	कुल उदयपुर डि.	१८२८०.३	३१,७१,१४४	१७३.५
	[ई] कोटा डि०			
२०	बूंदी	२१३८.६	२,८०,५१८	१३१.१
२१	झालावाड़	२३११.२	३,७३,८१०	१६१.७
२२	कोटा	४७८४.६	७,६६,१६८	१६०.१
	कुल कोटा डि०	६२३४.७	१४,२०,५२६	१५३.८
	[उ] बीकानेर डि.			
२३	बीकानेर	८४४६.६	३,३०,३२३	३६.१
२४	चूरू	६५१२.४	५,२३,२७६	८०.३
२५	गंगानगर	८२२५.०	६,३०,१३६	७६.६
	कुल बीकानेर डि.	२३१८४.०	१४,८३,७३५	६४.४
	कुल राजस्थान डि.	१३०२०६.७	१,५२,६०,७६७	११७.४

Source : Agricultural Statistics (1950-51)
Rajasthan State p. 3

परिशिष्ट (आ)

राजस्थान के बड़े नगर और कस्बे

नाम नगर	जिला	आबादी (सन् १९५१ में)
(i) प्रथम श्रेणी के नगर (एक लाख से अधिक आबादी)		
(१) जयपुर	जयपुर	२९१,१३०
(२) जोधपुर	जोधपुर	१८०,७१७
(३) बीकानेर	बीकानेर	११७,११३
(ii) द्वितीय श्रेणी के कस्बे (५० हजार से १ लाख की आबादी)		
(४) उदयपुर	उदयपुर	८९,६२१
(५) कोटा	कोटा	६५,१०७
(६) अलवर	अलवर	५७,८६८
(iii) तृतीय श्रेणी के कस्बे (२० हजार से ५० हजार तक की आबादी)		
(७) सीकर	सीकर	४४,१४०
(८) टोंक	टोंक	४२,८३३
(९) चूरू	चूरू	४०,०४७
(१०) भरतपुर	भरतपुर	३७,३२१
(११) गंगानगर	गंगानगर	३६,४३७
(१२) भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	२९,६६८
(१३) रतनगढ़	चूरू	२७,४३१
(१४) फतेहपुर	सीकर	२६,७५१
(१५) नवलगढ़	झूंझूनू	२६,६७९
(१६) सरदार शहर	चूरू	२६,६६८
(१७) सुजानगढ	चूरू	२६,२९६
(१८) किशनगढ	जयपुर	२५,६९६
(१९) पाली	पाली	२५,१००
(२०) बूंदी	बूँदी	२२,६९७
(२१) लाडनूं	नागौर	२०,९१४
(२२) बाडमेर	बाडमेर	२०,८१२
(२३) धौलपुर	भरतपुर	२०,६५१
(२४) झूंझूनू	झूँझूनू	२०,६३७
(२५) बारां	कोटा	२०,४१९

Source: A Statistical Outline of Rajasthan p. 15.

परिशिष्ट (इ)

राजस्थानः खालसा और गैर-खालसा (जागीरी) भूमि

(हजार एकड़ों में)

नाम जिला	खालसा भूमि	गैर-खालसा	कुल भूमि	कुल में से खालसा का प्रति शत
		(अ) बीकानेर डि.		
१. बीकानेर	७२७	४,६०६	५,६३३	१३.०
२. चूरू	५६४	३,५६४	४,१५८	१३.५
३. गंगानगर	३,३०२	१,७६६	५,१०१	६४.७
योग	४,५६३	१०,२६६	१४,८६२	३०.८
		(आ) जयपुर डि.		
१. अलवर	१,८३८	२८४	२,१२२	८६.६
२. भरतपुर	१,८७६	११५	१,६६४	६४.२
३. जयपुर	१,८३६	२,१५६	३,६६५	४६.०
४. झूंझूनूं	७	१,४६१	१,४६८	०.४
५. सवाई माधोपुर	१,५७०	१,०४६	२,६१६	६०.०
६. सीकर	१३६	१,८०८	१,६४४	७.०
७. टोंक	७६६	६७५	१,७७४	४५.०
योग	८,०६८	७,८७५	१५,६४३	५०.६
		(इ) जोधपुर डि.		
१. बाडमेर	२७३	५,६५७	६,२३०	४.४
२. जैसलमेर	६,४२५	३,८५५	१०,२८०	६२.५
३. जालौर	२७६	२,५२४	२,८०३	१०.३
४. जोधपुर	८५७	४,६२३	५,७८०	१४.८
५. नागौर	१,०२१	३,३२०	४,३४१	२३.५
६. पाली	५१५	१,६३६	२,१५१	२३.६
७. सिरोही	४२६	६६५	१,०६४	३६.२
योग	७,७६६	२२,८८०	३२,६७६	३०.०

नाम जिला	खालसा भूमि	गैर-खालसा	कुल भूमि	कुल में से खालसा का प्रतिशत
(ई) कोटा डि.				
१. बूँदी	१,१३०	२५९	१,३८९	८१.४
२. झालावाड़	१,२२१	१७२	१,३९३	८७.७
३. कोटा	३,०१३	६५४	३,६६७	८२.२
योग	५,३६४	१,०८५	६,४४९	८३.२
(उ) उदयपुर डि.				
१. बांसवाड़	५३२	७२५	१,२५७	४२.३
२. भीलवाड़ा	१३४	१,२९६	२,४३०	४६.७
३. चित्तौड़	९७९	१,२९९	२,२७८	४३.०
४. डूंगरपुर	५६४	३७०	९३४	६०.४
५. उदयपुर	९६५	२,९३१	३,८९६	२४.८
योग	४,१७४	६,६२१	१०,७९५	३८.७
कुल राजस्थान	३१,९९८	४८,७६०	८०,७५८	३९.६

Source: Agricultural Statistics (1950-51) Rajasthan

परिशिष्ट (ई)

राजस्थान में अनुमित सिंचित और असिंचित क्षेत्र

(हजार एकड़ों में)

क्रम संख्या	जिला	सिंचित क्षेत्र	असिंचित क्षेत्र	कुल कृषित क्षेत्र	सिंचित क्षेत्र कुल का प्रतिशत
	बीकानेर डिवीजन				
१	बीकानेर	—	१७२०	६१७०	०.०
२	चूरू	—	२५२८	२५२८	०.०
	गंगानगर	६२३	१५२१	२१४४	२६.१
	योग	६२३	५७६६	६३६२	६.७
	जोधपुर डिवीजन				
१	बाडमेर	७	३३०५	३३१२	०.२
२	जैसलमेर	—	२५	२५	०.०
३	जालोर	६५	२००८	२०७७	३.३
४	जोधपुर	५०	१८१७	१८६७	२.७
५	नागोर	४३	२०८४	२१२७	२.०
६	पाली	२२	८७३	८६५	२.५
७	सिंरोही	६३	२४	८७	७२-४
	योग	२५४	१०१३६	१०३६०	२.४

जयपुर डिवीजन

क्रम संख्या	जिला	सिंचित क्षेत्र	असिंचित क्षेत्र	कुल कृषित क्षेत्र	सिंचित क्षेत्र कुल का प्रतिसत
१	अलवर	२९१	८५४	११४५	२५.४
२	भरतपुर	२४८	८८४	११३२	२१.९
३	जयपुर	१९३	१५४६	१७३९	११.१
४	झूंझूनूं	४५	११३५	११८०	३.८
५	सवाई-माधोपुर	१४४	१० ३	११८७	१२.१
६	सीकर	३७	१२४१	१२७८	२.९
७	टोंक	९०	८५९	९४९	९.५
	योग	१०४८	७५९२	८६४०	१२.१

कोटा डिवीजन

क्रम संख्या	जिला	सिंचित क्षेत्र	असिंचित क्षेत्र	कुल कृषित क्षेत्र	सिंचित क्षेत्र कुल का प्रतिसत
१	बून्दी	४७	३८७	४३४	१०.८
२	झालावाड़	४३	५२०	५६३	७.६
३	कोटा	६५	१५२८	१५९३	४.१
	योग	१५५	२४३५	२५९०	६.१

उदयपुर डिवीजन

क्रम संख्या	जिला	सिंचित क्षेत्र	असिंचित क्षेत्र	कुल कृषित क्षेत्र	सिंचित क्षेत्र कुल का प्रतिसत
१	बांसवाड़ा	२	४११	४१३	०.५
२	भीलवाड़ा	१७३	२३३	४०६	४२.६
३	चित्तौड़	१९७	२५९	४५६	४३.२
४	डूंगरपुर	१९	२२२	२४१	७.९
५	उदयपुर	२२४	२६०	४८४	४६.५
	योग	६१५	१३८५	२०००	३०.८
	कुल योग	२६६५	२७२८७	२९९८२	९.०

Source: Agricultural Statistics (1950-51) Rajasthan State, p. 16

परिशिष्ट (३)

राजस्थान की प्रथम पंच वर्षीय योजना की लागत (लाख रु० में)

विषय	योजना के मसौदे के अनुसार	राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त मांग	अन्तिम योजना के अनुसार	अन्तिम योजना के के बाद की वृद्धि सहित
I कृषि और ग्राम्य विकास	१६७.२५	६४६.२३	१६७.३०	१८२.२०
१. कृषि	१०६.२४	४८५.००	१०६.२	११५.००
२. पशु चिकित्सा और नस्ल सुधार	१८.२६	—	१८.६	२८.२०
३. वन	२१.७५	११०.३७	२१.८	२१.००
४. सहकारिता	३.००	५१.१६	३.००	३.००
५. ग्राम्य विकास	१५.००	—	१५.००	१५.००
II सिंचाई और शक्ति की बड़ी योजनाएँ	४६४.३०	१३३६.००	५४४.४०	१०४५.२०
१. सिंचाई की योजनाएँ	४५६.०५	१०८२.००	५०३.६०	७५३.६०
२. शक्ति की योजनाएँ	३८.२५	२५०.००	४०.८०	२६१.६०
III उद्योग	३८.५०	१८५.००	३८.५०	३८.५०
१. कुटीर उद्योग	३८.५०	१३५.००	३८.५०	३८.५०
२. खानें	—	५०.००	—	—
IV परिवहन	२६१.००	६१०.००	४०१ ००	५०१.००
१. सड़कें	२६०.००	४१०.००	४००.००	५००.००
२. सड़क परिवहन	१.००	२००.००	१.००	१.००
V सामाजिक सेवाएँ	५३०.२०	७०६.००	५३०.२०	५३०.२०
१. शिक्षा	२६३.५०	११५.००	२६३.५०	२६३.५०
२. चिकित्सा	८२.००	३४२.००	८२.००	८२.००
३. लोक-स्वास्थ्य	१३५.५०	१००.००	१३५.५०	१३५.५०
४. गृह-निर्माण	२.००	१३४.००	२.००	२.००
५. श्रम और श्रम-कल्याण	५.००	१५.००	५.००	५.००
६. पिछड़े हुये वर्गों की उन्नति	४२.२०	—	४२.२०	४२.२०
कुल योग	१५२१.२५	३४८६.५३	१६८१.४०	२२६७.१०

राजस्थान की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त सिंहावलोकन (हजार रु. में)

विवरण	बजट के अनुमान १९५४–५५	संशोधित अनुमान १९५३–५४	बजट के अनुमान १९५३–५४	हिसाब १९५२–५३	हिसाब १९५१–५२	हिसाब १९५०-५१
क–श्री पोते (Opening Balance)	५८,००	४५,४६	४५,४६	८६,४८	१,६७,६४	५३,५
ख-संचनित प्रणीवि (Consolidated Fund)						
१. आय··· ··· ··· ···	२१,५५,११	१८,३३,३१	१९,४४,००	१८,१४,७३	१५,५५,१९	१४,६०,५
२. व्यय··· ··· ··· ···	२१,५५,११	१८,८९,७४	१९,४४,००	१५,९३,६५	१५,७४,७६	१३,६१,२
३. आय खाते की बचत (+) या घाटा (–)···	···	– ६,४३	···	+२,२१,०८	–१९,५७	+ ६६,२
४. पूँजी खाते से व्यय······· ···	११,१७,२२	७,५३,१९	२,९९,०५	५,०३	६,०७,१७	२,००,७
५. आयखाते और पूँजी खाते का कुल व्यय···	३२,७२,३३	२६,४२,९३	२२,४३,०५	१५,९८,६८	२१,८१,९३	१५,६२,०
६. सार्वजनिक ऋण और अग्रिम:—						
(क) प्राप्ति··· ···	२६,१०,९३	२४,२९,८७	३,८२,५३	३,२६,११	३,७९,७०	४,५४,०
(ख) भुगतान··· ···	१६,२३,३२	१७,१६,५१	१,३८,३७	२,४३,०५	१,०३,६६	४,०४,५७
(ग) असल··· ···	+९,८७,६१	+७,१३,३	+२,४४,१३	+८३,०६	+२,७६,०४	+ ४६,४५

त संघनित प्रणीवि ⋯ (१+६क—५—६ ख)	−१,२६,६१	−४६,२६	−५४,८६	+२६६,११	−३,५०,७०	−८२,०४
न्य प्रणीवि ⋯ ⋯	⋯	⋯	⋯	⋯	५०,००	⋯
ानिक लेखा :—						
प्राप्तियाँ ⋯ ⋯	३३,३६,८०	३३,७३,६०	३१,८३,३१	४१,१६,७२	५५,४६,६६	६४,७२,८३
भुगतानें ⋯ ⋯ ⋯	३२,१८,५०	३३,१४,८०	३१,४३,३२	४४,५६,८५	५३,२७,७२	६२,७६,४१
असल ⋯ ⋯ ⋯	+१,२१,३०	+५८,८०	+३६,६६	−३,४३,१३	+२,२२,२४	+१,६६,४२
शेष ⋯ ⋯ ⋯	४६,६६	५८,००	३०,५६	४५,४६	८६,४८	१,६७,६४

परिशिष्ट : (ऐ)

संघीय वित्तीय एकीकरण के फलस्वरूप राजस्थान के जो आय के साधन और व्यय के विषय केन्द्र को चले गये उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

आय के साधन

		(लाख रु०)
(१)	विदेशी व्यापार पर सीमा-कर	२४१
(२)	कारपोरेशन कर	·१८
(३)	अफीम	२·०८
(४)	आय-कर	१३·५४
(५)	संघीय उत्पादन-कर	५१·७१
(६)	रेलें (विशुद्ध आय)	१६३·२५
(७)	डाक-तार (विशुद्ध आय)	१·०७
(८)	टेलीफोन (विशुद्ध आय)	·४८
(९)	चलार्थ और टकसाल	—
(१०)	संघीय विनियोगों पर व्याज	—
(११)	नमक	१२·७०
	कुल	२४७·४३

व्यय के विषय

(१)	विदेशी व्यापार पर सीमाकर इकट्ठा करने का व्यय	०·८७
(२)	संघीय उत्पादन-कर इकट्ठा करने का व्यय	२·२१
(३)	आय-कर इकट्ठा करने का व्यय	०·२७
(४)	राष्ट्रीय राज मार्ग	७·८७
(५)	सुरक्षा (केवल देशी राज्यों की सेनाओं का)	१५४·५७
(६)	वायु-यातायात (हवाई अड्डों का व्यय)	·३७
(७)	मौसम विभाग	·०६
(८)	पुरातत्त्व विभाग	·४८
(९)	भूगर्भ विभाग	—
(१०)	पेटेन्टस, कापीराइट्स, ट्रेड मार्क्स आदि	·२१
(११)	सैनिक और अन्य संघीय कर्मचारियों को पेन्शनें	१४·३२
(१२)	हिसाव और जांच	१२·५३
(१३)	एम्प्लायमेंट एक्सचेंज	·३०
(१४)	निज खर्च	१००·३८*
	कुल	२९४·०२

*सिरोही के महाराव साहिव के निज खर्च के ८०% के १,७०,००० रु० सहित ।

संदर्भ सूची (BIBLIOGRAPHY)

1. Census Report-Volume X - Rajasthan & Ajmer - Parts I A-B & II A-B-C.
2. Agricultural Statistics - (Rajasthan) 1950-51. : Director of Agriculture & Food Commissioner, Rajasthan.
3. Bulletin of Statistics : Chief Statistical Officer, Rajasthan.
4. A Statistical Out-line of Rajasthan - (January 1953) : Chief Statistical Officer, Rajasthan.
5. Rajasthan : A Symposium : Directorate of Public Relations, Rajasthan.
6. Report of Rajasthan & Madhya Bharat Jagir Enquiry Committee, (1950) - Manager, Govt. of India Press, New Delhi.
7. Indian States Finances Enquiry Committee Report (1948) : Govt. of India Publication.
8. Draft Statement of Economic Policy of Govt. of Rajasthan.
9. Industrial Development & Brief Facts About Industries of Jodhpur Division - (December 1953) Assistant Director of Industries and Commerce, Jodhpur.
10. Memorandum Submitted to the Finance Commission by the Gov . of Rajasthan 1952 (Govt. of Rajasthan Publication).
11. Supplementary to the above memorandum.
12. Memorandum Presented to the Part B States (Special Assistance) Enquiry Committee (July 1953) - Govt. of Rajasthan.
13. Memoranda On State Taxation and Local Taxation. December 1953 (Govt. of Rajasthan).
14. Committee of Enquiry into the Possibility of Improving the Underground Water Supplies of Marwar - Report on the Proceedings and Findings by Sir William Stampe and the Members of the Committee (1939-40) - Govt. of Jodhpur.
15. Mineral Resources of Rajasthan : 1950 - Special Statistical Officer, Department of Commerce & Industries, Govt. of Rajasthan.

16. Industries of Rajasthan – 1950 – (Department of Commerce Industries), Rajasthan.

17. Economic Minerals of Rajasthan : Director of Mines Geology, Govt. of Rajasthan.

18. Budgets of Rajasthan : Govt. of Rajasthan.

19. Memorandum Submitted by Rajasthan Chamber of Commer and Industry to the Finance Commission – August 1952.

20. Memorandum Submitted to the Taxation Enquiry Commission the Rajasthan Chamber of Commerce & Industry – Nov. 1953.

21. दैनिक 'लोकवाणी' – औद्योगिक विकास अंक – [दीपावली २००७]

22. लोकवाणी वर्ष कोष – 'लोकवाणी', जयपुर, युगान्तर प्रेस, जयपुर।

23. 'संयुक्त राजस्थान' – सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय, जयपुर।

24. पहली पंच वर्षीय योजना – राजस्थान – साहित्य विभाग सार्वजनि सम्पर्क कार्यालय जयपुर।

25. विकास किरणें (प्रथम खण्ड) सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय, राजस्थान

26. विकास किरणें (द्वितीय खण्ड) " "